ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

अप्रैल 2025
वर्ष : 07 | अंक : 04

पंचायती राज में महिला सशक्तीकरण

महिला आरक्षण बनाम प्रॉक्सी शासन

मुख्य विशेषताएं

- पावर पैक्ड न्यूज
- यूपीएससी प्री बेस्ड एमसीक्यूस

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 05-21

- ☑ पंचायती राज में महिला सशक्तीकरण: महिला आरक्षण बनाम प्रॉक्सी शासन
- ☑ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: महत्व, चयन और भारत का योगदान
- ☑ भारत में मातृ मृत्यु दर: प्रगति, चुनौतियाँ और नीतिगत हस्तक्षेप
- ☑ दक्षिणी राज्यों में महिलाओं के ऋण लेने की हिस्सेदारी सबसे अधिक
- ☑ लैंगिक समानता पर रिपोर्ट
- ☑ कोच-राजबोंगशी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग
- ☑ पीएम युवा 3.0
- ☑ मातृभाषा पर यूनेस्को की रिपोर्ट
- ☑ नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876
- ☑ जहान-ए-खुसरो
- ☑ लाडो लक्ष्मी योजना
- ☑ आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण
- ☑ विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025
- ☑ भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि: ILO रिपोर्ट

2. राजव्यवस्था एवं शासन 22-38

- ☑ भारत में परिसीमन: प्रतिनिधित्व और संघवाद पर संवैधानिक बहस
- ☑ तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 2024
- ☑ आव्रजन विधेयक, 2025
- ☑ बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025
- ☑ परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों की चिंता
- ☑ न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय
- ☑ कस्टम व जीएसटी अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस
- ☑ पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- ☑ एआई कोष
- ☑ भारतीय आपराधिक व्यवस्था में 'तैयारी' बनाम 'प्रयास'
- ☑ आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
- ☑ संसद ने पारित किया बॉयलर विधेयक, 2024
- ☑ न्यायिक जवाबदेही
- ☑ सार्वजनिक रूप से अधिग्रहित भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- ☑ शिक्षा प्रणाली में APAAR ID: संभावनाएँ और विवाद
- ☑ विकास और पर्यावरण संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 39-56

- ☑ भारत की समुद्री रणनीति: सागर से महासागर और ग्लोबल साउथ तक
- ☑ आर्कटिक में भारत की रणनीतिक भागीदारी:
- ☑ भू-राजनीति, संसाधन और भविष्य की संभावनाएं
- ☑ फाइव आईज संकट और भारत के लिए निहितार्थ
- ☑ भारत और युगांडा के बीच तीसरी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक
- ☑ स्क्वाड समूह में भारत को शामिल करने की योजना
- ☑ भारत और न्यूज़ीलैंड के मध्य रक्षा सहयोग समझौता
- ☑ सिपरी (SIPRI) रिपोर्ट
- ☑ गंगा जल संधि के नवीनीकरण हेतु बैठक
- ☑ भारत-भूटान के मध्य सीमा सम्बन्धी सहयोग पर बैठक
- ☑ भारत और आयरलैंड के मध्य संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना
- ☑ 26/11 हमलें के आरोपी की भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज
- ☑ ग्रीनलैंड का भविष्य
- ☑ भारत और यूरोपीय संघ: बहुध्रुवीय विश्व में साझेदारी का महत्व
- ☑ थाईलैंड-चीन निर्वासन प्रकरण: उइगर समुदाय पर बढ़ी वैश्विक चिंता

4. पर्यावरण 57-79

- भारत में बाघ अभयारण्यों का विस्तार: चुनौतियाँ, प्रयास और वैश्विक भागीदारी
- वन, खाद्य और स्थिरता के लिए भारत का एकीकृत दृष्टिकोण
- भारत में पहली बार डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण
- माधव राष्ट्रीय उद्यान बना भारत का 58वाँ बाघ अभयारण्य
- विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024
- विलुप्त होने के कगार पर हेलिकोनिया प्रजातियाँ
- दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक
- अमेरिका में तितलियों की आबादी में भारी गिरावट
- पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य (1.5°C) खतरे में
- जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजातियाँ
- आइसलैंड का ओकजोकुल ग्लेशियर पूरी तरह विलुप्त
- कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट का क्षरण
- भारतीय मानसून पर अध्ययन

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 73-83

- क्वांटम कंप्यूटिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत का रणनीतिक रोडमैप
- सीएआर टी-सेल थेरेपी
- नैनोकण-आधारित सुरक्षा स्याही
- नासा का PUNCH मिशन
- दीर्घकालिक स्थायित्व एवं उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु
- नियोबियम डाइसेलेनाइड में बोस धातु के प्रमाण
- आदित्य-एल1 की सफलता: सौर ज्वाला का केंद्र कैप्चर
- मंगल ग्रह की धूल के स्वास्थ्य जोखिम
- गैया मिशन
- लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और लाइम रोग
- विक्रम और कल्पना माइक्रोप्रोसेसर

6. आर्थिकी 84-103

- भारत के एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाना: विकास, बजटीय सुधार और भविष्य की संभावनाएं
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी पहल
- भारत का वस्त्र उद्योग: विकास, चुनौतियाँ और आगे की राह
- कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु योजना
- पिछले 10 वर्षों में 16.35 लाख करोड़ के एनपीए राइट-ऑफ
- वेतनभोगी वर्गों की आय में स्थिरता
- सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन योजना
- श्रम प्रवासन से दक्षिणी राज्यों में बढ़ती मुद्रास्फीति
- सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (सी-3)
- डिजिटल समावेशन की दिशा में भारत की स्थिति
- एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन
- समुद्री क्षेत्र में नवाचार के लिए नई पहलें
- डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली
- स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में संशोधन
- भारत की अर्थव्यवस्था में एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि
- चीन से आयात होने वाले 5 उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क
- जैव-अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि

7. आंतरिक सुरक्षा 104-109

- 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत की रक्षा क्षेत्र में प्रगति
- छत्तीसगढ़ की नई माओवादी आत्मसमर्पण नीति
- स्वदेशी रक्षा विकास
- भारतीय वायु सेना की क्षमता में सुधार हेतु रिपोर्ट
- वर्टिकली-लॉन्च्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल

पावर पैक्ड न्यूज 110-127

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 128-136

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

पंचायती राज में महिला सशक्तीकरणः महिला आरक्षण बनाम प्रॉक्सी शासन

सन्दर्भः

महिला सशक्तिकरण समावेशी विकास और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसी उद्देश्य से पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया, ताकि महिलाएँ प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकें। हालाँकि, "सरपंच पति" की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार शासन का वास्तविक संचालन करते हैं। इससे महिलाओं की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बाधित होती है और आरक्षण का पूरा लाभ समाज तक नहीं पहुँच पाता। इस समस्या को हल करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने कई सुधारात्मक प्रयास शुरू किए हैं। इनमें "सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान" और सामुदायिक रेडियो व डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जागरूकता अभियान शामिल हैं। "सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान" महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है। वहीं, सामुदायिक रेडियो और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग महिला पंचायत सदस्यों को जागरूक करने और उन्हें शासन प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए किया जा रहा है।

सरपंच पति : महिला नेतृत्व में बाधा

- सरपंच पति प्रथा से तात्पर्य उस प्रथा से है जिसमें निर्वाचित महिला सरपंच का पति सत्ता संभालता है और उसकी ओर से निर्णय लेता है । यह समस्या गहरी पितृसत्तात्मक संरचनाओं, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में शिक्षा की कमी और अपर्याप्त संस्थागत समर्थन के कारण उत्पन्न होती है ।
- पंचायतों में चुनी गई कई महिलाओं के पास शासन और निर्णय लेने का पूर्व अनुभव नहीं होता। उचित प्रशिक्षण के अभाव में, वे अक्सर प्रशासनिक कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के लिए पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाती हैं। जबकि कुछ पुरुष अच्छे इरादों से अपनी पत्नियों की सहायता करने का दावा करते हैं, यह राजनीतिक आरक्षण के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है - जो महिलाओं को स्वतंत्र नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है।

प्रॉक्सी नेतृत्व से निपटने के लिए सरकार की पहलः

- **सशक्त पंचायत-नेत्री अभियानः महिला नेताओं के लिए क्षमता निर्माणः** स्थानीय शासन में महिला नेताओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य है:
  - » नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
  - » शासन, बजट, संघर्ष प्रबंधन और डिजिटल साक्षरता पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - » महिला नेताओं को कानूनी जानकारी देना, ताकि वे लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल उत्पीड़न से निपट सकें।
- इस अभियान के तहत कानूनी प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया गया है, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी संसाधनों की जानकारी दी जाती है। इसमें निम्नलिखित मुद्दों पर कानूनों और रिपोर्टिंग तंत्र की जानकारी शामिल है:
  - » घरेलू हिंसा और बाल शोषण।
  - » लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और भ्रूण हत्या।
  - » कार्यस्थल पर उत्पीड़न और मानव तस्करी।
  - » साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल सुरक्षा।

- कानूनी और प्रशासनिक जागरूकता को मजबूत करके , यह पहल सुनिश्चित करती है कि वे अपने समुदायों की प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हों।
- **सामुदायिक रेडियो और मीडिया सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान**
  - » प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ, सरकार ने सरपंच पति प्रथा को चुनौती देने के लिए सामुदायिक रेडियो, सार्वजनिक सेवा फिल्मों, मीडिया आउटरीच और शैक्षिक संगोष्ठियों के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य महिला सरपंचों के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देना और प्रॉक्सी नेतृत्व की प्रवृत्ति को समाप्त करना है।

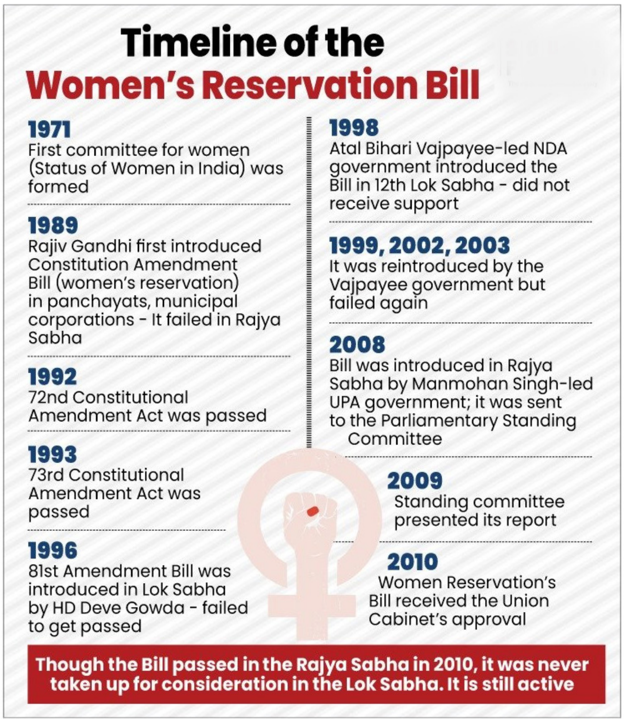

  - » पंचायती राज राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने राज्यसभा में जानकारी दी कि "जन जन तक जानकारी" जैसी पहल बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 15 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही है।
- **इन अभियानों के मुख्य उद्देश्य:**
  - » ग्रामीण समुदायों को स्वतंत्र महिला नेतृत्व के महत्व के बारे में शिक्षित करना।
  - » प्रॉक्सी नेतृत्व के कानूनी और प्रशासनिक दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
  - » महिला प्रतिनिधियों के अधिकारों और सरकार की डिजिटल गवर्नेंस पहलों को बढ़ावा देना। सरकारी योजनाओं और डिजिटल गवर्नेंस पहलों को बढ़ावा देना ,जैसे:
    - ➢ स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और गांवों के डिजिटल मानचित्रण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण)।
    - ➢ ई- ग्राम स्वराज ,मेरी पंचायत और पंचायत निर्णय (पारदर्शी निर्णय लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल)।
    - ➢ ऑनलाइन ऑडिट (स्थानीय शासन में वित्तीय जवाबदेही के लिए एक डिजिटल मंच)
- ये संचार रणनीतियाँ सार्वजनिक धारणाओं को बदलने, महिला नेताओं के लिए अधिक सम्मान सुनिश्चित करने और समुदायों को प्रॉक्सी नेतृत्व को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नीतिगत सिफारिशें और संस्थागत सुदृढ़ीकरण:

पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व को और मजबूत करने के लिए, सरकारी सलाहकार समिति ने कई प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव दिया है :

- **प्रॉक्सी नेतृत्व के विरुद्ध सख्त कानूनी और प्रशासनिक उपाय:**
  - » प्रॉक्सी शासन के सिद्ध मामलों के लिए दंड लागू करना।
  - » पुरुष रिश्तेदारों को गैरकानूनी तरीके से अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना।
- **सतत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:**
  - » चुनाव के बाद कम से कम दो वर्षों तक त्रैमासिक शासन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  - » स्थानीय शासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई उपकरण और डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल की शुरूआत।
- **निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:**
  - » महिला नेताओं द्वारा स्वतंत्र निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम 12वीं कक्षा की शिक्षा अनिवार्य करना।
- **वित्तीय और तकनीकी सशक्तिकरण:**
  - » सरपंचों के मानदेय में वृद्धि (उदाहरण के लिए, राजस्थान में वर्तमान में केवल 4,500 प्रतिमाह दिया जाता है)।
  - » स्वतंत्र शासन गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन और आधिकारिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करना।
- **संस्थागत समर्थन और जवाबदेह तंत्र:**
  - » मार्गदर्शन के लिए महिला सरपंचों के व्हाट्सएप समूहों में सरकारी अधिकारियों को शामिल करना।

- » राजनीतिक दुरुपयोग को रोकते हुए प्रॉक्सी नेतृत्व की सूचना देने के लिए मजबूत जवाबदेही तंत्र की स्थापना करना।
- **परिवार और समुदाय के समर्थन को प्रोत्साहित करना**
    - » महिला नेताओं द्वारा स्वतंत्र निर्णय लेने के समर्थन हेतु स्थानीय अधिकारियों और समुदायों को संवेदनशील बनाना।
    - » यह सुनिश्चित करना कि पुरुष रिश्तेदारों को आधिकारिक पंचायत बैठकों से बाहर रखा जाए ताकि महिलाएं अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।

निष्कर्ष:

सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान, सामुदायिक रेडियो जागरूकता अभियान और डिजिटल गवर्नेंस पहल भारत में "सरपंच पति" प्रथा को समाप्त करने और पंचायती राज संस्थाओं में वास्तविक महिला नेतृत्व सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालाँकि, इन प्रयासों की सफलता दीर्घकालिक नीति प्रतिबद्धता, निरंतर क्षमता निर्माण और मजबूत संस्थागत सुरक्षा उपायों पर निर्भर करती है। महिलाओं के नेतृत्व में बाधा डालने वाली संरचनात्मक रुकावटों, सामाजिक पूर्वाग्रहों और संस्थागत अंतरालों को दूर करके, भारत अधिक समावेशी, सहभागी और लैंगिक समान लोकतंत्र की ओर अग्रसर हो सकता है। जब महिला नेताओं को सही समर्थन और स्वतंत्रता मिलती है, तो गवर्नेंस की गुणवत्ता में सुधार होता है और महिलाओं, बच्चों और हाशिए पर पड़े समुदायों के मुद्दों पर अधिक प्रभावी रूप से ध्यान दिया जाता है। छद्म नेतृत्व के खिलाफ लड़ाई का लक्ष्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि महिलाएँ केवल नाममात्र के लिए सत्ता में रहें, बल्कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली का निर्माण करना है जहाँ महिलाएँ अधिकार, आत्मविश्वास और प्रभावशीलता के साथ नेतृत्व कर सकें।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल : महत्व, चयन और भारत का योगदान

सन्दर्भ:

विरासत मानव सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती है और समाज की पहचान व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन अमूल्य धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यूनेस्को (UNESCO) अपने विश्व धरोहर कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे स्थलों की पहचान करता है जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (Outstanding Universal Value - OUV) रखते हैं और राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

- विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत की छह नई संपत्तियाँ शामिल की गई, जिससे वैश्विक धरोहर मानचित्र पर देश की उपस्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। इन स्थलों में मुदुमल शामिल है- मुदुमल मेगालिथिक मेन्हिर(तेलंगाना), छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कई राज्यों में अशोक के शिलालेख स्थल, मध्य प्रदेश और ओडिशा में चौसठ योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर (उत्तर भारत के विभिन्न राज्य) और बुंदेला राजवंश के महल-किले (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश)। इनका समावेश भारत की अपनी समृद्ध और विविध विरासत की रक्षा के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर करता है, साथ ही वैश्विक संरक्षण में यूनेस्को की भूमिका के महत्व पर भी जोर देता है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में:

- विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) एक उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाला स्थान होता है, जिसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक महत्व (Cultural, Historical, or Natural Significance) राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यूनेस्को 1972 के "विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन" (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) के तहत इन स्थलों की पहचान करता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रह सकें।
- **विरासत स्थलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:**
    - » **सांस्कृतिक विरासत:** वे स्मारक, पुरातात्विक स्थल और सांस्कृतिक परिदृश्य जो मानव सभ्यता और उसके विकास को प्रदर्शित करते हैं।
        - ➢ **उदाहरण:** ताज महल (भारत), स्टोनहेंज (यूके), माचू पिचू (पेरू)।
    - » **प्राकृतिक विरासत:** वे क्षेत्र जो असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य, भूवैज्ञानिक महत्व या पारिस्थितिकीय विशेषताओं के कारण

महत्वपूर्ण हैं।

- » **मिश्रित विरासत (Mixed Heritage):** वे स्थल जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व रखते हैं।
    - ➢ उदाहरण: माचू पिचू (पेरू), कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (भारत)।
- ▪ 2024 तक, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची (UNESCO World Heritage List) में 168 देशों के कुल 1,223 स्थल शामिल हैं, जिनमें:
    - » 952 सांस्कृतिक स्थल (Cultural Sites)
    - » 231 प्राकृतिक स्थल (Natural Sites)
    - » 40 मिश्रित स्थल (Mixed Sites)
- ▪ ये संख्याएँ लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अधिक स्थल यूनेस्को के सख्त चयन मानदंडों (Stringent Selection Criteria) को पूरा कर रहे हैं और वैश्विक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चयन के लिए मानदंड:

- ▪ विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee) में 196 सदस्य देशों में से चुने गए 21 देश शामिल होते हैं, जिन्होंने विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण सम्मेलन, 1972 (World Heritage Convention, 1972) की पुष्टि की होती है। यह समिति प्रत्येक वर्ष बैठक आयोजित करती है, जिसमें:
    - » नए नामांकनों (Nominations) की समीक्षा की जाती है।
    - » पहले से सूचीबद्ध स्थलों की स्थिति (State of Conservation of Existing Sites) का मूल्यांकन किया जाता है।
- ▪ किसी स्थल को विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, उसे उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (Outstanding Universal Value - OUV) प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। इसके लिए उसे यूनेस्को द्वारा निर्धारित 10 चयन मानदंडों (10 Selection Criteria) में से कम से कम एक मानदंड को पूरा करना आवश्यक है।
- ▪ प्रारंभ में इन मानदंडों को 6 सांस्कृतिक (Cultural) और 4 प्राकृतिक (Natural) पहलुओं में विभाजित किया गया था, लेकिन 2004 में एक एकीकृत मूल्यांकन प्रक्रिया (Integrated Evaluation Process) लागू करने के लिए इन्हें एक ही सेट में विलय (Merged into a Single Set) कर दिया गया।
- ▪ **सांस्कृतिक मानदंडों के लिए, कोई साइट योग्य हो सकती है यदि वह:**
    - » मानव रचनात्मक प्रतिभा (Human Creative Genius) की एक उत्कृष्ट कृति को प्रदर्शित करता हो। (उदाहरण: अजंता गुफाएँ, भारत)
    - » वास्तुकला, कला या शहरी नियोजन में मानवीय मूल्यों के आदान-प्रदान को दर्शाता हो। (उदाहरण: जयपुर शहर, भारत)
    - » किसी सांस्कृतिक परंपरा या सभ्यता का अद्वितीय प्रमाण प्रस्तुत करता हो, चाहे वह जीवित हो या विलुप्त। (उदाहरण: मोहनजो-दाडो, पाकिस्तान)
    - » किसी महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प या तकनीकी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता हो, जो मानव इतिहास के प्रमुख चरणों को दर्शाता हो। (उदाहरण: फतेहपुर सीकरी, भारत)
    - » पारंपरिक मानव बस्ती या भूमि उपयोग (Human Settlement or Land Use) का एक असाधारण उदाहरण हो, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां यह पर्यावरणीय चुनौतियों का उत्तर हो। (उदाहरण: चोल मंदिर, भारत)
    - » किसी स्थल का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं, परंपराओं, कलात्मक आंदोलनों या उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों से हो। (उदाहरण: एलोरा गुफाएँ, भारत)
- ▪ **किसी स्थल को प्राकृतिक धरोहर (Natural Heritage Site) के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है, यदि वह:**
    - » असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य और सौंदर्यात्मक महत्व रखता हो। (उदाहरण: पश्चिमी घाट, भारत)

» पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के प्रमुख चरणों को दर्शाता हो, जिसमें भू-आकृति विज्ञान और स्थलाकृति विकास शामिल हो। (उदाहरण: ग्रैंड कैन्यन, अमेरिका)
» भूमि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता हो। (उदाहरण: अमेज़न वर्षावन, दक्षिण अमेरिका)
» इसमें जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण आवास शामिल हों, जिनमें उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाली लुप्तप्राय प्रजातियाँ पाई जाती हों। (उदाहरण: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, भारत)

विश्व धरोहर सूची में भारत का योगदान:

- 1977 में विश्व विरासत सम्मेलन की पुष्टि करने के बाद से भारत वैश्विक विरासत संरक्षण में एक सक्रिय भागीदार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने विश्व विरासत सूची (World Heritage List) में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है, जिसमें 43 मान्यता प्राप्त स्थल शामिल हैं, जो इसकी विविध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दर्शाते हैं।
- मान्यता प्राप्त स्थलों के अतिरिक्त, 62 स्थल वर्तमान में यूनेस्को की संभावित सूची (Tentative List of UNESCO World Heritage Sites) में शामिल हैं, जिन्हें पूर्ण मान्यता (Final Recognition) मिलने की प्रतीक्षा है।
- भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं:
  » **सांस्कृतिक स्थल:** ताज महल, ऐतिहासिक शहर जयपुर , लाल किला, खजुराहो मंदिर और रानी की वाव ,ये सभी देश की समृद्ध कलात्मक और स्थापत्य विरासत को दर्शाते हैं ।
  » **प्राकृतिक स्थल:**
    ➢ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ,जोकि रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है।
    ➢ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ,जोकि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है।
    ➢ नंदा देवी एवं फूलों की घाटी,जोकि अपने अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
  » **मिश्रित स्थल:** कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अपनी सांस्कृतिक महत्ता और अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध, जो इसे उन गिने-चुने स्थलों में से एक बनाता है जिन्हें सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थिति का महत्व:

- **संवर्धित सुरक्षा और संरक्षण:** यूनेस्को द्वारा नामित किए जाने से विरासत संरक्षण के लिए जागरूकता और वित्तपोषण बढ़ता है । सरकारें और स्थानीय समुदाय अपने स्थलों के संरक्षण में अधिक निवेश करते हैं , जिससे संरक्षण नीतियाँ सख्त हो जाती हैं।
- **वित्तीय सहायता और विशेषज्ञ मार्गदर्शन:** विश्व धरोहर कोष देशों को उनके धरोहर स्थलों के रखरखाव और जीर्णोद्धार में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है । संरक्षण संबंधी तत्काल चुनौतियों का सामना कर रहे देश आपातकालीन सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **पर्यटन और आर्थिक विकास में वृद्धि:** विश्व धरोहर का दर्जा वैश्विक पर्यटन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है , जिससे स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ होता है । पर्यटकों की बढ़ती गतिविधि से रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे का विकास और अधिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है ।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और कूटनीतिक प्रभाव:** यूनेस्को की सूची में शामिल होने से वैश्विक मंच पर किसी देश की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रतिष्ठा बढ़ती है। इससे विरासत संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भी मजबूत होती है ।

विश्व धरोहर स्थलों से जुड़ी चुनौतियाँ और जिम्मेदारियाँ:

- विश्व धरोहर स्थल होने के अनेक लाभ हैं, लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं। सरकारों और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन स्थलों का सुनियोजित संरक्षण और रखरखाव किया जाए तथा उन्हें निम्नलिखित खतरों से बचाया जाए:
  » शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का अनियंत्रित विस्तार
  » जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण
  » अनियमित पर्यटन और अत्यधिक भीड़भाड़
  » संरक्षण प्रयासों की कमी, उपेक्षा और प्रदूषण
- यूनेस्को नियमित रूप से साइटों की निगरानी और ऑडिट करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका उचित रखरखाव हो रहा है। यदि किसी साइट को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है, तो उसे खतरे में विश्व धरोहर की सूची में रखा जा सकता है। यदि किसी साइट का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य नहीं रह जाता है , तो यूनेस्को के पास इसे पूरी तरह से सूची से हटाने का अधिकार है।

भारत में मातृ मृत्यु दर : प्रगति, चुनौतियाँ और नीतिगत हस्तक्षेप

सन्दर्भ :

भारत में मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate - MMR) एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है, जो मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र दक्षता और उनकी पहुंच को दर्शाती है। यह किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और प्रजनन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में मौजूदा अंतराल को उजागर करता है। मातृ मृत्यु को गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से जुड़े कारणों से होती है, जिसमें आकस्मिक या आकस्मिक कारक शामिल नहीं होते हैं। यह केवल महिलाओं और नवजात शिशुओं की भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास और दीर्घकालिक वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है।

भारत में मातृ मृत्यु दर और एमएमआर प्रवृत्तियों को समझना:

- मातृ मृत्यु दर (MMR) एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट अवधि के दौरान प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु को मापने के लिए किया जाता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मातृ मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जहां MMR 2014-16 में 130 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई है। यह सुधार काफी हद तक सरकारी हस्तक्षेप, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच और संस्थागत प्रसव में वृद्धि से प्रेरित है।
- भारत को मातृ एवं नवजात शिशु टेटनस को खत्म करने के लिए 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता दी गई थी, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण विकास है।
- हालांकि, समग्र गिरावट के बावजूद, राज्यों के बीच MMR में असमानताएं बनी हुई हैं। जबकि केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य पहले ही सतत विकास लक्ष्य (SDG) के तहत MMR को 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करने का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, कई अन्य राज्यों को अभी भी इस लक्ष्य तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

एनएफएचएस-5 (2019-21) पर आधारित मातृ स्वास्थ्य रुझान:

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) भारत में मातृ स्वास्थ्य देखभाल में हुई प्रगति का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है:
    - पहली तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) एनएफएचएस-4 (2015-16) में 59% से बढ़कर एनएफएचएस-5 (2019-21) में 70% हो गई, जिससे मातृ स्वास्थ्य की प्रारंभिक निगरानी सुनिश्चित हुई।
    - टीकाकरण कराने वाली गर्भवती महिलाओं का अनुपात 51% से बढ़कर 59% हो गया, जो आवश्यक मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच का संकेत है।
    - राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत प्रसव में 79% से बढ़कर 89% तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि केरल, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 100% संस्थागत प्रसव हासिल किया।
    - ग्रामीण भारत में अब 87% प्रसव स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 94% है, जो चिकित्सा सहायता पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।
- मातृ मृत्यु का एक बड़ा हिस्सा 20-29 वर्ष की आयु वर्ग में होता है, जिससे युवा माताओं के लिए मजबूत मातृ स्वास्थ्य देखभाल नीतियों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप:

- भारत 2030 तक मातृ मृत्यु दर (MMR) को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य (SDG) की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। देश ने 2020 तक MMR को 100 से नीचे लाने के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और RMNCAH+N रणनीति:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (RMNCAH+N) रणनीति के माध्यम से। यह ढांचा राज्यों में समग्र मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

मातृ स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं:

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) (2005):**
  - सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना।
  - सुरक्षित प्रसव के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) – 2017 (2022 में PMMVY 2.0 के रूप में संशोधित):**
  - प्रथम जीवित जन्म पर 5000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - पीएमएमवीवाई 2.0 दूसरी संतान लड़की होने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करती है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) (2011):**
  - यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करता है।
  - इसमें परिवहन, दवाइयां, निदान और रक्त आधान को निःशुल्क कवर किया जाता है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) (2019):**
  - गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, जिससे किसी भी गर्भवती महिला को स्वास्थ्य सेवा से वंचित न किया जाए।
  - इसका उद्देश्य रोके जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त करना है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) (2016):**
  - हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) सेवाएं प्रदान करता है।
  - विस्तारित पीएमएसएमए (ई-पीएमएसएमए) उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा गर्भवती माताओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- **लक्ष्य (2017):**
  - प्रसव कक्षों और ऑपरेशन थियेटरों में मातृत्व देखभाल की गुणवत्ता में वृद्धि।
  - सम्मानजनक और सुरक्षित प्रसव अनुभव सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

मातृ स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:

- **चिकित्सा प्रशिक्षण और मानव संसाधन का विस्तार:**
  - विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनेस्थीसिया और प्रसूति देखभाल में डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण देना।
- **अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार:**
  - बेहतर स्टाफ, रक्त भंडारण और आपातकालीन देखभाल सेवाओं के साथ प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) को उन्नत करना।
  - अधिक दबाव वाले जिलों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग विकसित करना।
  - जटिल गर्भधारण से निपटने के लिए प्रसूति आईसीयू और उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) की स्थापना करना।
- **जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम:**
  - मातृ मृत्यु निगरानी समीक्षा (एमडीएसआर) स्वास्थ्य सेवा वितरण में अंतराल की पहचान करने में मदद करती है।
  - ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) सामुदायिक स्तर पर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।
  - खून की कमी पोषण अभियान के तहत मुक्त भारत (एएमबी) गर्भवती महिलाओं में पोषण संबंधी कमियों से निपटता है।

राज्य-स्तरीय नवाचारों से सीख:

- कई राज्यों ने अद्वितीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल लागू किए हैं, जिन्होंने मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है:
  - **मध्य प्रदेश का 'दस्तक अभियान':** मातृ स्वास्थ्य जोखिमों का शीघ्र पता लगाने के लिए एक समुदाय-आधारित दृष्टिकोण।
  - **तमिलनाडु का आपातकालीन प्रसूति देखभाल मॉडल:** एक रेफरल-आधारित स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क जो मातृ जटिलताओं के लिए समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और 2020 तक एमएमआर को 100 से नीचे लाने के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

हालांकि, 2030 तक एमएमआर को 70 से नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करना एक चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए निरंतर नीतिगत ध्यान, बेहतर स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुंच की आवश्यकता है। मौजूदा पहलों को मजबूत करके और नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर, भारत मातृ मृत्यु दर को और कम कर सकता है तथा सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव सुनिश्चित कर सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

दक्षिणी राज्यों में महिलाओं के ऋण लेने की हिस्सेदारी सबसे अधिक

संदर्भ:

हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई 'उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक: भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका' रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु में महिला ऋण लेने वालों की हिस्सेदारी 44% के साथ देश में सबसे अधिक है। इसे ट्रांसयूनियन सिबिल, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) और माइक्रोसेव कंसल्टिंग (एमएससी) द्वारा प्रकाशित किया गया है।

दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की ऋण हिस्सेदारी:

- दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की ऋण हिस्सेदारी अधिक है। दिसंबर 2024 तक, तमिलनाडु में 44% महिलाओं के पास सक्रिय ऋण था, जबकि आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा 41%, तेलंगाना में 35% और कर्नाटक में 34% था। राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 31% है।
- तमिलनाडु में महिलाओं के सक्रिय ऋणकर्ताओं की संख्या पिछले पाँच वर्षों में 10% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है।

अन्य राज्यों की स्थिति:

- अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में महिलाओं की ऋण हिस्सेदारी 30%, राजस्थान में 26%, मध्य प्रदेश में 25% और उत्तर प्रदेश में 23% दर्ज की गई है। हालांकि, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महिलाओं के सक्रिय ऋण लेने वालों की संख्या पिछले पाँच वर्षों में तेजी से बढ़ी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इन राज्यों की हिस्सेदारी अब भी कम बनी हुई है।

महिलाओं की ऋण निगरानी में वृद्धि:

- दिसंबर 2024 तक, 2.7 करोड़ महिलाओं ने सिबिल के साथ अपने क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट की निगरानी की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42% अधिक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने 2024 में कुल महिला स्वयं-निगरानी का 49% योगदान दिया, जिसमें अकेले तमिलनाडु की हिस्सेदारी 11% थी।
- दक्षिणी क्षेत्र में महिलाओं की स्वयं-निगरानी की संख्या सबसे अधिक रही, जो दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक 46% वृद्धि के साथ 1.016 करोड़ तक पहुंच गई।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की पहल:

- नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि वित्तीय संस्थानों को महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुसार समावेशी वित्तीय उत्पाद तैयार करने की आवश्यकता है।
- इसके लिए फाइनेंसिंग वीमेन कोलैबोरेटिव (FWC) पहल चलाई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के वित्तीय समावेशन के इस मिशन में जोड़ा जा सके।

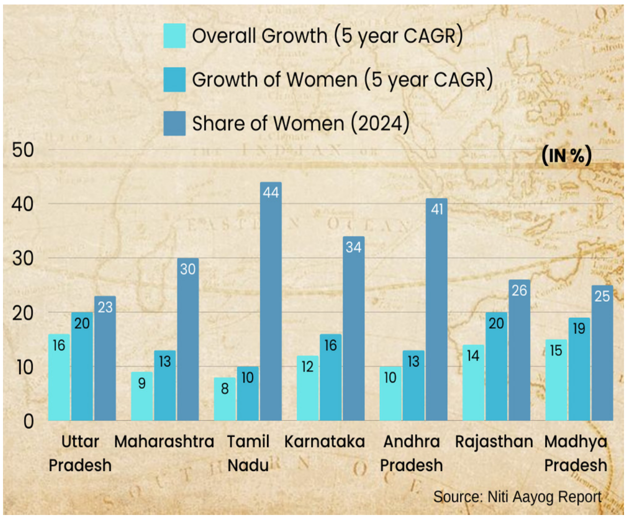

महिलाओं के लिए क्रेडिट स्कोर मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है?

- **बेहतर वित्तीय स्वतंत्रता:** महिलाएं अपने वित्तीय फैसले स्वयं लेने में सक्षम हो रही हैं।
- **ऋण प्राप्त करने में आसानी:** एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से उन्हें व्यक्तिगत ऋण, बिजनेस लोन या होम लोन आसानी से

मिल सकता है।

- **आर्थिक स्थिरता:** वित्तीय समझ बढ़ने से महिलाएं बेहतर बचत और निवेश कर सकती हैं।
- **महिला उद्यमिता को बढ़ावा:** उद्यमिता को अपनाने वाली महिलाओं के लिए ऋण प्रक्रिया सरल बन सकती है।

सरकार की पहल:

- भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे महिलाओं को अधिक ऋण प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि बैंक ऋण में उनकी हिस्सेदारी 5% या उससे अधिक हो। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, तमिलनाडु के अनुसार, तमिलनाडु में कुल बैंक अग्रिमों का 21.12% हिस्सा महिलाओं को प्रदान किया गया है।
- यह रिपोर्ट महिलाओं के वित्तीय समावेशन और ऋण प्रवाह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

लैंगिक समानता पर आईएलओ की रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट, 'महिलाएँ और अर्थव्यवस्था: बीजिंग घोषणा के 30 वर्ष बाद', के अनुसार मौजूदा गति से वैश्विक रोजगार में लैंगिक समानता हासिल करने में 190 वर्ष से अधिक समय लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर जारी इस रिपोर्ट में रोजगार, वेतन और कार्यस्थल की परिस्थितियों में लैंगिक अंतर को उजागर किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **वर्तमान लैंगिक समानता स्थिति:**
  - 2023 तक, महिलाएँ वैश्विक स्तर पर प्रबंधकीय पदों का केवल 30% हिस्सा रखती थीं। हालाँकि, पिछले दो दशकों में इसमें मामूली सुधार हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण असमानताएँ बनी हुई हैं।
  - 2024 में, 69.5% पुरुषों की तुलना में केवल 46.4% कामकाजी महिलाएँ कार्यरत थीं।
  - पिछले 30 वर्षों में, लैंगिक रोजगार अंतर मात्र 4 प्रतिशत अंक ही कम हुआ है और यह प्रगति मुख्य रूप से उच्च और निम्न-मध्यम आय वाले देशों तक सीमित रही है।
  - ILO ने चेतावनी दी है कि इस गति से वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता प्राप्त करने में 190 से अधिक वर्ष लग सकते हैं।
- **कम वेतन वाले क्षेत्रों में महिलाएँ:**
  - महिलाएँ नर्सिंग, चाइल्डकेअर और शिक्षा जैसे कम वेतन वाले क्षेत्रों में अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि पुरुष परिवहन और मैकेनिक जैसे क्षेत्रों में हावी हैं। इस पैटर्न के परिणामस्वरूप महिलाओं की आय कम होती है और उन्हें उच्च-स्थिति वाली नौकरियाँ कम मिलती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, महिलाओं के अनौपचारिक रूप से नियोजित होने की संभावना अधिक होती है, विशेष रूप से निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, जिससे वे नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कमी के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- **वेतन अंतर और अवैतनिक देखभाल कार्य:**
  - वेतन अंतर को कम करने में कुछ प्रगति के बावजूद, कार्यरत महिलाएँ अभी भी वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में काफी कम कमाती हैं। महिलाएँ औसतन, वेतन वाले रोजगार में पुरुषों की तुलना में प्रति सप्ताह 6 घंटे और 25 मिनट कम काम करती हैं।
  - महिलाएँ अवैतनिक देखभाल कार्यों, जैसे कि चाइल्डकेअर और घरेलू कामों पर 3.2 गुना अधिक घंटे बिताती हैं, जो 708 मिलियन महिलाओं को श्रम बल में प्रवेश करने से रोकता है।
- **समानता की बाधाएँ:**
  - कार्यस्थल पर यौन हिंसा और उत्पीड़न महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करते रहते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में इस तरह की हिंसा का सामना करने की 1.6 गुना अधिक संभावना है, युवा और प्रवासी महिलाओं को इससे भी अधिक जोखिम है।
  - असमान देखभाल की जिम्मेदारियाँ भी एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं, जोकि महिलाओं के कार्यबल में पूरी तरह से भाग लेने के अवसरों को सीमित करती हैं।

ILO द्वारा सुझाव:

- ILO ने लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए तत्काल सुधारों की सिफारिश की है, जिनमें शामिल हैं:
  - देखभाल कार्य का समान वितरण सुनिश्चित करना।
  - लैंगिक वेतन अंतर को कम करना।
  - कार्यस्थल पर उत्पीड़न और यौन हिंसा को समाप्त करना।
  - लैंगिक समानता प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

ILO की रिपोर्ट बताती है कि रोजगार में लैंगिक समानता की प्रगति बहुत धीमी है। हालांकि, प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन यह सुधार पर्याप्त नहीं है। 190 वर्षों का अनुमान दिखाता है कि समानता की दिशा में तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इस प्रगति को तेज करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

कोच-राजबोंगशी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग

संदर्भः

हाल ही में कोच-राजबोंगशी समुदाय ने पुनः अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe- ST) का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है। वर्तमान में, असम में इस समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। समुदाय संवैधानिक मान्यता और इससे जुड़े शैक्षिक, आर्थिक व राजनीतिक लाभों की अपेक्षा कर रहा है।

समुदाय की प्रमुख मांगों के बारे में:

- कोच-राजबोंगशी संमिलिता जौथा मंच, जो 12 सामुदायिक संगठनों का एक संघ है, ने अपनी प्रमुख मांगों को स्पष्ट करते हुए 15-सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
  - » सबसे महत्वपूर्ण मांगों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देना, ऐतिहासिक कामतापुर राज्य की पुनर्स्थापना और अपने महान योद्धा के सम्मान में सशस्त्र बलों में चिलाराई रेजिमेंट का निर्माण शामिल है।
- इन मांगों से स्पष्ट होता है कि समुदाय न केवल सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान चाहता है, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है।

मांग से जुड़े मुद्देः

- हालाँकि, कोच-राजबोंगशी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव विवादास्पद बना हुआ है। असम में पहले से एसटी दर्जा प्राप्त समुदाय जैसे बोडो, कार्बी, मिशिंग, तिवा और देवरी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है।
- इन समुदायों की प्राथमिक चिंता यह है कि कोच-राजबोंगशी जैसे समुदायों को एसटी का दर्जा देने से, जिन्हें आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अधिक उन्नत माना जाता है, मौजूदा एसटी समूहों के लिए उपलब्ध अवसर कम हो सकते हैं।
- उनका तर्क है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा मौजूदा आदिवासी समुदायों को नुकसान पहुंचाएगी।

कोच–राजबोंगशी समुदाय के बारे में:

- कोच-राजबोंगशी, जिन्हें राजबंशी या राजवंशी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन स्वदेशी जनजाति है जो दक्षिण एशिया के एक पुराने साम्राज्य, कोच साम्राज्य से उत्पन्न हुई है। उन्हें एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत वाले एक अलग जातीय समूह के रूप में पहचाना जाता है।
- कोच-राजबोंगशी जनजाति दक्षिण एशिया के कई क्षेत्रों में फैली हुई है। वे मुख्य रूप से नेपाल, उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार, उत्तरी बांग्लादेश, असम, मेघालय के कुछ हिस्सों और भूटान में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कभी कामता साम्राज्य का हिस्सा थे, जिस पर कई शताब्दियों तक कोचियों का शासन था।
- क्षेत्र के आधार पर, कोच-राजबोंगशी समुदाय को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - » असम में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग)
  - » बंगाल में एससी (अनुसूचित जाति)
  - » मेघालय में एसटी (अनुसूचित जनजाति)

निष्कर्षः

कोच-राजबोंगशी समुदाय द्वारा एसटी दर्जे की मांग एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। जहाँ समुदाय अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर अधिक अधिकारों की मांग कर रहा है, वहीं मौजूदा एसटी समुदाय अपने अधिकारों के हनन की आशंका बता रहे हैं। सरकार को इस विषय पर एक संतुलित और समावेशी नीति अपनानी होगी, जिससे कि सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श किया जाए ताकि कोई भी समुदाय अपने अधिकारों से वंचित महसूस न करे।

पीएम युवा 3.0

संदर्भः

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम युवा 3.0 (PM-YUVA 3.0) लॉन्च किया है, जो 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों का समर्थन करने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है, साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समकालीन प्रगति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है।

पीएम युवा 3.0 के प्रमुख उद्देश्यः

पीएम युवा 3.0 पहल कई मुख्य उद्देश्यों द्वारा प्रेरित है:

- **युवा लेखकों को सशक्त बनानाः** यह कार्यक्रम युवा और महत्वाकांक्षी लेखकों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिससे वे भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से लिख सकें।
- **भारतीय साहित्य का वैश्विक प्रतिनिधित्वः** कुशल लेखकों के एक समूह को विकसित करके, यह कार्यक्रम भारत और इसके साहित्यिक कार्यों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय पाठकों को भारत की अनूठी कहानियों से परिचित कराया जा सके।
- **अभिव्यक्ति का मंचः** यह पहल युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने का मंच प्रदान करती है और उन्हें संस्कृति, विज्ञान, राजनीति और इतिहास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के योगदान पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर देती है।

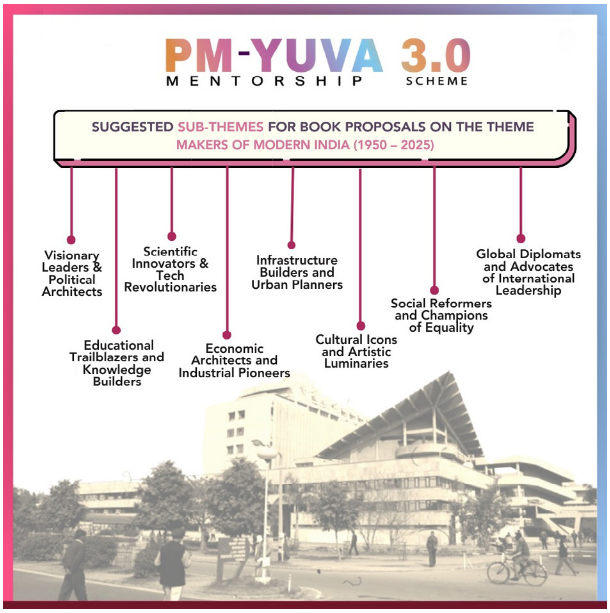

पीएम युवा 3.0 के विषयगत स्तंभ:

- यह कार्यक्रम तीन प्रमुख विषयगत स्तंभों पर केंद्रित होगा, जो भारत की विरासत और भविष्य की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं:
  - » **राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासी समुदाय का योगदान:** यह विषय भारतीय प्रवासी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है, जिन्होंने भारत के विकास में, देश के भीतर और विदेशों में, महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - » **भारतीय ज्ञान प्रणाली:** यह स्तंभ युवा लेखकों को गणित, दर्शन, कला और संस्कृति जैसी विभिन्न शाखाओं में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं का अध्ययन करने और दुनिया के प्रति राष्ट्र के बौद्धिक योगदान को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है।
  - » **आधुनिक भारत के निर्माता (1950-2025):** यह विषय उन दूरदर्शी नेताओं और बदलाव लाने वालों पर केंद्रित है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद से लेकर 21वीं सदी में भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

योजना की विशेषताएँ:

लेखकों को उनकी क्षमता को साकार करने में मदद करने के लिए, पीएम युवा 3.0 मूल्यवान मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

- **मार्गदर्शन:** चयनित लेखकों को प्रतिष्ठित लेखकों और साहित्यिक विशेषज्ञों के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने लेखन कौशल को निखारने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।
- **छात्रवृत्ति:** कुल 50 लेखकों का चयन किया जाएगा, जिन्हें छह महीनों के लिए प्रति माह ₹50,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे वे अपने पांडुलिपि (मैन्यूस्क्रिप्ट) पर कार्य कर सकें।
- **रॉयल्टी:** लेखकों को उनकी पुस्तकों के सफल प्रकाशन पर 10% रॉयल्टी प्राप्त होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके परिश्रम का वित्तीय रूप से भी लाभ मिले।
- **पात्रता:** जो आवेदक पहले पीएम युवा योजना 1.0 या 2.0 में भाग ले चुके हैं, वे इस संस्करण के लिए पात्र नहीं होंगे।

निष्कर्ष:

पीएम युवा 3.0 केवल एक साहित्यिक पहल नहीं है। यह एक ऐसा मंच है जो भारत की अगली पीढ़ी के लेखकों को सशक्त बनाता है, जिससे वे भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। छात्रवृत्ति, मार्गदर्शन और प्रतिष्ठित लेखकों के साथ संवाद करने का अवसर प्रदान करके, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि भारत की साहित्यिक विरासत जीवंत और समावेशी बनी रहे।

मातृभाषा पर यूनेस्को की रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस महत्वपूर्ण वर्षगांठ के सम्मान में, यूनेस्को ने 'भाषाएँ मायने रखती हैं: बहुभाषी शिक्षा पर वैश्विक मार्गदर्शन' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जो वैश्विक शिक्षा प्रणालियों में बहुभाषावाद को एकीकृत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है।

मातृभाषा पर यूनेस्को की नई रिपोर्ट:

- यूनेस्को के अनुसार, दुनिया भर में 40% लोगों के पास उस भाषा में शिक्षा तक पहुँच नहीं है जिसे वे धाराप्रवाह बोलते और समझते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह समस्या और भी गंभीर है, जहाँ करीब 90% लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं। इस कारण, वैश्विक स्तर पर लगभग 25 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि भाषा की बाधा कई बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करने की राह में बड़ी चुनौती बन रही है। यह न केवल उनकी शैक्षणिक सफलता को प्रभावित करती है, बल्कि उनके समग्र विकास में भी गंभीर बाधा डालती है।
- तेजी से बढ़ते वैश्विक प्रवासन के कारण, भाषाई विविधता एक आम वास्तविकता बनती जा रही है। दुनिया भर की कक्षाओं में अब विभिन्न प्रकार की भाषा पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थी रहते हैं, जिससे यह अनिवार्य हो जाता है कि शिक्षा प्रणाली इन भाषाई अंतरों को समायोजित करने के लिए अनुकूल हो।
- इसके अतिरिक्त, 31 मिलियन से अधिक विस्थापित युवा अपनी शैक्षिक यात्रा में भाषा बाधाओं का सामना कर रहे हैं, जिससे

समस्या और भी गंभीर हो गई है।

बहुभाषी शिक्षा के लिए सिफारिशें:

- रिपोर्ट इन चुनौतियों पर काबू पाने और वास्तव में समावेशी शैक्षिक प्रणाली विकसित करने के लिए देशों को व्यावहारिक सिफारिशें प्रदान करती है। मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं:
  - **संदर्भ-विशिष्ट भाषा नीतियाँ:** राष्ट्रों को अपने अद्वितीय भाषाई संदर्भों के अनुरूप शैक्षिक भाषा नीतियाँ विकसित करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि भाषा संक्रमण प्रक्रियाएँ पाठ्यक्रम समायोजन और उपयुक्त शिक्षण सामग्री द्वारा समर्थित हैं।
  - **शिक्षक प्रशिक्षण:** प्रशिक्षण में शिक्षकों को बहुभाषी कक्षाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जाना चाहिए, जिससे घरेलू भाषा और दूसरी भाषा दोनों में दक्षता सुनिश्चित हो सके।
  - **स्कूलों के अतिरिक्त भाषाई समर्थन:** बहुभाषी शिक्षा नीतियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कक्षा के बाहर मजबूत समर्थन प्रणाली बनाना आवश्यक है। इसमें विभिन्न भाषाई समूहों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए स्कूल के नेताओं, अभिभावकों और समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
  - **स्कूल नेतृत्व पर ध्यान:** स्कूल नेतृत्व की भर्ती और प्रशिक्षण में समावेशी नेतृत्व पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक और स्कूल प्रशासक बहुभाषी छात्रों का प्रभावी समर्थन कर सकें और कक्षा में ऐसा समावेशी वातावरण तैयार कर सकें, जो विभिन्न भाषाई आवश्यकताओं को पूरा करे।

आगे की राह:

'भाषाएँ मायने रखती हैं' रिपोर्ट के जरिए यूनेस्को ने समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में देशों के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह याद दिलाया जाना आवश्यक है कि भाषाई विविधता हमारी सामूहिक शक्ति है। मातृभाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के जरिए हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अधिक समावेशी, समझदार और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दुनिया में निवेश कर रहे हैं।

नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों ने नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 सहित औपनिवेशिक युग के कानूनों के निरंतर अस्तित्व और उनकी समकालीन भारत में प्रासंगिकता को लेकर चर्चा को जन्म दिया है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

- नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा सार्वजनिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, विशेष रूप से ऐसे प्रदर्शन जो संभावित रूप से उपनिवेश-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे सकते थे।
- यह कानून सरकार को किसी भी नाटक या नाट्य प्रदर्शन को सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित करने का अधिकार देता था।
- यह अधिनियम विशेष रूप से 1875-76 में प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड (प्रिंस ऑफ वेल्स) की भारत यात्रा के बाद लाया गया था, जब अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन से सशंकित थी।
- यह कानून वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम (Vernacular Press Act, 1878) और राजद्रोह कानून (Sedition Law, 1870) जैसे अन्य दमनकारी कानूनों की कड़ी का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

- नाट्य प्रदर्शन अधिनियम के तहत, सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी ऐसे नाट्य प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा सके जिसे ब्रिटिश सरकार के प्रति 'निंदनीय', 'अपमानजनक' या 'असंतोष को बढ़ावा देने वाला' माना जाए।
- कानून ने सरकार को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया, जिसमें ठोस सबूत या सार्वजनिक परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं थी। उल्लंघन करने वालों को कारावास, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ा।
- यह अधिनियम औपनिवेशिक शासन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा था, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक चर्चाओं पर नियंत्रण रखना और सांस्कृतिक व कलात्मक प्रदर्शनों के जरिए उठ रही असहमति की आवाजों को दबाना था।

कानूनी चुनौतियाँ और निरसन:

- भारत की स्वतंत्रता के बाद, तकनीकी रूप से यह कानून लागू था, लेकिन 1956 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (Fundamental Right) का उल्लंघन करता है।
- इसके बावजूद, यह अधिनियम औपचारिक रूप से भारत के विधि संहिता (statute books) में बना रहा, जब तक कि 2018 में सरकार ने 'अप्रचलित कानूनों को हटाने' की पहल के तहत इसे औपचारिक रूप से निरस्त नहीं कर दिया।

भारत में आज तक औपनिवेशिक कानून क्यों मौजूद हैं?

- भारत में औपनिवेशिक कानूनों का जारी रहना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 से जुड़ा है, जो स्वतंत्रता के समय लागू सभी

कानूनों को तब तक लागू रखने की अनुमति देता है, जब तक उन्हें स्पष्ट रूप से निरस्त (repeal) या संशोधित (amend) नहीं किया जाता।

- हालांकि, नाट्य प्रदर्शन अधिनियम जैसे औपनिवेशिक कानूनों को संवैधानिक मान्यता (presumption of constitutionality) नहीं थी।
- समय के साथ, ऐसे कई कानूनों को या तो निरस्त किया गया या असंवैधानिक घोषित किया गया, जो भारत के सतत कानूनी सुधारों का हिस्सा है।
- स्वतंत्र भारत की संसद द्वारा पारित कानूनों को तब तक संवैधानिक माना जाता है जब तक कि उन्हें अदालत में असंवैधानिक घोषित न किया जाए।

निष्कर्ष:

औपनिवेशिक कानूनों की यह विरासत, उनका क्रमिक निरसन (gradual repeal) और लगातार जारी कानूनी सुधार इस बात को दर्शाते हैं कि भारत अपने औपनिवेशिक अतीत से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और एक अधिक न्यायसंगत व प्रगतिशील कानूनी ढांचे की दिशा में प्रयासरत है।

जहान-ए-खुसरो

संदर्भः

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित जहान-ए-खुसरो सूफी संगीत समारोह में भाग लिया। यह भव्य अंतरराष्ट्रीय उत्सव सूफी संगीत, कविता और नृत्य की समृद्ध परंपरा का उत्सव मनाता है। यह समारोह हिंदुस्तानी संगीत और काव्य परंपरा के महान सितारे अमीर खुसरो को समर्पित है, जिनकी रचनात्मक विरासत ने दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक और संगीत धारा को गहराई से प्रभावित किया है।

अमीर खुसरो के बारे में:

- तुती-ए-हिंद (भारत का तोता) के रूप में जाने वाले अमीर खुसरो एक कवि, संगीतकार और विद्वान थे, जिन्होंने इंडो-फारसी सांस्कृतिक परंपरा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल एक महान कवि थे, बल्कि संगीतकार, भाषाविद, इतिहासकार और सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। उनके साहित्य, संगीत और भाषाई योगदान ने भारतीय उपमहाद्वीप की बहुलतावादी सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया।

अमीर खुसरो का योगदान:

- **प्रारंभिक कार्य और मान्यता:** उनके दूसरे संग्रह, वस्त-उल-हयात ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, जबकि घुर्रत-उल-कमाल (1293 ई.) ने काव्य सिद्धांतों की खोज की, जिससे उन्हें कवि, रहस्यवादी और नैतिकतावादी के रूप में पहचाना गया। अमीर खुसरो की कविता में फारसी परंपराओं को भारतीय विषयों के साथ सहजता से मिश्रित किया गया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली, जिसमें फारसी कवि सादी की प्रशंसा भी शामिल है।
- **दरबारी कवि के रूप में उदय:** 36 वर्ष की आयु में, खुसरो ने केवल छह महीनों में मथनवी (कथात्मक कविता) किरान-उस-सादैन लिखी, जिसके लिए उन्हें सुल्तान कैकुबाद ने पुरस्कार से नवाजा। यह मथनवी दर सिफत-ए-दिल्ली के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें दिल्ली का वैभव चित्रित किया गया है।
- **खिलजी के अधीन उत्कर्ष:** खिलजी शासनकाल के दौरान, उनके नूह-ए-सिपिहार (1318 ई.) ने भारत के परिदृश्य, भाषाओं और संस्कृति को बताया। सूफी विचारों से प्रभावित होकर, उन्होंने धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से हश्त-बिहिश्त में, जहाँ एक मुस्लिम हाजी और एक ब्राह्मण तीर्थयात्री आस्था पर चर्चा करते हैं।
- **अंतिम वर्ष:** अमीर खुसरो ने अपने अंतिम वर्षों में मजनूं-ओ-लेयला की रचना की, जिसमें प्रेम और वेदना का सूफियाना चित्रण किया। 1325 ई. में उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के निधन के बाद, खुसरो ने गहरे शोक में अपने वस्त्र फाड़े और चेहरा काला किया। उसी वर्ष उनका भी निधन हुआ और उन्हें अपने गुरु के पास ही दफनाया गया। आज उनकी मजार सांस्कृतिक समन्वय और सूफी परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

हिंदुस्तानी संगीत में योगदान:

- खुसरो को भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। उनके योगदान में शामिल हैं:
  - सितार और कई अन्य वाद्ययंत्रों का आविष्कार।
  - तराना, कव्वाली और ख्याल जैसे संगीत रूपों का विकास।
  - फारसी और भारतीय मधुर संरचनाओं का संश्लेषण, जिसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को गहराई से प्रभावित किया।
- **कव्वाली:** उनके सबसे स्थायी योगदानों में से एक कव्वाली है, जो समा (आध्यात्मिक श्रवण) से जुड़ा सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। उनकी रचनाएँ, जैसे 'छाप तिलक सब छीनी' और 'मन कुंतो मौला', कव्वाली परंपरा के लिए आज भी केंद्र में बनी हुई हैं।
- **ख्याल:** ख्याल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक प्रमुख शैली है, जो ध्रुपद और कव्वाली जैसी पुरानी शैलियों से विकसित हुई है। इसे बाद में नियामत खान (सदारंग) और बड़े मोहम्मद खान जैसे संगीतकारों ने और विकसित किया, जिससे शास्त्रीय संगीत परंपराओं में इसकी जगह और मजबूत हुई।

निष्कर्ष:

अमीर खुसरो का प्रभाव धर्म, संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं से परे है। कव्वाली, ख्याल और हिंदुस्तानी संगीत में उनके योगदान ने भक्ति और शास्त्रीय परंपराओं के बीच सेतु का कार्य किया। उनकी रचनात्मक दृष्टि और सांस्कृतिक समन्वय की क्षमता ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक बना दिया है। आज भी

उनकी विरासत सूफी और हिंदुस्तानी संगीत की मूलधारा में बनी हुई है, जो वैश्विक स्तर पर कलाकारों और विद्वानों को प्रेरित करती है।

लाडो लक्ष्मी योजना

संदर्भः

हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2025-26 के राज्य बजट में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य भर की पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।

योजना की प्रमुख विशेषताएँः

- **मासिक वित्तीय सहायताः** योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह प्रत्यक्ष सहायता, आर्थिक बोझ कम करने और महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।
- **महिला किसानों के लिए ब्याज-मुक्त ऋणः** इस योजना के तहत डेयरी फार्मिंग, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी कृषि गतिविधियों में लगी महिलाओं को 1 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **पात्रता मानदंडः** हालांकि, पात्रता की पूरी रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है, लेकिन इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलने की संभावना है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यह योजना जरूरतमंद महिलाओं तक पहुँचे।
- **कार्यान्वयन तंत्रः** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। यह प्रणाली पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगी, जिससे लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के सहायता मिल सके।

उद्देश्य और लाभः

- लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की महिलाओं के लिए अनुकूल नीतियों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रमुख उद्देश्य और लाभ निम्नलिखित हैं:
  - » **वित्तीय सशक्तिकरणः** इस योजना के माध्यम से नियमित आय का स्रोत प्रदान किया जाएगा, जिससे महिलाएँ अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ा सकेंगी और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी।
  - » **वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावाः** 2,100 की मासिक सहायता महिलाओं की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।
  - » **कृषि क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहनः** यह योजना महिलाओं को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका कमा सकेंगी और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकेंगी।
  - » **आर्थिक स्वतंत्रता और समग्र कल्याणः** यह पहल महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके सामाजिक-सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगी। विशेष रूप से कृषि और पशुपालन क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को समर्थन देकर, उनकी आजीविका और आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा।

निष्कर्षः

लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की महिला सशक्तिकरण और कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह योजना महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मासिक वित्तीय सहायता और कृषि क्षेत्र में समर्थन के संयोजन से, यह योजना महिलाओं के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगी, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत भलाई, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण

संदर्भः

हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के विभिन्न उप-समूहों के मध्य सरकारी लाभों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना है।

उप-वर्गीकरण के मुख्य बिंदुः

- नया उप-वर्गीकरण 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुसार तीन अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया है और प्रत्येक समूह के लिए आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग निर्धारित किया है।
  - » **समूह 1: सबसे पिछड़ी उप-जातियाँः** इस समूह में रेल्ली उप-समूह शामिल है, जिसमें 12 जातियाँ शामिल हैं जो आंध्र प्रदेश में कुल एससी आबादी का लगभग 2.25% हिस्सा बनाती हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण आवंटित किया जाएगा।
  - » **समूह 2: पिछड़ी उपजातियाँः** इस समूह में मडिगा उप-समूह शामिल है, जिसमें 18 जातियाँ आती हैं। यह

समुदाय राज्य की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 41.56% है। इस समूह को 6.5% आरक्षण मिलेगा।

» **समूह 3: तुलनात्मक रूप से कम पिछड़ी उप-जातियाँ:** इस समूह में माला उप-समूह आता है, जिसमें 29 जातियाँ शामिल हैं। यह समूह राज्य की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 53.97% है। इन्हें 7.5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

- नए उप-वर्गीकरण का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उप-समूहों में सरकारी लाभों का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली 2026 में प्रभावी होगी और इसे जिला स्तर पर लागू किया जाएगा।

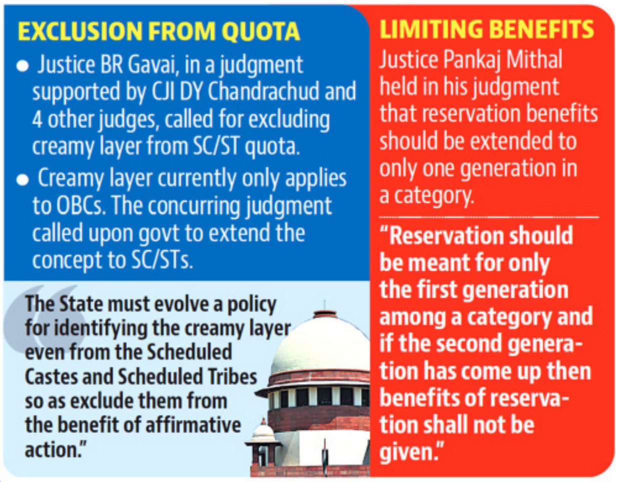

पृष्ठभूमि और कानूनी प्रक्रिया:

- आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की मांग लंबे समय से चली आ रही है। कार्यकर्ता मंदा कृष्ण मडिगा ने 'मडिगा डंडोरा' आंदोलन के माध्यम से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर समान अवसरों और न्यायसंगत आरक्षण की मांग की गई है।
- 1996 में, जस्टिस रामचंद्र राव आयोग ने पहली बार अनुसूचित जाति समुदाय को विभिन्न वर्गों में बाँटने की सिफारिश की थी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायनों में सबसे जरूरतमंद जातियों तक पहुँचे।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने सबसे पहले 1997 में इस उप-वर्गीकरण की अनुशंसा को लागू किया था, लेकिन इस कदम को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2004 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल संसद को इस तरह के वर्गीकरण पर निर्णय लेने का अधिकार है।
- कानूनी बाधाओं के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार अगस्त 2023 में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा, जिससे राज्य द्वारा इस नीति को लागू करने का रास्ता साफ हो गया।

उप-वर्गीकरण के लिए तर्क:

- अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण आरक्षण के समान वितरण को सुनिश्चित करता है, हाशिए पर पड़े लोगों को प्राथमिकता देता है और शासन में सुधार करता है। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है, ऐतिहासिक न्याय को कमजोर कर सकता है और डेटा सीमाओं का सामना कर सकता है।
- हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 246 के तहत यह कानूनी रूप से संभव है, लेकिन जातिगत भेदभाव, राजनीतिक दुरुपयोग और विश्वसनीय जनगणना डेटा की अनुपलब्धता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

निष्कर्ष:

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल अनुसूचित जाति उप-समूहों के बीच असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी लाभ और अवसर सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचें। इस निर्णय का 2026 में कार्यान्वयन राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, क्योंकि यह अधिक समावेशी शासन और सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा।

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025

संदर्भ:

हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोग से विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत को 147 देशों में से 118वें स्थान पर रखा गया है, जो खुशी और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को दर्शाता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- लगातार सातवें साल फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान है। अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर रहा, विशेषकर वहाँ के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को हो रही कठिनाइयों के कारण। सिएरा लियोन और लेबनान भी सबसे कम खुशहाल देशों में शामिल हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (24वां स्थान) पर आ गया है, जोकि उसकी अब तक की सबसे निचली रैंकिंग है। इसका मुख्य कारण बढ़ता हुआ अकेलापन और जीवन संतुष्टि में गिरावट है। यूनाइटेड किंगडम (23वां स्थान) पर रहा, जो 2017 के बाद से उसका सबसे निचला स्थान है।
- भारत के पड़ोसी देशों में चीन (68), नेपाल (92) और

पाकिस्तान (109) की रैंकिंग भारत (118) से बेहतर है, जबकि श्रीलंका (133) और बांग्लादेश (134) भारत से नीचे हैं। इस वर्ष कोस्टा रिका (6) और मैक्सिको (10) ने शीर्ष 10 में प्रवेश किया, जो यह इंगित करता है कि खुशी केवल आर्थिक समृद्धि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2025 की रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन:

- भारत की खुशी रैंकिंग पिछले कुछ वर्षों में बदली है। यह 2022 (94वें स्थान) में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थी और 2012 (144वें स्थान) में अपने सबसे निचले स्तर पर थी। 2025 में, भारत (118वें स्थान) ने छह प्रमुख कारकों में अलग-अलग प्रदर्शन किया:
  - » भारत सामाजिक समर्थन में उच्च स्थान पर रहा, क्योंकि पारिवारिक बंधन और सामुदायिक संस्कृति मजबूत बनी हुई है।
  - » आर्थिक विकास (प्रति व्यक्ति जीडीपी) ने सकारात्मक योगदान दिया, लेकिन भारत अभी भी धनी देशों से पीछे है।
  - » स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है, हालांकि स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
  - » भारत ने कथित स्वतंत्रता में सबसे कम स्कोर किया, जिसका अर्थ है कि कई लोगों को लगता है कि उनके पास सीमित विकल्प हैं या उनके जीवन पर नियंत्रण है।
  - » उदारता और दयालुता के कार्य भारत के लिए एक मजबूत बिंदु थे।
  - » भ्रष्टाचार एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जिससे शासन और संस्थानों में जनता का भरोसा कम हो रहा है।

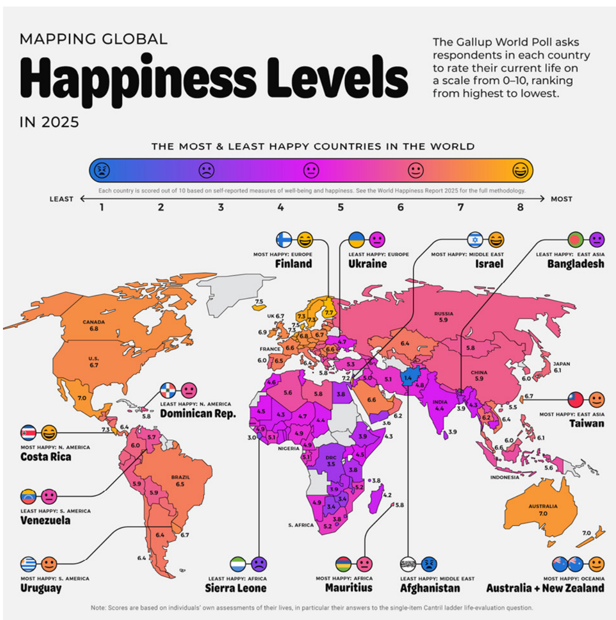

विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में:

- विश्व खुशहाली रिपोर्ट एक वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित है, जहाँ लोग कैंट्रिल लैडर नामक एक विधि का उपयोग करके 0-10 के पैमाने पर अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। 10 का स्कोर सबसे अच्छे संभावित जीवन को दर्शाता है, जबकि 0 सबसे खराब संभावित जीवन को दर्शाता है।
- 2025 की रैंकिंग 2022 से 2024 तक एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है, जिसमें स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तीन साल के औसत का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में किसी एक संख्या के आधार पर देशों को रैंक नहीं किया गया है, बल्कि खुशी को प्रभावित करने वाले छह प्रमुख कारकों पर विचार किया गया है:
  - » प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
  - » स्वस्थ जीवन प्रत्याशा
  - » सामाजिक समर्थन
  - » जीवन के विकल्प चुनने की कथित स्वतंत्रता
  - » उदारता
  - » भ्रष्टाचार की धारणा

निष्कर्ष:

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 'देखभाल और साझा करने' (Care and Sharing) की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसका निष्कर्ष है कि जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं और सामुदायिक समर्थन प्राप्त करते हैं, वे अधिक संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करते हैं। हालाँकि, भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, फिर भी रिपोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ चिंताएँ बनी हुई हैं। यह रिपोर्ट आर्थिक शक्ति, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और शासन की प्रभावशीलता का संपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि नागरिकों की आत्म-धारणा पर आधारित है। साथ ही अध्ययन यह दर्शाता है कि खुशी केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक विश्वास, सामुदायिक संबंधों और सुरक्षा की भावना जैसे कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि: ILO रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह कवरेज 2021 में 24.4% था, जो 2024 में बढ़कर 48.8% हो गया है। यह वृद्धि सरकार के कार्यबल को अधिक लाभ प्रदान करने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाती है।

सरकार की पहलें और उपलब्धियाँ:

- केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 का संदर्भ देते हुए, सामाजिक सुरक्षा,

कौशल विकास और रोजगार सृजन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला:

» 2014 से 2024 के बीच 17.1 करोड़ नई नौकरियाँ सृजित की गई, जिनमें से 4.6 करोड़ नौकरियाँ पिछले वर्ष जोड़ी गई।
» बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी, जो 2023-24 में घटकर 3.2% रह गई।
» महिला कार्यबल भागीदारी दर 22% से बढ़कर 40.3% हो गई।
» इन सकारात्मक परिवर्तनों का श्रेय सरकार की प्रगतिशील नीतियों को दिया जाता है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं।

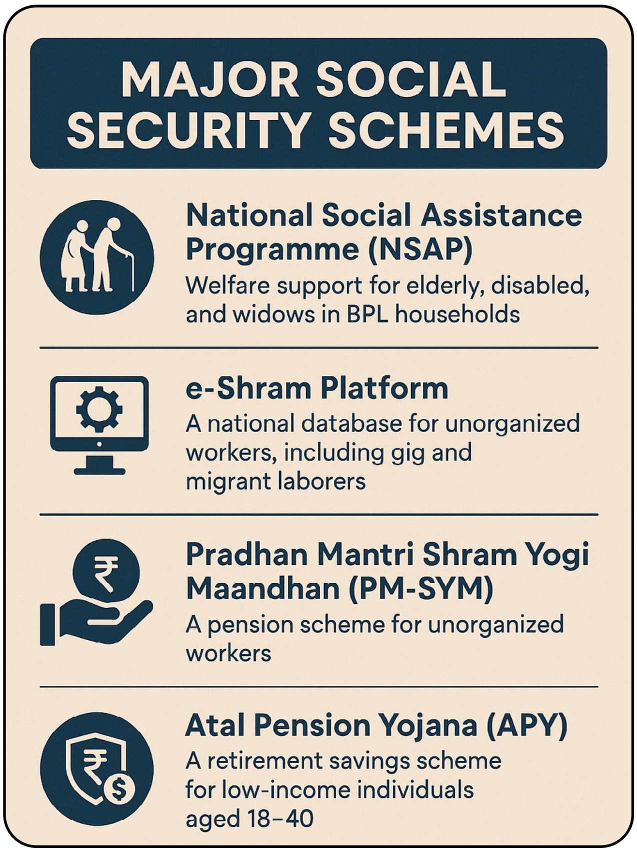

सामाजिक सुरक्षा का महत्व:

- सामाजिक सुरक्षा आर्थिक स्थिरता और समावेशिता सुनिश्चित करती है:
  » **कमजोर समूहों का समर्थन करना:** बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षित करना।
  » **जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना:** गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार को कम करके समाज को अधिक जलवायु-लचीला बनाना।
  » **आर्थिक संक्रमण को सुविधाजनक बनाना:** हरित नौकरियों और टिकाऊ आर्थिक प्रथाओं को बढ़ावा देना।

सामाजिक सुरक्षा में चुनौतियाँ:

- **सीमित कवरेज:** केवल 26% महिलाएँ और 39% पुरुष कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के अंतर्गत आते हैं।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** भारत सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर) पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5% खर्च करता है, जो वैश्विक औसत 13% से बहुत कम है।
- **स्वचालन प्रभाव:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2030 तक भारत में 12 मिलियन नौकरियों को बाधित कर सकता है (मैककिन्से)।

सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रमुख कानून:

- **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO):** 1952 अधिनियम के तहत स्थापित, यह EPF, EPS (1995) और EDLI (1976) का प्रबंधन करता है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** यह गिग श्रमिकों, अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों और ग्रामीण और शहरी गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें बीमा, मातृत्व लाभ और स्वास्थ्य सेवा शामिल है।
- **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS):** सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।

प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:

- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):** गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों में बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं के लिए कल्याण सहायता।
- **ई-श्रम प्लेटफॉर्म:** गिग और प्रवासी मजदूरों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस।
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM):** असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना।
- **अटल पेंशन योजना (APY):** 18-40 वर्ष की आयु के कम आय वाले व्यक्तियों के लिए एक सेवानिवृत्ति बचत योजना।

निष्कर्ष:

भारत का बढ़ता सामाजिक सुरक्षा कवरेज आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालाँकि, सीमित अनौपचारिक क्षेत्र कवरेज, कम वित्तीय निवेश और स्वचालन के कारण नौकरी विस्थापन जैसी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास और कल्याण के लिए फंडिंग को मजबूत करना और कवरेज का विस्तार करना महत्वपूर्ण होगा।

भारत में परिसीमन: प्रतिनिधित्व और संघवाद पर संवैधानिक बहस

परिसीमन (Delimitation) निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में न्यायसंगत और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। हालांकि, वर्तमान परिसीमन (जोकि 2026 में प्रस्तावित है) भारत में उत्तर और दक्षिण के बीच जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण यह विषय विवादास्पद बनता जा रहा है। इस प्रक्रिया ने संघीय संतुलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय एकता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बहस को जन्म दिया है। दक्षिणी राज्य, जिन्होंने बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रभावी परिवार नियोजन नीतियों के कारण धीमी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है, इस बात को लेकर आशंकित हैं कि जनसंख्या-आधारित पुनर्वितरण उनके संसदीय प्रभाव को कम कर सकता है। इसके विपरीत, उत्तर भारतीय राज्यों में अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें अधिक संसदीय सीटें प्राप्त होने की संभावना है। यह असमानता लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और भारत के संघीय ढांचे की दीर्घकालिक अखंडता के बारे में बुनियादी सवाल उठाती है।

परिसीमन की आवश्यकता:

- सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान जनसंख्या आकार बनाए रखते हुए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। यह निम्नलिखित द्वारा शासित होता है:
  - **अनुच्छेद 82 :** यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन को पुनः समायोजित करना होगा।
  - **अनुच्छेद 81 :** लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या को 550 (राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20) तक सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का अनुपात यथासंभव एक समान हो।
- इस प्रक्रिया का उद्देश्य "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखना है। हालांकि, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय असमानताओं के कारण परिसीमन एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है।

भारत में परिसीमन का इतिहास:

- **1976 से पूर्व :** 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्वितरण हुआ।
- **42वां संशोधन (1976) :** आपातकाल (Emergency) के दौरान, संसद ने 2001 की जनगणना तक सीटों की कुल संख्या को स्थिर रखने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था कि कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों, को परिवार नियोजन नीतियों को लागू करने के कारण प्रतिनिधित्व खोने से बचाया जा सके।
- **2001 परिसीमन :** 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया गया, लेकिन दक्षिणी राज्यों के विरोध के कारण संसदीय सीटों की कुल संख्या अपरिवर्तित रही। इन राज्यों को भय था कि उनकी संसदीय शक्ति (Political Influence) में कमी आ सकती है।

प्रतिनिधित्व पर परिसीमन का प्रभाव:

- **जनसंख्या आधारित सीटों का पुनर्आवंटन:**
  - यदि 2026 का परिसीमन नवीनतम जनगणना (Census) के आंकड़ों पर आधारित होता है, तो उत्तर भारत के उच्च

जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में संसदीय प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जबकि दक्षिणी राज्य, जिन्होंने प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीतियाँ अपनाई हैं, तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि देखी जा सकती है।

- **2025 की जनसंख्या अनुमान के आधार पर लोकसभा सीटों में अनुमानित परिवर्तन**
  - » उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित) : 85 से 250 सीटें
  - » बिहार (झारखंड सहित) : 25 से बढ़कर 82 सीटें
  - » मध्य प्रदेश : सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि
  - » राजस्थान : सीटों में पर्याप्त वृद्धि
  - » तमिलनाडु : 39 से बढ़कर 76 सीटें (तुलनात्मक रूप से कम)
  - » केरल : 20 से बढ़कर 36 सीटें
- वर्तमान परिदृश्य में, कुछ राज्यों में एक सांसद के लिए 32 लाख से अधिक मतदाता हैं, जबकि केरल जैसे राज्यों में यह आंकड़ा केवल 18 लाख है। इससे मतदान शक्ति में असंतुलन (Voting Power Imbalance) उत्पन्न होता है। हालांकि, इस विसंगति को ठीक करने के लिए पुनर्वितरण आवश्यक है, लेकिन इसका लाभ उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक मिलने की संभावना है, जिससे संघीय संतुलन और राजनीतिक शक्ति के पुनर्वितरण पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।
- **लोकसभा की शक्ति में संभावित वृद्धि:**
  - » 2025 की जनसंख्या अनुमान के आधार पर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1,400 तक बढ़ सकती है। हालाँकि, नवनिर्मित संसद भवन में केवल 888 सीटें उपलब्ध हैं, जिससे आनुपातिक वृद्धि की संभावना सीमित है।
  - » सीट आवंटन की एक वैकल्पिक विधि अपनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी दक्षिणी राज्यों को उत्तर की तुलना में कम सीटें मिलेंगी। इससे उनके घटते राजनीतिक प्रभाव और संघीय असंतुलन को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

परिसीमन पर राजनीतिक और संघीय चिंताएं:

- **संघीय संतुलन और प्रतिनिधित्व को खतरा:**
  - » दक्षिणी राज्य, विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तर्क देते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर परिसीमन से संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, भले ही उनका आर्थिक योगदान और शासन दक्षता बेहतर हो।
  - » इसके परिणामस्वरूप संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए परिसीमन को स्थगित करने की मांग बढ़ रही है।
  - » तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन को एक "खतरा" बताया है।
- **क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव:**
  - » परिसीमन के कारण राजनीतिक शक्ति उत्तर भारत की ओर स्थानांतरित हो सकती है, जिससे इस क्षेत्र में मजबूत आधार वाले दलों को लाभ होगा, जबकि दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल कमजोर हो सकते हैं।
  - » इससे राष्ट्रीय नीति निर्माण में असंतुलन पैदा होगा, जहां उत्तरी राज्य संसदीय निर्णयों पर हावी हो सकते हैं, जिससे दक्षिणी राज्यों से संबंधित मुद्दे हाशिए पर चले जाने का खतरा रहेगा।
- **सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विभाजन:** परिसीमन से तीन प्रमुख विभाजन रेखाओं के साथ विद्यमान क्षेत्रीय विभाजन और मजबूत हो सकता है:
  - » **सांस्कृतिक विभाजन रेखा:** हिंदी भाषी उत्तर भारत और गैर-हिंदी भाषी दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बीच भाषाई विभाजन स्वतंत्रता के बाद से ही मौजूद है। भाषाई राज्यों की मांग और हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में न थोपने की नीति ने इस विभाजन को कम करने में मदद की थी, लेकिन परिसीमन से यह तनाव फिर से बढ़ सकता है।
  - » **आर्थिक विभाजन रेखा:** पिछले तीन दशकों में आर्थिक विकास दक्षिण और पश्चिम भारत के पक्ष में रहा है, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत पिछड़ गया है।
  - » दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि संसाधन आवंटन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जनसंख्या के बजाय आर्थिक योगदान को भी एक कारक माना जाना चाहिए।
  - » **राजनीतिक विभाजन रेखा:** एक राजनीतिक दल के वर्चस्व ने उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विभाजन को बढ़ा दिया है। यह पार्टी उत्तर भारत में प्रभावशाली है, लेकिन तमिलनाडु और केरल जैसे कई दक्षिणी राज्यों में हाशिए पर है। परिसीमन से उन क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जहां यह पार्टी मजबूत है, जिससे उसका राजनीतिक प्रभुत्व और अधिक सशक्त हो सकता है।
- ये विभाजन रेखाएं पूरी तरह से मेल नहीं खातीं, लेकिन अक्सर हिंदी पट्टी और दक्षिण भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बहसों में विपरीत पक्षों पर खड़ा कर देती हैं।

दक्षिणी राज्यों की चिंताएं और परिसीमन पर रोक की मांग:

- तमिलनाडु में सर्वदलीय प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय एकता और संघवाद की रक्षा के लिए परिसीमन को 30 वर्षों के लिए स्थगित करने की

मांग की गई है।

- गोवा और अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों की तरह, दक्षिणी राज्य सीटों के पुनर्आबंटन पर स्थायी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
- अंतर्निहित संघीय अनुबंध" (Implicit Federal Contract) की अवधारणा उभरकर सामने आई है, जोकि इस विचार को रेखांकित करती है कि भारत का संघीय ढांचा केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समानता को ध्यान में रखते हुए गठित हुआ था।
- इस संघीय अनुबंध को स्वीकार करने का अर्थ होगा निम्नलिखित पर बहस को स्थायी रूप से समाप्त करना:
    - » जनसंख्या-आधारित सीट आवंटन।
    - » कर अंशदान के आधार पर संसाधनों का वितरण।
    - » ऐसा संतुलन जिसमें उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिलें, जबकि दक्षिणी राज्यों को वित्तीय लाभ मिलता रहे।

निष्कर्ष:

- परिसीमन पर बहस लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और संघीय स्थिरता के बीच तनाव को उजागर करती है। "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" का सिद्धांत बताता है कि सीटों का पुनर्वितरण आवश्यक है, लेकिन न्यायसंगत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना भी आवश्यक है।
- नीति निर्माताओं को इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाना होगा:
    - » जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाने वाले किसी भी क्षेत्र को राजनीतिक रूप से हाशिए पर न रहे।
    - » उत्तर-प्रधान संसद बनने से रोकना, जोकि दक्षिणी राज्यों के प्रभाव को कमजोर करती है।
    - » भारत की "विविधता में एकता" (Unity in Diversity) को कायम रखना, ताकि राष्ट्रीय नीति निर्माण में सभी क्षेत्रीय आवाज़ों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।
- जैसे-जैसे 2026 का परिसीमन नज़दीक आ रहा है, भारत अपने संघीय विकास के एक निर्णायक क्षण का सामना कर रहा है। आज लिए गए निर्णय आने वाले दशकों के लिए भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देंगे, इसलिए इन प्रश्नों पर गंभीर, संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 2024

संदर्भ:

हाल ही में लोकसभा ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया, जो भारत के तेल और गैस क्षेत्र में व्यापक सुधार का संकेत देता है। यह विधेयक तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करता है, जिससे इस क्षेत्र को अधिक निवेश-अनुकूल और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

विधेयक के मुख्य उद्देश्य:

- इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन को आधुनिक बनाना है। इसके प्रमुख लक्ष्य हैं:
    - » कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण ताकि यह क्षेत्र अधिक व्यावसायिक और सुगम हो।
    - » निवेश बढ़ाने के लिए पारदर्शी और स्थिर नीतिगत ढांचा तैयार करना।
    - » 2047 तक 'विकसित भारत' के सरकार के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए ऊर्जा की उपलब्धता, सामर्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

विधेयक द्वारा पेश किए गए मुख्य सुधार:

- **लाइसेंसिंग प्रणाली का सरलीकरण:** विधेयक विभिन्न हाइड्रोकार्बन के लिए अलग-अलग लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके बजाय, यह 'पेट्रोलियम लीज' के रूप में एकल लाइसेंस प्रणाली लागू करता है, जिससे अन्वेषण और उत्पादन प्रक्रिया सरल होगी।
- **खनन और पेट्रोलियम संचालन का पृथक्करण:** पारंपरिक व्यवस्था में खनन और पेट्रोलियम अन्वेषण को एक ही नियामकीय ढांचे के तहत रखा जाता था। नया विधेयक इन दोनों को अलग-अलग मान्यता देता है, जिससे तेल और गैस क्षेत्र का अधिक प्रभावी नियमन संभव होगा।
- **निवेश को प्रोत्साहित करना और व्यापार करने में आसानी:** विधेयक स्थिर और पूर्वानुमानित कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। तीव्र विवाद समाधान प्रणाली लागू की गई है, जिससे विनियामक जटिलताओं को कम किया जा सके और सरकार तथा ठेकेदारों के बीच सहयोग बढ़े।
- **प्रौद्योगिकी और ऊर्जा नवाचार:** यह कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और सीक्वेस्ट्रेशन (CCUS) तथा ग्रीन हाइड्रोजन

परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। ये प्रावधान ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) और दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करेंगे।

- **छोटे तेल ऑपरेटरों को समर्थन:** कम उपयोग वाले क्षेत्रों में संसाधन-साझाकरण की अनुमति दी गई है, जिससे परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ेगी। यह 2015 की खोजी गई छोटी फील्ड्स नीति के अनुरूप है, जिसने छोटे ऑपरेटरों को अप्रयुक्त क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार दिया था।
- **कठोर दंड और प्रवर्तन:** उल्लंघन करने वालों के लिए ₹25 लाख तक का जुर्माना और क्रियाशील उल्लंघन पर ₹10 लाख प्रति दिन तक का दंड लगाया जाएगा। एक नया न्यायनिर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे कानूनी प्रक्रियाएँ अधिक प्रभावी बनेंगी।
- **राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं:** यह विधेयक सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बनाए रखने हेतु राज्यों को पहले की तरह पेट्रोलियम पट्टे जारी करने और रॉयल्टी एकत्र करने का अधिकार रहेगा।

तुलनाः ऑयलफील्ड्स अधिनियम 1948 और ऑयल फील्ड्स संशोधन विधेयक

पहलू	तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948	तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक
उद्देश्य	यह प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निष्कर्षण को विनियमित करता है।	आधुनिक ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए रुपरेखा प्रदान करता है।
पट्टे की शर्तें	खनन पट्टे का प्रावधान करती हैं।	खनन पट्टे को पेट्रोलियम पट्टे में बदलाव करता हैं।
खनिज तेल	यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तक सीमित है।	यह विधेयक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल को शामिल करता है।
अपराधीकरण	नियम उल्लंघन के लिए ₹1,000 या दोनों के जुर्माने का प्रावधान।	उल्लंघन के लिए ₹25 लाख का जुर्माना, क्रियाशील उल्लंघन के लिए ₹10 लाख प्रतिदिन का जुर्माना।
जुर्माना	उल्लंघन के लिए सीमित जुर्माना।	उल्लंघन के लिए दैनिक जुर्माने सहित कठोर दंड।

निष्कर्षः

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक विनियमनों को सुव्यवस्थित, निवेश को प्रोत्साहित और तकनीकी नवाचार का समर्थन करके भारत के तेल और गैस क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में अग्रसर है। विधेयक में व्यापार के अनुकूल माहौल और इसके विनियामक समायोजन पर जोर दिया गया है, जोकि आशाजनक है, लेकिन आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी।

आव्रजन विधेयक, 2025

संदर्भः

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आव्रजन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और विदेशियों के प्रवेश, आवाजाही पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करना है। यह विधेयक जाली पासपोर्ट और वीजा के उपयोग पर कड़ी सजा का प्रावधान करता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- **जाली पासपोर्ट के उपयोग के लिए कठोर दंड:** प्रस्तावित आव्रजन विधेयक में सबसे उल्लेखनीय प्रावधान जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कठोर दंड लगाना है।
  - » अपराधियों को सात साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
  - » इस विधेयक में भारत में प्रवेश करने, ठहरने या बाहर निकलने के लिए फर्जी यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करते हुए पकड़े जाने वालों के लिए न्यूनतम दो साल की सजा का भी प्रावधान है।
- इन उपायों से अवैध आव्रजन और आव्रजन प्रक्रिया में धोखाधड़ी पर अंकुश लगने की संभावना है।
- **सरकार के नियंत्रण में वृद्धि:** यह विधेयक भारत के अंदर विदेशियों की आवाजाही को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है।
  - » मुख्य प्रावधानों में होटल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा विदेशी नागरिकों के विवरण की अनिवार्य रिपोर्टिंग शामिल है। इससे अधिकारियों को उन विदेशियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी जोकि अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं या अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं।
  - » विधेयक में यह भी अनिवार्य किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और जहाज विस्तृत यात्री और चालक दल की सूची प्रस्तुत करें, जिससे देश में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी करने की सरकार की क्षमता बढ़ेगी।
- **आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण:** नया विधेयक भारत में विदेशी नागरिकों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को सरल और आधुनिक बनाने का प्रयास करता है।
  - » **यह चार पुराने कानूनों की जगह लेगा:** पासपोर्ट (भारत

में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशियों का अधिनियम, 1946 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000।

- आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 इन कानूनों के प्रावधानों को एक साथ लाता है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अद्यतन करता है।
- यह निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों और अवैध प्रवासन की बेहतर ट्रैकिंग के लिए नए प्रावधान भी पेश करता है, जोकि सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं।
- यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाता है। एक ओर, यह अवैध आव्रजन से निपटने और विदेशियों को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए नियमों को मजबूत करता है वही दूसरी ओर, यह व्यापार और पर्यटन को आसान बनाता है।
- **विदेशियों के आवागमन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:** नया कानून भारत में विदेशियों के आवागमन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश पेश करता है।
  - » यह उन विदेशियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है जोकि विशिष्ट वीजा श्रेणियों (छात्र, चिकित्सा, रोजगार, आदि) के तहत 180 दिनों से अधिक समय तक रहते हैं, आगमन के 14 दिनों के भीतर।
  - » यह विधेयक आगमन पर वीजा और इलेक्ट्रॉनिक वीजा की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और आव्रजन ब्यूरो के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता है।
  - » पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों जैसे विशिष्ट संरक्षित क्षेत्रों में विदेशियों को अभी भी यात्रा करने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होगी, ताकि देश के रणनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष:

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 भारत के आव्रजन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। यह विधेयक अवैध प्रवास, जाली यात्रा दस्तावेजों और विदेशियों के निर्धारित अवधि से अधिक ठहरने जैसी चुनौतियों का समाधान करता है। जहाँ एक ओर यह विधेयक कठोर दंड और सख्त नियमों को लागू करता है, वहीं दूसरी ओर, यह वैध विदेशी आगंतुकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाकर भारत को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास करता है। यह सरकार की व्यापक नीति प्राथमिकताओं के अनुरूप है और एक प्रभावी एवं संतुलित आव्रजन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025

संदर्भ:

हाल ही में लोकसभा द्वारा बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025 पारित किया गया, जो भारत के समुद्री विधिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। यह विधेयक भारतीय बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 1856 का स्थान लेता है, जो 169 वर्षों से प्रभावी एक औपनिवेशिक युग का कानून था। इस विधेयक का उद्देश्य बिल ऑफ लैडिंग (Bill of Lading) की जारी प्रक्रिया को कानूनी रूप से अधिक संगठित, आधुनिक और सरलीकृत बनाना है, जिससे यह भारत के समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मानकों के अनुरूप हो सके।

बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025 की मुख्य विशेषताएं:

- बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025 भारत की शिपिंग प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तुत करता है:
  - » **भाषा का सरलीकरण:** यह विधेयक मौजूदा बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम की जटिल कानूनी भाषा को सरल और व्यावहारिक बनाता है। इसके प्रावधानों को पुनर्गठित किया गया है, जिससे व्यवसायों और हितधारकों के लिए इसकी समझ और अनुपालन अधिक सुगम हो सके।
  - » **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूपता:** यह विधेयक भारत के समुद्री कानूनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने का प्रयास करता है, जिससे शिपिंग प्रक्रियाएं अधिक कुशल हों और भारत की वैश्विक समुद्री व्यापार में भागीदारी को सुदृढ़ किया जा सके।
  - » **केंद्र सरकार का सशक्तीकरण:** विधेयक केंद्र सरकार को कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे समुद्री क्षेत्र में अधिक उत्तरदायी और समायोज्य विधिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
  - » **औपनिवेशिक कानूनी ढांचे का उन्मूलन:** विधेयक औपनिवेशिक काल के अप्रासंगिक प्रावधानों को समाप्त करता है, जिससे भारत का शिपिंग कानून अधिक आधुनिक, व्यावहारिक व वैश्विक व्यापार की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बन सके।

बिल ऑफ लैडिंग विधेयक की आवश्यकता:

- वर्तमान कानून, भारतीय बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 1856, एक पुराना और सीमित कानूनी ढांचा है, जिसमें केवल तीन खंड हैं, जो मुख्य रूप से माल के स्वामित्व हस्तांतरण और लोडिंग की पुष्टि से संबंधित हैं। तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक शिपिंग उद्योग और व्यापारिक आवश्यकताओं को देखते हुए, एक अधिक समग्र, व्यापक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कानून की

आवश्यकता है।

- बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025 इन कानूनी प्रावधानों को अधिक सुव्यवस्थित और सुलभ बनाता है, जिससे यह आधुनिक समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिए अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025 के लाभः

- **सुव्यवस्थित व्यावसायिक प्रक्रियाएँः** विधेयक के सरलीकृत प्रावधान कानूनी जटिलताओं को कम करेंगे, जिससे व्यवसायों के लिए शिपिंग लॉजिस्टिक्स को समझना और प्रबंधित करना अधिक सुगम होगा। इससे विवादों की संख्या में कमी आने की संभावना है।
- **बेहतर दक्षता और विश्वसनीयताः** यह नया कानून अधिक कुशल शिपिंग पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करेगा, जिसमें स्पष्ट दिशा-निर्देश होंगे, जो शिपिंग प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाएंगे।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धिः** विधेयक के तहत भारत का समुद्री कानून अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनेगा, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। यह भारत को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार साझेदारी के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

निष्कर्षः

बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025 भारत के समुद्री कानूनों को आधुनिक बनाने में एक ऐतिहासिक कदम है। 169 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को अधिक समकालीन और उपयोगकर्ता के अनुकूल कानूनी ढांचे से बदलकर, भारत समुद्री वाणिज्य में वैश्विक नेता बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह परिवर्तन न केवल भारत को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा है बल्कि शिपिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, विवादों को कम करता है और विश्व मंच पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।

परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों की चिंता

संदर्भः

हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा परिसीमन प्रक्रिया को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन की चर्चा को जन्म दिया है।

विवाद का विषयः

- पिछली परिसीमन प्रक्रिया 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी, जिसके बाद जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई थी।
- हालांकि, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्षेत्रीय रूप से असमान रही हैः
  - » उत्तर भारत के राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान) में जनसंख्या वृद्धि तेज रही।
  - » दक्षिण भारत के राज्य (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर दर्ज की, जिससे उन्हें आशंका है कि परिसीमन के बाद उनकी संसदीय सीटें घट सकती हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है।

परिसीमनः

- परिसीमन (Delimitation) भारत में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जिसे जनसंख्या में हुए परिवर्तनों के आधार पर प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का ऐसा पुनर्वितरण सुनिश्चित करना है, जिससे जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे।

संवैधानिक प्रावधानः

- अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 81 के तहत संविधान द्वारा परिसीमन अनिवार्य हैः
  - » अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर लोकसभा सीटों के आवंटन को फिर से समायोजित किया जाना चाहिए।
  - » अनुच्छेद 81 लोकसभा में 550 सदस्यों की सीमा निर्धारित करता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका उद्देश्य राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में सीटों की एकरूपता बनाए रखना भी है।
- परिसीमन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व समान हो, ताकि प्रत्येक मतदाता के

वोट का समान महत्व हो।

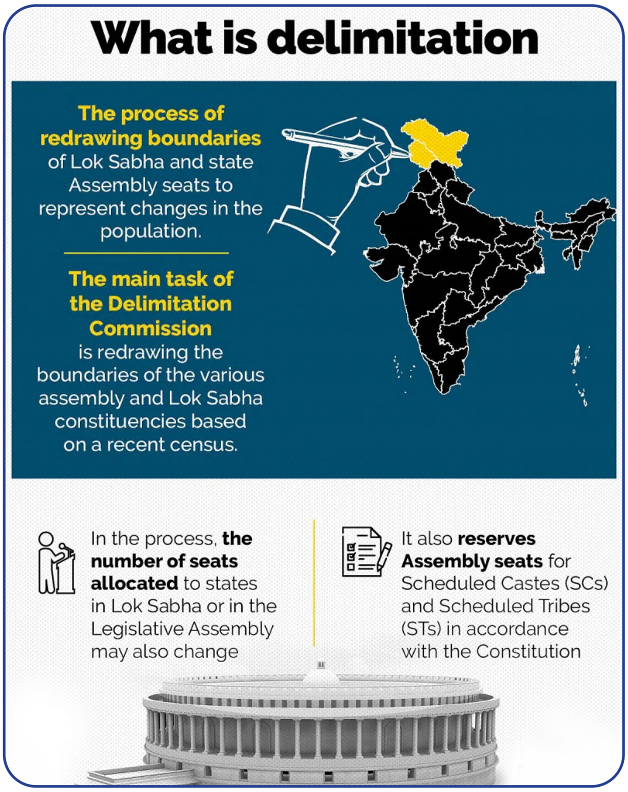

भारत में परिसीमन का इतिहास:

- **1976 से पूर्व:** 42वें संशोधन से पहले, 1951, 1961 और 1971 की जनगणनाओं के बाद परिसीमन हुआ था। इस अवधि के दौरान, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्वितरण किया गया, जिससे निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन हुआ।
- **42वां संशोधन (1976):** आपातकाल (1975-77) के दौरान, 42वें संशोधन के तहत 2001 की जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को स्थिर (Frozen) कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय असमानता के कारण उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों (मुख्यत: उत्तरी भारत) को अतिरिक्त राजनीतिक लाभ न मिल सके, जबकि दक्षिणी राज्यों में अपनाए गए जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **2001 परिसीमन:** 2001 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसने निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया। हालांकि, दक्षिणी राज्यों की आशंकाओं को देखते हुए लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या अपरिवर्तित रखी गई, ताकि कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित न हो।

आगे की राह:

परिसीमन बहस का एक संभावित समाधान लोकसभा सीटों की संख्या को 543 तक सीमित करना है। इससे राज्यों में प्रतिनिधित्व का मौजूदा संतुलन बना रहेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, वे राजनीतिक प्रभाव नहीं खोएंगे। एक अन्य दृष्टिकोण यह हो सकता है कि प्रत्येक राज्य में विधायकों की संख्या उनकी अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बढ़ाई जाए। इससे देश के संघीय ढांचे को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है।

न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता। यह निर्णय भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता और समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक विकास है।

पृष्ठभूमि:

- यह मामला मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम, 1994 के नियम 6A की वैधता को चुनौती देने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा।
- इस नियम के तहत दृष्टिबाधित तथा कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में नियुक्ति से बाहर रखा गया था।
- न्यायालय ने पिछले वर्ष एक दृष्टिबाधित न्यायिक अभ्यर्थी आलोक सिंह की मां की याचिका के बाद मामले का संज्ञान लिया था।

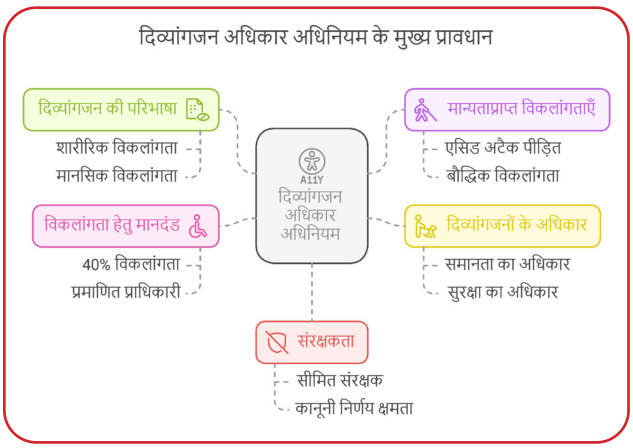

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने नियम 6A को असंवैधानिक करार देते

हुए इसे रद्द कर दिया और कहा कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार भी न्यायिक सेवाओं की चयन प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने के पात्र हैं।

- न्यायालय ने यह भी कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) में उल्लिखित उचित सुविधा (Reasonable Accommodation) का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, ताकि दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में समान अवसर मिल सके।
- न्यायालय ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम के नियम 7 को भी आंशिक रूप से खारिज कर दिया, जिसमें विकलांग उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं निर्धारित की गई थीं।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के बारे में:

- यह अधिनियम, भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम, संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन (UNCRPD), 2007 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी, समान और सम्मानजनक समाज का निर्माण करना है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

- **दिव्यांगजन की परिभाषा:** अधिनियम दिव्यांगजन को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता होती है, जो समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।
- **मान्यता प्राप्त विकलांगताएँ:** अधिनियम 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता देता है, जिनमें एसिड अटैक पीड़ित, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी और अन्य शामिल हैं।
- **दिव्यांगजनों के अधिकार:** अधिनियम दिव्यांगजनों के अधिकारों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें समानता का अधिकार, सम्मान और सम्मान के साथ जीवन, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा, और घर और परिवार का अधिकार, प्रजनन अधिकार, मतदान में सुलभता और संपत्ति के स्वामित्व या उत्तराधिकार का अधिकार शामिल है।
- **विकलांगता हेतु मानदंड:** वे व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है (प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित), उन्हें बेंचमार्क दिव्यांग (Benchmark Disability) कहा गया है।
- **संरक्षकता:** अधिनियम के तहत ऐसे दिव्यांगजनों के लिए सीमित संरक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था है, जो खुद पूरी तरह से कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, भले ही उन्हें सलाह या सहायता मिल रही हो।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि कोर्ट ने कहा, अब समय आ गया है कि हम विकलांगता-आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, जिसे RPwD अधिनियम 2016 में मान्यता दी गई है, मौलिक अधिकार के समान दर्जा दें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी उम्मीदवार को केवल उसकी विकलांगता के कारण विचार से वंचित न किया जाए।

कस्टम व जीएसटी अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस

संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि कस्टम अधिकारी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ नहीं कर सकते। फैसले में कहा गया है कि इन अधिकारियों को किसी भी गिरफ्तारी से पहले कस्टम अधिनियम की धारा 104 और जीएसटी अधिनियमों की धारा 69 के तहत निर्धारित पूर्व-शर्तों का पालन करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

कस्टम और जीएसटी कानूनों के तहत गिरफ्तारी के लिए अनिवार्य पूर्व-शर्तें:

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया विस्तृत फैसले में यह स्पष्ट किया कि कस्टम अधिनियम की धारा 104 और जीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत, किसी भी गिरफ्तारी से पहले कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। इन प्रक्रियात्मक शर्तों में शामिल हैं:
  - » **गिरफ्तारी का आधार बताना:** गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति को अपने खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पता है और उसे उन्हें चुनौती देने का अवसर मिलता है।
  - » **गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों की पहचान:** गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों की सही पहचान उपलब्ध कराना, ताकि प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
  - » **परिजनों को सूचना:** गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या दोस्तों को गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
  - » **कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार:** गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी प्रतिनिधि तक पहुँचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो पूछताछ के दौरान मौजूद होना चाहिए।
  - » **विवरणों की रिकॉर्डिंग:** न्यायालय ने इस बात पर जोर

दिया कि सीमा शुल्क अधिकारियों को अपनी कार्रवाइयों का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। इन अभिलेखों में मुखबिर का नाम, कानून का उल्लंघन करने का आरोपी व्यक्ति, प्राप्त सूचना की प्रकृति, गिरफ्तारी का समय, जब्ती का विवरण और अपराध का पता लगाने के दौरान दर्ज किए गए बयान शामिल होने चाहिए।

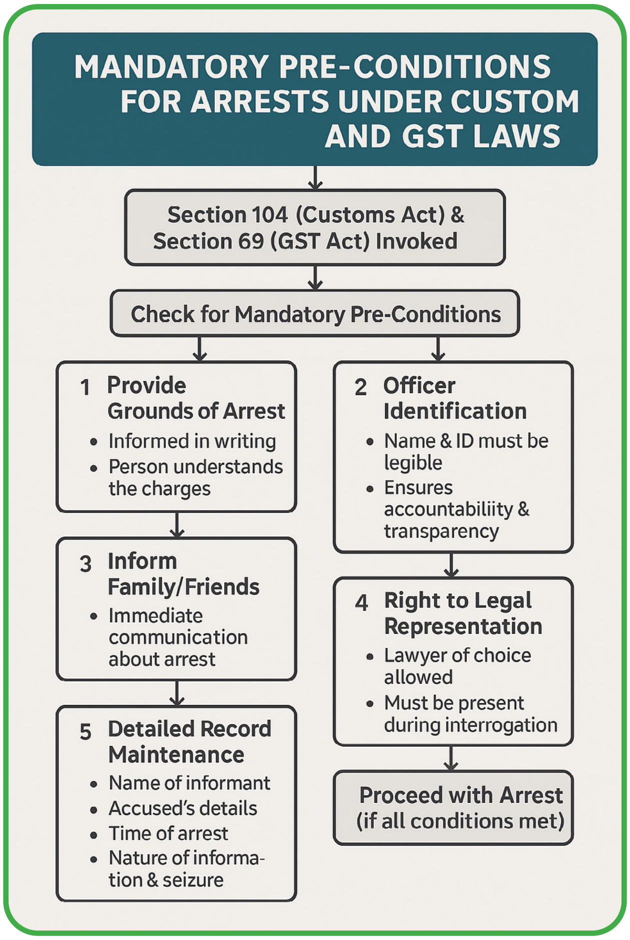

अग्रिम जमानत देने का न्यायालय का अधिकार:

- सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तारी करने की वैधानिक शक्ति को बरकरार रखा, लेकिन इसके साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा में न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायालयों के पास अग्रिम जमानत देने की शक्ति है, जो व्यक्तियों को अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत से बचाती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने में यह न्यायिक शक्ति महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आदेश मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह स्पष्ट करता है कि उचित प्रक्रिया (Due Process) का पालन करना अनिवार्य है, विशेष रूप से जब अधिकारियों को गिरफ्तारी जैसी शक्तियों का प्रयोग करना हो। इस फैसले ने यह भी दोहराया कि कस्टम और जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति वैध है, लेकिन यह शक्ति मनमाने ढंग से नहीं बल्कि कानूनी शर्तों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के पालन के साथ ही प्रयोग की जा सकती है।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-26 की अवधि के लिए पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत 3,880 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य पशुधन रोग नियंत्रण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है, जिससे देश भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के विषय में:

- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत में पशुधन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम लक्षित टीकाकरण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा सेवाओं के संवर्द्धन के माध्यम से प्रमुख पशु रोगों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य प्रभावी रोग नियंत्रण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का समर्थन करना भी है, जैसे कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ और बेहतर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएँ।

एलएचडीसीपी के मुख्य घटक:

- संशोधित एलएचडीसीपी में तीन मुख्य घटक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को पशुधन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है:
- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी):** एनएडीसीपी का प्राथमिक ध्यान प्रमुख पशु रोगों को नियंत्रित करना और रोकना है, विशेष रूप से वे जो पशुधन उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य खुरपका और मुँहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों के बोझ को कम करना है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी):** इस घटक के निम्नलिखित उप-घटक हैं:
  - » **गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी):**

सीएडीसीपी उन गंभीर बीमारियों को लक्षित करता है जो पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं। इसका उद्देश्य इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए शुरुआती चरण में नियंत्रित करना है।

» **पशु चिकित्सा अस्पतालों और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण:** यह उप-घटक पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है। इसमें नए पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना और मौजूदा अस्पतालों को मजबूत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (एमवीयू) तैनात की जाएँगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो।

» **पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD):** यह उप-घटक राज्य सरकारों को पशु रोगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह बेहतर रोग नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बढ़ाता है।

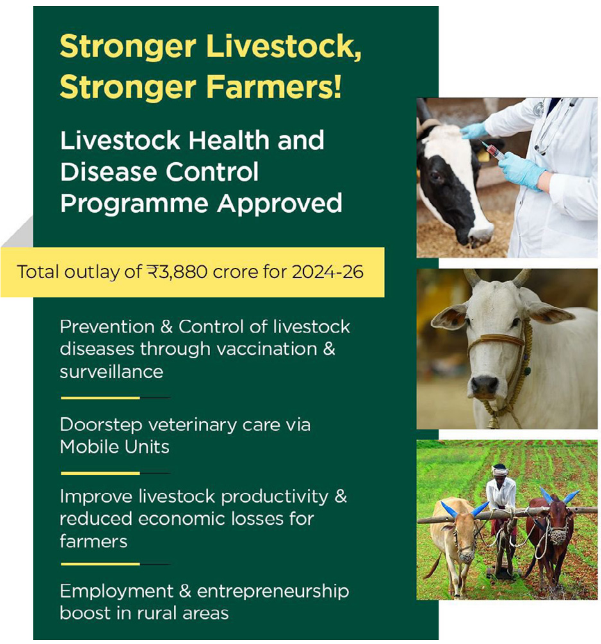

- **पशु औषधि:** यह एलएचडीसीपी में शामिल एक नया घटक है, जिसका उद्देश्य पशु चिकित्सा दवाओं को किसानों के लिए किफायती और आसानी से उपलब्ध कराना है। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का अलग बजट रखा गया है। यह घटक उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं (Generic Veterinary Drugs) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे पशुपालकों का आर्थिक बोझ कम होगा।

संशोधित पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लाभ:

- संशोधित पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) कई प्रमुख लाभ प्रदान करता है:
  - » **रोग की रोकथाम और टीकाकरण:** टीकाकरण के माध्यम से प्रमुख पशुधन रोगों को रोकता है, पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करता है।
  - » **मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएँ:** मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (एमवीयू) समय पर देखभाल प्रदान करती हैं, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में।
  - » **सस्ती पशु चिकित्सा दवाएँ:** पशु औषधि गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करती है, जिससे पशुधन मालिकों के लिए लागत कम होती है।
  - » **उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देना:** पशुधन उत्पादकता को बढ़ाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है।
  - » **किसानों के लिए आर्थिक राहत:** बीमारियों से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकता है, पशुधन व्यवसायों की स्थिरता का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

संशोधित एलएचडीसीपी एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाना है। यह कार्यक्रम रोग प्रबंधन, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सस्ती दवाओं के माध्यम से पशुपालकों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से पशुधन उत्पादकता, किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तीनों को मजबूत किया जा सकेगा।

AI कोष (Kosha)

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने AI कोष लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शोधकर्ताओं, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एप्लिकेशन विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण डेटासेट, कंप्यूटिंग संसाधनों और आवश्यक उपकरणों तक पहुँच प्रदान करना है। यह पहल व्यापक इंडियाएआई मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य नवाचार को बढ़ावा देना और AI-संचालित समाधानों के विकास के माध्यम से देश के AI पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है।

AI कोष की मुख्य विशेषताएँ–

- AI कोष कई प्रमुख विशेषताएँ प्रदान करता है जो पूरे भारत में AI शोधकर्ताओं और इनोवेटर्स को लाभान्वित करेंगी:
  - » **डेटासेट:** AI कोष में 316 डेटासेट शामिल हैं, जिनमें से

अधिकांश भाषा अनुवाद उपकरणों के विकास पर केंद्रित हैं। यह डेटासेट बहुभाषी AI मॉडल विकसित करने के लिए AI शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करेंगें।

» **कंप्यूटिंग क्षमता:** यह प्लेटफॉर्म 14,000+ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) तक पहुँच प्रदान करता है, जिसे तिमाही आधार पर और बढ़ाया जाएगा। GPU AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह संसाधन स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को अपनी AI परियोजनाओं में तेजी लाने में सक्षम बनाएगा।

» **लागत-प्रभावशीलता:** AI कोष की एक बड़ी विशेषता इसकी सुलभता है। ळच्ब उपयोग की लागत मात्र 67 प्रति घंटे निर्धारित की गई है, जिससे यह MSMEs, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के लिए AI मॉडल के अनुसंधान, विकास और परीक्षण का एक सस्ता और सुलभ माध्यम बन जाता है।

इंडियाएआई मिशन के बारे में:

- AI कोष, इंडिया एआई मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में AI अनुसंधान और तैनाती को बढ़ावा देना है। 10,370 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ, इस मिशन को भारत में एक मजबूत AI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसमें सात प्रमुख स्तंभ शामिल हैं। इंडिया एआई मिशन डेटासेट प्लेटफॉर्म, जिसका AI कोष एक हिस्सा है, AI नवाचार के लिए आवश्यक डेटा और संसाधन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

AI अनुसंधान के लिए सरकार का प्रयास :

- भारत सरकार AI अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने में सक्रिय रही है। 2018 में, सरकार ने AI विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स और सरकारी एजेंसियों को गैर-व्यक्तिगत डेटा (जैसे, राइड-शेयरिंग ऐप्स से ट्रैफिक डेटा) तक पहुँच प्रदान करने की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया था।
- हालांकि, इस पहल को तकनीकी उद्योग के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने AI अनुसंधान को आगे बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। इससे भारत को AI में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने की उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।

आगे की राह:

AI कोष का शुभारंभ भारत में AI अनुसंधान के एक नए युग की शुरुआत करता है। इस पहल के तहत, भारतीय शोधकर्ता और स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण डेटासेट और उन्नत कम्प्यूटेशनल संसाधनों तक पहुँच मिलेगी, जिससे वे ऐसे AI समाधान विकसित कर सकेंगे, जो देश की चुनौतियों का समाधान कर सकेंगे। यह प्लेटफॉर्म भारत को AI नवाचार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करता है। जैसे-जैसे सरकार AI अनुसंधान का समर्थन करना जारी रखेगी, भारत AI तकनीक और नवाचार में एक प्रमुख देश बन कर वैश्विक नेतृत्व की और आगे बढेगा।

भारतीय आपराधिक व्यवस्था में 'तैयारी' बनाम 'प्रयास'

संदर्भ:

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने से 'तैयारी' बनाम 'प्रयास' का कानूनी प्रश्न पुनः चर्चा में आ गया है। यह विशेष रूप से इस मुद्दे से संबंधित है कि बलात्कार का "प्रयास" (Attempt) क्या होता है और कानून के दृष्टिकोण से इसे किस प्रकार परिभाषित और व्याख्यायित किया जाना चाहिए?

'तैयारी बनाम प्रयास' का कानूनी महत्व:

- आपराधिक कानून में "तैयारी" और "प्रयास" के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब यौन अपराधों के मामलों की बात आती है।
- 'तैयारी' उन कार्यों को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति अपराध करने के उद्देश्य से स्वयं को तैयार करने के लिए करता है, लेकिन वास्तविक अपराध करने से पहले ही रुक जाता है।
- हालांकि, 'प्रयास' तब होता है जब कोई व्यक्ति अपराध को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाता है, हालांकि वे असफल हो सकते हैं।
- 'तैयारी' अक्सर अधिकांश कानूनी ढाँचों के तहत दंडनीय नहीं होती है, अपराध करने का प्रयास अपने आप में एक अपराध है और कानून द्वारा दंडनीय है।

बलात्कार या अपराध करने के लिए 'प्रयास' को परिभाषित करना:

- अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपराध करने के प्रयास को साबित करने के लिए मुख्य मानदंड स्थापित किए। प्रयास के लिए दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को प्रदर्शित करना चाहिए:
  - » **इरादा:** आरोपी का अपराध करने का इरादा होना चाहिए।
  - » **तैयारी:** आरोपी ने अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से प्रारंभिक कार्यवाही की हो।
  - » **अपराध करने की दिशा में कार्रवाई:** यह कदम केवल तैयारी से परे है और इसमें ऐसा कार्य शामिल होना चाहिए जो प्रतिवादी को अपराध पूरा करने के करीब ले जाए।

महत्वपूर्ण रूप से, यह अपराध से पहले अंतिम कार्य होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसा कदम होना चाहिए जो अपराध करने के इरादे का संकेत दे।

» **निकटता:** 'अंतिम से पहले का कार्य' (अर्थात् वह कार्य जो अपराध को पूरा करने से केवल एक कदम दूर होता है) को प्रयास माने जाने के लिए आवश्यक माना जाता है। यह चरण यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वास्तव में प्रयास कब होता है। अपराध के पूरा होने की दिशा में इस कार्य की निकटता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

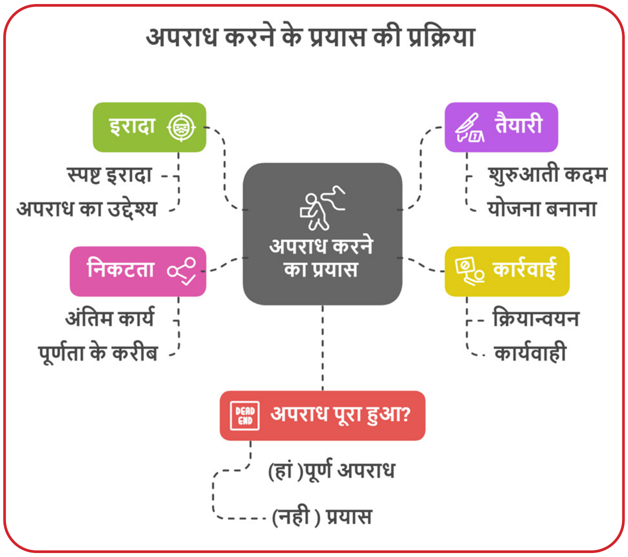

- जैसा कि महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब (1980) में स्पष्ट किया गया है, प्रयास वहीं से प्रारंभ होता है, जहाँ तैयारी समाप्त होती है। अनिवार्य रूप से, तैयारी का अर्थ केवल अपराध करने के लिए खुद को तैयार करना है, जबकि प्रयास तब माना जाता है जब व्यक्ति की कार्रवाई अपराध के वास्तविक घटित होने की दिशा में प्रवेश कर जाती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विवादास्पद निर्णय:

- 17 मार्च, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय ने तैयारी और प्रयास के बीच की रेखा खींचने की जटिलता को उजागर किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त की हरकतें – जैसे कि नाबालिग के स्तनों को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ने का प्रयास करना – बलात्कार के प्रयास के स्तर तक नहीं पहुँचती हैं।
- इसके विपरीत, न्यायालय ने इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354बी के अंतर्गत एक कम गंभीर अपराध मानते हुए आरोपों को घटा दिया। धारा 354बी उन अपराधों को संबोधित करती है जो किसी महिला को निर्वस्त्र करने या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित हैं।

निष्कर्ष:

तैयारी और प्रयास के बीच का अंतर, विशेषकर बलात्कार के प्रयास के मामलों में, अदालतों के दृष्टिकोण और दंडात्मक प्रावधानों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मानक पर पुनर्विचार से ऐसे मामलों में अभियोजन और दंड के तरीकों में संभावित बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट हो सकता है कि प्रयास और तैयारी के बीच का अंतर कैसे परिभाषित और लागू किया जाना चाहिए।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

संदर्भ:

हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एनडीएमए और एसडीएमए) की दक्षता को बढ़ाना है। यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने, नए प्राधिकरण स्थापित करने एवं केंद्र सरकार के तहत आपदा प्रबंधन शक्तियों को केंद्रीकृत करने का प्रयास करता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

- **आपदा प्रबंधन योजनाएँ:** अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। पहले यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियों की थी।
- **एनडीएमए और एसडीएमए के विस्तारित कार्य:** इनकी जिम्मेदारियों में अब समय-समय पर आपदा जोखिमों का आकलन करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, न्यूनतम राहत मानक निर्धारित करना और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाए रखना शामिल होगा।
- **शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** राज्य सरकारें राजधानी शहरों और नगर निगमों वाले शहरों के लिए विशेष शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित कर सकती हैं।
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ):** राज्य सरकारें एसडीआरएफ का गठन कर सकती हैं और उनके कार्य, भूमिकाएँ व सेवा शर्तें परिभाषित कर सकती हैं ताकि आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार हो सके।
- **समितियों को वैधानिक दर्जा:** राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) को अब वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी, जिससे आपदाओं के दौरान निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होगी।
  » बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस

बनाना।
   » आपदा प्रतिक्रिया में लापरवाही के लिए जवाबदेही और दंड तय करना।

विधेयक का महत्वः

- यह विधेयक बेहतर समन्वय, जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत कर आपदा लचीलेपन (Disaster Resilience) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य आपदा जोखिमों को कम करना, तैयारियों को बढ़ाना और प्रभावी राहत उपाय सुनिश्चित करना है।
- हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन, कुशल कर्मियों और विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध समन्वय आवश्यक होगा। समय पर संसाधन आवंटन और अंतर-एजेंसी सहयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

चुनौतियाँ और चिंताएँः

- शक्ति का केंद्रीकरण, जिससे राज्यों की भूमिका सीमित हो सकती है।
- वित्तीय सहायता प्रावधानों को हटाकर, 'मुआवजा' के स्थान पर 'राहत' शब्द का प्रयोग किया गया है।
- जांच का अभाव, क्योंकि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee - JPC) को भेजे बिना ही पारित कर दिया गया।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के बारे में:

- 2004 की सुनामी के बाद संरचित आपदा प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया।
- आपदा प्रबंधन के लिए तीन-स्तरीय प्राधिकरण संरचना:
   - » **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, नीतियाँ और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार।
   - » **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA):** मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में, राज्य-स्तरीय आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
   - » **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA):** जिला मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में, जिला स्तर पर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।
- विशेष आपदा प्रतिक्रिया कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) का गठन।
- आपदा राहत के लिए वित्त पोषण तंत्र:
   - » राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)
   - » राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)
- अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) की स्थापना।

निष्कर्षः

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 भारत की आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है। हालाँकि, इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, संसाधन जुटाने और हितधारकों के सहयोग पर निर्भर करेगी।

संसद ने पारित किया बॉयलर विधेयक, 2024

संदर्भः

हाल ही में लोकसभा ने बॉयलर विधेयक, 2024 को पारित किया, जिसका उद्देश्य बॉयलर के संचालन को सुरक्षित बनाना, स्टीम-बॉयलर विस्फोटों को रोकना और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह विधेयक बॉयलर अधिनियम, 1923 की जगह लेता है। इससे पहले, दिसंबर 2024 में राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी थी। बॉयलर अधिनियम 1923 की स्थापना स्टीम बॉयलर के निर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत को विनियमित करने के लिए की गई थी, ताकि पूरे भारत में उनका सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो सके।

बॉयलर विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएं:

- **बॉयलर का विनियमनः** विधेयक के अनुसार, बॉयलर के संचालन से पहले उसका पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिसे हर साल नवीनीकृत करना आवश्यक होगा।
- **छूटः** विधेयक के अनुसार, 25 लीटर से कम क्षमता वाले, 1 किलोग्राम/सेमी² से कम दबाव पर काम करने वाले और 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी गर्म करने वाले बॉयलर इसके प्रावधानों से मुक्त होंगे। इसके अलावा, सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बॉयलर भी इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगे।
- **अपराध और दंडः** विधेयक में बॉयलर में अनधिकृत परिवर्तन या सुरक्षा वाल्वों से छेड़छाड़ जैसे अपराधों के लिए दंड की रूपरेखा दी गई है, जिसका उद्देश्य असुरक्षित प्रथाओं को रोकना है।
- **सुरक्षा और एकरूपताः** विधेयक बॉयलर विस्फोटों को रोकने और देश भर में एक समान मानकों को बढ़ावा देकर जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- **गैर-अपराधीकरण प्रावधानः** विधेयक में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिससे कुछ अपराधों को गैर-अपराधीकरण किया गया है। अब इन मामलों में कानूनी सजा की बजाय नागरिक दंड लगाया जाएगा, जिससे अनुपालन की प्रक्रिया आसान होगी।

विधेयक का महत्वः

- बॉयलर विधेयक, 2024 का उद्देश्य देश भर में नियमों को मानकीकृत करके बॉयलर का उपयोग करने वाले उद्योगों में सुरक्षा

बढ़ाना है। बॉयलर विस्फोटों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करके, यह जीवन और संपत्ति दोनों की रक्षा करना चाहता है, जिससे एक सुरक्षित औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य मुद्दे:

- **प्रावधानों से छूट:** विधेयक राज्य सरकारों को अपने प्रावधानों से कुछ क्षेत्रों को छूट देने का अधिकार देता है, जिससे असंगतताएं और संभावित सुरक्षा समझौते हो सकते हैं।
- **अपील तंत्र का अभाव:** केंद्र सरकार या निरीक्षकों द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए औपचारिक अपील प्रक्रिया का अभाव है, जिससे प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।
- **निरीक्षकों के लिए प्रवेश शक्तियाँ:** निरीक्षकों को निरीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाता है। किन्तु, विधेयक इन शक्तियों के लिए सुरक्षा उपायों या दिशा-निर्देशों को निर्दिष्ट नहीं करता है, जिससे संभावित रूप से गोपनीयता और परिचालन स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

निष्कर्ष:

बॉयलर विधेयक, 2024 भारत में बॉयलर नियमों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया जाए, ताकि सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए पर्यावरणीय पहलुओं, न्यायिक निष्पक्षता और विभिन्न क्षेत्रों में समान अनुपालन से कोई समझौता न हो।

न्यायिक जवाबदेही

संदर्भ:

हाल ही में राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में न्यायिक जवाबदेही पर चर्चा की। यह चर्चा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने के आरोपों के बाद पारदर्शिता को लेकर बढ़ती चिंताओं के संदर्भ में हुई।

न्यायिक जवाबदेही क्या है?

- न्यायिक जवाबदेही उस सिद्धांत को संदर्भित करती है, जिसके अनुसार न्यायाधीशों को अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका पारदर्शी तरीके से कार्य करे, निष्पक्षता बनाए रखे और कानून के शासन (Rule of Law) को कायम रखे। चूंकि न्यायाधीशों को समाज की ओर से न्याय देने की शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उनका कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है।

न्यायिक जवाबदेही के प्रावधान:

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - » **अनुच्छेद 124(4) और 124(5):** सिद्ध दुर्व्यवहार (Proven Misbehavior) या अक्षमता (Incapacity) के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
  - » **अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी महाभियोग की समान प्रक्रिया प्रदान करता है।
  - » **अनुच्छेद 235:** उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) की निगरानी और नियंत्रण करने का अधिकार देता है, जिससे न्यायिक प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **न्यायिक जवाबदेही के कानूनी प्रावधान:**
  - » **न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968:** तीन सदस्यीय पैनल के माध्यम से न्यायिक कदाचार की जांच के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
  - » **न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971:** न्यायपालिका को अनुचित प्रभाव से बचाता है और उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
  - » **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक (लंबित):** न्यायपालिका में पारदर्शिता और निगरानी तंत्र को सुधारने का प्रयास करता है।

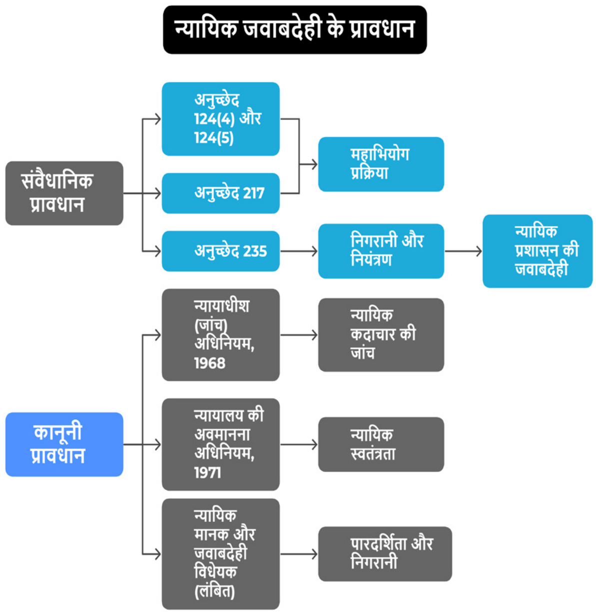

न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता:

- **जनता का विश्वास सुनिश्चित करना:** न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखना, जो कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है।
- **कदाचार को रोकना:** न्यायाधीशों को नैतिक मानकों और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **पारदर्शिता बढ़ाना:** निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक

निर्णयों की जांच की जानी चाहिए।

- **स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को संतुलित करना:** यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक स्वतंत्रता का व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग न हो।
- **कानून के शासन को बढ़ावा देना:** यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय निष्पक्ष, निष्पक्ष और संवैधानिक जनादेश के अनुरूप हों।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम:

- न्यायिक नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से जारी बहस के संदर्भ में, राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम का उल्लेख किया, जिसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
- यह अधिनियम न्यायिक नियुक्तियों में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसे लेकर विवाद बना रहा। धनखड़ ने सुझाव दिया कि NJAC अधिनियम की विरासत और न्यायिक नियुक्तियों में संभावित सुधारों पर चर्चा के लिए राज्यसभा के नेताओं के साथ जल्द ही एक संरचित बैठक आयोजित की जाएगी।

आगे की राह:

- **विधायी सुधार:** न्यायिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक को तत्काल पारित करना।
- **आंतरिक तंत्र को मजबूत करना:** न्यायपालिका के भीतर उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा निकायों का निर्माण करना।
- **नैतिक दिशा-निर्देशों को संहिताबद्ध करना:** एक स्पष्ट आचार संहिता के लिए न्यायिक मूल्यों के पुनर्कथन का विस्तार और प्रवर्तन करना।
- **सार्वजनिक जांच:** न्यायिक निर्णयों और गतिविधियों के प्रकाशन के माध्यम से पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना।
- **प्रशिक्षण और जागरूकता:** जवाबदेही को बनाए रखने के लिए नैतिक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों पर न्यायाधीशों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना।

सार्वजनिक रूप से अधिग्रहित भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ:

एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के हस्तांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति अधिग्रहण अधिकार (Eminent Domain) की शक्ति के माध्यम से अर्जित भूमि को लाभार्थी के साथ किए गए निजी समझौतों के माध्यम से मूल मालिक को वापस हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

- यह मामला दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किए गए एक समझौते से उत्पन्न हुआ, जिसने अनाज बाजार की स्थापना के उद्देश्य से दिल्ली के नरेला में 33 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत, बोर्ड ने भूमि पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में एक निजी व्यवस्था के माध्यम से अधिग्रहित भूमि का आधा हिस्सा मूल मालिक को वापस हस्तांतरित करने पर सहमत हो गया। इसने सार्वजनिक भूमि से जुड़े ऐसे निजी सौदों की वैधता और नैतिकता पर सवाल उठाए।

फैसले के मुख्य बिंदु:

- **संपत्ति अधिग्रहण अधिकार:** अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति अधिग्रहण अधिकार को निजी समझौतों के माध्यम से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस तरह के समझौते भूमि अधिग्रहण पर राज्य के संप्रभु अधिकार को कमजोर करेंगे।
- **शक्ति का दुरुपयोग:** न्यायालय ने माना कि इस तरह की निजी व्यवस्था की अनुमति देना राज्य की शक्ति के साथ धोखाधड़ी होगी, जिससे वह उद्देश्य प्रभावी रूप से उलट जाएगा जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी और जिसका उपयोग किया गया था।
- **सार्वजनिक उद्देश्य:** इस निर्णय ने इस सिद्धांत को मजबूत किया कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित भूमि राज्य के नियंत्रण में रहनी चाहिए और इसका उपयोग इच्छित सार्वजनिक लाभ के लिए किया जाना चाहिए, जिससे अधिग्रहित भूमि का मनमाने ढंग से हस्तांतरण रोका जा सके।

फैसले के निहितार्थ:

- इस फैसले का भारत में भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- यह निर्णय सरकारी भूमि अधिग्रहण शक्तियों की अखंडता की भी रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए अधिग्रहित भूमि का निजी सौदों के माध्यम से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।

संबंधित प्रावधान और मामले:

- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 मूल मालिक या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को अप्रयुक्त भूमि की वापसी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, लेकिन ऐसी वापसी विशिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं

के अधीन है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने संबंधित मामलों में यह निर्णय दिया है कि अधिग्रहित भूमि को मूल स्वामी को वापस न करने का सरकार का निर्णय उचित होना चाहिए, न कि मनमाना।

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार आरएफसीटी-एलएआरआर अधिनियम, 2013 भूमि मालिकों के लिए उचित मुआवजा और प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करता है। इसके लिए पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70% और निजी परियोजनाओं के लिए 80% सहमति की आवश्यकता होती है, साथ ही सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) भी आवश्यक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा बाजार दर से 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित भूमि की पवित्रता के बारे में एक मजबूत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह निजी समझौतों के माध्यम से प्रख्यात डोमेन की शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि भूमि अपने इच्छित उद्देश्य के लिए राज्य के नियंत्रण में रहे। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण प्रथाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को पुष्ट करता है, जो सरकारी कार्यों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

शिक्षा प्रणाली में APAAR ID: संभावनाएँ और विवाद

संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (APAAR) के कार्यान्वयन ने इसकी प्रभावशीलता और डेटा सुरक्षा को लेकर अभिवाहकों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (APAAR):

- APAAR ID एक पहल है, जिसे प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच छात्रों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाना है।
- सरकार के अनुसार, यह आईडी छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, जैसे कि मार्कशीट, स्कूल की संबद्धता और अन्य प्रासंगिक विवरणों को एक मानकीकृत प्रारूप में संग्रहीत करेगी।
- इसके अतिरिक्त, APAAR ID को आधार से जोड़ा गया है और इसे डिजिलॉकर में संरक्षित किया गया है, जिससे यह न केवल छात्रों बल्कि शैक्षणिक अधिकारियों के लिए भी सुगमता से सुलभ हो जाती है।

क्या APAAR ID अनिवार्य है?

- हालाँकि सरकार APAAR ID को एक लाभकारी और स्वैच्छिक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन कई स्कूल और राज्य प्राधिकरण छात्रों को नामांकन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे माता-पिता के बीच इसकी वैकल्पिक प्रकृति को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है।
- आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, APAAR ID अनिवार्य नहीं है। हालांकि, CBSE और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों के शैक्षणिक निकायों द्वारा जारी परिपत्रों में स्कूलों पर पंजीकरण में 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने का दबाव डाला जा रहा है।

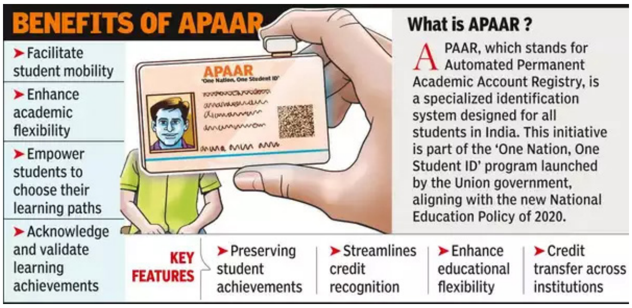

प्रमुख चिंताएँ:

- APAAR को लेकर प्रमुख चिंताओं में से एक डेटा सुरक्षा है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) सहित कई आलोचकों ने इसके निर्माण और कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है।
- यह प्रणाली व्यक्तिगत और शैक्षणिक डेटा एकत्र करती है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है, जिससे संभावित दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।
- गोपनीयता संबंधी जोखिम भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि डेटा को शैक्षणिक प्लेटफॉर्म या तृतीय-पक्ष संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है।
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (2023) की धारा 9(3) के तहत बच्चों की ट्रैकिंग, व्यवहारिक निगरानी और लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद, IFF ने चेतावनी दी है कि APAAR के तहत ऐसे जोखिमों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं हैं।
- साइबर सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएँ हैं, क्योंकि कमजोर डेटा सुरक्षा छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील बना सकती है।
- इसके अलावा, डेटा दोहराव (duplication) का मुद्दा भी उठाया गया है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहले से ही यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) में संग्रहीत हैं। इस संदर्भ में, कई शिक्षकों ने APAAR की आवश्यकता और इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं।

आगे की राह:

हालाँकि APAAR ID प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और अकादमिक रिकॉर्ड प्रबंधन में छात्रों को लाभ पहुँचाने की क्षमता रखती है, लेकिन इसकी अनिवार्यता और इससे जुड़े गोपनीयता जोखिमों को लेकर स्पष्टता की कमी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। इस संदर्भ में, पारदर्शिता, प्रभावी संचार और सुदृढ़ डेटा सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि यह प्रणाली अपने संभावित लाभों को साकार कर सके और इससे जुड़े जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके।

विकास और पर्यावरण संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

संदर्भ:

हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगीकरण के माध्यम से विकास के अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के मध्य एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस सन्दर्भ में न्यायालय ने दो अलग-अलग आदेशों 'एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का और दूसरा मद्रास उच्च न्यायालय का, जिसने पर्यावरणीय मंजूरी न होने के कारण ऑरोविले, दूसरा टाउनशिप परियोजना में विकास गतिविधियां' को रद्द कर दिया।

निर्णय से मुख्य बिंदु:

- **मौलिक अधिकारों को संतुलित करना:**
  - » सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। साथ ही, औद्योगीकरण के माध्यम से विकास का अधिकार भी मौलिक अधिकार ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत।
  - » यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण अधिकार हैं और इन्हें संतुलित तरीके से अपनाया जाना चाहिए।
- **सतत विकास:**
  - » न्यायालय ने सतत विकास की आवश्यकता पर जोर दिया जोकि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा के मध्य एक 'सुनहरा संतुलन' बनाता है। इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि आर्थिक विकास को पर्यावरणीय क्षति की कीमत पर नहीं किया जा सकता। बल्कि, सुनियोजित और जिम्मेदार विकास के माध्यम से दोनों का संतुलित और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **न्यायिक समीक्षा:**
  - » निर्णय में न्यायिक संयम (judicial restraint) के महत्व पर जोर दिया गया है तथा न्यायिक अतिक्रमण (judicial overreach) के विरुद्ध चेतावनी दी गई है।
  - » न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत विकास योजनाओ 'जैसे ऑरोविले के लिए मास्टर प्लान' के कार्यान्वयन में न्यायपालिका को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ न हों जो इस हस्तक्षेप को उचित ठहराती हों।
  - » यह निर्णय न्यायिक प्रणाली द्वारा स्थापित योजनाओं और प्रक्रियाओं के सम्मान की आवश्यकता को पुष्ट करता है, जब तक कि कोई स्पष्ट कानूनी मुद्दा न हो।

मामले की पृष्ठभूमि:

- यह मामला तमिलनाडु में ऑरोविले टाउनशिप परियोजना से संबंधित विकास गतिविधियों पर केंद्रित था।
- 2022 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ऑरोविले फाउंडेशन को पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) की कमी के कारण निर्माण गतिविधियाँ रोकने का निर्देश दिया था। इसी तरह, मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑरोविले टाउन डेवलपमेंट काउंसिल के पुनर्गठन से संबंधित फाउंडेशन द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया।
- इन न्यायिक आदेशों के खिलाफ ऑरोविले फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।

फैसले के निहितार्थ:

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भारत में विकास और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने विकास और स्वच्छ पर्यावरण, दोनों को मौलिक अधिकार मानते हुए आर्थिक प्रगति और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच संतुलन की स्पष्ट मिसाल पेश की है। यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि औद्योगिकीकरण और आर्थिक वृद्धि को सावधानी, जिम्मेदारी और स्थिरता के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह भारत के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

भारत की समुद्री रणनीति: सागर से महासागर और ग्लोबल साउथ तक

सन्दर्भ:

भारत ने राजनयिक और रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस की अपनी यात्रा के दौरान महासागर (Maritime Heads for Active Security And Growth for All in the Region) दृष्टिकोण का अनावरण किया। यह पहल 2015 सागर (Security And Growth for All in the Region) विजन पर आधारित है, जिसे मॉरीशस में भी पेश किया गया था, जो भारत की समुद्री रणनीति के एक दशक का प्रतीक है। वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के साथ, भारत का लक्ष्य अपनी समुद्री उपस्थिति को मजबूत करना, क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करना और हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

भारत और मॉरीशस: एक विशेष साझेदारी

- मॉरीशस भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पश्चिमी हिंद महासागर में, पूर्वी अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट से लगभग 2,000 किमी दूर स्थित, मॉरीशस विकासशील दुनिया के सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक है। 1.2 मिलियन की आबादी (मुख्य रूप से भारतीय मूल के) और सकल घरेलू उत्पाद 14 अरब डॉलर से अधिक - 2029 तक 29 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद - के साथ द्वीप राष्ट्र एक आर्थिक और रणनीतिक संपत्ति दोनों है।
- इसकी प्रति व्यक्ति आय 11,600 डॉलर है जो इसकी आर्थिक स्थिरता को और भी उजागर करती है। 1968 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, मॉरीशस ने भारत के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित एक मजबूत बंधन साझा किया है। यह भावना आर्थिक सहायता से लेकर आपदा राहत प्रयासों तक, मॉरीशस को भारत के निरंतर समर्थन में परिलक्षित होती है।

सागर और महासागर का विस्तार:

- 2015 में, मोदी ने पोर्ट लुइस में सागर विजन की शुरुआत की, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और समुद्री स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया। सागर के प्राथमिक उद्देश्य थे:
  - » समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और तस्करी को संबोधित करके समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - » व्यापार और निवेश के माध्यम से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
  - » आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता को मजबूत करना।
  - » छोटे द्वीप देशों के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) को बढ़ाना।
- भारत ठोस कार्रवाइयों के माध्यम से सागर को साकार करने में सक्रिय रहा है। अप्रैल 2020 में, जब मॉरीशस के पास एक बड़े तेल रिसाव ने पर्यावरणीय खतरा पैदा किया, तो भारत ने रोकथाम के प्रयासों के लिए तेजी से तकनीकी उपकरण और कर्मियों को वहां तैनात किया। इसी तरह, COVID-19 महामारी के दौरान, भारत ने जीवन रक्षक टीके और चिकित्सा सहायता प्रदान की। हाल ही में, दिसंबर 2024 में, चक्रवात चिडो की तबाही के बाद, भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत टीमों को तुरंत भेजा।
- सागर पर आधारित, महासागर विजन व्यापक भू-राजनीतिक और सुरक्षा विचारों को शामिल करके भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण का विस्तार करता है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ाना, छोटे द्वीप देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बढ़ते चीनी प्रभाव

का मुकाबला करना है।

बुनियादी ढांचे का विकास।

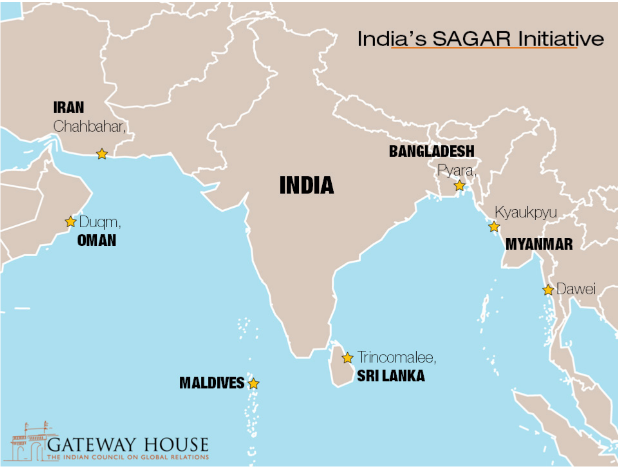

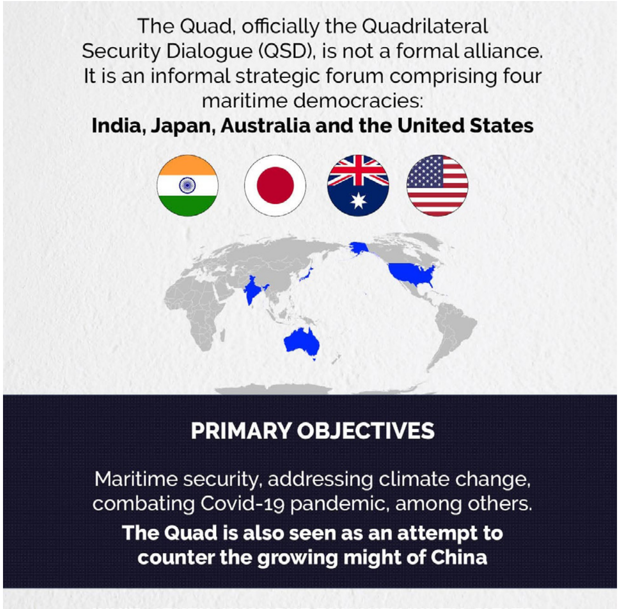

वैश्विक भू-राजनीति में द्वीप देशों का रणनीतिक महत्व:

- ऐतिहासिक रूप से, द्वीप देशों ने समुद्री भू-राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औपनिवेशिक युग के दौरान, ब्रिटेन और फ्रांस ने रणनीतिक द्वीपों को हासिल करके अपने नौसैनिक प्रभुत्व को मजबूत किया, जबकि जर्मनी ने अपने समुद्री प्रभाव का विस्तार करने के लिए संघर्ष किया। यह चलन आज भी जारी है, प्रमुख शक्तियाँ रणनीतिक स्थिति के लिए द्वीप राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- IOR में, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों क्रमशः रीयूनियन और डिएगो गार्सिया में सैन्य चौकियाँ बनाए हुए हैं। इस बीच, चीन श्रीलंका, मालदीव और जिबूती में महत्वपूर्ण निवेश के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से अपने प्रभाव का आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है। ये प्रयास आर्थिक, व्यापार और सैन्य रणनीतियों को मिलाते हैं, जिससे अक्सर छोटे देशों के बीच ऋण निर्भरता बढ़ जाती है। भारत का महासागर विजन इस उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है। मॉरीशस को व्यापक वैश्विक दक्षिण के लिए एक पुल के रूप में स्थापित करके, भारत समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा सकता है, स्थायी निवेश को बढ़ावा दे सकता है और चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध कर सकता है। फोकस के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:
  - » समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) निगरानी और सुरक्षा में सुधार के लिए।
  - » समुद्र में अवैध गतिविधियों, जैसे समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने से निपटना।
  - » क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए

भारत की इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भूमिका और क्वाड ढांचा:

- भारत की समुद्री दृष्टि व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति के अनुरूप है, विशेष रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) के भीतर, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। क्वाड का उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना है, साथ ही चीन द्वारा अपनाई जा रही दबावपूर्ण रणनीतियों का सामना करना है।
- भारत खुद को इस क्षेत्र में एक सौम्य और भरोसेमंद भागीदार के रूप में अलग पहचान देता है, चीन के विपरीत, जिसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उधार देने की प्रथाओं की शोषणकारी के रूप में आलोचना की गई है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश अस्थिर चीनी ऋण के कारण ऋण संकट से जूझ रहे हैं। इसी तरह, डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विदेश नीति के लिए अधिक लेन-देन वाला दृष्टिकोण अपनाया है, जिसे कुछ आलोचकों ने "जबरन वसूली करने वाला" करार दिया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, भारत का महासागर विजन निम्नलिखित पर आधारित एक विकल्प प्रदान करता है:
  - » ऋण-संचालित निवेशों के बजाय दीर्घकालिक क्षमता-निर्माण।
  - » सतत आर्थिक साझेदारी जो आपसी विकास को प्राथमिकता देती है।
  - » स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्वाड भागीदारों के साथ

क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग।

- महासागर को क्वाड के उद्देश्यों के साथ एकीकृत करके, भारत अपने समुद्री प्रभाव को मजबूत कर सकता है जबकि छोटे देशों को सतत, गैर-शोषणकारी विकास के अवसर प्रदान कर सकता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ: सागर से सबक

महासागर विजन सराहनीय है, इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, सागर (SAGAR) पहल को पिछले दशक में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है:

- **सैद्धांतिक स्पष्टता का अभाव:** चीन के BRI के विपरीत, जो एक संरचित विस्तार मॉडल का अनुसरण करता है, भारत की समुद्री नीतियों में अक्सर सुसंगत सिद्धांत का अभाव रहा है, जिससे निष्पादन में असंगतताएँ पैदा हुई हैं।
- **अपर्याप्त संस्थागत क्षमता:** सीमित बेंच स्ट्रेंथ के कारण भारत के समुद्री प्रयासों में बाधाएँ आई हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करने की इसकी क्षमता प्रभावित हुई है।
- **अपर्याप्त निगरानी तंत्र:** कई SAGAR पहलों को कमज़ोर निगरानी का सामना करना पड़ा है, जिससे देरी और अक्षमताएँ हुई हैं।
- महासागर की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, भारत को इन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
  - » क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करने के लिए समुद्री बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना।
  - » रक्षा, कूटनीति और व्यापार निकायों के बीच अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाना।
  - » स्पष्ट नीति दिशा-निर्देशों और निष्पादन समयसीमा के साथ एक संरचित रोडमैप विकसित करना।
- सागर की प्रगति की समीक्षा इन चुनौतियों पर काबू पाने और यह सुनिश्चित करने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है कि महासागर अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करे।

निष्कर्ष

भारत की समुद्री रणनीति, सागर से महासागर तक, अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों के साथ मॉरीशस इस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे-जैसे इंडो-पैसिफिक में भू-राजनीतिक गतिशीलता बदलती है, भारत का समुद्री सुरक्षा, स्थायी भागीदारी और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर इसे चीन जैसी बलपूर्वक आर्थिक शक्तियों से अलग करता है। हालांकि, महासागर की सफलता कुशल निष्पादन पर निर्भर करेगी। संस्थागत कमजोरियों को दूर करना, समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना और व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीतियों के साथ तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण होगा। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो महासागर एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है, जो इस क्षेत्र में शिकारी आर्थिक प्रथाओं के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है।

आर्कटिक में भारत की रणनीतिक भागीदारी: भू-राजनीति, संसाधन और भविष्य की संभावनाएं

सन्दर्भ:

आर्कटिक, जिसे लंबे समय तक एक बर्फीला और निर्जन क्षेत्र माना जाता था, अब तेजी से एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक केंद्र में बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रही है, जिससे नए शिपिंग मार्ग खुल रहे हैं और हाइड्रोकार्बन तथा खनिजों के विशाल भंडार सामने आ रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि आर्कटिक अब वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है।

- पारंपरिक रूप से रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे आर्कटिक राष्ट्रों का इस क्षेत्र पर वर्चस्व रहा है, लेकिन अब चीन और भारत सहित गैर-आर्कटिक राष्ट्र भी इससे तेजी से जुड़ रहे हैं। भारत ने अपनी भौगोलिक दूरी के बावजूद आर्कटिक के महत्व को पहचाना है, मुख्य रूप से इसके जलवायु पैटर्न , संसाधन सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति पर प्रभाव के कारण।
- 2022 में भारत की आर्कटिक नीति के अनावरण के साथ, देश ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण (Structured Approach) अपनाया है। हालाँकि, जैसे-जैसे वैश्विक शक्तियाँ प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, भारत को अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए केवल निष्क्रिय अनुसंधान-संचालित दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

आर्कटिक का भूराजनीतिक और आर्थिक महत्व:

- आर्कटिक क्षेत्र अपने विशाल संसाधनों (Vast Resources) के कारण अत्यधिक आर्थिक और सामरिक महत्व रखता है। अनुमानों के अनुसार, इस क्षेत्र में दुनिया का लगभग 13% तेल और 30% प्राकृतिक गैस भंडार हैं। बर्फ की परत के पीछे हटने के कारण ये संसाधन तेजी से सुलभ हो रहे हैं, जिससे आर्कटिक में अन्वेषण और निष्कर्षण व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बन गया है।
- इसके अतिरिक्त, आर्कटिक एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग है। उत्तरी समुद्री मार्ग , जो रूस के आर्कटिक तट के साथ चलता है, स्वेज नहर मार्ग की तुलना में यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यात्रा के समय को लगभग 40% तक कम करता है। इससे वैश्विक व्यापार, ऊर्जा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

आर्कटिक परिषद:

- आर्कटिक का शासन मुख्य रूप से आर्कटिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है, जोकि आर्कटिक राज्यों – रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड – से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी मंच है। भारत और चीन जैसे गैर-आर्कटिक राज्यों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, उनका प्रभाव सीमित है। हालाँकि, बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और जलवायु-संचालित परिवर्तन के साथ, गैर-आर्कटिक राज्यों की भूमिका का विस्तार हो रहा है।

भारत की आर्कटिक नीति और सामरिक हित:

- भारत की आर्कटिक भागीदारी 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुई, जिसने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान और आर्थिक गतिविधियों के लिए आर्कटिक तक पहुँच प्रदान की। 2007 में, भारत ने नॉर्वे के स्वालबार्ड में "हिमाद्री अनुसंधान केंद्र" की स्थापना की, जो आर्कटिक में उसकी पहली स्थायी उपस्थिति थी।
- 2022 में, भारत ने छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक व्यापक आर्कटिक नीति का अनावरण करके अपनी आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं को औपचारिक रूप दिया:
    - » **वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु अध्ययन:** जलवायु अनुसंधान, आर्कटिक मौसम मॉडलिंग और पर्यावरण अध्ययन में भारत की भागीदारी को बढ़ाना।
    - » **आर्थिक एवं संसाधन विकास:** टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा और खनिज संसाधन अवसरों की खोज करना।
    - » **शिपिंग और कनेक्टिविटी:** व्यापार और रसद लाभों के लिए एनएसआर जैसे आर्कटिक शिपिंग मार्गों का मूल्यांकन करना।
    - » **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शासन:** आर्कटिक राज्यों और संस्थानों के साथ राजनयिक जुड़ाव को मजबूत करना।
    - » **क्षमता निर्माण और मानव संसाधन:** आर्कटिक अन्वेषण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना।
    - » **पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता:** पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करना।
- यद्यपि आर्कटिक में भारत की भागीदारी मुख्यतः वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रही है, लेकिन हाल के घटनाक्रम आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्यों की ओर बदलाव का संकेत देते हैं, विशेष रूप से रूस के साथ सहयोग में।

भारत-रूस संबंध और आर्कटिक सहयोग:

- आर्कटिक के हाइड्रोकार्बन और खनिज भंडार में भारत की बढ़ती रूचि रूस के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी से जुड़ी है। रूस आर्कटिक के लगभग 50-55% हिस्से पर सीमा बनाता है , जिससे आर्कटिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
- भारत ने पहले ही रूसी तेल और गैस परियोजनाओं में 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है , जो इस क्षेत्र से ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 22वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में, दोनों देशों ने विशेष रूप से रूस के

सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्रों में व्यापार और निवेश सहयोग को गहरा करने पर जोर दिया हैं ।

- **ऊर्जा सुरक्षा और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण:**
  - » भारत ने आर्को (Arco) और नोवी पोर्ट (Novi Port) जैसे आर्कटिक ग्रेड के रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है।
  - » भारतीय और रूसी ऊर्जा कम्पनियों के बीच संयुक्त उद्यम से आर्कटिक तेल और गैस भंडारों तक भारत की पहुंच बढ़ सकती है।
- **उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर) विकास:**
  - » एनएसआर व्यापार मार्गों पर सहयोग करने के लिए व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के लिए भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के अंतर्गत एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है ।
  - » भारतीय सरकारी संस्था मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने आर्कटिक वाणिज्यिक शिपिंग को मजबूत करने के लिए रूस के ज़्वेज़्दा शिपयार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है।
- **बहुपक्षीय आर्कटिक जुड़ाव:**
  - » यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी विरोध के बावजूद, रूस भारत के साथ आर्कटिक सहयोग जारी रख रहा है , विशेष रूप से यमल-नेनेट्स क्षेत्र में स्नेझिंका आर्कटिक स्टेशन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में ।
  - » रूसी मंच के माध्यम से आर्कटिक शासन में भारत की भागीदारी उसे इस क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति प्रदान करती है।

आर्कटिक में रूस और चीन को संतुलित करना:

- चीन ने "पोलर सिल्क रोड" पहल के तहत अपनी आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं का विस्तार किया है। हालाँकि, रूस के सुदूर पूर्व में चीन की बढ़ती मुखरता ने रूस-चीन आर्कटिक संबंधों में तनाव पैदा किया है।
- भारत के तटस्थ और टाइम टेस्टेड संबंध मास्को को चीन के प्रभाव का प्रतिकार करने का अवसर देते हैं।
- आर्कटिक सहयोग को गहरा करके, भारत रूस के लिए अपने भू-रणनीतिक महत्व को बढ़ा सकता है और साथ ही दीर्घकालिक ऊर्जा एवं व्यापार हितों को सुरक्षित कर सकता है।

भारत की आर्कटिक भागीदारी में चुनौतियाँ:

- ***तकनीकी बाधाएँ:***
  - » भारत के पास बर्फ तोड़ने वाले बेड़े (Icebreaker Fleet) और ध्रुवीय बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे व्यापक आर्कटिक अभियान चलाने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है।
  - » चीन के विपरीत, जिसने आर्कटिक लॉजिस्टिक्स में निवेश किया है, भारत की तकनीकी उपस्थिति न्यूनतम बनी हुई है।
- **आर्कटिक शासन में सीमित प्रभाव:**
  - » आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक राज्य होने के कारण, भारत के पास मतदान का अधिकार नही, जिससे उसका नीति निर्धारण प्रभाव सीमित हो जाता है।
  - » पश्चिमी नेतृत्व वाले भू-राजनीतिक तनाव , जैसे नाटो-रूस संघर्ष , भारत की साझेदारियों को प्रभावित करते हैं।।
- **पर्यावरण और स्थिरता संबंधी चिंताएँ:**
  - » भारत सतत आर्कटिक संसाधन विकास का समर्थन करता है, लेकिन आर्थिक और पारिस्थितिक प्राथमिकताओं में संतुलन बनाना जटिल बना हुआ है।
  - » जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों को भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों के अनुरूप होना चाहिए।

भारत की आर्कटिक नीति में रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता:

- भारत का आर्कटिक क्षेत्र में जुड़ाव अब तक वैज्ञानिक रूप से संचालित रहा है, लेकिन आर्कटिक संसाधनों पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के चलते अधिक व्यापक भू-राजनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण संस्थागत पुनर्संयोजन की आवश्यकता है:
  - » वर्तमान में, भारत की आर्कटिक नीति की देखरेख पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा की जाती है, जबकि आर्कटिक कूटनीति का प्रबंधन विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा किया जाता है।
  - » विदेश मंत्रालय को आर्कटिक नीति निर्माण में रणनीतिक और आर्थिक आयामों को एकीकृत करने में केन्द्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
  - » अंतर-मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करके भारत अपनी नीतियों को अधिक प्रभावी बना सकता है।
  - » भारत को बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों और रसद क्षमताओं का विस्तार करने से आर्कटिक में भारत की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित होगी।

» रूस से परे आर्कटिक देशों (जैसे, नॉर्वे और कनाडा) के साथ सहयोग से भारत के रणनीतिक विकल्पों में विविधता आएगी।

निष्कर्ष:

चूंकि आर्कटिक भू-राजनीतिक युद्धक्षेत्र में बदल रहा है, इसलिए भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान से आगे बढ़कर खुद को एक विश्वसनीय आर्कटिक हितधारक के रूप में स्थापित करना होगा। जबकि रूस के साथ सहयोग आर्थिक और रणनीतिक लाभ प्रदान करता है, भारत को एक ही भागीदार पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए एक संतुलित जुड़ाव रणनीति सुनिश्चित करनी चाहिए। संस्थागत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और बहुपक्षीय आर्कटिक कूटनीति भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। यदि भारत निष्क्रिय रहता है, तो उसे आर्कटिक शासन में हाशिए पर जाने का जोखिम होगा। हालाँकि, अपनी आर्कटिक रणनीति को सक्रिय रूप से मजबूत करके ,भारत इस उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में दीर्घकालिक संसाधन पहुंच, व्यापार के अवसर और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव को सुरक्षित कर सकता है।

फाइव आईज संकट और भारत के लिए निहितार्थ

संदर्भ:

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गठित "फाइव आईज" (Five Eyes) गठबंधन, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली खुफिया साझेदारी में से एक है, वर्तमान में एक अभूतपूर्व आंतरिक संकट का सामना कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड का यह गठबंधन अमेरिका की विदेश नीति में हुए व्यापक बदलावों के कारण गंभीर उथल-पुथल में है। विशेष रूप से, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अपनाई गई नीतियों ने इस गठबंधन की स्थिरता को चुनौती दी है। यह संकट केवल फाइव आईज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी देशों की सामूहिक सुरक्षा संरचना को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इस स्थिति का आकलन करे और अपनी खुफिया कूटनीति को नए वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढाले।

फाइव आईज: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास:

- फाइव आईज गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के रूप में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य दुश्मन संचार को इंटरसेप्ट करना और उसे डिकोड करना था। 1946 में इस द्विपक्षीय समझौते को औपचारिक रूप दिया गया और बाद में 1948 में इसमें कनाडा तथा 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को शामिल किया गया। शीत युद्ध के दौरान इस गठबंधन ने सोवियत संघ और वारसा संधि के तहत आने वाले देशों की गतिविधियों पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9/11 के बाद, इसका दायरा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा तक विस्तारित हो गया। हाल के वर्षों में फाइव आईज गठबंधन ने चीन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, विशेष रूप से हुआवेई जैसी कंपनियों के माध्यम से साइबर सुरक्षा को लेकर चिंताओं को उठाया गया है।

हाल के घटनाक्रम और चुनौतियाँ:

फ़ाइव आईज़ गठबंधन वर्तमान में अमेरिकी विदेश नीति में बदलावों के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में, अमेरिका के अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ने के तरीके में बदलाव हुए हैं। कुछ प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल हैं:

- **अमेरिका-कनाडा व्यापार विवाद:** ट्रंप प्रशासन की आक्रामक व्यापार नीतियों ने कनाडा को झटका दिया है। उन्होंने कनाडा को "अमेरिका का 51वां राज्य" बनाने की बात कहकर विवाद को और बढ़ा दिया।
- **ग्रीनलैंड विवाद:** ट्रंप द्वारा डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की कोशिश यूरोपीय सहयोगियों के लिए अस्वीकार्य रही।
- **ब्रिटेन के प्रति कटु रुख:** ट्रंप समर्थकों ने ब्रिटेन की "वोक राजनीति" और लेबर सरकार की नीतियों की आलोचना की है। वाशिंगटन में आयोजित एक बैठक में अमेरिकी सीनेटर जे.डी. वांस ने ब्रिटेन को "पहला इस्लामिक परमाणु शक्ति संपन्न देश" करार देकर नया विवाद खड़ा कर दिया।
- **ट्रंप प्रशासन के नए नियुक्त अधिकारी:** तुलसी गैबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक और कश पटेल को FBI निदेशक बनाए जाने से पारंपरिक सहयोगी देशों की चिंता बढ़ गई है। उनका मानना है कि ट्रंप का खुफिया साझेदारी को लेकर अनिश्चित दृष्टिकोण फाइव

आईज की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

- **अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव-** अमेरिकी सरकार ने रूस और यूक्रेन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। नाटो और यूरोपीय संघ जैसे गठबंधनों की भूमिका के बारे में भी चर्चा हुई है। इन बदलावों के कारण फाइव आईज के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा हुए हैं।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:** व्यापार नीतियाँ तनाव का स्रोत बन गई हैं। अमेरिका और कनाडा, जो लंबे समय से व्यापार भागीदार हैं, को व्यापार नियमों पर असहमति का सामना करना पड़ा है। सीमा सुरक्षा और व्यापार नीतियों के बारे में चर्चाओं ने गठबंधन में कनाडा की भूमिका के बारे में अटकलों को जन्म दिया है, हालाँकि अधिकारियों ने किसी भी बड़े बदलाव से इनकार किया है।
- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग:** चुनौतियों के बावजूद, फाइव आईज राष्ट्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सुरक्षा उपस्थिति का विस्तार करना जारी रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यू.के. और यू.एस. के बीच एक नई सुरक्षा साझेदारी AUKUS इसका एक उदाहरण है। यह समझौता सैन्य सहयोग पर केंद्रित है, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के विकास में। जापान ने हाल के वर्षों में फाइव आईज देशों के साथ अपने खुफिया सहयोग को भी बढ़ाया है।

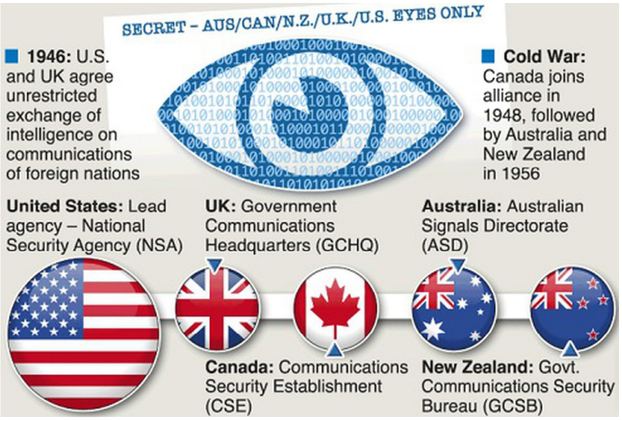

फाइव आईज का भविष्य और संभावित विभाजन

- फाइव आईज में अमेरिका की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में यह गठबंधन गहरे विभाजन की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप के सलाहकारों द्वारा कनाडा को फाइव आईज से निकालने की अटकलें, ब्रिटेन के प्रति कड़ा रवैया, और अमेरिकी दक्षिणपंथियों द्वारा फाइव आईज के उदारवादी घटकों की आलोचना इस गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठा रही है। यदि ट्रंप प्रशासन फाइव आईज को पुनर्गठित करने की दिशा में बढ़ता है, तो यह संभव है कि यूरोपीय संघ और NATO इस स्थिति का लाभ उठाकर एक अलग खुफिया नेटवर्क विकसित करें।

भारत के लिए रणनीतिक अवसर

फाइव आईज में उत्पन्न संकट भारत के लिए कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है:

- **इंटेलिजेंस साझेदारी का विस्तार:** फाइव आईज के भीतर अस्थिरता भारत को अपनी खुफिया क्षमताओं को मजबूत करने और अन्य मित्र देशों के साथ गहन सहयोग के अवसर प्रदान कर सकती है।
- **इंडो-पैसिफिक में भूमिका:** AUKUS (अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य गठबंधन) के विस्तार की चर्चाओं के बीच भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को बेहतर बना सकता है।
- **तकनीकी सुरक्षा:** हुआवेई और 5G जैसी सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत को पश्चिमी देशों के साथ साइबर सुरक्षा और तकनीकी खुफिया साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।
- **नए गठबंधन की संभावना:** यदि फाइव आईज में विभाजन गहरा होता है, तो भारत नए बहुपक्षीय खुफिया साझेदारी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग:** भारत को अपने तकनीकी कौशल का लाभ उठाकर डिजिटल निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित खुफिया विश्लेषण के क्षेत्र में फाइव आईज और अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
- **साइबर सुरक्षा सहयोग:** बढ़ते साइबर हमलों और डिजिटल युद्धों के बीच भारत को फाइव आईज देशों के साथ साइबर सुरक्षा उपायों को साझा करने की पहल करनी चाहिए।

निष्कर्ष:

फाइव आईज गठबंधन में मौजूदा संकट अमेरिका की बदलती नीतियों का परिणाम है। यदि यह संकट और गहराता है, तो यह वैश्विक सुरक्षा ढांचे में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह इस स्थिति का लाभ उठाए और अपनी खुफिया कूटनीति को पुनर्गठित करे। भारत को अपने पारंपरिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए और नए रणनीतिक गठबंधनों की संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। वैश्विक भू-राजनीति में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत और युगांडा के बीच तीसरी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक

संदर्भः

हाल ही में भारत-युगांडा संयुक्त व्यापार समिति (JTC) का तीसरा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जोकि 23 साल के लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत-युगांडा संयुक्त व्यापार समिति (JTC) बैठकः

- भारत-युगांडा संयुक्त व्यापार समिति (JTC) के तीसरे सत्र का प्राथमिक फोकस द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना था।
- दोनों देशों ने भारत और युगांडा के बीच सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक कार्यों, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, टेलीमेडिसिन और महत्वपूर्ण खनिजों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की।

सत्र का महत्वः

- यह सत्र इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दोनों देशों के बीच 23 वर्षों में इस प्रकार के औपचारिक स्तर पर आयोजित पहली बैठक थी। चर्चा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना, विविधता लाना और उन्हें और अधिक सशक्त बनाना था। दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि मौजूदा व्यापार मात्रा उनकी आर्थिक सहयोग की क्षमता को सही रूप में प्रतिबिंबित नहीं करती है।

द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रः

- सत्र के दौरान, दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कीः
  - » कृषि (कॉफी, दालें और मसाले सहित)
  - » खनिज (जिसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं)
  - » डेयरी उत्पाद
  - » कोको उत्पाद
  - » आवश्यक तेल और प्लास्टिक कच्चे माल
  - » स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स
  - » इलेक्ट्रिक वाहन
  - » डिजिटल बुनियादी ढांचा और बैंकिंग
  - » खनन और पेट्रोकेमिकल्स

सत्र के प्रमुख परिणामः

- तीसरे जेटीसी सत्र के कुछ मुख्य परिणामों में शामिल हैंः
  - » कृषि, खनन और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की प्रतिबद्धता।
  - » दोनों देशों के व्यवसायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत-युगांडा संयुक्त व्यापार मंच बनाने के लिए एक समझौता।
  - » बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों का प्रस्ताव, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत-युगांडा संबंधों के विषय मेंः

- भारत और युगांडा के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 1965 में हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने अपनी-अपनी राजधानियों में उच्चायोग स्थापित किए। नई दिल्ली में युगांडा का उच्चायोग और कंपाला में भारत का उच्चायोग दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत-युगांडा सहयोग के लिए प्रमुख क्षेत्रः

- **व्यापार और वाणिज्यः** युगांडा खनिज, कॉफी, मसाले और अन्य उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि भारत फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है।
- **शिक्षा और तकनीकी सहयोगः** भारत युगांडा के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का गंतव्य रहा है और युगांडा के पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **स्वास्थ्यः** टेलीमेडिसिन और टेली-एजुकेशन जैसी पहलों के माध्यम से, भारत ने युगांडा के स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में समर्थन किया है।
- **बुनियादी ढांचाः** भारत युगांडा में भारत-अफ्रीका विदेश व्यापार संस्थान और खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र जैसे प्रमुख

संस्थानों की स्थापना में शामिल है।

भविष्य के अवसर:

- भारत और युगांडा ने सहयोग के लिए कई संभावित क्षेत्रों की पहचान की है, जैसे:
  - » खनिज, कॉफी, दालों और डेयरी उत्पादों में व्यापार का विस्तार करना।
  - » सार्वजनिक कार्यों, बुनियादी ढांचे और टेलीमेडिसिन में सहयोग को मजबूत करना।
  - » कृषि, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों में अवसरों की खोज करना।

निष्कर्ष:

यह बैठक बुनियादी ढाँचे, कृषि, डिजिटल प्रौद्योगिकी और सतत ऊर्जा (Sustainable Energy) जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट लक्ष्यों के साथ एक व्यापक और मजबूत साझेदारी की नींव रखने में सहायक रही। भारत-युगांडा के बीच मजबूत सहयोग न केवल दोनों देशों के आपसी विकास को बढ़ावा देगा बल्कि उनके राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी और गहरा करेगा।

स्क्वाड समूह में भारत को शामिल करने की योजना

संदर्भ:

हाल ही में फिलीपींस, भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करके अपने अनौपचारिक सुरक्षा समूह स्क्वाड का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करना है।

स्क्वाड समूह के विषय में:

- स्क्वाड एक अनौपचारिक सुरक्षा गठबंधन है, जिसमें वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं। यह समूह दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर संयुक्त समुद्री अभ्यास और संचालन कर रहा है।
- इन गतिविधियों का उद्देश्य चीन की आक्रामक नीतियों के कारण क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- समूह के विस्तार से इसकी रक्षा क्षमता और मजबूती बढ़ेगी, जिससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकेगा। भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करने से आपसी रक्षा सहयोग मजबूत होगा और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

भारत और दक्षिण कोरिया क्यों?

- भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ने विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारत की चीन के साथ सीमा विवादों के चलते लंबे समय से तनाव बना हुआ है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री हितों के कारण वह स्क्वाड (Squad) का एक रणनीतिक साझेदार बन सकता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य संबंध इस समूह के भीतर गहरे सहयोग की संभावनाओं को मजबूत करते हैं। इसी तरह, दक्षिण कोरिया भी चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित है। स्क्वाड में शामिल होने से उसे अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने का एक प्रभावी मंच मिलेगा।

चीन की प्रतिक्रिया:

- चीन ने विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की कार्रवाइयों पर आपत्ति जताई है। वह लगातार इस क्षेत्र के लगभग पूरे हिस्से पर दावा करता रहा है, जबकि फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की संप्रभुता के दावों को अनदेखा करता है।
- फिलीपींस ने इन दावों का विरोध किया है, विशेष रूप से 2016 में आए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के बाद, जिसने चीन के क्षेत्रीय दावों को अमान्य करार दिया था।
- इसके बावजूद, चीन इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का दावा जारी रखे हुए है, जिससे विवादित जलक्षेत्र में चीनी और फिलीपीन जहाजों के बीच टकराव की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ:

- भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करने से स्क्वाड का विस्तार इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। यह गठबंधन चीन के बढ़ते प्रभाव का एक मजबूत प्रतिसंतुलन प्रदान करेगा, विशेष रूप से उन समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जो वैश्विक व्यापार के लिए अहम हैं।
- रक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने से स्क्वाड और अधिक प्रभावशाली बन सकता है, जिससे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

निष्कर्ष:

फिलीपींस द्वारा स्क्वाड समूह के विस्तार की पहल चीन की क्षेत्रीय मुखरता को लेकर उसकी बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है। भारत और दक्षिण कोरिया के शामिल होने से यह समूह चीन के प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकता है।

भारत और न्यूज़ीलैंड के मध्य रक्षा सहयोग समझौता

संदर्भ:

हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

समझौते के प्रमुख बिंदु:

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा सहयोग समझौते में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं जो दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं और आपसी सुरक्षा हितों को बढ़ाने में सहायक हैं:

- **नियमित द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव:** दोनों देश नियमित द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। इसमें उच्च स्तरीय दौरे, स्टाफ वार्ता, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा-संबंधी मामलों पर समन्वय तंत्र शामिल हैं।
- **रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग:** समझौते में रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं, जिसमें संयुक्त अनुसंधान और विकास, उत्पादन और खरीद शामिल है। यह सहयोग तकनीकी और परिचालन तत्परता बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश की क्षमताओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।
- **समुद्री सुरक्षा में वृद्धि:** भारत और न्यूजीलैंड ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपने सहयोग को विस्तार देने पर सहमत हुए है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र, जोकि संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों का केंद्र है, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करके, दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने और सभी समुद्री हितधारकों के लिए सुरक्षित और निर्बाध नेविगेशन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों के विषय में:

- **राजनयिक संबंध (Diplomatic Relations):** भारत और न्यूजीलैंड ने 1952 से ही मधुर राजनयिक संबंध साझा किए हैं। उनका सहयोग लोकतांत्रिक शासन और राष्ट्रमंडल में सदस्यता सहित साझा मूल्यों पर आधारित है।
- भारत और न्यूजीलैंड के कई साझा पहलू हैं, जैसे:
  - राष्ट्रमंडल में सदस्यता।
  - सामान्य कानून पर आधारित समान कानूनी प्रणालियाँ।
  - दोनों देश मानवाधिकारों और सम्मान के साथ लोकतांत्रिक शासन का अभ्यास करते हैं।
- **आर्थिक और व्यापारिक सहयोग (Economic - Trade Cooperation):**
  - 2011 में, न्यूजीलैंड ने अपनी "भारत के लिए द्वार खोलने" की नीति के माध्यम से भारत को एक प्राथमिकता वाले देश के रूप में पहचाना और आर्थिक, व्यापार और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से NZ Inc- India रणनीति शुरू की।
  - 2020 के रणनीति पत्र, 'भारत-न्यूजीलैंड 2025-संबंधों में निवेश' का उद्देश्य आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाकर, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देकर और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाकर भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध बनाना है।
  - 2023-24 में, न्यूजीलैंड ने भारत को 0.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात किया और 0.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार मूल्य 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **रक्षा क्षेत्र में भारत-न्यूजीलैंड सहयोग:**
  - भारत और न्यूजीलैंड मैत्रीपूर्ण रक्षा संबंध साझा करते हैं, जो भारतीय नौसेना के जहाजों की यात्राओं से प्रदर्शित होता है, जैसे कि INSV तारिणी का न्यूजीलैंड के बंदरगाह परजाना (दिसंबर 2024-जनवरी 2025) और INS सह्याद्री और INS कोलकाता की यात्रा (अगस्त-सितंबर 2023)।
  - भारत जनवरी 2025 से शुरू होने वाले रॉयल न्यूजीलैंड नेवी (RNZN) के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय बल, संयुक्त टास्क फोर्स 150 में कर्मचारियों का योगदान दे रहा है। न्यूजीलैंड के साथ भारत के रक्षा संबंध फाइव आईज इंटेलिजेंस गठबंधन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं, जिसका न्यूजीलैंड सदस्य है।
  - यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक रणनीतिक उपस्थिति और दुनिया भर में समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ रक्षा और सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

निष्कर्ष:

भारत-न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों में एक विकास है। यह एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए उनके साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित करके, समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान देना है।

सिपरी (SIPRI) रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की 2020-2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को वैश्विक स्तर पर

दूसरे सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में स्थान दिया गया है।

SIPRI रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **भारत के हथियार आयात में गिरावट:** 2015-2019 की तुलना में भारत के वैश्विक हथियार आयात में 9.3%(2020-2024) की कमी आई है।
- **रूस की आपूर्ति में गिरावट:** रूस, जोकि पारंपरिक रूप से भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है, उसकी हिस्सेदारी 2010-2014 में 72% से घटकर 2020-2024 में 36% रह गई।
- **फ्रांस की बढ़ी हुई भूमिका:** फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा, जिसने भारत के हथियारों के आयात का 28% प्रदान किया, जिसमें राफेल जेट और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों जैसी खरीद शामिल है।
- **चीन की गिरावट:** चीन मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग और हथियारों के आयात में 64% की कमी के कारण शीर्ष 10 हथियार आयातकों से बाहर हो गया।
- **क्षेत्रीय रुझान:** पाकिस्तान के हथियारों के आयात में 61% की वृद्धि हुई, जिसमें चीन ने उसके कुल हथियारों का 81% आपूर्ति किया। इसके विपरीत, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रक्षा खर्च में वृद्धि के कारण यूरोपीय आयात में उछाल आया।

विदेशी हथियारों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के प्रयास:

- **बजटीय आवंटन:** भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में रक्षा के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें 75% पूंजी घरेलू निर्माताओं के लिए आरक्षित है।
- **सृजन पोर्टल:** आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सृजन पोर्टल भारतीय विक्रेताओं से रक्षा खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ:** ये सूचियाँ कुछ रक्षा वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि उनका उत्पादन भारत के अंदर किया जाए।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020:** डीएपी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित उपकरणों के लिए "खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम)" जैसी श्रेणियों के साथ घरेलू खरीद को प्राथमिकता देता है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए, भारत के कुल रक्षा उत्पादन का 21% अब निजी कंपनियों से आता है।

घरेलू रक्षा विनिर्माण से संबंधित भारत की पहल:

- **रक्षा औद्योगिक गलियारे:** विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो गलियारे स्थापित किए गए हैं।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (डीपीएसयू):** भारत के डीपीएसयू, जैसे एचएएल और बीईएल, आईएनएस विक्रांत (विमान वाहक) और एलसीए तेजस (लड़ाकू जेट) जैसी प्रमुख स्वदेशीकरण परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):** सरकार ने रक्षा विनिर्माण को स्वचालित मार्ग से 74% एफडीआई और सरकारी मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी है, जिससे इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है।

भारत के भविष्य के लक्ष्य:

- **उत्पादन लक्ष्य:** भारत ने 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जबकि 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य है।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार:** iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) जैसी पहल स्टार्टअप और एमएसएमई को सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये प्रयास विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष:

सिपरी रिपोर्ट मौजूदा चुनौतियों और रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत द्वारा उठाए जा रहे प्रगतिशील कदमों दोनों को दर्शाती है। दूसरे सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में भारत की स्थिति इसकी महत्वपूर्ण रक्षा जरूरतों को उजागर करती है। हालांकि, स्वदेशीकरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी और रणनीतिक निवेश पर केंद्रित चल रही

पहलों के साथ, भारत अपने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाते हुए विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रयासरत है।

गंगा जल संधि के नवीनीकरण हेतु बैठक

संदर्भः

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग ने कोलकाता में दो दिवसीय बैठक आयोजित की, जिसमें गंगा जल संधि पर विस्तार से चर्चा की गई। यह संधि 1996 से दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित कर रही है और 2026 में समाप्त होने वाली है। इस पृष्ठभूमि में हुई इस बैठक का उद्देश्य संधि के नवीनीकरण तथा जल बंटवारे से संबंधित अन्य मुद्दों को संबोधित करना था।

गंगा जल संधि के बारे में:

- 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल संधि, गंगा नदी के जल संसाधनों के न्यायसंगत और संतुलित वितरण को सुनिश्चित करती है। यह संधि शुष्क मौसम (Dry Season) के दौरान किसी एक देश द्वारा जल के अनियंत्रित मोड़ (diversion) को रोकने के लिए एक संरचनात्मक व्यवस्था प्रदान करती है।

संयुक्त नदी आयोग (JRC) की भूमिका:

- 1972 में स्थापित संयुक्त नदी आयोग, भारत और बांग्लादेश के बीच 54 सीमा-पार नदियों के प्रबंधन की देखरेख करता है। यह आयोग गंगा जल संधि के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

चर्चा में शामिल मुख्य मुद्देः

- **गंगा जल संधि का नवीनीकरण:** संधि के 2026 में समाप्त होने के मद्देनजर, दोनों देशों ने इसके नवीनीकरण और अद्यतन पर विचार-विमर्श किया। जल-बंटवारे से जुड़ी नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, संधि को अधिक प्रभावी और समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप बनाने पर चर्चा हुई।
- **गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों का जल-बंटवारा:** भारत से बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली अन्य नदियों के जल-बंटवारे की आवश्यकता को देखते हुए, बैठक में इस विषय पर भी विचार किया गया। इन अतिरिक्त नदियों में उचित जल वितरण की सिफारिश करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। यह हाल के वर्षों में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।
- **जल प्रवाह का मापन:** जल प्रवाह के सटीक मापन और डेटा साझाकरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण विषय रहा। बैठक में जल प्रवाह मापने की तकनीकी चुनौतियों को हल करने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया गया।
- **न्यायसंगत जल वितरण सुनिश्चित करना:** संधि का मूल सिद्धांत जल का समान और निष्पक्ष वितरण है। दोनों देशों ने एकतरफा जल-आवंटन को रोकने और विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की।

बैठक का महत्वः

- यह बैठक अगस्त 2024 में बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद पहली महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता थी। यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और साझा जल संसाधनों पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करने में एक महत्वपूर्ण कदम था।

आगे की राहः

संधि के समाप्ति काल को देखते हुए, इसके नवीनीकरण और सुधार की दिशा में निरंतर संवाद आवश्यक होगा। भारत और बांग्लादेश को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जल संसाधनों की घटती उपलब्धता और भविष्य में बढ़ती जल मांग जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता होगी। गंगा जल संधि का नवीनीकरण न केवल भारत-बांग्लादेश संबंधों को एक नई दिशा देगा, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय जल-बंटवारे समझौतों के लिए भी एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।

भारत-भूटान के मध्य सीमा सम्बन्धी सहयोग पर बैठक

संदर्भः

हाल ही में भारत और भूटान ने सीमा-संबंधी क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और तकनीकी व क्षमता-निर्माण सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने हेतु एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय बैठक में भारत सरकार और भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कार्यालय के अधिकारियों ने सीमा-संबंधी क्षेत्र कार्य से संबंधित मामलों की समीक्षा की।

बैठक के मुख्य विषयः

- **सीमा-संबंधी क्षेत्रीय मुद्देः** दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी क्षेत्रीय सर्वेक्षण टीमों और सीमा-संबंधी कार्यों में शामिल अन्य हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
- **तकनीकी और क्षमता-निर्माण सहयोगः** दोनों देशों ने सर्वेक्षण और सीमा-प्रबंधन से जुड़े तकनीकी सहयोग तथा क्षमता-निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की, जो उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।
- **अगले तीन क्षेत्रीय सत्रों के लिए कार्य योजनाः** बैठक में अगले तीन क्षेत्रीय सत्रों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया, जिससे भविष्य के सहयोग के लिए एक स्पष्ट रोडमैप सुनिश्चित हुआ।

भारत–भूटान द्विपक्षीय संबंधों के बारे में:

- भारत और भूटान के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित हैं। यह साझेदारी कई दशकों में विकसित हुई है, जिसमें विविध समझौतों और सहयोग पहलों ने दोनों देशों को लाभान्वित किया है।
- **राजनीतिक संबंधः**
  - » भारत-भूटान संबंधों की आधारशिला 1949 की मैत्री संधि है, जिसे 2007 में पुनः संशोधित किया गया। यह संधि दोनों देशों के मजबूत राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को रेखांकित करती है, जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है।
  - » 1968 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद, दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा किया, विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा में।
- **जलविद्युत सहयोगः**
  - » सहयोग के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से क्षेत्र जलविद्युत प्रमुख है। 2006 में, भारत और भूटान ने जलविद्युत सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 2009 में एक प्रोटोकॉल द्वारा विस्तारित किया गया। भूटान के लिए, भारत वित्तपोषण और ऊर्जा बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
  - » उदाहरण के लिए, भूटान के बसोचू और निकाचू जलविद्युत संयंत्र भारत के बिजली एक्सचेंजों से जुड़े हैं, जिससे भूटान को विद्युत का व्यापार करने की अनुमति मिलती है। भारत के लिए, भूटान की स्वच्छ ऊर्जा बिजली की माँग को स्थायी रूप से पूरा करने में मदद करती है, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में।

भारत से भूटान को सहायताः

भारत विभिन्न रूपों में भूटान को पर्याप्त सहायता प्रदान करता हैः

- **मुक्त व्यापार व्यवस्थाः** 1972 के भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते को 2016 में संशोधित किया गया, जिससे भूटानी उत्पादों को तीसरे देशों तक शुल्क-मुक्त निर्यात की सुविधा मिलती है।
- **विकास सहायताः** भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-2029) में एक प्रमुख भागीदार है और भूटान के विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करते हुए आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम का समर्थन करता है।
- **सुरक्षा सहायताः** भारत भूटान के लिए शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 2017 में डोकलाम गतिरोध के दौरान स्पष्ट था, जब भारत ने भूटानी क्षेत्र को चीनी अतिक्रमण से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था।
- **अवसंरचनाः** 'परियोजना दंतक' के तहत, भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) ने भूटान में प्रमुख सड़कों और पुलों का निर्माण किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ा।

अन्य सहायताः

- भारत भूटानी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है और भूटान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में लगभग 50% योगदान देता है। भारत 'डिजिटल ड्रुक्युल' परियोजना के तहत भूटान को बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित करने में सहायता कर रहा है।

भारत–भूटान संबंधों में बढ़ती चिंताएँ:

हालाँकि संबंध सकारात्मक रहे हैं, लेकिन कई उभरती चिंताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है:

- **चीन के साथ बढ़ती निकटता:** भूटान चीन के साथ अपनी कूटनीतिक वार्ताओं को बढ़ा रहा है। 2023 में भूटान के विदेश मंत्री की चीन यात्रा से यह संकेत मिलता है कि चीन अब भूटान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन चुका है, जो इसके कुल व्यापार का 25% है।
- **चीन की क्षेत्रीय मुखरता:** चीन की 'पाँच-उँगली नीति' में भूटान को क्षेत्रीय दावों का हिस्सा माना जाता है, विशेष रूप से डोकलाम पठार को लेकर भारत की चिंता बनी हुई है।
- **उग्रवादी समूहों की गतिविधियाँ:** भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर उग्रवादी समूहों, जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के लिए आश्रय स्थल बने रहे हैं, जिससे सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **रुकी हुई परियोजनाएँ:** भूटान में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते में देरी हुई है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में बाधा आ रही है।
- भारत और भूटान के संबंध मैत्री, आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित हैं। हालाँकि, बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में नई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है ताकि यह साझेदारी भविष्य में भी मजबूत बनी रहे।

भारत और आयरलैंड के मध्य संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना

संदर्भ:

हाल ही में भारत और आयरलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय डबलिन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और आयरिश विदेश मंत्री साइमन हैरिस के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया है।

संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) के बारे में:

- संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) भारत और आयरलैंड के बीच आंतरिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार में वृद्धि करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में काम करेगा।

उद्देश्य:

- संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) का उद्देश्य भारत और आयरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देना है।
- यह व्यापार, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है।

फोकस क्षेत्र:

- **व्यापार संबंध:** संयुक्त आर्थिक आयोग दोनों देशों के बीच व्यापार में आपसी विकास और सहयोग के नए अवसरों की खोज करेगा। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और मशीनरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात और आयात बढ़ाना शामिल है।
- **निवेश प्रवाह में वृद्धि:** जेईसी दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वच्छ ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोनों देश आपसी निवेश प्रवाह को बढ़ाने के अवसरों की खोज करेंगे, जिससे रोजगार पैदा होंगे और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** सूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी), फिन-टेक और स्मार्ट सिटी पहल में सहयोग बढ़ाना एक प्रमुख उद्देश्य होगा। दोनों देश महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तकनीकी ताकत का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत–आयरलैंड संबंधों के बारे में:

- भारत और आयरलैंड के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित किए गए थे। भारत ने 1951 में डबलिन में अपना दूतावास खोला, जबकि आयरलैंड ने 1964 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। मुंबई और बेंगलुरु में मानद वाणिज्य दूतावास क्रमशः 1976 और 2000 में स्थापित किए गए और 2010 और 2017 में चेन्नई और कोलकाता में इसका विस्तार किया गया।
- **द्विपक्षीय व्यापार:**
  - 2023-2024 के लिए, भारत और आयरलैंड के बीच कुल व्यापार 6.37 बिलियन अमरीकी डॉलर है।
  - भारत से प्रमुख निर्यात में कार्बनिक रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और विमान के पुर्जे शामिल हैं।
  - आयरलैंड से भारत में आयात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, प्लास्टिक के सामान शामिल हैं।
- **शिक्षा:**
  - वर्तमान में लगभग 6,000 भारतीय छात्र आयरिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।
  - उल्लेखनीय सहयोगों में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन और थापर विश्वविद्यालय के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रम शामिल हैं।
- **आयरलैंड में भारतीय समुदाय:**
  - आयरलैंड में भारतीय मूल के लगभग 80,000 लोग हैं, जिनमें से लगभग 40,000 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं।

» भारतीय समुदाय के लोग विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, आईटी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन क्षेत्रों में प्रमुख है।
» पूर्व आयरिश पीएम लियो वराडकर भारतीय मूल के हैं, जोकि आयरिश समाज में भारतीय समुदाय के एकीकरण का प्रतीक है।

निष्कर्ष:

संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना भारत और आयरलैंड के बीच विकसित हो रही साझेदारी में एक महत्वपूर्ण विकास है। व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाकर, यह पहल दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों और एक गतिशील संबंध को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। वैश्विक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साझा प्रतिबद्धता के साथ, दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करते हुए सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करने के लिए तत्पर हैं।

26/11 हमलें के आरोपी की भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने तहव्वुर हुसैन राणा की भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले में आरोपी राणा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दिए जाने के बाद 'आपातकालीन स्थगन आवेदन' दायर किया था।

- राणा का प्रत्यर्पण भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत होना तय है, जिस पर 1997 में दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि किसी भी देश में गंभीर अपराधों के आरोपी या दोषी व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। तहव्वुर राणा पर 26/11 हमलों के लिए की गई रेकी में सहायता करने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, उस पर आतंकी साजिश में भाग लेने का भी आरोप है।

प्रत्यर्पण के बारे में:

- प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत एक राज्य किसी ऐसे व्यक्ति की वापसी का अनुरोध करता है, जिस पर किसी अपराध का आरोप है या जिसे दोषी ठहराया गया है। यह अपराध अनुरोध करने वाले राज्य के कानूनों के तहत दंडनीय होना चाहिए और अपराध शरण देने वाले राज्य के बाहर किया गया हो। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्पण का अर्थ है किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने या सजा काटने के लिए एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करना।
- प्रत्यर्पण योग्य व्यक्तियों में शामिल हैं:
  » ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराध का आरोप है लेकिन अभी तक उन पर मुकदमा नहीं चला है।
  » ऐसे व्यक्ति जिन पर मुकदमा चला है और उन्हें दोषी ठहराया गया है लेकिन वे हिरासत से भाग गए हैं।
  » ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया है (मुकदमे के दौरान मौजूद नहीं होने पर)।

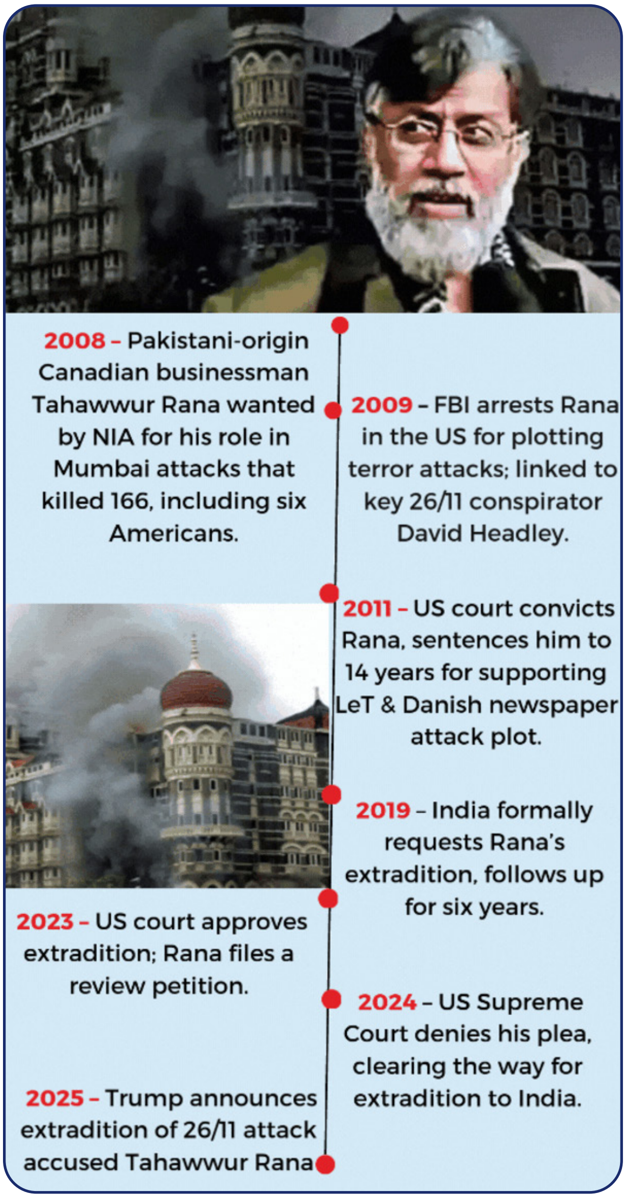

भारत में प्रत्यर्पण के लिए कानूनी ढांचा:

- भारत में प्रत्यर्पण भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 द्वारा शासित है। यह अधिनियम भारत के भीतर और विदेशों में किए गए अपराधों के लिए व्यक्तियों को भारत से प्रत्यर्पित करने की कानूनी प्रक्रिया प्रदान करता है। यह प्रक्रिया आम तौर पर भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय संधियों पर आधारित होती है।

प्रत्यर्पण संधि के बारे में:

- प्रत्यर्पण संधि भारत और किसी अन्य देश के बीच किया गया एक समझौता है, जो न्याय से भागे हुए व्यक्तियों की वापसी की सुविधा प्रदान करता है। यह संधि प्रत्यर्पण की शर्तों को स्पष्ट करती है और इसमें शामिल दोनों देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। प्रत्यर्पण संधियाँ आमतौर पर द्विपक्षीय होती हैं, अर्थात् दोनों देश शर्तों पर सहमत होते हैं और उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।

प्रत्यर्पण प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले प्रमुख सिद्धांत:

प्रत्यर्पण प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करती है:

- **दोहरी आपराधिकता:** जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है, वह अनुरोध करने वाले और अनुरोध किए गए दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध होना चाहिए।
- **प्रथम दृष्टया मामला:** अनुरोध करने वाले देश को व्यक्ति के खिलाफ आरोप का समर्थन करने वाले पर्याप्त सबूत पेश करने चाहिए।
- **विशिष्ट अपराध:** प्रत्यर्पण केवल अनुरोध में उल्लिखित अपराध के लिए दिया जाना चाहिए, किसी अन्य आरोप के लिए नहीं।
- **निष्पक्ष सुनवाई:** अनुरोध करने वाले देश को प्रत्यर्पण के बाद व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर रही हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा को 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। उसका प्रत्यर्पण आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और 2008 के मुंबई हमलों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

ग्रीनलैंड का भविष्य

संदर्भ:

हाल ही में ग्रीनलैंड वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस द्वीप को अधिग्रहित (Acquire) करने की इच्छा व्यक्त की। अपने एक संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय (Right to Self-Determination) का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही इसे अमेरिकी क्षेत्र में शामिल करने का इरादा भी रखता है।

ग्रीनलैंड की स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के बारे में:

- ग्रीनलैंड को 1979 में डेनमार्क से आंशिक स्वशासन प्राप्त हुआ, जिससे इसे अपने आंतरिक प्रशासन में व्यापक अधिकार मिले। यह स्वायत्तता निरंतर बढ़ती रही है, 2009 में ग्रीनलैंड को और अधिक शक्तियां हस्तांतरित की गईं।
- डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र होने के बावजूद, ग्रीनलैंड में सरकार और विधायी निकाय है जो इसके आंतरिक मामलों को संभालता है, जबकि डेनमार्क रक्षा, विदेश नीति और मौद्रिक मामलों का प्रबंधन करता है।
- हालांकि, ग्रीनलैंड के लोगों में डेनमार्क से और भी अधिक आत्मनिर्णय और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भावना बढ़ रही है।

अमेरिका का पक्ष:

- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने तर्क में कहा कि ग्रीनलैंड का अधिग्रहण अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे में अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने साथ एकीकृत करने का समर्थन करेगा।
- हालांकि, ग्रीनलैंड के नागरिकों और नेतृत्व ने इसे अपनी संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन माना ,साथ ही ग्रीनलैंड प्रधानमंत्री म्यूटे बोरुप एगेडे ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड का भविष्य केवल वहां के निवासियों द्वारा तय किया जाएगा।

Greenland is closer to North America than it is to Denmark

ग्रीनलैंड का भू-राजनीतिक महत्व:

- ग्रीनलैंड का भू-राजनीतिक महत्व हाल के वर्षों में अपने विशाल आकार, समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक स्थान के कारण बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण नए शिपिंग मार्ग खुल रहे हैं और तेल, गैस और खनिजों के दुर्गम भंडार मिल रहे हैं, इसलिए यह द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के लिए आकर्षण का मुख्य बिंदु बन गया है।
- अमेरिका के लिए, आर्कटिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में ग्रीनलैंड एक महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं भू-आर्थिक संपदा के रूप में उभरता है।
- वैश्विक व्यापार मार्गों, ऊर्जा संसाधनों और सैन्य रणनीति के त्रिकोण में स्थित आर्कटिक क्षेत्र वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। रूस, चीन और अमेरिका जैसे वैश्विक शक्ति केंद्र इस क्षेत्र में बढ़ते संसाधन दोहन और समुद्री मार्गों पर प्रभाव व नियंत्रण स्थापित करने की होड़ में शामिल हैं।

आगे की राहः

ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर जारी विमर्श में, वहां की स्थानीय जनता की भूमिका निर्णायक होगी, क्योंकि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उन्हें अपने राजनैतिक भाग्य को निर्धारित करने का प्राथमिक अधिकार देता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ग्रीनलैंड पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाता है या डेनमार्क के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को किसी नए ढांचे में ढालता है। चाहे ग्रीनलैंड पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़े या डेनमार्क के साथ अपने संबंधों को जारी रखे, द्वीप के समृद्ध संसाधन और रणनीतिक स्थान निस्संदेह आने वाले वर्षों में वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता को आकार देना जारी रखेंगे। ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर बहस आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं और वैश्विक मंच पर आर्कटिक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।

भारत और यूरोपीय संघः बहुध्रुवीय विश्व में साझेदारी का महत्व

संदर्भः

हाल ही में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की भारत यात्रा ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच गठबंधन सहयोग को एक नई दिशा प्रदान की है। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण विकास है।

सहयोग की आवश्यकताः

- बदलते वैश्विक परिदृश्य, विशेष रूप से ट्रम्प प्रशासन के दौरान अमेरिका और यूरोप के बीच तनावपूर्ण संबंधों ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) दोनों को अपनी वैश्विक स्थिति और रणनीतिक प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।
- इन भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की है।
- बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए, दोनों पक्ष वैश्विक मामलों की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए अपनी साझेदारी को गहरा करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

मुक्त व्यापार समझौताः

- भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एक प्रमुख केंद्रबिंदु है। इस समझौते पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन नौकरशाही अड़चनों और विवादित मुद्दों के कारण यह प्रक्रिया बार-बार बाधित होती रही। अब, दोनों पक्षों ने नए सिरे से प्रतिबद्धता दर्शाई है और इसे शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।
- वैश्विक व्यापार असंतुलन, चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और अमेरिकी व्यापार नीतियों की अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में, यह समझौता विशेष महत्व रखता है। FTA के सफल क्रियान्वयन से न केवल भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह दोनों को तेजी से उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी भू-राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर भी देगा।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भः

- भारत उन पहले देशों में से एक था, जिसने 1963 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) (जो बाद में यूरोपीय संघ (EU) बना) के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि, शुरुआती दशकों में यह संबंध अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहा। शीत युद्ध के दौरान, भारत और सोवियत संघ के घनिष्ठ संबंध तथा भारत की आर्थिक नीतियों ने यूरोप के साथ गहरे आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं को सीमित कर दिया।
- 1990 के दशक की शुरुआत में, सोवियत संघ के विघटन और

भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद दोनों पक्षों के बीच सहयोग में वृद्धि हुई। 2004 में, भारत और EU ने औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी स्थापित की और 2007 में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू हुई।

- हालांकि, व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के इन प्रयासों को नौकरशाही अड़चनों, मानकों को लेकर मतभेदों और राजनीतिक प्राथमिकताओं के टकराव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप, भारत-EU रणनीतिक साझेदारी व्यावहारिक होने के बजाय प्रतीकात्मक (Symbolic) बनकर रह गई।

निष्कर्ष:

भारत-यूरोपीय संघ संबंध अब एक नए परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जहां दोनों पक्षों की पूर्व की चुनौतियों को सुलझाने और नए अवसरों का सामूहिक लाभ उठाने की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। व्यापार, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहित अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में गहन सहयोग के साथ-साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने के प्रयास, आने वाले वर्षों में अधिक व्यापक, संतुलित और प्रभावशाली साझेदारी की नींव रखेंगे।

थाईलैंड-चीन निर्वासन प्रकरण: उइगर समुदाय पर बढ़ी वैश्विक चिंता

संदर्भ:

हाल ही में थाईलैंड में हिरासत में रखे गए लगभग 40 उइगर पुरुषों के एक समूह को अंतरराष्ट्रीय विरोध के बावजूद चीन निर्वासित कर दिया गया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार चीन लौटने के बाद इन उइगर पुरुषों को कठोर दंड, मनमानी हिरासत और यहां तक कि मृत्युदंड जैसी गंभीर सजाओं का सामना करना पड़ सकता है।

उइगरों के बारे में:

- उइगर एक तुर्की भाषी मुस्लिम समुदाय है, जो चीन के पश्चिमी क्षेत्र शिंजियांग में निवास करता है।
- पिछले कुछ दशकों में, उइगर समुदाय के खिलाफ चीनी सरकार पर व्यापक दमन अभियान चलाने के आरोप लगे हैं। इनमें जबरन श्रम, जबरन नसबंदी, मनमानी गिरफ्तारी और सांस्कृतिक दमन जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
- अनुमानों के अनुसार, दस लाख से अधिक उइगरों को चीन के 'पुनर्शिक्षा शिविरों' में हिरासत में रखा गया है, जहाँ उन्हें अमानवीय व्यवहार, जबरन वैचारिक शिक्षा (Ideological Re-education) और अपनी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के प्रयासों का सामना करना पड़ता है।

थाईलैंड का पक्ष:

- एक दशक से अधिक समय से, थाईलैंड ने उइगर बंदियों के संबंध में एक जटिल कूटनीतिक स्थिति को संभाला है, अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन और अपने दीर्घकालिक सैन्य सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया है।

चीन का पक्ष:

- चीन ने उइगरों को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन निर्वासित व्यक्तियों को आतंकवाद से जोड़ने वाले सबूत पेश नहीं किए हैं।
- हालांकि उइगर कार्यकर्ता और पश्चिमी सरकारें तर्क देती हैं कि पुरुष निर्दोष हैं और अगर उन्हें वापस भेजा जाता है तो उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।

हालिया घटनाक्रम:

- दिसंबर 2024 में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आयोजित बैठक के बाद, उइगर बंदियों के निर्वासन का मुद्दा द्विपक्षीय वार्ता के केंद्र में आ गया। निर्वासन के फैसले को थाईलैंड द्वारा चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की एक कूटनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस फैसले की अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने आलोचना की है, जिन्होंने इस कदम से जुड़े संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर चिंता जताई है।

आगे की राह:

- निर्वासित व्यक्तियों के चीन पहुंचने के बाद, उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चीनी अधिकारियों ने अब तक उनकी स्थिति या वर्तमान हालात को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है। उइगर समुदाय से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों की पूर्व की रिपोर्टों को देखते हुए, उनके संभावित कारावास या जबरन श्रम में लगाए जाने को लेकर गंभीर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।
- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चीन से आग्रह किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप, निर्वासित व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करे। साथ ही, थाईलैंड की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों को मानवाधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अधिक सावधानी और पारदर्शिता के साथ संभालने की अपील की जा रही है।

भारत में बाघ अभयारण्यों का विस्तार: चुनौतियाँ, प्रयास और वैश्विक भागीदारी

हाल ही में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। इस निर्णय से रणथंभौर-कुनो-माधव राष्ट्रीय उद्यान गलियारे में संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलने की सम्भावना है, जिसे बाघों की आबादी के संरक्षण और वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण आवास माना जाता है। नव घोषित बाघ अभयारण्य 1,651 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और वर्तमान में इसमें एक शावक सहित छह बाघ मौजूद हैं। यह पहल प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत की व्यापक संरक्षण रणनीति के अनुरूप है, जिसने देश भर में बाघों की आबादी को सुरक्षित रखने और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रोजेक्ट टाइगर का ऐतिहासिक संदर्भ :

- भारत में बड़े जानवरों का शिकार करना एक प्राचीन प्रथा थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान शिकार एक व्यापक और संगठित गतिविधि बन गया। स्वतंत्रता के बाद भी, भारतीय अभिजात वर्ग और विदेशी पर्यटकों के बीच शिकार जारी रहा, जिससे बाघों की आबादी में भारी गिरावट आई। 1960 के दशक तक, कृषि विस्तार और तेजी से वनों की कटाई के कारण बाघों की संख्या में खतरनाक रूप से कमी स्पष्ट हो गई।
- इस संकट को पहचानते हुए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 1969 में बाघ की खाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। उसी वर्ष, दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की 10वीं सभा में बाघों को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया और उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद, भारतीय वन्यजीव बोर्ड में एक सरकारी टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य बाघ संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करना था।
- इस टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर, अप्रैल 1973 में "प्रोजेक्ट टाइगर" शुरू किया गया। यह पहल 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद आई। शुरुआत में इसे छह वर्ष के लिए एक विशेष परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक दीर्घकालिक संरक्षण कार्यक्रम में बदल दिया गया, जिसका उद्देश्य बाघों की सतत् (Viable) आबादी को बनाए रखना और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना था।

बाघ अभयारण्यों की स्थापना और उद्देश्य:

- प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत नौ बाघ अभयारण्यों की स्थापना के साथ हुई: मानस (असम), जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड), कान्हा (मध्य प्रदेश), पलामू (झारखंड), रणथंभौर (राजस्थान), सिमलीपाल (ओडिशा), मेलघाट (महाराष्ट्र), बांदीपुर (कर्नाटक) और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)। इन अभयारण्यों को उन क्षेत्रों में स्थापित किया गया जहां पहले से राष्ट्रीय उद्यान मौजूद थे। इन्हें केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- बाघ अभयारण्यों को दोहरे क्षेत्र संरचना के साथ डिजाइन किया गया था:
  - **कोर क्षेत्र:** ये क्षेत्र सख्त रूप से संरक्षित होते हैं, वृक्षों की कटाई, पशुओं के चरने और मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है (संरक्षण कर्मियों को छोड़कर)।
  - **बफर जोन:** यहां सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती हैं। इनका उद्देश्य संरक्षण प्रयासों को समर्थन देना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है।
- 2005-06 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के

बाद, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority - NTCA) का गठन किया गया। यह एक वैधानिक निकाय है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और संरक्षण नीतियों को मजबूत बनाता है।

भारत में बाघों का वितरण:

- भारत में बाघों की नवीनतम अनुमानित जनसंख्या (2022-23) 3,681 है, जिसमें संभावित संख्या 3,167 से 3,925 के बीच मानी गई है। ये बाघ लगभग 89,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो जॉर्डन के आकार के बराबर और ऑस्ट्रिया से भी बड़ा है।
- भारत में बाघों के वितरण को कई परिदृश्यों में वर्गीकृत किया गया है:
  - » शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदान
  - » मध्य भारतीय उच्चभूमि और पूर्वी घाट
  - » पश्चिमी घाट
  - » उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान
  - » सुंदरवन
- उल्लेखनीय बाघ अभयारण्यों में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे अधिक बाघ आबादी (260) है, इसके बाद बांदीपुर (150), नागरहोल (141), बांधवगढ़ (135), दुधवा (135), मुदुमलाई (113), कान्हा (105), काजीरंगा (104), सुंदरबन (100), ताडोबा-अंधारी (97), सत्यमंगलम (85), और पेंच (77) हैं। राज्य स्तर पर, मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटक (563), उत्तराखंड (560) और महाराष्ट्र (444) का स्थान है।

बाघ संरक्षण की चुनौतियाँ:

- प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के बावजूद, भारत में बाघ संरक्षण को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - » भारत के 26 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ बाघों की स्थिर आबादी 50 से अधिक है।
  - » अन्य 27 टाइगर रिजर्व कम बाघ घनत्व (Low Tiger Density) की समस्या से जूझ रहे हैं।
  - » 2022 की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि 16 टाइगर रिजर्व में या तो कोई बाघ नहीं है, केवल नर आबादी है, या पाँच से कम बाघ हैं। ये रिजर्व मुख्य रूप से यहाँ स्थित हैं:
    - ➢ अरुणाचल प्रदेश
    - ➢ छत्तीसगढ
    - ➢ झारखंड
    - ➢ महाराष्ट्र
    - ➢ तेलंगाना
    - ➢ ओडिशा
- विशेष रूप से ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बाघों की आबादी स्थिर रही है, घटी है या स्थानीय रूप से विलुप्त हो गई है। उदाहरण के लिए, ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघ विलुप्त हो गए हैं।

संरक्षण चुनौतियों के प्रमुख कारण:

- 2006-2018 के बीच साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, बाघों के संरक्षण में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
  - » **खराब सामाजिक-आर्थिक स्थितियां:** स्थानीय समुदाय जीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर हैं, जिससे अवैध कटाई और शिकार की घटनाएँ बढ़ती हैं।
  - » **राजनीतिक अस्थिरता और उग्रवाद:** कई बाघ अभयारण्य संघर्षग्रस्त (conflict-prone) क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां नक्सलवाद और उग्रवाद के कारण संरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो जाता है।
  - » **खनन और विकासात्मक दबाव:** बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ (Infrastructure Projects), वनों की कटाई (Deforestation) और औद्योगिक विस्तार बाघों के आवासों को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

» **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** वन क्षेत्रों में मानव बस्तियों के विस्तार से बाघों और स्थानीय समुदायों के बीच मुठभेड़ें बढ़ जाती हैं।

» **सीमित मुख्य आवास उपलब्धता:** अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 25% बाघ मुख्य कोर क्षेत्रों (Core Areas) में रहते हैं, जबकि बफर ज़ोन (Buffer Zone) में मात्र 20% बाघ पाए जाते हैं।

वैश्विक प्रयास और भारत की भूमिका:

- **ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ):** 1994 में स्थापित ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) बाघ संरक्षण के लिए समर्पित एकमात्र अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह 14 बाघ-आवासी (tiger-range) देशों के बीच संरक्षण नीतियों के समन्वय में कार्य करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
  » बाघ संरक्षण के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना।
  » संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार एवं सुधार करना।
  » सीमापार संरक्षण पहल विकसित करना।
- **ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (GTI) और Tx2 कार्यक्रम:**
  » ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (GTI) को 2008 में विश्व बैंक द्वारा संरक्षण समूहों और सरकारों के सहयोग से शुरू किया गया था। 2010 में, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 13 बाघ-आवासी देशों के नेताओं ने Tx2 लक्ष्य को अपनाया, जिसका उद्देश्य 2006 के आधार वर्ष के मुकाबले 2022 तक वैश्विक बाघ आबादी को दोगुना करना था। भारत ने इस लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले प्राप्त कर लिया, जिससे बाघ संरक्षण में उसकी अग्रणी भूमिका और अधिक सशक्त हो गई।

निष्कर्ष:

माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में शामिल किया जाना देश के सतत संरक्षण प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, बाघों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवास विखंडन , मानव अतिक्रमण, और पारिस्थितिक क्षरण जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है। भारत की बाघ संरक्षण नीति को और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

- संरक्षण नीतियों को और अधिक मजबूत बनाना।
- प्रमुख आवासों का विस्तार और सुधार करना।
- बफर ज़ोन में स्थानीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना, ताकि संरक्षण प्रयासों को जनसमर्थन मिले।

वन, खाद्य और स्थिरता के लिए भारत का एकीकृत दृष्टिकोण

सन्दर्भ:

वन, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग हैं, जोकि दुनिया भर के लिए , भोजन, औषधीय संसाधन और आजीविका का स्रोत हैं। वे प्राकृतिक कार्बन सिंक (Natural Carbon Sink) के रूप में कार्य करते हैं, जलवायु को विनियमित करने में सहायक होते हैं और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। अपने पारिस्थितिक महत्व से अलग, वन वैश्विक खाद्य सुरक्षा (Global Food Security) में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे फल, बीज, कंद, जड़ें जैसे संसाधन प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से स्वदेशी (Indigenous) एवं ग्रामीण समुदायों के लिए जीवनोपयोगी हैं।

वनों के महत्व को समझते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में वन संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिवस की प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट थीम निर्धारित की जाती है। वर्ष 2025 की थीम "वन और भोजन" (Forests and Food) है, जो वनों और खाद्य सुरक्षा के मध्य गहरे संबंध को उजागर करती है। यह पोषण उपलब्ध कराने, आजीविका बनाए रखने तथा पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने में वनों की भूमिका पर बल देती है। भारत अपने विस्तृत वन क्षेत्र और समृद्ध जैव विविधता के कारण न केवल पर्यावरणीय स्थिरता में बल्कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने वनों को खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और आर्थिक विकास से जोड़ते हुए उनके सतत प्रबंधन और संरक्षण के लिए विभिन्न पहलें लागू की हैं।

भारत में वानिकी: स्थिति और मुख्य अंतर्दृष्टि

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report - ISFR) 2023 के अनुसार, देश में एक समृद्ध और विविध वन पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इसके कुल भूमि क्षेत्र का 21.71% भाग कवर करता है। भारत के वन भौगोलिक और जलवायु

विविधताओं को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन (Tropical Rainforests), पर्णपाती वन (Deciduous Forests), मैंग्रोव (Mangroves), अल्पाइन वन (Alpine Forests) और कांटेदार वन (Thorn Forests) प्रमुख हैं।

भारत में वन एवं वृक्ष आवरण:

- **कुल वन एवं वृक्ष आवरण :** 8,27,357 वर्ग किमी (भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%)।
- **वृक्ष आवरण:** 1,12,014 वर्ग किमी.
- **वन क्षेत्र में वृद्धि:** 2021 की तुलना में वन क्षेत्र में 156 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।
- **सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य:** मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र।
- **वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य (2021 से):** छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान।

कार्बन स्टॉक और पर्यावरणीय प्रभाव:

- भारत के वन कुल 7,285.5 मिलियन टन कार्बन संग्रहित करते हैं, जो 2.29 बिलियन टन के कार्बन सिंक (Carbon Sink) में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने में अहम भूमिका निभाता है।

वनों का आर्थिक योगदान:

- वन निम्नलिखित माध्यमों से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं:
  - **इमारती लकड़ी (Timber) और गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद:** बांस, शहद, राल (Resin), औषधीय पौधे और अन्य वन उत्पाद स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
  - **पारिस्थितिकी पर्यटन (Ecotourism):** वन क्षेत्रों में पर्यटन राजस्व और रोजगार सृजन में सहायक है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
  - **जनजातीय और ग्रामीण आजीविका:** अनेक जनजातीय और ग्रामीण समुदाय आजीविका और आय के लिए वन उपज पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।

भारत में संरक्षण प्रयास:

- टिकाऊ वन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भारत ने कई योजनायें और पहलों को लागू किया है, जिनमें शामिल हैं:
  - **राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी):** यह कार्यक्रम वनरोपण और पुनर्वनरोपण परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है।
  - **ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम):** इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाते हुए वन क्षेत्र को बहाल करना और विस्तारित करना है।
  - **संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम):** वन संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करता है।

वन संरक्षण के लिए प्रमुख सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (2014):** कृषि वानिकी एक स्थायी भूमि उपयोग प्रणाली है जो मिट्टी की उर्वरता, कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार के लिए पेड़ों और फसलों को एकीकृत करती है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए, भारत ने कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति शुरू की।
- **योजना के उद्देश्य:**
  - जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करना।
  - वृक्ष-फसल एकीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
  - बाजार और आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके किसानों की आय

में सहायता करना।

- **कार्यान्वयन रणनीति:**
  - » नर्सरियों और ऊतक संवर्धन (Tissue Culture) के माध्यम से गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (Quality Planting Material - QPM) का उत्पादन और वितरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में आईसीएआर - केन्द्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR- Central Agroforestry Research Institute - CAFRI) तकनीकी सहायता, प्रमाणन और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **बाज़ार और आर्थिक सहायता:**
  - » किसानों को खेत में उगाए गए पेड़ों के लिए मूल्य की गारंटी और वापस खरीदने का विकल्प मिलता है।
  - » यह योजना कृषि वानिकी विपणन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
  - » यह कार्यक्रम वृक्ष-आधारित कृषि प्रणालियों (Tree-Based Farming Systems) में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने का समर्थन करती है, जिससे सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम):** ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापना (Restoration) और संवर्धन (Enhancement) करना है।
- **मिशन लक्ष्य:**
  - » वन/वृक्ष आवरण को 5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना तथा इसके अतिरिक्त 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वनों की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना।
  - » कार्बन भंडारण, जल प्रबंधन और जैव विविधता को बढ़ावा देना।
  - » वन-आधारित आय के माध्यम से 3 मिलियन परिवारों की आजीविका में सुधार करना।
- **उप-मिशन:**
  - » **वन क्षेत्र को बढ़ाना:** वन गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना।
  - » **पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली:** क्षरित भूमि (Degraded Land) पर पुनः वनरोपण।
  - » **शहरी हरियाली:** शहरों और शहरी क्षेत्रों में पेड़ लगाना।
  - » **कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी:** कार्बन सिंक का निर्माण।
  - » **आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन:** महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को पुनर्जीवित करना।
- **वित्तपोषण एवं व्यय:**
  - » जुलाई 2024 तक, 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 155,130 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 909.82 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- **वन की आग निवारण एवं प्रबंधन योजना:** यह केन्द्र प्रायोजित योजना राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने में सहायता करती है।
- **उद्देश्य:**
  - » वनों में आग लगने की घटनाओं को कम करना तथा प्रभावित क्षेत्रों को पुनः बहाल करना।
  - » वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना।
  - » आग की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना।
- **कार्यान्वयन:**
  - » भारतीय वन सर्वेक्षण ने वास्तविक समय पर आग की घटनाओं का पता लगाने के लिए उपग्रह आधारित वन अग्नि निगरानी और चेतावनी प्रणाली विकसित की है।
  - » त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अधिकारियों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आग की चेतावनी भेजी जाती है।
- **प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई):** जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा 2018 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य लघु वनोपज (एमएफपी) के मूल्य में वृद्धि करके जनजातीय समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देना है।
- **वन धन विकास केन्द्र (वीडीवीके):**
  - » प्रत्येक केन्द्र में 15 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 300 सदस्य हैं।
  - » ये वन उपज के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए प्रसंस्करण केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं।
- **वित्तीय सहायता:**
  - » सरकार द्वारा प्रति केन्द्र 15 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं।
  - » स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय सदस्य 1,000 रुपये का योगदान करते हैं।
  - » जनजातीय उत्पादों के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और वैश्विक बाजार तक पहुंच का समर्थन करता है।
- **कार्यान्वयन चरण:**
  - » चरण I – बुनियादी सुविधाओं के साथ 6,000 केन्द्रों की

स्थापना।
   » चरण II – भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ विस्तार करना।
- **प्रभाव और लाभ:**
   » जनजातीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका।
   » वन संरक्षण एवं वनों की कटाई में कमी।
   » जनजातीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और कम प्रवासन।

निष्कर्ष:

वन संरक्षण और स्थायित्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, हरित भारत मिशन, वन अग्नि निवारण योजना और वन धन योजना जैसी विभिन्न नीतियों और पहलों के माध्यम से स्पष्ट है। ये कार्यक्रम वन पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल और संरक्षित करने, आजीविका को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 पर, वनों को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में पहचानना और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना आवश्यक है। सामुदायिक भागीदारी, नीतिगत सुधारों और संरक्षण प्रयासों को एकीकृत करके, भारत एक हरित, स्वस्थ और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर निरंतर अग्रसर है।

संक्षिप्त मुद्दे

भारत में पहली बार डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण

संदर्भ:

भारत में पहली बार किए गए विस्तृत डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण ने देश की प्रमुख नदी घाटियों में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन का अनुमान प्रस्तुत किया है। 2021 से 2023 के बीच संपन्न इस सर्वेक्षण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में 6,324 गंगा डॉल्फिन और पंजाब की ब्यास नदी में 3 सिंधु नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। यह अध्ययन भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, झारखंड और राजस्थान के राज्य वन विभागों के साथ मिलकर, आरण्यक, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF), टर्टल सर्वाइवल एलायंस और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से किया।

मुख्य निष्कर्ष:

- अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है। विशेष रूप से, गंगा की मुख्य धारा में औसतन 3,275 डॉल्फिन, गंगा की सहायक नदियों में 2,414, ब्रह्मपुत्र की मुख्यधारा में 584, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 412 और ब्यास नदी में 101 डॉल्फिन थीं।

गणना की पद्धति:

- नदी में डॉल्फिन की गणना करना चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि वे पानी के नीचे निवास करती हैं। इस अध्ययन में हाइड्रोफोन (पानी के नीचे के माइक्रोफोन) का उपयोग करके डॉल्फिन की इकोलोकेशन के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज की गई।
- इसके अतिरिक्त, नाव पर तैनात दो स्वतंत्र पर्यवेक्षक दलों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक डॉल्फिन की गिनती सिर्फ एक बार हो। त्रिकोणीय निर्धारण विधि (Triangulation Method) और नाव की निरंतर गति (Constant Speed) ने गणना की सटीकता बढ़ाई।

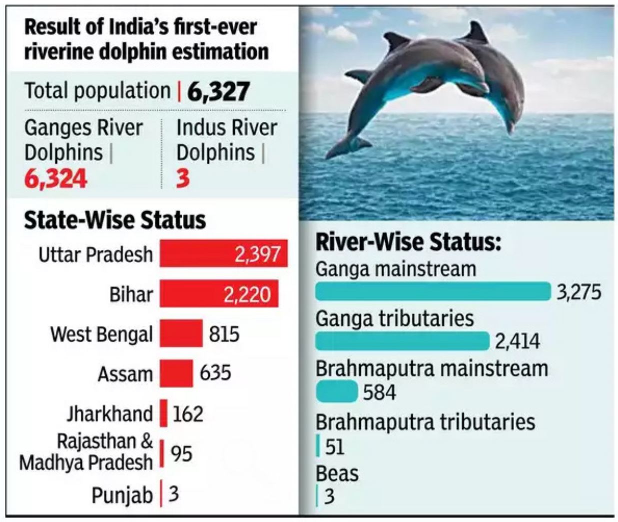

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम: प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका
- इसे 'सुसु' या गंगा का बाघ भी कहा जाता है।
- इसकी लंबी पतली थूथन (Snout) और बड़े पंख (Flippers) इसे विशिष्ट बनाते हैं और इसके तैरने की विशेष शैली में सहायक होते हैं।
- इसके सिर के शीर्ष पर स्थित ब्लोहोल (Blowhole) इसकी श्वसन क्रिया में सहायता करता है।
- शिकार और नेविगेशन के लिए यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करती है। सतह पर सांस लेने के दौरान यह विशेष "सुसु" ध्वनि

निकालती है।

- मादा गंगा डॉल्फिन, नर से आकार में बड़ी होती हैं और आमतौर पर हर 2-3 साल में एक बच्चा जन्म देती हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - » **IUCN:** संकटग्रस्त
  - » **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम:** अनुसूची-I
  - » **CITES:** परिशिष्ट I
- **मुख्य खतरे:**
  - » अनजाने में शिकार
  - » डॉल्फिन के तेल का अवैध व्यापार
  - » नदी आवास का विनाश और प्रदूषण
  - » बांधों और बैराज के कारण जनसंख्या विखंडन
- **संरक्षण प्रयास:**
  - » विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य (बिहार) भारत का एकमात्र समर्पित डॉल्फिन अभयारण्य है।
  - » प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया है, का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विशेष उपाय लागू करना है।
  - » 5 अक्टूबर, 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया, और इसी दिन को अब हर वर्ष राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

निष्कर्ष:

यह पहला आधिकारिक अनुमान गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या स्थिति पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है और इसके दीर्घकालिक संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस सर्वेक्षण की सफलता नदी पारिस्थितिकी तंत्र को समझने और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा हेतु भारत के वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

माधव राष्ट्रीय उद्यान बना भारत का 58वाँ बाघ अभयारण्य

संदर्भ:

हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वाँ बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह निर्णय देश में बाघ संरक्षण प्रयासों को सशक्त बनाने और उनके आवासों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- 375.233 वर्ग किमी में फैले इस उद्यान में शुष्क पर्णपाती वनों, घास के मैदानों और जल निकायों सहित विविध पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते है।
- यह क्षेत्र विविध वन्यजीव प्रजातियों का निवास स्थान है, जिनमें बाघ, तेंदुए, सुस्त भालू और विभिन्न पक्षी शामिल हैं, जो इसे संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है।
- माधव राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिक विविधता क्षेत्र के समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बाघ अभयारण्य का महत्व:

- माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का एक मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव गलियारों को मजबूत करना है। यह गलियारे खंडित बाघ आबादी को जोड़ने और आनुवंशिक आदान-प्रदान की अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
- इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र के समग्र पारिस्थितिक संतुलन को बेहतर बनाना भी है, जिससे वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ होगा।

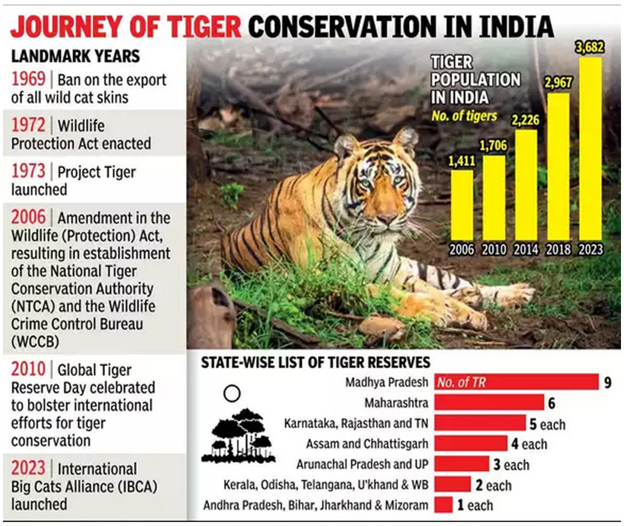

भारत में बाघ अभयारण्यों के बारे में:

- भारत में बाघ अभयारण्य विशेष रूप से बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए नामित संरक्षित क्षेत्र हैं। ये रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए हैं, जिसे 1973 में भारत सरकार ने लुप्तप्राय बंगाल बाघ आबादी की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया था।
- बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो बाघों को कानूनी संरक्षण और पारिस्थितिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- 2025 तक, भारत में विभिन्न राज्यों में फैले 58 बाघ अभयारण्य हैं। ये रिजर्व सामूहिक रूप से लगभग 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 2.3% से अधिक है। सबसे हाल ही में मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की देखरेख और बाघ अभयारण्यों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

- NTCA राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कानूनी सुरक्षा लागू करता है और बाघों की आबादी की निगरानी करता है ताकि उनकी सतत वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए पहल:

भारत के बाघ संरक्षण प्रयासों को कई पहलों से बल मिला है:

- **प्रोजेक्ट टाइगर:** 1973 में शुरू किया गया, यह बाघ संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- **बाघ जनगणना:** भारत में बाघों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए किया जाने वाला एक आवधिक सर्वेक्षण।
- **M-STrIPES:** बाघ अभयारण्यों में गश्त गतिविधियों को ट्रैक करने और सुधारने के लिए एक निगरानी प्रणाली।
- **बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा:** भारत और अन्य बाघ-क्षेत्रीय देशों द्वारा 2022 तक वैश्विक बाघ आबादी को दोगुना करने की प्रतिबद्धता (TX2 पहल)।

निष्कर्ष:

भारत में दुनिया की 70% से अधिक जंगली बाघ आबादी रहती है, जिसमें 3,682 बाघ हैं। देश के बाघ संरक्षण प्रयासों में पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आया है, जिसमें शिकार और व्यापार पर शुरुआती प्रतिबंध से लेकर कानूनी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामुदायिक भागीदारी से जुड़ी बहुआयामी संरक्षण रणनीतियाँ शामिल हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित करना पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024

संदर्भ:

हाल ही में स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया भर में खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण को उजागर किया गया है। यह दर्शाता है कि भारत अब भी गंभीर प्रदूषण का सामना कर रहा है, जहां दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर स्थित हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- भारत वैश्विक वायु प्रदूषण संकट में अग्रणी बना हुआ है, जहां कई शहर अत्यधिक उच्च स्तर के हानिकारक प्रदूषकों का अनुभव कर रहे हैं। रिपोर्ट में तेज औद्योगीकरण, कृषि प्रथाओं और वाहन उत्सर्जन के निरंतर प्रभाव को उजागर किया गया है, जिससे देश भर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है।
- दिल्ली लगातार छह वर्षों से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है:
  - » दिल्ली लगातार छठे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में सूचीबद्ध की गई है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अन्य शहरों से भी अधिक प्रदूषित है। शहर का वार्षिक PM2.5 स्तर 91.6 µg/m³ दर्ज किया गया, जो अत्यधिक खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और देश के कुल प्रदूषण स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

PM2.5 के औसत स्तर में गिरावट:

- 2024 में भारत के औसत PM2.5 स्तर में हल्की सुधार देखने को मिली, जो 550.6 µg/m³ था। यह 2023 के 54.4 µg/m³ से 7% कम है। हालांकि यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह अभी भी WHO द्वारा अनुशंसित सीमा से बहुत अधिक है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रदूषण से निपटने के लिए अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

Most Polluted Cities in the World in 2024

1. Byrnihat, India	11. Peshawar, Pakistan
2. Delhi, India	12. Sialkot, Pakistan
3. Karaganda, Kazakhstan	13. Gurugram, India
4. Mullanpur, India	14. Ganganagar, India
5. Lahore, Pakistan	15. Hotan, China
6. Faridabad, India	16. Greater Noida, India
7. N'Djamena, Chad	17. Bhiwadi, India
8. Loni, India	18. Muzaffarnagar, India
9. New Delhi, India	19. Hanumangarh, India
10. Multan, Pakistan	20. Noida, India

भारत के सबसे प्रदूषित शहर:

- मेघालय का बर्नीहाट (Byrnihat) 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया, जहां वार्षिक PM2.5 स्तर 128.2 µg/m³ दर्ज किया गया, जो WHO द्वारा अनुशंसित सीमा से 25 गुना अधिक है।
- भारत दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 शहरों के साथ वायु गुणवत्ता संकट में सबसे आगे बना हुआ है।

प्रमुख प्रदूषण स्रोत:

- प्रमुख प्रदूषण कारणों में फसल अवशेष जलाना (पराली जलाना) शामिल है, जो पीक सीजन में PM2.5 प्रदूषण का लगभग 60% योगदान देता है। अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों में वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण स्थलों से उत्पन्न धूल शामिल हैं, जो भारतीय शहरों को स्वच्छ वायु मानकों को प्राप्त करने से रोकते हैं।

दूषित हवा के संपर्क में पूरी दुनिया:

- रिपोर्ट के अनुसार, केवल 12 देश, क्षेत्र और प्रदेश, जो मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया में स्थित हैं,

WHO की वार्षिक PM2.5 सीमा को पूरा करते हैं।

- दुनिया के 8,954 शहरों में से केवल 17% शहर WHO के PM2.5 दिशानिर्देशों को पूरा कर पाए, जिससे वायु गुणवत्ता मानकों के व्यापक उल्लंघन का पता चलता है।
- दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में मुख्य रूप से भारत, कजाकिस्तान, चाड, पाकिस्तान और चीन के शहर शामिल हैं, जिनका प्रदूषण स्तर WHO सीमा से 10 गुना अधिक दर्ज किया गया, जिससे वैश्विक वायु प्रदूषण संकट उजागर होता है।

सबसे प्रदूषित देश (2024):

- 2024 में वार्षिक औसत PM2.5 सांद्रता के आधार पर पांच सबसे प्रदूषित देश निम्नलिखित हैं:
  - चाड: 91.8 $\mu g/m^3$
  - बांग्लादेश: 78 $\mu g/m^3$
  - पाकिस्तान: 73.7 $\mu g/m^3$
  - कांगो: 58.2 $\mu g/m^3$
  - भारत: 50.6 $\mu g/m^3$

निष्कर्ष:

वायु प्रदूषण केवल भारत की समस्या नहीं है, यह पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। 2024 की रिपोर्ट यह दिखाती है कि वैश्विक स्तर पर बड़ी आबादी असुरक्षित वायु प्रदूषण स्तर के संपर्क में है, और कई देश WHO द्वारा अनुशंसित PM2.5 सीमा (5 $\mu g/m^3$ को पूरा करने में असमर्थ हैं। हालांकि PM2.5 स्तर में कुछ कमी आई है, लेकिन प्रदूषण के मूल कारणों को हल करने के लिए और अधिक ठोस एवं व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। नीतियों को सख्त बनाना, उनके कार्यान्वयन में सुधार करना और स्वच्छ तकनीकों में निवेश करना वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

विलुप्त होने के कगार पर हेलिकोनिया प्रजातियाँ

संदर्भ:

हाल ही में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले हेलिकोनिया पौधों (चमकीले फूलों के कारण प्रसिद्ध) की लगभग आधी प्रजातियाँ विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं। अध्ययन के अनुसार, इन प्रजातियों में से कई संरक्षित क्षेत्रों और वनस्पति उद्यानों में नहीं पाई जातीं। यह स्थिति इनके संरक्षण के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाती है।

हेलिकोनिया प्रजाति के बारे में:

- हेलिकोनिया एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसमें 187 प्रजातियाँ शामिल हैं। इनमें से अधिकांश मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाई जाती हैं, जबकि कुछ प्रजातियाँ प्रशांत द्वीपों की मूल निवासी हैं। ये पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये चमगादड़ और हमिंगबर्ड जैसे परागणकर्ताओं के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं।
- हेलिकोनिया पौधे मोटे, ईख जैसे तने वाले बारहमासी जड़ी-बूटियाँ हैं। इनके पत्ते केले के समान होते हैं और तांबे जैसी चमक प्रदर्शित कर सकते हैं। पत्तियों की मध्य शिरा अक्सर हाथीदांत या गुलाबी होती है।
- पौधे बड़े, मोमी ब्रैक्ट्स उत्पन्न करते हैं, जो एक ही तल में वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित होते हैं और कई छोटे फूलों को सहारा देते हैं। इनके पुष्पक्रम लटके हुए या सीधे हो सकते हैं, और इनमें लाल, नारंगी, पीले तथा हरे जैसे विभिन्न रंगों के फूल खिलते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- इस अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने 45 हेलिकोनिया प्रजातियों की एक सूची तैयार की, जिन्हें अतिरिक्त संरक्षण उपायों की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- शोध के निष्कर्षों के अनुसार, हेलिकोनिया की 87 प्रजातियाँ (कुल जीनस का 47%) विलुप्ति के कगार पर हैं, जो इसकी जैव विविधता के लिए एक गंभीर संकेत है।
- विशेष रूप से चिंताजनक तथ्य यह है कि, एक अपवाद को छोड़कर, ये सभी संकटग्रस्त प्रजातियाँ केवल कुछ संरक्षित वन क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। इसके अतिरिक्त, वनस्पति उद्यानों में उगाए जाने वाले अधिकांश हेलिकोनिया नमूने IUCN रेड लिस्ट में 'कम जोखिम' (Least Concern) श्रेणी में आते हैं।
- अब तक, केवल कुछ हेलिकोनिया प्रजातियों का व्यवस्थित रूप से संरक्षण मूल्यांकन किया गया है। वर्तमान में, केवल 21 प्रजातियाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल हैं, जो इस जीनस की वास्तविक संरक्षण आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है।
- हेलिकोनिया प्रजातियाँ प्राकृतिक आवास के क्षरण, आक्रामक प्रजातियों के प्रसार और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं। वर्तमान में, इन पौधों की जंगली आबादी पर

सीमित डेटा उपलब्ध है, जिससे इनके संरक्षण प्रयासों में चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

निष्कर्ष:

यह शोध दर्शाता है कि हेलिकोनिया प्रजातियों के संरक्षण के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। ये प्रजातियाँ न केवल पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जैव विविधता को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में, IUCN रेड लिस्ट में हेलिकोनिया की केवल 21 प्रजातियाँ शामिल हैं, जबकि वास्तविक रूप से इन पौधों के संरक्षण के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु एक सुसंगत और प्रभावी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, विशेष रूप से उन प्रजातियों के लिए जो संरक्षित क्षेत्रों और वनस्पति उद्यानों के बाहर पाई जाती हैं।

दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य भारत की कृषि जैव विविधता को संरक्षित करना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। वित्त मंत्रालय ने 2025-26 के बजट में इस दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना का प्रावधान किया है। यह नई सुविधा 10 लाख (1 मिलियन) अनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करने में सक्षम होगी। इससे भारत की पादप आनुवंशिक संसाधनों को सुरक्षित रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।

जीन बैंक:

- जीन बैंक एक ऐसी सुविधा है, जहाँ विभिन्न पौधों की प्रजातियों से बीज, पराग (Pollen), ऊतक जैसे आनुवंशिक नमूने संग्रहित और संरक्षित किए जाते हैं। जीन बैंक का प्राथमिक उद्देश्य इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना और भविष्य में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण किस्मों को संरक्षित करना है। यह संग्रहीत आनुवंशिक सामग्री बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलों के अनुसंधान, संरक्षण और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत के पहले जीन बैंक के बारे में:

- भारत का पहला जीन बैंक 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR) द्वारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।
- इसके देश भर में 12 क्षेत्रीय स्टेशन हैं, जहाँ महत्वपूर्ण फसल जर्मप्लाज्म को इकट्ठा करके संग्रहीत किया जाता है, जिसमे कृषि नवाचार और जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक आनुवंशिक सामग्री है।
- जनवरी 2025 तक लगभग 0.47 मिलियन एक्सेसन (Sample Units) संग्रहित किए जा चुके हैं। इसमें प्रमुख फसलें जैसे - अनाज, बाजरा, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ शामिल हैं।

दूसरे जीन बैंक का महत्व:

- दूसरे जीन बैंक का निर्माण वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नई सुविधा न केवल भारत के अमूल्य पादप आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पहलों को भी बढ़ावा देगी।
- सार्क और ब्रिक्स क्षेत्रों के देशों के साथ सहयोग करके, दूसरा जीन बैंक दुनिया भर में जैव विविधता संरक्षण प्रयासों का समर्थन करेगा, उन देशों की सहायता करेगा जिनके पास स्थापित पादप आनुवंशिक संसाधन नेटवर्क की कमी हो सकती है।

चुनौतियाँ और अवसर:

- भारत की कृषि जैव विविधता जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से बढ़ते खतरों का सामना कर रही है। दूसरे जीन बैंक का निर्माण, भारत के इन दुर्लभ और बहुमूल्य पौधों की किस्मों को सुरक्षित रखने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैयार करता है, जिससे इन चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- यह सुविधा एक फेल-सेफ (अंतिम सुरक्षा उपाय) के रूप में काम करेगी, ताकि हमारी महत्वपूर्ण पौधों की आनुवंशिक संपदा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इन संसाधनों की सुरक्षा के जरिए, दूसरा जीन बैंक वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा और तेजी से बदलते पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों का सामना करने में अहम भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष:

दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना भारत में कृषि जैव विविधता को संरक्षित करने और खाद्य के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह टिकाऊ कृषि प्रणालियों, कृषि नवाचार और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह पहल न केवल भावी पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने और जैव विविधता के लिए खतरों से निपटने के वैश्विक प्रयास में भी योगदान देगी।

अमेरिका में तितलियों की आबादी में भारी गिरावट

संदर्भ:

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक

चिंताजनक प्रवृत्ति उजागर हुई है, जिसमें पिछले दो दशकों में की तितलियों की आबादी में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से कीटनाशकों, जलवायु परिवर्तन और आवास क्षरण को उत्तरदायी माना गया है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- "साइंस" पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन ने 35 निगरानी कार्यक्रमों द्वारा किए गए 76,957 सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया और अमेरिका के निचले 48 राज्यों (अलास्का और हवाई को छोड़कर) में 12.6 मिलियन से अधिक तितलियों की गणना की।
- परिणामों से तितलियों की आबादी में निरंतर गिरावट का खुलासा हुआ, जिसमें साल 2000 से औसतन 1.3% की वार्षिक कमी दर्ज की गई।
- कुछ प्रजातियों में 40% या उससे अधिक की गिरावट देखी गई, जबकि दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में तितली आबादी में 50% से अधिक की चौंकाने वाली गिरावट दर्ज की गई।

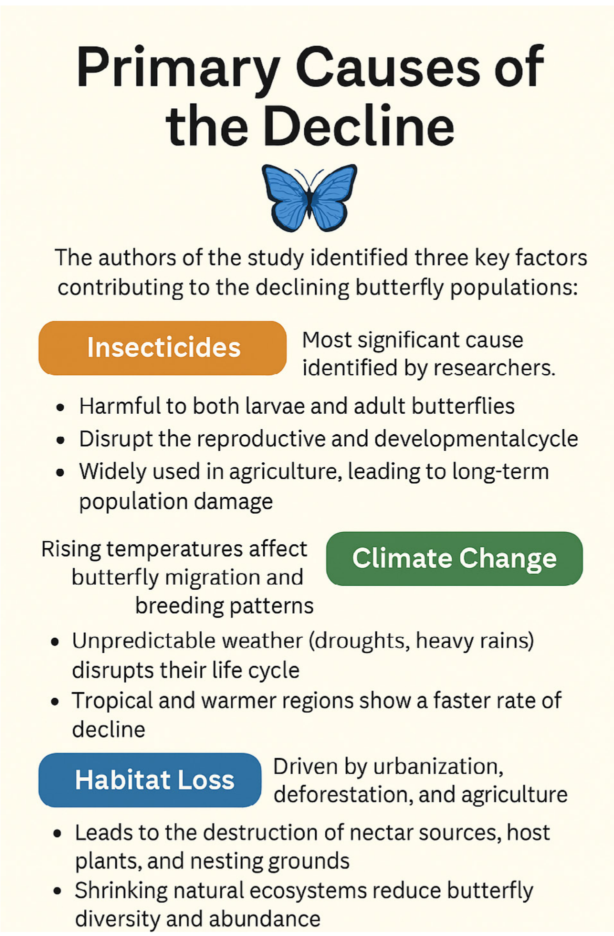

गिरावट के प्राथमिक कारण:

शोधकर्ताओं ने तितलियों की आबादी में गिरावट में योगदान देने वाले तीन प्रमुख कारकों की पहचान की:

- **कीटनाशक:** अध्ययन से पता चलता है कि कीटनाशक, जिनका पिछले कुछ वर्षों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा है, गिरावट का प्रमुख कारण हैं। ये रसायन तितली के लार्वा और वयस्क तितलियों के लिए हानिकारक हैं, जिससे उनका जीवन चक्र बाधित होता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के पैटर्न ने तितलियों के लिए पर्यावरण को कम अनुकूल बना दिया है, विशेषकर गर्म क्षेत्रों में जहां प्रजाति पहले से ही संघर्ष कर रही है।
- **आवास का नुकसान:** शहरीकरण, वनों की कटाई और कृषि विस्तार ने प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया है, जिससे तितलियों के लिए भोजन और घोंसले बनाने जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी हो गई है।

तितलियों की आबादी में गिरावट के निहितार्थ:

तितलियों की आबादी में गिरावट का पर्यावरण और मानव समाज दोनों पर गहरा असर पड़ता है:

- **परागण में महत्वपूर्ण भूमिका:** तितलियाँ परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कपास जैसी फसलों सहित कई पौधों के निषेचन में सहायता करती हैं। उनकी संख्या में गिरावट से कृषि उत्पादकता प्रभावित हो सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य:** तितलियों का लुप्त होना गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का संकेत देता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन को दर्शाता है, जो अन्य प्रजातियों को भी प्रभावित कर सकता है। तितलियों की घटती संख्या जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए एक चेतावनी है।
- **समाधान हेतु उपाय:** अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि यदि सही कदम उठाए जाएँ, तो तितली आबादी को बढ़ाया जा सकता है और उनके प्राकृतिक आवासों को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

आवास संरक्षण और पुनर्स्थापन:

- तितलियों के अनुकूल आवास विकसित करना और उनकी रक्षा करना आवश्यक है। बगीचों में देशी पौधे लगाना और लॉन के क्षेत्र को सीमित करना तितलियों के लिए भोजन और आश्रय उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है।
- **कीटनाशकों के उपयोग में कमी:** हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग को सीमित या समाप्त करने से तितलियों की आबादी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्ति और समुदाय इस दिशा में पहल करके तितलियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

निष्कर्ष:

अध्ययन के निष्कर्ष पर्यावरणीय चुनौतियों की गंभीरता को रेखांकित

करते हैं और यह दर्शाते हैं कि इनका प्रभाव केवल पारिस्थितिकी तंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव समाजों पर भी व्यापक रूप से पड़ता है। अतः, इन चुनौतियों के प्रभावी समाधान की आवश्यकता है।

पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य (1.5°C) खतरे में

संदर्भः

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के अध्यक्ष जिम स्की ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की वैश्विक आकांक्षा अब गंभीर रूप से खतरे में है।

पेरिस जलवायु समझौते के बारे में:

- पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित COP21 सम्मेलन में 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ।
- इस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य है:
    - » ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
    - » पेरिस समझौता हर पाँच साल में जलवायु लक्ष्यों की समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया पर आधारित है। इसके तहत, देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करते हैं, जिनमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन के लिए उनकी योजनाएँ शामिल होती हैं। प्रत्येक नया छक्क पिछले लक्ष्य से अधिक प्रभावी और महत्वाकांक्षी बनाया जाता है, ताकि जलवायु कार्रवाई को लगातार मजबूत किया जा सके।

जलवायु कार्रवाई में IPCC की भूमिकाः

- संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जलवायु की स्थिति पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करता है, जोकि सरकारों की नीतियों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं को दिशा देती हैं।
- IPCC की अगली रिपोर्ट, जो इसके तीन कार्य समूहों के निष्कर्षों का सार होगी, जलवायु संकट की गंभीरता को समझाने में मदद करेगी। यह रिपोर्ट 2029 की दूसरी छमाही में प्रकाशित होगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीतियों और वैश्विक प्रयासों के लिए एक मार्गदर्शक होगी।

प्रभाव और समाधान :

- यदि ग्लोबल वार्मिंग को 2°C के बजाय 1.5°C तक सीमित किया जाता है, तो स्थलीय, मीठे पानी और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे मानवता के लिए उनकी उपलब्धता सुरक्षित रहेगी।
- हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए ऊर्जा, परिवहन, उद्योग और कृषि जैसे सभी क्षेत्रों में तत्काल और व्यापक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी करनी होगी। अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और संधारणीय (sustainable) प्रथाओं को तेजी से अपनाना आवश्यक होगा।

आगे की राहः

जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। IPCC इस ओर ध्यान दिलाता है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव और 1.5°C लक्ष्य के अनुरूप प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन अब विलंबित नहीं किया जा सकता। इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए सरकारों, उद्योगों और व्यक्तियों को एकजुट होकर तेजी से प्रयास करने होंगे, ताकि जलवायु संकट के सबसे गंभीर प्रभावों को कम किया जा सके और एक सतत (sustainable) भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजातियाँ

संदर्भः

हाल ही में शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के केरल स्थित कोल्लम जिले

के शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजातियाँ खोजी हैं। इनका नाम एपिडेलैक्सिया फाल्सीफॉर्मिस एसपी. नोव. और एपिडेलैक्सिया पैलस्ट्रिस एसपी. नोव. रखा गया है। यह खोज भारत की जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

एपिडेलैक्सिया फाल्सीफॉर्मिस और एपिडेलैक्सिया पैलस्ट्रिस के बारे में:

- ये दोनों प्रजातियाँ एपिडेलैक्सिया जीनस से जुड़ी हैं। यह खोज इस जीनस की भौगोलिक सीमा को श्रीलंका से भारत तक विस्तारित करती है।
- यह खोज शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में फील्ड सर्वे (क्षेत्रीय अभियान) के दौरान की गई, जोकि अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

शारीरिक विशेषताएँ:

- प्रजातियाँ कुछ विशेष और अनोखी शारीरिक विशेषताएँ साझा करती हैं, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है:
  - **एपिडेलैक्सिया फाल्सीफॉर्मिस (नर):** इनका शरीर भूरा है, जिस पर पीले-भूरे रंग की पट्टी होती है।
  - **एपिडेलैक्सिया पैलस्ट्रिस (नर):** इनके शरीर के किनारों पर हल्की भूरे रंग की पट्टी पाई गई है।

पश्चिमी घाट के बारे में:

- पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैली एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक विस्तृत है।
- यह अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकती है, जिससे पश्चिमी ढलान पर भारी वर्षा और पूर्वी ढलान पर वर्षा छाया (Rain Shadow) क्षेत्र बनता है।
- **जैव विविधता हॉटस्पॉट:** यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें कई स्थानिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें पौधे, जानवर और कीड़े शामिल हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- **स्थानिक प्रजातियाँ:** यहाँ कई स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे:
  - नीलगिरि तहर
  - शेर-पूंछ वाला मकाक
  - मालाबार बड़े-धब्बेदार मेंढक
  - ऑर्किड की कई दुर्लभ प्रजातियाँ
- **पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा:** वनों की कटाई, खनन और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियाँ क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचा रही हैं, जिससे आवास का नुकसान हो रहा है और जैव विविधता में गिरावट आ रही है।
- **संरक्षण के प्रयास:** पेरियार, बांदीपुर और वायनाड जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करते हैं। पश्चिमी घाट को वैश्विक स्तर पर जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **महत्वपूर्ण दर्रे:** पलक्कड़ गैप एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो पश्चिमी तट को भारत के पूर्वी मैदानों से जोड़ता है।
- **सबसे ऊँची चोटी:** अनामुडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी ऊँचाई 2,695 मीटर है और यह एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है।

निष्कर्ष:

जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजातियों की खोज, भारत और पश्चिमी घाट की जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। यह खोज पश्चिमी घाट को जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित करती है, जहां अभी भी कई अज्ञात प्रजातियाँ विद्यमान हो सकती हैं। इस खोज से यह भी स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र का संरक्षण न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि पारिस्थितिकीय संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह खोज पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित करती है।

आइसलैंड का ओकजोकुल ग्लेशियर पूरी तरह विलुप्त

सन्दर्भ:

हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट चित्रों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि आइसलैंड का ओकजोकुल ग्लेशियर पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। वर्ष 2014 में इसे आधिकारिक रूप से 'मृत ग्लेशियर' घोषित किया गया था, जिसका प्रमुख कारण मानव-जनित जलवायु परिवर्तन माना गया।

ओकजोकुल ग्लेशियर के बारे में:

- आइसलैंड में ओक ज्वालामुखी पर स्थित ओकजोकुल एक

गुंबदाकार ग्लेशियर था, जो 1901 में लगभग 15 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ था। हालांकि, 1986 तक इसका आकार घटकर 1 वर्ग मील से भी कम रह गया।

- अंततः, वर्ष 2014 में, इसे मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण आधिकारिक रूप से श्मृत ग्लेशियरश घोषित किया गया, जिससे यह इस श्रेणी में आने वाला पहला ग्लेशियर बन गया। 2019 तक यह संकुचित होकर मात्र 0.4 वर्ग मील तक सीमित हो गया था।

ग्लेशियरः

- ग्लेशियर बर्फ के बड़े और स्थायी भंडार होते हैं, जो अपने भारी वजन और गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे-धीरे भूमि पर बहते हैं। ये उन्हीं स्थानों पर बनते हैं जहाँ पूरे वर्ष औसत तापमान शून्य के आसपास रहता है, जिससे बर्फ के पिघलने की दर अत्यंत धीमी होती है। सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी के कारण समय के साथ बर्फ का संचय बढ़ता रहता है, जिससे ग्लेशियर का निर्माण और विस्तार होता है।

ग्लेशियरों का महत्वः

- **जल भंडारः** ग्लेशियर पृथ्वी के लगभग 75% मीठे पानी का भंडार रखते हैं, जो कई क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं।
- **खाद्य प्रणालीः** पिघले हुए ग्लेशियरों का पानी सिंचाई में मदद करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।
- **जैव विविधताः** ग्लेशियरों का पानी झीलों, नदियों और समुद्रों तक पहुँचता है, जिससे फाइटोप्लांकटन के विकास में मदद मिलती है, जो पूरे जलीय खाद्य तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ग्लेशियर पिघलने का प्रभावः

- **बाधित जल चक्रः** जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, जल स्रोत अनियमित हो जाते हैं, जिससे खेती, पारिस्थितिकी तंत्र और पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है।
- **प्राकृतिक आपदाएँः** ग्लेशियरों के पिघलने से झीलें टूट सकती हैं, जिससे बाढ़ (GLOF - Glacial Lake Outburst Flood) और हिमस्खलन जैसी आपदाएँ बढ़ सकती हैं।
- **समुद्र के स्तर में वृद्धिः** पिघले हुए ग्लेशियर समुद्र में मिलते हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़, भूमि कटाव और जैव विविधता को नुकसान होता है।
- **ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ावाः** बर्फ सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है (अल्बेडो प्रभाव), लेकिन जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो यह प्रभाव कम हो जाता है। इससे पृथ्वी ज्यादा गर्म होती है और ग्लोबल वॉर्मिंग की गति तेज हो जाती है।

ग्लेशियरों की सुरक्षा के लिए पहलः

- **वैश्विक पहलः**
  - » संयुक्त राष्ट्र ने जागरूकता बढ़ाने के लिए 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।
  - » यूनेस्को का अंतर-सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम और अन्य वैश्विक संगठन भी ग्लेशियर के नुकसान को कम करने के उपायों पर काम कर रहे हैं।
- **भारत के प्रयासः**
  - » भारत हिमालयी क्रायोस्फीयर नेटवर्क कार्यक्रम, क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र और हिमांश अनुसंधान स्टेशन जैसे अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालयी क्रायोस्फीयर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

निष्कर्षः

जैसे-जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की सांद्रता बढ़ रही है 'जो मार्च 2025 तक 428 भाग प्रति मिलियन (ppm) तक पहुँचने का अनुमान है' तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो जाती है। ओकजोकुल ग्लेशियर का लुप्त होना जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो इसके प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है।

कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट का क्षरण

संदर्भः

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost) के पिघलने को लेकर चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं। यह न केवल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर सकता है, बल्कि इसके पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय समुदायों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। पर्माफ्रॉस्ट वह भूमि होती है, जो कम से कम दो वर्षों तक लगातार जमी रहती है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64.8% भाग कवर करता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्षः

अध्ययन में 2002 से 2023 तक सतह के तापमान पर साप्ताहिक उपग्रह डेटा (Weekly Satellite Data) का उपयोग किया गया,

जिससे कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पर्माफ्रॉस्ट के क्षरण के गहरे प्रभावों का पता चला है।

- **बुनियादी ढाँचे पर जोखिम:**
  - » इन दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण 193 किलोमीटर से अधिक सड़कें खतरे में पड़ सकती हैं। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से सड़कें अस्थिर हो सकती हैं, जिससे परिवहन (Transportation) और पहुँच (Accessibility) में बाधा उत्पन्न होगी।
  - » इसके अतिरिक्त, 2,415 घर और कई आवश्यक जलविद्युत परियोजनाएँ (Hydropower Projects) उस जमीन की अस्थिरता के कारण जोखिम में हैं, जिस पर वे बनी हैं।
- **पर्यावरण और जल प्रणाली पर प्रभाव:**
  - » पर्माफ्रॉस्ट के क्षरण से 903 अल्पाइन झीलें प्रभावित हो सकती हैं, जिनमें से कई पहले से ही ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF- Glacial Lake Outburst Floods) के जोखिम में हैं।
  - » ग्लेशियर झीलों से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण होने वाली ये बाढ़, स्थानीय समुदायों और बुनियादी ढांचे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।
  - » इसके अतिरिक्त, अध्ययन दर्शाता है कि ग्लेशियरों से बहने वाली नदियाँ भी पर्माफ्रॉस्ट क्षरण के कारण प्रभावित हो सकती हैं, जिससे जल आपूर्ति और पारिस्थितिक संतुलन पर असर पड़ेगा।

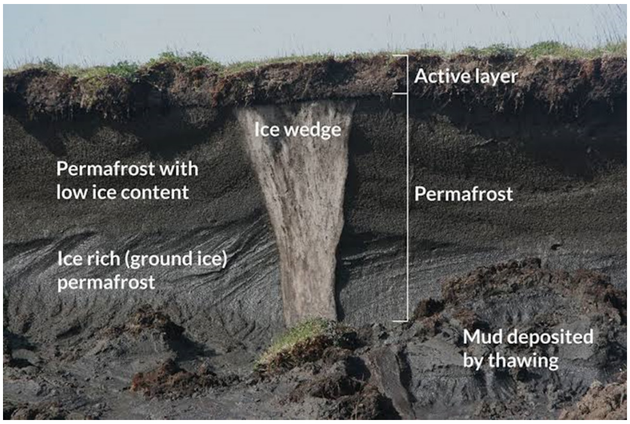

पर्माफ्रॉस्ट क्षरण के कारण:

- हालांकि पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने का मुख्य कारण सतह के तापमान में वृद्धि है, लेकिन मानवीय गतिविधियाँ भी इस प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वनों की कटाई, भूमि-उपयोग में परिवर्तन और जंगल की आग जैसे कारक पर्माफ्रॉस्ट के प्राकृतिक इन्सुलेशन को बाधित करते हैं, जिससे यह केवल प्राकृतिक वार्मिंग की तुलना में अधिक तेजी से पिघलता है।
- ये गतिविधियाँ, जो अक्सर विकास और जनसंख्या वृद्धि से प्रेरित होती हैं, इस क्षेत्र के नाजुक पर्माफ्रॉस्ट पारिस्थितिकी तंत्र की भेद्यता को और बढ़ा देती हैं।

पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के संभावित प्रभाव:

- **ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन:** पर्माफ्रॉस्ट में संग्रहीत कार्बन का उत्सर्जन सबसे गंभीर प्रभावों में से एक है। जैसे-जैसे यह पिघलता है, यह मीथेन जैसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है।
- **GLOF के जोखिम में वृद्धि:** पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से ग्लेशियर अस्थिर हो जाते हैं, जिससे GLOF (ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़)का जोखिम बढ़ जाता है। ये बाढ़ स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका पर प्रभाव डालते हुए डाउनस्ट्रीम समुदायों, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्रों को विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकती हैं।
- **जल उपलब्धता:** पर्माफ्रॉस्ट क्षरण भूजल और नदी प्रणालियों के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे पीने के पानी और कृषि उपयोग के लिए जल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं और पर्माफ्रॉस्ट क्षरण (Permafrost Degradation) होता है, यह नदियों के प्रवाह को अस्थिर कर सकता है और पूरे वर्ष जल स्तर बनाए रखने की उनकी क्षमता को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्ष:

कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना एक गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, बेहतर निगरानी, जलवायु-अनुकूलन रणनीतियाँ और सूचित बुनियादी ढाँचा नियोजन जैसी लक्षित कार्रवाइयों के माध्यम से इसके सबसे बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। चूंकि यह क्षेत्र पर्यावरणीय परिवर्तन और मानव विकास के दोहरे खतरे का सामना कर रहा है, इसलिए कश्मीर के समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों की स्थिरता और लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए पर्माफ्रॉस्ट की रक्षा आवश्यक है।

भारतीय मानसून पर अध्ययन

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारतीय मानसून से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खोज की गई है, जो देश की कृषि और जल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'एनपीजे क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस' में प्रकाशित इस शोध में यह उजागर किया गया है कि क्लाउड बैंड (Cloud Bands) की शक्ति मानसूनी की वर्षा की गति और घनत्व को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है।

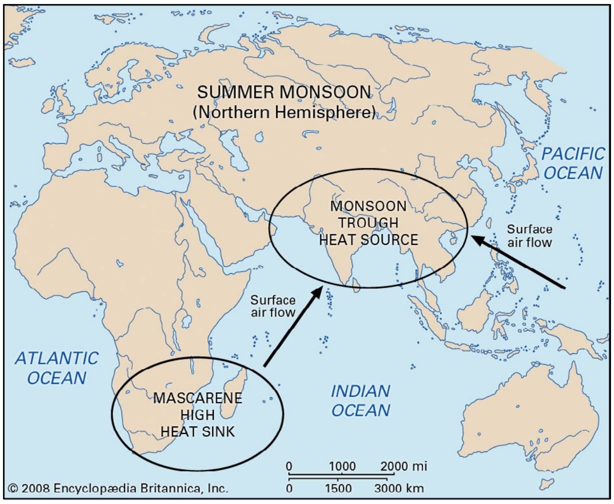

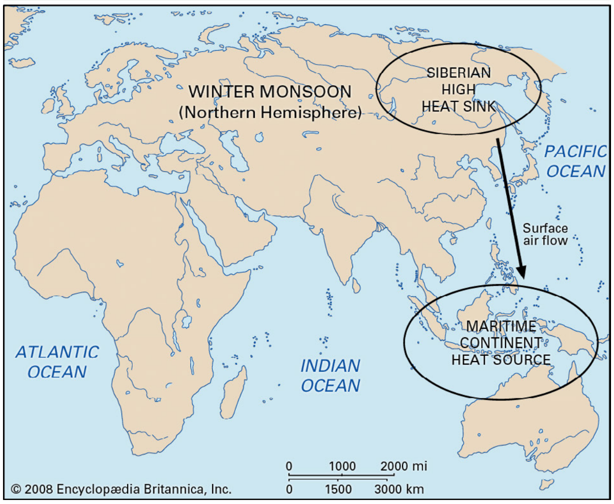

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- **क्लाउड बैंड की शक्ति:** अध्ययन के अनुसार, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मेघ पट्टी (क्लाउड बैंड) के उत्तर की ओर बढ़ने में उनकी शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि क्लाउड बैंड अधिक शक्तिशाली होता है, तो यह तेज हवाओं के माध्यम से वायुमंडलीय नमी को बढ़ाता है, जिससे उनका उत्तर की ओर प्रभावी रूप से प्रसार संभव हो पाता है।
- **वर्षा पर प्रभाव:** अध्ययन से पता चलता है कि मजबूत क्लाउड बैंड मानसून के दौरान वर्षा घनत्व (intensity) को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह खोज उन पूर्व सिद्धांतों को चुनौती देती है, जिनमें कहा गया था कि क्लाउड बैंड अपनी प्रारंभिक ताकत की परवाह किए बिना उत्तर की ओर स्वत: ही फैल जाएंगे।
- **भविष्य के अनुमान:** शोध से संकेत मिलता है कि जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा, पृष्ठभूमि वायुमंडलीय नमी में वृद्धि होने की संभावना है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारत और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में वर्षा में 42% से 63% तक की वृद्धि हो सकती है।

मानसून के बारे में:

- मानसून मौसमी हवाएँ हैं, जो मौसम के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती हैं। ये हवाएँ आवधिक और नियमित पैटर्न का पालन करती हैं। गर्मियों में ये समुद्र से जमीन की ओर और सर्दियों में जमीन से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं।
- 'मानसून' शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द 'मौसिन' या मलय शब्द 'मोनसिन' से हुई है, जिसका अर्थ 'मौसम' होता है।
- मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण जलवायु विशेषता है। दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में वे इस क्षेत्र में अधिक स्पष्ट हैं। भारतीय मानसून मौसमी हवाओं की एक दोहरी प्रणाली है:
  - » **दक्षिण-पश्चिम मानसून:** ये हवाएँ गर्मियों के दौरान समुद्र से जमीन की ओर बहती हैं, जिससे भारत के अधिकांश हिस्सों में तीव्र वर्षा होती है।
  - » **उत्तर-पूर्वी मानसून:** ये हवाएँ सर्दियों के दौरान जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं, जिससे मुख्य रूप से भारत के दक्षिण-पूर्वी तट, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर वर्षा होती है।
- **दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत को प्रभावित करने वाले कारक:**
  - » तिब्बती पठार का गर्म होना और हिंद महासागर के ऊपर उच्च दबाव प्रणाली।
  - » उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम (STJ) और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट (अफ्रीकी पूर्वी जेट) जैसी वायुमंडलीय जेट धाराओं का प्रभाव।
  - » अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) का स्थान।
- **दक्षिण-पश्चिम मानसून की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक:**
  - » तिब्बत के ऊपर कम दबाव प्रणाली और दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर उच्च दबाव प्रणाली की ताकत।
  - » सोमाली जेट (जिसे फाइंडलेटर जेट भी कहा जाता है) और सोमाली करंट (फाइंडलेटर करंट)।
  - » वाकर सेल की हिंद महासागर शाखा और हिंद महासागर डिपोल।

निष्कर्ष:

भारतीय मानसून एक जटिल वायुमंडलीय तंत्र (Complex Atmospheric System) है, जो कई वैश्विक और क्षेत्रीय कारकों से प्रभावित होता है। इसका प्रभाव न केवल भारतीय कृषि, जल संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

क्वांटम कंप्यूटिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा : भारत का रणनीतिक रोडमैप

क्वांटम कंप्यूटिंग का तीव्र विकास तकनीकी परिदृश्य को नया स्वरूप प्रदान कर रहा है, जो राष्ट्रों के लिए अनेक अवसरों और गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का द्वार खोलता है। पारंपरिक कंप्यूटिंग की तुलना में, क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों — जैसे सुपरपोजिशन (Superposition) और जटिलता (Entanglement) — का उपयोग करती है, जिससे अत्यंत जटिल गणनाओं को अप्रत्याशित गति से हल करना संभव हो जाता है। इसका क्रिप्टोग्राफी, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्त और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इन उच्च जोखिमों और अवसरों को समझते हुए, नीति आयोग के नीति फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हाल ही में "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के रणनीतिक निहितार्थों" पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया है। इस अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत को इस तीव्र गति से विकसित होते क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए सशक्त नीतिगत ढांचे, अधिक निवेश और रणनीतिक साझेदारियों की तत्काल आवश्यकता है।

क्वांटम कंप्यूटिंग और इसका रणनीतिक महत्व:

- क्वांटम कंप्यूटिंग की अभूतपूर्व प्रसंस्करण क्षमता इसे एक दोधारी तलवार बनाती है। जहां एक ओर यह उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है, वहीं दूसरी ओर यह पारंपरिक एन्क्रिप्शन तकनीकों को भंग करने, साइबर सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करने और क्वांटम प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों को खुफिया लाभ (Intelligence Advantage) प्रदान करने का भी जोखिम उत्पन्न करती है।
- पारंपरिक कंप्यूटर जहां बाइनरी बिट्स (0 और 1) पर निर्भर करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं। सुपरपोजिशन (Superposition) की क्षमता के कारण, क्यूबिट एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, जिससे ये समानांतर रूप से विशाल मात्रा में डेटा प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त, उलझाव (Entanglement) — एक ऐसी घटना जिसमें क्यूबिट्स आपस में इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि उनकी स्थिति दूरी की परवाह किए बिना आपस में संबंधित रहती है — क्वांटम कंप्यूटर को अत्यधिक जटिल और व्यापक गणनाएँ अत्यधिक कुशलता से करने की शक्ति प्रदान करता है।
- जो देश क्वांटम वर्चस्व प्राप्त करेंगे ,वे रणनीतिक और सैन्य क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। इस संभावना को समझते हुए, विश्व की प्रमुख सरकारें और प्रौद्योगिकी कंपनियाँ एन्क्रिप्टेड डेटा की सुरक्षा, निगरानी क्षमताओं में सुधार, रसद का अनुकूलन और अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों के विकास हेतु क्वांटम अनुसंधान में भारी निवेश कर रही हैं।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम):

- भारत इस तकनीकी क्रांति में अग्रणी बने रहने के उद्देश्य से लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में, सरकार ने अप्रैल 2023 में 6,003 करोड़ (लगभग $750 मिलियन) के आवंटन के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission - NQM) की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग सुनिश्चित करना है।
  - अगले आठ वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित उपग्रह-आधारित क्वांटम संचार नेटवर्क की स्थापना।
  - उन्नत क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी (Metrology) का विकास, जिसका उपयोग उच्च परिशुद्धता नेविगेशन, संचार और रक्षा अनुप्रयोगों में किया जा सके।

» चार प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हब्स की स्थापना:
   ➢ क्वांटम कम्प्यूटिंग
   ➢ क्वांटम संचार
   ➢ क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी
   ➢ क्वांटम सामग्री और उपकरण

▪ इस महत्वाकांक्षी रोडमैप के बावजूद, भारत का वित्तपोषण चीन ($15 बिलियन), अमेरिका ($5 बिलियन) और यूरोपीय संघ ($1.2 बिलियन) जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी कम है। यह वित्तीय असमानता इंगित करती है कि भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए निवेश में वृद्धि, निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता है।

भारत की क्वांटम महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौतियाँ:

▪ **वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सीमित वित्तपोषण:** भारत का 6,003 करोड़ (लगभग $750 मिलियन) का बजट प्रमुख क्वांटम अनुसंधान करने वाले देशों में सबसे कम है। सीमित वित्तपोषण के कारण निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगति बाधित हो सकती है:
   » बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण
   » उन्नत बुनियादी ढांचे का विकास
   » क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रतिभा प्रतिधारण
   » पर्याप्त निवेश के बिना, भारत को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पिछड़ जाने का खतरा है।

▪ **कमज़ोर घरेलू आपूर्ति श्रृंखला:** क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विशेष हार्डवेयर घटकों की आवश्यकता होती है , जिनमें शामिल हैं:
   » क्रायोजेनिक शीतलन प्रणालियाँ (क्यूबिट स्थिरता बनाए रखने के लिए)
   » क्वांटम चिप्स के लिए उच्च शुद्धता वाली सामग्री
   » क्वांटम संचार के लिए सटीक लेज़र

▪ वर्तमान में, भारत में इन घटकों का स्वदेशी उत्पादन नहीं है , जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता बढ़ जाती है। इससे न केवल आपूर्ति श्रृंखला कमज़ोर होती है, बल्कि व्यापार प्रतिबंधों या भू-राजनीतिक संघर्षों के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम भी पैदा होता है।

▪ **निजी क्षेत्र और उद्योग की भागीदारी का अभाव:** अलीबाबा जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियाँ जहां क्वांटम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशाल संसाधनों और निजी निवेश का उपयोग कर रही हैं, वहीं भारत का क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः अकादमिक संस्थानों और सरकारी अनुसंधान प्रयासों पर आधारित है। निजी क्षेत्र की भागीदारी में कमी के कारण भारत कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है:
   » क्वांटम स्टार्टअप में सीमित उद्यम पूंजी निवेश
   » अनुसंधान सहयोग में उद्योग की न्यूनतम भागीदारी
   » क्वांटम प्रौद्योगिकी का धीमा व्यावसायीकरण
   » इस अंतर को कम ने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को काफी बढ़ाया जाना चाहिए।

▪ **साइबर सुरक्षा और एन्क्रिप्शन जोखिम:**
   » क्वांटम कंप्यूटिंग द्वारा उत्पन्न सबसे बड़े खतरों में से एक मौजूदा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ने की इसकी क्षमता है। यह चुनौती विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान सुरक्षा प्रणालियाँ क्लासिकल एन्क्रिप्शन तकनीकों पर आधारित हैं।
   » क्लासिकल एन्क्रिप्शन का उपयोग करके संग्रहीत संवेदनशील सरकारी, सैन्य और वित्तीय डेटा असुरक्षित हो जाएगा।
   » सार्वजनिक-कुंजी क्रिप्टोग्राफी, जो ऑनलाइन लेनदेन और संचार को सुरक्षित करती है, क्वांटम कंप्यूटरों के कारण अप्रभावी हो सकती है।
   » क्वांटम विरोधियों द्वारा किए गए साइबर हमले बैंकिंग प्रणालियों, रक्षा नेटवर्क और राष्ट्रीय डेटाबेस जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं।
   » इन उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए तत्काल पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पीक्यूसी) विकसित करनी चाहिए।

▪ **खुफिया और रक्षा में रणनीतिक कमजोरियां:** क्वांटम कंप्यूटिंग सिग्नल इंटेलिजेंस (Signal Intelligence - SIGINT) और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (Electronic Warfare - EW) में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह तकनीक राष्ट्रों को निम्नलिखित कार्यों में सक्षम बना सकती है :
   » क्वांटम कंप्यूटरों की प्रसंस्करण शक्ति के कारण पारंपरिक एन्क्रिप्शन को तोड़ना कहीं अधिक आसान हो जाएगा।
   » विरोधी संचार और रणनीतियों को तुरंत समझने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता।
   » क्वांटम तकनीक के माध्यम से ऐसे नेटवर्क बनाए जा सकते हैं जो पारंपरिक और क्वांटम दोनों प्रकार के साइबर हमलों के विरुद्ध सुरक्षित हों।

▪ यदि भारत क्वांटम खुफिया क्षमताओं में पिछड़ जाता है, तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से रणनीतिक रूप से पीछे रह जाने का गंभीर खतरा होगा, जिससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सुरक्षित क्वांटम भविष्य के लिए नीति आयोग की सिफारिशें:

भारत के क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मजबूत बनाना:**
  - » वैश्विक प्रगति की निगरानी करने और संभावित खतरों का आकलन करने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स स्थापित की जानी चाहिए।
  - » भारत के एन्क्रिप्शन ढांचे में कमजोरियों की पहचान करने और समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
  - » राष्ट्रीय डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर आधारित एक व्यापक संक्रमण योजना लागू की जानी चाहिए।
- **अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देना:**
  - » क्वांटम स्टार्टअप्स और स्वदेशी हार्डवेयर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी वित्तपोषण में वृद्धि की जानी चाहिए।
  - » क्वांटम प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **एक मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण:**
  - » क्वांटम प्रोसेसर, क्रायोजेनिक सिस्टम और उच्च शुद्धता सामग्री जैसे प्रमुख क्वांटम घटकों के विकास के लिए घरेलू विनिर्माण में निवेश बढ़ाया जाए।
  - » प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम की जा सके।
- **वैश्विक साझेदारी का विस्तार:**
  - » क्वांटम तकनीक में अग्रणी देशों जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के साथ उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से मजबूत द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करना।
  - » क्वांटम घटकों और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निर्यात नियंत्रण नियमों में ढील देने के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी वकालत करना।

निष्कर्ष:

- क्वांटम कंप्यूटिंग एक परिवर्तनकारी तकनीक है जो वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता, रक्षा रणनीतियों और आर्थिक संरचनाओं को नया आकार देगी। यद्यपि भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, फिर भी सीमित वित्तपोषण, कमजोर आपूर्ति श्रृंखला, साइबर सुरक्षा खतरों और उद्योग की भागीदारी की कमी जैसी चुनौतियाँ गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं। इस उभरते परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए भारत को एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें निम्नलिखित पहल शामिल हैं:
  - » अनुसंधान एवं विकास में निवेश में वृद्धि
  - » मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे का निर्माण
  - » घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करना
  - » रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना
- इन उपायों को अपनाकर भारत न केवल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित कर सकता है, बल्कि क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। साथ ही, यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह तकनीकी वर्चस्व की दौड़ में पीछे न रह जाए।

संक्षिप्त मुद्दे

सीएआर टी-सेल थेरेपी

संदर्भः

भारत की पहली सीएआर टी-सेल थेरेपी ने विशिष्ट प्रकार के रक्त कैंसर के उपचार में उल्लेखनीय प्रभावशीलता दिखाई है। द लैंसेट जैसी प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका में प्रकाशित क्लिनिकल ट्रायल के परिणामों से पता चला है कि यह थेरेपी लगभग 73% रोगियों में सफल रही।

सीएआर टी–सेल थेरेपी क्या है?

- सीएआर टी-सेल थेरेपी, जिसे Chimeric Antigen Receptor T- Cell Therapy भी कहा जाता है, कैंसर से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) की शक्ति का उपयोग करने वाली एक क्रांतिकारी उपचार विधि है।
- इस उपचार में शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं, जिन्हें टी-सेल्स कहा जाता है, को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकें।
- विशेष रूप से कुछ प्रकार के रक्त कैंसर के लिए विकसित की गई यह थेरेपी उन रोगियों को दी जाती है, जिनके कैंसर ने पारंपरिक उपचार के बाद पुनरावृत्ति की हो या शुरू में ही उपचार का असर न हुआ हो।

यह थेरेपी कैसे काम करती है?

- इस प्रक्रिया की शुरुआत रोगी के रक्त से टी-सेल्स एकत्र करने से होती है। इसके बाद इन कोशिकाओं को प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित (genetically engineered) किया जाता है ताकि उनमें ऐसे रिसेप्टर्स जोड़े जा सकें जो कैंसर कोशिकाओं से जुड़कर उन्हें पहचान सकें।

- संशोधित कोशिकाओं को गुणा (multiply) कर रोगी के शरीर में पुनः प्रविष्ट किया जाता है।
- यह नवीनतम उपचार टी-सेल्स को कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने और उन्हें खत्म करने में सक्षम बनाता है, जो सामान्य परिस्थितियों में प्रतिरक्षा प्रणाली से बच निकलती हैं।
- यह व्यक्तिगत (personalized) उपचार है और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) और बड़े बी-सेल लिंफोमा जैसे कैंसर के इलाज में उल्लेखनीय सफलता दिखा चुका है।

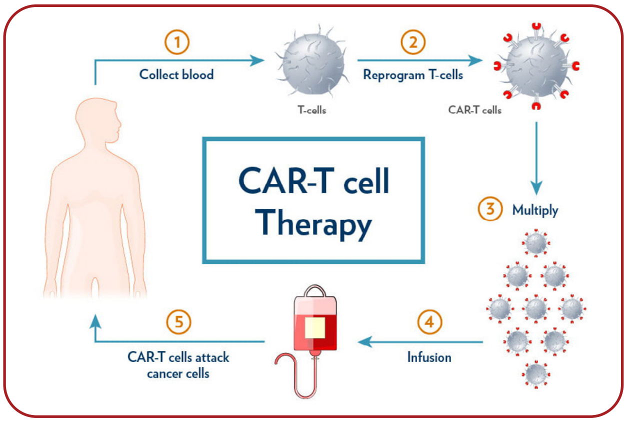

भारत में सीएआर टी-सेल थेरेपी की सफलता:

- भारत में पहली बार किए गए सीएआर टी-सेल थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल का केंद्र दो प्रकार के बी-सेल रक्त कैंसर वाले रोगी थे:
  - » एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL)
  - » बड़े बी-सेल लिंफोमा
- इस थेरेपी के परिणाम उत्साहजनक रहे, क्योंकि 73% रोगियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई।
- इस सफलता ने भारत में रक्त कैंसर के उपचार के नए द्वार खोल दिए हैं और कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

देखे गए दुष्प्रभाव:

- **अत्यधिक सूजन और अंग क्षति:** 12% रोगियों में साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम (CRS) नामक गंभीर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखी गई, जो अत्यधिक सूजन और कुछ मामलों में घातक अंग क्षति का कारण बन सकती है।
- **लाल रक्त कोशिकाओं की कमी:** 61% प्रतिभागियों को कमजोरी और थकान का अनुभव हुआ, जो लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण हुआ।
- **थ्रोम्बोसाइटोपीनिया:** 65% रोगियों में प्लेटलेट की संख्या कम पाई गई, जिससे रक्तस्राव (bleeding) का खतरा बढ़ गया।
- **न्यूट्रोपीनिया:** 96% रोगियों में न्यूट्रोफिल (Neutrophil) की संख्या कम दर्ज की गई, जिससे उनकी संक्रमण (infection) के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई।

निष्कर्ष:

भारत में सीएआर टी-सेल थेरेपी की सफलता न केवल देश में इस उपचार को अधिक सुलभ और किफायती बना सकती है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर कैंसर के खिलाफ लड़ाई में भी योगदान देगी। जैसे-जैसे शोध आगे बढ़ेगा, यह आवश्यक होगा कि इस उपचार से जुड़े दुष्प्रभावों और चुनौतियों का समाधान किया जाए, ताकि इसे जरूरतमंद रोगियों तक पहुंचाया जा सके।

नैनोकण-आधारित सुरक्षा स्याही

संदर्भ:

हाल ही में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (INST) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के भारतीय वैज्ञानिकों ने जालसाजी को रोकने के लिए एक उन्नत सुरक्षा स्याही विकसित की है। नवीनतम स्याही नैनोकणों का उपयोग करती है और इसे मुद्रा नोटों और पासपोर्ट जैसे संवेदनशील दस्तावेजों के लिए उन्नत स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें नकल करना अधिक कठिन हो जाता है।

उत्पादन की प्रक्रिया:

- यह सुरक्षा स्याही एक विशेष प्रकार के यौगिक, स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड (Sr2BiF7) पर आधारित है, जिसे लैंथेनाइड आयनों के साथ मिलाया जाता है।
- इसका उत्पादन सह-अवक्षेपण तकनीक (Co-precipitation technique) से किया जाता है, जोकि इसे व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती है।
- इस स्याही को पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) स्याही के साथ मिलाकर स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक द्वारा मुद्रित किया जा सकता है, जिससे इसका उपयोग विभिन्न सुरक्षा अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।

नई स्याही की विशेषताएँ:

- इस नई स्याही की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी दोहरी प्रतिदीप्ति क्षमता (चमकने की क्षमता) है। स्याही 365 एनएम (नैनोमीटर) पर पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश के संपर्क में नीली चमक और 395 एनएम पर यूवी प्रकाश के संपर्क में मैजेंटा रंग का उत्सर्जन करती है।
- इसके अतिरिक्त, यह 980 एनएम पर निकट-अवरक्त (एनआईआर) प्रकाश के संपर्क में आने पर नारंगी-लाल रंग के साथ प्रतिदीप्ति भी करती है।
- विभिन्न प्रकार के प्रकाश के तहत प्रतिदीप्ति का यह संयोजन जालसाजों के लिए स्याही की नकल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देता है, जिससे इसके साथ मुद्रित दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ जाती है।

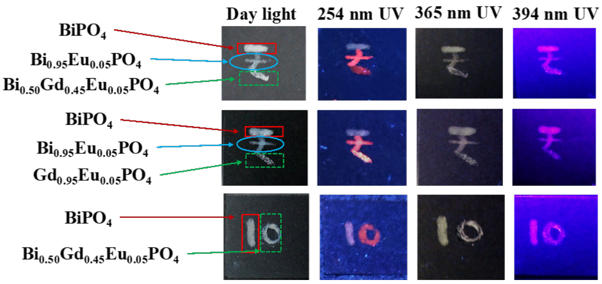

जालसाजी (Counterfeiting) क्या है?

- जालसाजी (Counterfeiting) का अर्थ किसी वस्तु, दस्तावेज या मुद्रा की नकली प्रति बनाना है, जिसका उद्देश्य लोगों को धोखा देना और आर्थिक या कानूनी लाभ प्राप्त करना होता है। जालसाजी के कुछ सामान्य उदाहरण:
  - **नकली मुद्रा:** यह जालसाजी के सबसे आम रूपों में से एक है, जिसमें नकली मुद्रा नोट या सिक्के बनाना शामिल है जिन्हें वैध मुद्रा के रूप में प्रचलन में लाया जाता है।
  - **नकली दस्तावेज:** इसमें पासपोर्ट, वीजा, प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी या पहचान पत्र जैसे आधिकारिक दस्तावेजों की जालसाजी शामिल है।
  - **नकली उत्पाद:** इसमें ब्रांडेड वस्तुओं, जैसे लक्जरी सामान, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता उत्पादों के नकली संस्करणों का उत्पादन शामिल है।

जालसाजी से उत्पन्न खतरे:

- **आर्थिक अस्थिरता (Economic Instability):** नकली मुद्रा का प्रचलन देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है।
- **वित्तीय प्रणाली में अविश्वास (Loss of Public Trust):** बड़े पैमाने पर जालसाजी बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम कर देती है।
- **जनता के विश्वास में कमी:** बड़े पैमाने पर जालसाजी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है।
- **आपराधिक गतिविधियों का वित्तपोषण:** जालसाजी से होने वाले मुनाफे से संगठित अपराध, आतंकवाद या मानव तस्करी जैसे अवैध कार्यों को वित्तपोषित किया जा सकता है, जिससे सामाजिक अस्थिरता और बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

INST और BARC द्वारा विकसित नई सुरक्षा स्याही मुद्रा, पासपोर्ट और अन्य संवेदनशील दस्तावेजों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी समाधान है। अनूठी विशेषताओं के कारण इसे जालसाजों द्वारा नकल करना अत्यंत कठिन होगा।

नासा का PUNCH मिशन

संदर्भ:

हाल ही में नासा अपना नवीनतम सौर मिशन, पोलारिमीटर टू यूनिफाइड कोरोना एंड हेलिओस्फीयर (PUNCH) लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह मिशन, भारत के आदित्य L1 मिशन (सितंबर 2023 में लॉन्च) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के प्रोबा-3 मिशन (दिसंबर 2024 में प्रस्तावित) के बाद, पिछले 18 महीनों में वैश्विक स्तर पर तीसरी प्रमुख सौर पहल है।

कई देश सौर मिशन क्यों लॉन्च कर रहे हैं?

- हाल ही में दुनिया के कई देश सौर मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है सौर चक्र (Solar Cycle), जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में हर 11 वर्ष में होने वाला एक नियमित बदलाव है।
- इस चक्र के दौरान सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव आपस में स्थान बदल लेते हैं, जिससे सौर ज्वालाओं (Solar Flares) और कोरोनल मास इजेक्शन जैसी घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह सूर्य को अध्ययन करने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।

सौर चक्र का चरम बिंदु:

- सौर चक्र को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करता है, जो पृथ्वी पर उपग्रह संचालन, संचार और विद्युत ग्रिड को प्रभावित करता है। वर्तमान सौर चक्र का चरम बिंदु , वैज्ञानिकों के लिए सूर्य को उसकी सबसे सक्रिय अवस्था में देखने का एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है।
- इस समय का उपयोग न करने का अर्थ है कि अगले शिखर के लिए 2035-2036 तक प्रतीक्षा करना। इस बढ़ी हुई सौर गतिविधि की अवधि का लाभ उठाने के लिए हाल ही में कई सौर मिशन रणनीतिक रूप से लॉन्च किए गए हैं:
  - **आदित्य एल1 (भारत):** सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य सौर ज्वालाओं, सौर हवाओं और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करना है।
  - **प्रोबा-3 (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी):** दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया, जो सौर हवाओं और सौर तूफानों पर केंद्रित है।
  - **पंच (नासा):** मार्च 2025 में लॉन्च होने वाला है, यह सौर कोरोना का अध्ययन करेगा और सौर ज्वालाओं पर मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा।

पंच मिशन के बारे में:

- PUNCH मिशन अपने डिजाइन में अद्वितीय है। इसमें सूटकेस के आकार के उपग्रहों (4) का उपयोग किया गया है जोकि सूर्य के आंतरिक कोरोना की निरंतर छवि बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे। सूर्य की सबसे बाहरी परत, सौर कोरोना का अध्ययन

करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य की सतह से बहुत अधिक गर्म है और बहुत कम प्रकाश उत्सर्जित करता है।

- छोटे उपग्रहों के एक बेड़े का उपयोग करके, PUNCH का उद्देश्य कोरोना की संरचना और व्यवहार पर व्यापक डेटा प्रदान करना है, जो सौर ज्वालाओं और सौर हवा के पीछे के तंत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- यह मिशन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और संचार प्रणालियों पर सौर तूफानों के प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक है। इससे उपलब्ध जानकारी उपग्रह प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के लिए जोखिम को कम करने में सहायता कर सकता है।

निष्कर्ष:

नासा का PUNCH मिशन वर्तमान सौर चक्र के दौरान सौर गतिशीलता की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए एक व्यापक वैश्विक प्रयास का हिस्सा है। इस मिशन को लॉन्च करके, नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर सौर गतिविधि के समय सूर्य के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। अपने अभिनव दृष्टिकोण और उन्नत तकनीक के साथ, PUNCH सौर कोरोना के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो अंतरिक्ष मौसम पर सूर्य के प्रभाव और पृथ्वी पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालेगा।

दीर्घकालिक स्थायित्व एवं उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलोर के शोधकर्ताओं ने दीर्घकालिक स्थायित्व एवं उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली बहु-प्रधान तत्व मिश्र धातुओं (MPEAs) के विकास में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

बहु-प्रधान तत्व मिश्र धातुओं के विषय में:

- बहु-प्रधान तत्व मिश्र धातु (MPEAs) एक नई तरह की मिश्र धातु हैं, जो पारंपरिक मिश्र धातुओं से अलग कई प्रमुख तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। अब तक यह धारणा थी कि धातुओं की शक्ति बढ़ाने के लिए उनकी संरचना में बदलाव करने या कुछ भंगुर तत्व जोड़ने से उनकी टिकाऊ क्षमता (durability) कम हो जाती है।
- इसके विपरीत शोधकर्ताओं के अध्ययन से अनुसार कुछ खास सूक्ष्म संरचनात्मक बदलावों से मिश्र धातुओं को न केवल अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, बल्कि उनकी दीर्घकालिक स्थिरता भी बेहतर हो सकती है।
- यह खोज एयरोस्पेस, रक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में मजबूत और टिकाऊ सामग्री के विकास के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

अभिनव अनुसंधान पद्धति के बारे में:

- शोध दल ने क्रोमियम-निकल (Cr/Ni) अनुपात में बदलाव करते हुए Cr-Mn-Fe-Co-Ni मिश्र धातु प्रणाली का अध्ययन किया। उन्होंने दो अलग-अलग फेस-सेंटर्ड क्यूबिक (FCC) संरचना वाली एकल-चरण MPEAs विकसित कीं, जिनमें अलग-अलग स्टैकिंग फॉल्ट ऊर्जा (स्टैकिंग फॉल्ट ऊर्जा से तात्पर्य किसी धातु की आंतरिक संरचना में होने वाले बदलाव को संभालने की क्षमता है।) थी।
- अध्ययन में पाया गया कि कम-SFE (सुपरक्रिटिकल फ्लुइड एक्सट्रैक्शन) मिश्र धातु ने उच्च-SFE मिश्र धातु की तुलना में 10-20% अधिक चक्रीय शक्ति प्रदर्शित की, जबकि दोनों का स्थायित्व लगभग समान रहा।
- यह सुधार मुख्य रूप से कम-SFE (सुपरक्रिटिकल फ्लुइड एक्सट्रैक्शन) मिश्र धातु में अव्यवस्था उप-संरचनाओं के धीमे निर्माण और दरारों के धीमे प्रसार के कारण हुआ। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि सूक्ष्म संरचनात्मक नियंत्रण से मिश्र धातुओं की स्थायित्व क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है।
- शोधकर्ताओं ने एकल-चरण मिश्र धातुओं के अलावा एक दोहरे-चरण मिश्र धातु भी विकसित किया, जो एकल-चरण कम-SFE मिश्र धातु की तुलना में 50-65% अधिक मजबूत साबित हुआ। इस मजबूती का मुख्य कारण था सूक्ष्म संरचनात्मक बदलाव, छोटे कणों के कारण बढ़ा हुआ आंतरिक दबाव और ठोस कणों (अवक्षेप) की मौजूदगी, जो दरारों को बढ़ने से रोकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, दरारों के आसपास होने वाला बड़ा आकार परिवर्तन फिसलन (twin&slip) को बढ़ावा देता है, जिससे दरारें धीरे-धीरे फैलती हैं। यह अध्ययन दिखाता है कि यदि मिश्र धातुओं की बनावट को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए, तो उनकी ताकत और टिकाऊपन को काफी बढ़ाया जा सकता है।

भविष्य के अनुसंधान और अनुप्रयोगों के लिए निहितार्थ:

- यह शोध MPEAs में होने वाले बदलाव और नुकसान के कारणों को बेहतर समझने में मदद करता है, विशेषतौर पर यह कि स्टैकिंग फॉल्ट ऊर्जा और भंगुर तत्व उनके मजबूती से जुड़े गुणों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन जटिल मिश्र धातुओं पर आगे होने वाले शोध के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, विशेषकर उन उद्योगों के लिए जहां मजबूत और टिकाऊ सामग्रियों की जरूरत होती है।
- यह शोध भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) द्वारा समर्थित है, जो सामग्री विज्ञान में सरकारी सहयोग को दर्शाता है। यह खोज उन उद्योगों के लिए लाभकारी हो सकती है जो मजबूत और लचीली धातुओं पर निर्भर हैं, जिससे टिकाऊ और अधिक कुशल सामग्रियाँ विकसित की जा सकती हैं।

नियोबियम डाइसेलेनाइड में बोस धातु के प्रमाण

संदर्भः

चीन और जापान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बोस धातु के अध्ययन में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह एक असामान्य धातु अवस्था (exotic state of matter) है, जिसके कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों में मौजूद होने की पहले भविष्यवाणी की गई थी, अब इसके प्रमाण सामने आए हैं।

बोस धातुः

- बोस धातु एक ऐसी असामान्य अवस्था है, जोकि तब बनती है जब कुछ धातुओं को बेहद कम तापमान तक ठंडा किया जाता है। सामान्य तौर पर, जब धातुओं को ठंडा किया जाता है, तो वे या तो सामान्य धातु बनी रहती हैं या फिर सुपरकंडक्टर बन जाती हैं।
- लेकिन बोस धातु में एक अलग ही स्थिति देखी जाती है- इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर कूपर जोड़े (Cooper Pairs) बनाते हैं, लेकिन ये जोड़े सुपरकंडक्टिंग अवस्था में नहीं जाते।
- इसलिए यह अवस्था, धातुओं के सामान्य व्यवहार और अतिचालकता (Superconductivity) से जुड़े पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देती है और वैज्ञानिकों के लिए आगे अध्ययन का एक आकर्षक विषय बन जाती है।

शोध के बारे में:

- नानजिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जियाओक्सियांग शी के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक खास पदार्थ, नियोबियम डाइसेलेनाइड ($NbSe_2$), पर शोध किया। वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ को अत्यंत कम तापमान तक ठंडा किया और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा। इस प्रक्रिया के दौरान, इसने अपने गुणों में ऐसे बदलाव दिखाए, जो बोस धातु की पहचान से मेल खाते थे।
- शोध दल ने इन गुणों का गहराई से अध्ययन करने के लिए श्रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीश तकनीक का उपयोग किया, जिससे पदार्थ में होने वाले सूक्ष्म कंपन को समझा गया।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्षः

- **अतिचालकता के अनुपस्थित में कूपर युग्मों का निर्माणः** शोधकर्ताओं ने पाया कि बहुत कम तापमान पर नियोबियम डाइसेलेनाइड में कूपर जोड़े बन रहे थे। आमतौर पर, कूपर जोड़े बनने का मतलब यह होता है कि पदार्थ सुपरकंडक्टर बनने वाला है।लेकिन, इस मामले में पदार्थ सुपरकंडक्टर नहीं बना, बल्कि सामान्य धातु जैसा व्यवहार करता रहा। यही विशेषता बोस धातु की एक पहचान है।
- **हॉल प्रतिरोध का गायब होनाः** $NbSe_2$ की मोटाई कम करने पर उसका हॉल प्रतिरोध (Hall Resistance) खत्म हो गया। हॉल प्रतिरोध यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र में करंट बहने पर पदार्थ में वोल्टेज कैसे बनता है। इसका अदृश्य होना यह दिखाता है कि करंट, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की बजाय कूपर जोड़ों (Cooper Pairs) के जरिए बह रहा था। यह बोस धातु सिद्धांत का एक मजबूत प्रमाण है।

निहितार्थः

- इस खोज से यह समझने में मदद मिलती है कि बहुत कम तापमान पर पदार्थों का क्वांटम व्यवहार कैसा होता है।
- यह खोज अव्यवस्थित धातुओं को समझने के पारंपरिक वैज्ञानिक मॉडल्स को चुनौती देती है।
- इसके अतिरिक्त, यह खोज क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपरकंडक्टिविटी टेक्नोलॉजी और नए प्रकार की क्वांटम सामग्रियों के विकास में भी मददगार साबित हो सकती है।

निष्कर्षः

शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि नियोबियम डाइसेलेनाइड में बोस धातु जैसी अवस्था के मजबूत संकेत मिले हैं। हालांकि, इस असामान्य स्थिति की पूरी तरह पुष्टि के लिए अभी और शोध जरूरी है। फिर भी, यह खोज वैज्ञानिकों के लिए नए शोध की राह खोलती है और भविष्य में क्वांटम सामग्रियों की समझ और उनके व्यावहारिक उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आदित्य-एल1 की सफलताः सौर ज्वाला का केंद्र कैप्चर

संदर्भः

हाल ही में भारत के पहले सौर मिशन आदित्य-एल1 ने सौर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आदित्य-एल1 में लगे सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT) ने सूर्य के वायुमंडल की निचली परतों 'फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर' में एक सौर ज्वाला के केंद्र (Kernel) को कैप्चर किया है। यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण अवलोकन है, जो सौर गतिविधियों समझने और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करेगा।

आदित्य-एल 1 के बारे में:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 सितंबर 2023 को आदित्य-एल1 का प्रक्षेपण किया, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य सौर ज्वालाओं, कोरोनल हीटिंग, सौर हवा और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना है। ये सभी घटनाएं पृथ्वी के तकनीकी बुनियादी ढांचे, जैसे उपग्रह प्रणालियों, बिजली ग्रिड और संचार नेटवर्क पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं।
- आदित्य-एल1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर

लैग्रेंज बिंदु-1 (L1) पर तैनात किया गया है। यह स्थिति रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से अंतरिक्ष यान को बिना किसी वायुमंडलीय बाधा के सूर्य का निरंतर अवलोकन करने की सुविधा मिलती है।

- इसके अतिरिक्त, L1 पर स्थित होने से आदित्य-एल1 को सौर तूफानों (Solar Storms) से जुड़ी वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करने में मदद मिलती है, जिससे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है।

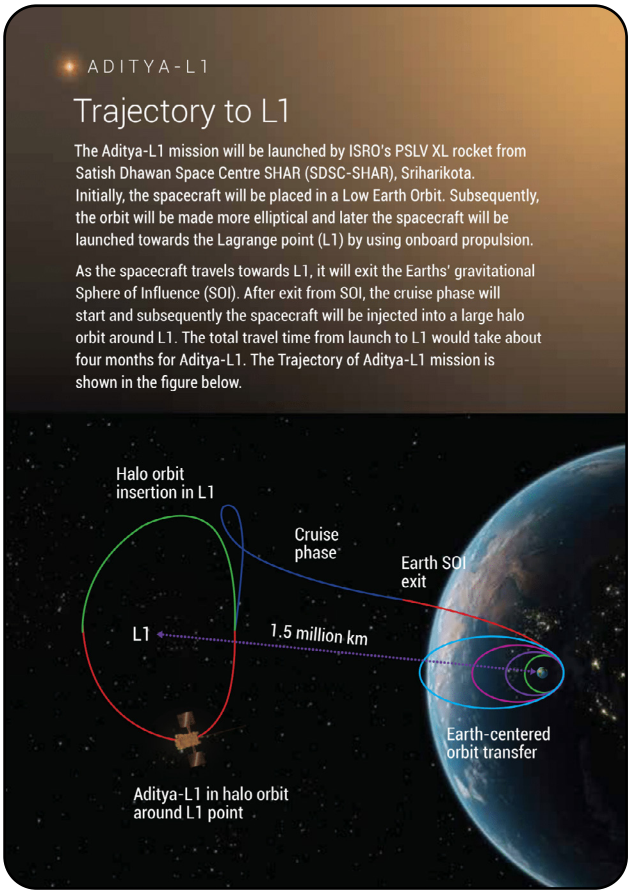

आदित्य- L1 सौर ज्वालाओं का अध्ययन कैसे करता है:

- सौर ज्वालाएँ (Solar Flares) सूर्य के वायुमंडल में संग्रहीत चुंबकीय ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होने वाले तीव्र ऊर्जा विस्फोट हैं। ये विस्फोट पृथ्वी पर भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये उपग्रह संचार, जीपीएस प्रणाली और बिजली ग्रिड को बाधित कर सकते हैं। साथ ही, ये अंतरिक्ष यात्रियों और उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।
- इन सौर ज्वालाओं के गहन अध्ययन के लिए, आदित्य-एल1 को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं:
  - » **SUIT (Solar Ultraviolet Imaging Telescope):** यह उपकरण निकट-पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में सूर्य की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियों को कैप्चर करता है। इससे वैज्ञानिकों को सौर ज्वालाओं की उत्पत्ति और उनके विकास को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।
  - » **SoLEXS (Solar Low Energy X&ray Spectrometer) और HEL1OS (High Energy L1 Orbiting X&ray Spectrometer):** ये उपकरण सौर ज्वाला के दौरान उत्सर्जित एक्स-रे विकिरण की निरंतर निगरानी करते हैं, जिससे इन विस्फोटों के ऊर्जा प्रवाह को ट्रैक किया जा सकता है।

सौर ज्वाला का अवलोकन:

- आदित्य-एल1 पर स्थापित सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT) ने हाल ही में X6.3-श्रेणी की सौर ज्वाला का सफलतापूर्वक अवलोकन किया है, जो सौर विस्फोटों की सबसे तीव्र श्रेणियों में से एक मानी जाती है।
- इस घटना को निकट-पराबैंगनी (200-400 एनएम) स्पेक्ट्रम में दर्ज किया गया, जो अब तक इस स्तर की स्पष्टता के साथ पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था।

सौर ज्वालाओं का वर्गीकरण और प्रभाव:

- सौर ज्वालाओं को उनकी तीव्रता के आधार पर A, B, C, M और X श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें X-क्लास ज्वालाएँ सबसे शक्तिशाली मानी जाती हैं। इनका प्रभाव वैश्विक स्तर पर व्यापक हो सकता है, जैसे:
  - » रेडियो ब्लैकआउट, जिससे संचार नेटवर्क प्रभावित होते हैं।
  - » उपग्रहों पर तीव्र विकिरण का प्रभाव, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
  - » पृथ्वी पर बिजली ग्रिड और जीपीएस सिस्टम में गड़बड़ी।
  - » अंतरिक्ष यात्रियों और उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों के लिए विकिरण जोखिम।
- इन सौर ज्वालाओं का गहन अध्ययन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष मौसम के सटीक पूर्वानुमान में सुधार करने और पृथ्वी के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे व प्रौद्योगिकी को सुरक्षित रखने के उपायों को मजबूत करने में सहायता करता है।

निष्कर्ष:

SUIT द्वारा X6.3-श्रेणी की सौर ज्वाला का सफलतापूर्वक पता लगाया जाना, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ी उपलब्धि है। आदित्य-एल1 के सभी उपकरणों के सक्रिय संचालन के साथ, यह मिशन भविष्य में सूर्य की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध कराएगा।

मंगल ग्रह की धूल के स्वास्थ्य जोखिम

सन्दर्भः

हाल ही में प्रकाशित एक जियोहेल्थ अध्ययन में मंगल ग्रह की धूल के खतरों को उजागर किया गया है। इसमें मंगल अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस रोकथाम रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

मंगल की धूल की संरचना और विषाक्तताः

- मंगल की धूल अल्ट्राफाइन (अत्यंत महीन), विद्युत रूप से आवेशित कणों से बनी होती है जो सतहों से चिपक जाती है। पृथ्वी की धूल के विपरीत, इसमें वायुमंडलीय घर्षण के अभाव में कोमलता नहीं आती, जिससे यह तीखी और खुरदरी बनी रहती है।
- इसमें सिलिका, पर्क्लोरेट्स, जिप्सम, नैनोफेज आयरन ऑक्साइड जैसे खतरनाक यौगिक व भारी धातुएँ 'जैसे क्रोमियम, बेरिलियम, आर्सेनिक और कैडमियम' पाई जाती हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं।

अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जोखिमः

- **सिलिकोसिसः** धूल में मौजूद सिलिका से फेफड़ों में रेशेदार ऊतक बनने लगते हैं, जो कोयला खनिकों की "ब्लैक लंग डिजीज" जैसी स्थिति उत्पन्न करता है।
- **थायरॉयड समस्याः** पर्क्लोरेट्स थायरॉयड ग्रंथि की कार्य प्रणाली को बाधित कर सकते हैं, जिससे चयापचय विकार और एप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर रक्त संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं।
- **फेफड़ों की बीमारियाँः** आयरन ऑक्साइड और अन्य प्रतिक्रियाशील खनिज फेफड़ों में सूजन, फाइब्रोसिस और श्वसन विफलता का कारण बन सकते हैं, जो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय विकिरण की उपस्थिति में और भी गंभीर हो जाती हैं।

इंजीनियरिंग चुनौतियाँ और तकनीकी जोखिमः

- मंगल की धूल यान और उपकरणों के लिए भी खतरा है। इसके सूक्ष्म कण सौर पैनलों, लैंडर्स और वैज्ञानिक उपकरणों पर जम सकते हैं, जिससे दक्षता घटती है और मिशन असफल हो सकते हैं। पूर्ववर्ती मिशनों में भी यह समस्या देखी गई हैः
  - **नासा का ऑपर्च्युनिटी रोवर (2018):** धूल भरी आंधियों के कारण सौर पैनल ब्लॉक हो गए, जिससे रोवर ने काम करना बंद कर दिया।
  - **इनसाइट लैंडर (2022):** धूल जमने के कारण बिजली की आपूर्ति बंद हो गई और संचालन रुक गया।
- मानव मिशनों में, धूल के आवास के भीतर घुसने से दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए वायु शुद्धिकरण और धूल नियंत्रण तकनीकों की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है।

प्रस्तावित समाधान रणनीतियाँः

- **वायु निस्पंदन प्रणाली (Air Filtration Systems):** आवास के अंदर धूल के संचरण को रोकना।
- **स्व-सफाई अंतरिक्ष सूट (Self-Cleaning Spacesuits):** विद्युत विकर्षण तकनीक से धूल को चिपकने से रोकना।
- **रक्षा कोटिंग और स्प्रे (Protective Coatings & Sprays):** उपकरणों पर धूल जमने से बचाव।
- **आहार हस्तक्षेप (Dietary Interventions):**
  - क्रोमियम विषाक्तता को कम करने के लिए विटामिन C।
  - पर्क्लोरेट्स से थायरॉयड क्षति को कम करने के लिए आयोडीन।
- हालाँकि, अत्यधिक पूरक सेवन (Supplementation) से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है, जो पहले से ही माइक्रोग्रैविटी के कारण हड्डियों की कमजोरी के चलते चिंता का विषय है।

निष्कर्षः

आगामी मंगल अभियानों को देखते हुए, मंगल ग्रह की धूल से जुड़े खतरों से निपटना अनिवार्य है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग और संचालन संबंधी समाधानों के सम्मिलित प्रयासों से ही अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और मिशन की सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। धूल के व्यवहार और उसे नियंत्रित करने की तकनीकों पर चल रहे शोध भविष्य की अंतरिक्ष खोजों की दिशा तय करेंगे।

गैया मिशन

सन्दर्भः

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का गैया मिशन 27 मार्च 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया यह मिशन एक दशक से अधिक समय तक चला और इसने हमारी आकाशगंगा (मिल्की वे) की संरचना, संघटन और विकास को समझने में क्रांतिकारी बदलाव लाया।

गैया मिशन के बारे मेंः

- गैया (जिसका मूल नाम Global Astrometric Interferometer for Astrophysics था) को आकाशीय पिंडों की स्थिति, दूरी और गति को अत्यंत सटीकता से मापने के लिए डिजाइन किया गया था।
- यह मिशन पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 2 (L2) से संचालित हुआ, जहाँ वायुमंडलीय विकृति से मुक्त होकर ब्रह्मांड का अवलोकन किया गया। गैया ने अरबों तारों पर नजर रखी और आकाशगंगा के अतीत और भविष्य को समझने में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं।

प्रौद्योगिकीय नवाचार:

- गैया की सफलता इसके अत्याधुनिक उपकरणों पर आधारित थी:
  - » **जुड़वां टेलीस्कोप:** विस्तृत क्षेत्र में निरंतर अवलोकन के लिए।
  - » **एस्ट्रोमीटर:** तारों की स्थिति को अभूतपूर्व सटीकता से मापने के लिए।
  - » **फोटोमीटर:** तारों के तापमान और संघटन को जानने के लिए प्रकाश विश्लेषण का उपयोग।
  - » **स्पेक्ट्रोमीटर:** रेडियल वेग और रासायनिक गुणों को मापता है।
- गैया का डिजिटल कैमरा लगभग एक अरब पिक्सल वाला था, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली कैमरा था जो अंतरिक्ष में भेजा गया।

गैया का महत्व:

- अपने मिशन के दौरान गैया ने लगभग 3 ट्रिलियन अवलोकन किए और लगभग 2 अरब आकाशीय पिंडों का डेटा संग्रहित किया। इसने कई महत्वपूर्ण खोजों में योगदान दिया:
  - » **आकाशगंगा की संरचना और विकास:** गैया ने मिल्की वे की मुड़ी हुई डिस्क और केंद्रीय उभार को मैप किया, जिससे यह पता चला कि गुरुत्वीय प्रभाव कैसे आकाशगंगा को आकार देते हैं।
  - » **तारकीय गति का अध्ययन:** इस यान ने तारों की गति को समय के साथ ट्रैक किया, जिससे आकाशगंगा के विकास का गतिशील दृश्य प्राप्त हुआ।
  - » **ब्लैक होल की खोज:** गैया ने एक नए प्रकार के ब्लैक होल की पहचान की, जो केवल गुरुत्वीय प्रभाव के माध्यम से पता चला, न कि प्रकाश उत्सर्जन से।
  - » **क्षुद्रग्रहों की निगरानी:** 1,50,000 से अधिक क्षुद्रग्रहों का अध्ययन किया गया, जिससे उनकी कक्षाओं की बेहतर जानकारी मिली, जिनमें से कुछ पृथ्वी के लिए संभावित खतरा हैं।

मिशन समाप्ति और भविष्य:

- अपने अंतिम अवलोकनों के बाद गैया को निष्क्रिय कर दिया गया और सूर्य की कक्षा में एक 'रिटायरमेंट ऑर्बिट' में रखा गया, ताकि वह भविष्य के मिशनों में बाधा न बने। हालांकि यान अब सक्रिय नहीं है, परंतु उसका एकत्रित डेटा अभी भी प्रोसेस किया जा रहा है और आगामी डेटा रिलीज के माध्यम से नए अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

आगे की राह:

गैया ने मिल्की वे के अनुमानित 100 अरब तारों में से केवल 2% का मानचित्रण किया, फिर भी इसने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी है। इसका विशाल डेटा सेट तारों के विकास, आकाशगंगा की गतिशीलता और ग्रह प्रणालियों पर शोध को आगे बढ़ाता रहेगा। यह मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में एक के रूप में अपनी जगह बना चुका है।

लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और लाइम रोग

सन्दर्भ:

हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी द्वारा प्रकाशित शोध में यह पाया गया है कि लैक्टेटडिहाइड्रोजनेज (BbLDH) नामक एंजाइम, बोरेलिया बर्गडोरफेरी (Borrelia burgdorferi) के लिए बेहद आवश्यक है, यह वही जीवाणु है जो लाइम रोग का कारण बनता है। यह खोज नई दवाओं के विकास का अवसर प्रदान करती है, जो अन्य टिक जनित बीमारियों के इलाज में भी मददगार साबित हो सकती हैं।

लाइम रोग को समझना:

- लाइम रोग (या लाइम बोरोलियोसिस) एक जीवाणुजनित संक्रमण है, जो संक्रमित ब्लैकलेग्ड टिक (blacklegged tick) के काटने से फैलता है। यह बीमारी मुख्य रूप से अमेरिका के पूर्वोत्तर और मध्य-पश्चिमी हिस्सों, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।

लक्षण और जटिलताएँ:

- प्रारंभिक लक्षण बुखार, थकान, सिरदर्द और एक विशेष तरह के चकत्ते (erythema migrans), जो अक्सर बुल्स-आई (निशाने की आकृति) जैसा दिखता है।
- विकसित अवस्था में यदि समय रहते इलाज न किया जाए, तो यह रोग जोड़ों, हृदय और तंत्रिका तंत्र तक फैल सकता है। इसके परिणामस्वरूप गठिया, तंत्रिका संबंधी विकार और हृदय की समस्याएँ हो सकती हैं।
- हालांकि एंटीबायोटिक उपचार आमतौर पर प्रभावी होता है, लेकिन कुछ रोगियों में लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस बीमारी के लिए नई और प्रभावी दवाओं की जरूरत है।

बीबीएलडीएच (BbLDH) के बारे में:

- अधिकांश बैक्टीरिया अपने चयापचय (metabolism) के लिए थायमिन (विटामिन B1) पर निर्भर करते हैं, लेकिन बीबीएलडीएच एक अपवाद है। यह जीवाणु बोरेलिया बर्गडोरफेरी एंजाइम पर निर्भर करता है, जो पाइरूवेट को लैक्टेट में बदलने में मदद करता है।
- चूंकि बीबीएलडीएच मानव कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना केवल बोरेलिया बर्गडोरफेरी के चयापचय को बाधित कर सकता है, इसलिए यह दवा के लिए एक आदर्श लक्ष्य (Ideal Drug Target) माना जा रहा है।

अनुसंधान और निष्कर्षः

- वैज्ञानिकों ने जेनेटिक (आनुवंशिक), बायोकैमिकल (रासायनिक) और संरचनात्मक विश्लेषणों का उपयोग किया, जिसमें एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी भी शामिल थी, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया किः
  - » बीबीएलडीएच न केवल प्रयोगशाला में, बल्कि जीवित जीवों में भी बोरेलिया बर्गडोरफेरी के जीवित रहने के लिए जरूरी है।
  - » जब इस एंजाइम के कार्य को बाधित किया गया (loss-of-function experiments), तो जीवाणु की वृद्धि और संक्रमण क्षमता में कमी देखी गई।
- यह अध्ययन अन्य टिक-जनित रोगों में पाए जाने वाले LDH एंजाइमों को समझने में भी मदद करेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

निष्कर्षः

लैक्टेटडिहाइड्रोजनेज को बोरेलिया बर्गडोरफेरी के एक प्रमुख चयापचय एंजाइम के रूप में पहचानना, लाइम रोग के शोध में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि इस एंजाइम को लक्ष्य कर उपचार विकसित किए जाएं, तो इससे न केवल रोग के दीर्घकालिक प्रभावों को कम किया जा सकता है, बल्कि अन्य टिक जनित बीमारियों के लिए भी प्रभावी दवाओं का रास्ता खुल सकता है।

विक्रम और कल्पना माइक्रोप्रोसेसर

सन्दर्भः

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी (SCL) ने मिलकर दो उन्नत 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर 'विक्रम 3201 और कल्पना 3201' का सफल विकास किया है। ये माइक्रोप्रोसेसर विशेष रूप से अंतरिक्ष अभियानों के लिए डिजाइन किए गए हैं और भारत की उच्च-विश्वसनीयता वाले स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।

विक्रम 3201 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में:

- भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर विक्रम 3201, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि है। इसे लॉन्च व्हीकल्स द्वारा सामना की जाने वाली अत्यधिक परिस्थितियों को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। विक्रम 3201 को चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में 180nm CMOS तकनीक से निर्मित किया गया है।
- यह माइक्रोप्रोसेसर 16-बिट विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण है, जिसका उपयोग 2009 से किया जा रहा था। विक्रम 3201 को अंतरिक्ष अभियानों के लिए कठोर परीक्षणों से गुजारा गया है और इसे PSLV-C60 मिशन के दौरान PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

कल्पना 3201 माइक्रोप्रोसेसरः

- कल्पना 3201 एक और अग्रणी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर है जिसे इसरो ने विकसित किया है। यह IEEE 1754 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (ISA) पर आधारित SPARC V8 RISC प्रोसेसर है। कल्पना 3201 ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर टूलसेट्स के साथ संगत है और इसे उड़ान सॉफ्टवेयर के साथ व्यापक रूप से परीक्षण किया गया है।
- कल्पना 3201 को विशेष रूप से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं, विशेष रूप से Ada, के समर्थन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें फ्लोटिंग-पॉइंट गणनात्मक क्षमताएं भी हैं। यह इसे उन जटिल अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयुक्त बनाता है जिनमें उच्च कंप्यूटेशनल शक्ति और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है।

स्वदेशी विकास और 'आत्मनिर्भरता' पहलः

- विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास भारत की 'आत्मनिर्भरता' पहल के अनुरूप है। इस पहल का उद्देश्य विदेशी तकनीकों पर निर्भरता को कम करना और अंतरिक्ष प्रणालियों व प्रौद्योगिकियों के विकास में स्वदेशी क्षमताओं को सशक्त बनाना है।
- दोनों माइक्रोप्रोसेसर एक कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (ISA) से लैस हैं, जो यह दर्शाता है कि इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित समाधान विकसित करने में सक्षम है। इसके अलावा, इसरो ने इन माइक्रोप्रोसेसरों के लिए आवश्यक सभी सॉफ्टवेयर टूल्स 'जैसे Ada कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर्स और सिम्युलेटर' स्वयं विकसित किए हैं।
- सी लैंग्वेज कंपाइलर पर भी कार्य चल रहा है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अधिक लचीलापन प्राप्त होगा। यह व्यापक विकास दृष्टिकोण भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता को और मजबूत करता है।

निष्कर्षः

विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रोप्रोसेसरों का सफल विकास और परीक्षण इसरो की अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। ये तकनीकी उपलब्धियां अंतरिक्ष अभियानों की विश्वसनीयता, लचीलापन और कार्यकुशलता में सुधार लाएंगी और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को और सशक्त बनाएंगी। स्वदेशीकरण की यह दिशा भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास और स्थिरता की ओर अग्रसर करेगी।

भारत के एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाना: विकास, बजटीय सुधार और भविष्य की संभावनाएं

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि का आधार स्तंभ है, जो रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात में अहम भूमिका निभाता है। देश में 5.93 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई हैं, जो 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और भारत के औद्योगिक विकास को गति दे रहे हैं। 2023-24 में, MSME का भारत के कुल निर्यात में 45.73% का योगदान रहा, जिससे यह भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति की रीढ़ बन गया है। यह क्षेत्र न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, बल्कि भारत को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापारिक हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायक है। इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 में ऋण सुविधा बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र-विशिष्ट उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए कई सुधारों की घोषणा की गई है। इन उपायों का उद्देश्य एमएसएमई को सुलभ वित्तीय साधनों से लैस करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और भारत की विनिर्माण एवं निर्यात क्षमताओं को मजबूत करना है।

एमएसएमई और भारत की आर्थिक वृद्धि में उनकी भूमिका:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
  - » **रोजगार सृजन:** कृषि के बाद, एमएसएमई भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लाखों लोगों की आजीविका सुनिश्चित करता है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
  - » **विनिर्माण उत्पादन:** भारत के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में 27.3% से बढ़कर 2022-23 में 30.1% हो गई है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत देता है कि एमएसएमई भारतीय औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अभिन्न अंग बन चुका है।
  - » **निर्यात वृद्धि:** एमएसएमई निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। 2020-21 में इस क्षेत्र से निर्यात 3.95 लाख करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर 12.39 लाख करोड़ तक पहुंच गया। कुल निर्यात में एमएसएमई का योगदान मई 2024 तक 45.79% तक बढ़ गया है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है।
- ये रुझान एमएसएमई की लचीलापन और भारत को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए प्रमुख उपाय:

- केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से व्यापक सुधार प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें वित्तीय सहायता, क्षेत्र-विशिष्ट पहल और नीतिगत संवर्द्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **संशोधित वर्गीकरण मानदंड:**
  - » एमएसएमई का परिचालन बढ़ाने तथा बेहतर वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए, एमएसएमई वर्गीकरण की निवेश और कारोबार की सीमाएं क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दी गई हैं।
  - » इस समायोजन से अधिक दक्षता, उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **बढ़ी हुई ऋण उपलब्धता:** बजट में ऋण प्रवाह में सुधार के लिए वित्तीय सहायता उपाय प्रस्तुत किए गए हैं:
  - » सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर को 5

करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

» स्टार्टअप्स को गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने से लाभ होगा और 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण ब्याज दर में 1% की कमी की गई है। निर्यातक एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण की सुविधा मिलेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।

- **सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड:**
  - » उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  - » पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे छोटे व्यवसायों को कार्यशील पूंजी तक आसान पहुंच मिलेगी।
- **स्टार्टअप और पहली बार उद्यम करने वालों के लिए समर्थन:**
  - » स्टार्टअप्स को समर्थन और विस्तार देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा।
  - » एक नई योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इन पहलों का उद्देश्य समावेशी उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा वंचित समूहों के लिए बेहतर वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में अपने बजट भाषण के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण मानदंडों की घोषणा की थी, जिसमें वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और दो गुना बढ़ाने का प्रस्ताव था। सरकार ने एमएसएमई को वर्गीकृत करने के लिए टर्नओवर और निवेश मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे।
- **2.5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अब 1 करोड़ रुपये की पिछली सीमा से हटाकर सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ रुपये से संशोधित कर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।**
- **25 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को छोटे उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो पहले 10 करोड़ रुपये थी। ऐसे उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।**
- **125 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले एमएसएमई को अब 50 करोड़ रुपये की पिछली सीमा से बढ़ाकर मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा दोगुनी कर 500 करोड़ रुपए कर दी गई है।**

एमएसएमई के लिए क्षेत्र-विशिष्ट समर्थन:

- **श्रम -प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना:** श्रम-प्रधान उद्योगों की क्षमता को पहचानते हुए, सरकार निम्नलिखित कार्य कर रही है:
  - » फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य डिज़ाइन, घटक विनिर्माण और गैर-चमड़े के फुटवियर उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस पहल से:
    - ➢ 4 लाख करोड़ का कारोबार उत्पन्न होने की संभावना है।
    - ➢ 22 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
  - » खिलौना उद्योग के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य भारत को खिलौना निर्माण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यह योजना क्लस्टर विकास और कौशल निर्माण को प्रोत्साहित करेगी।
- **विनिर्माण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहल को मजबूत करना:**
  - » राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के माध्यम से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक नीतिगत रोडमैप प्रदान किया जाएगा।
  - » स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को लक्षित समर्थन दिया जाएगा:
    - ➢ सौर पी.वी. सेल
    - ➢ इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियां
    - ➢ पवन वाली टर्बाइन

- उच्च वोल्टेज संचरण उपकरण
- इस पहल का उद्देश्य सतत औद्योगिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू विनिर्माण क्षमताएं मजबूत होंगी।

एमएसएमई के लिए सरकारी पहल:

औपचारिकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल शुरू की हैं:

- **पीएम विश्वकर्मा:**
  - इस योजना के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की उत्पादकता और बाजार पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया हैं।
  - 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ का आवंटन किए हैं।
  - 2.65 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27.13 लाख सफलतापूर्वक पंजीकृत हुए।
- **उद्यम पंजीकरण पोर्टल:**
  - एमएसएमई पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे 2020 में लॉन्च किया गया।
  - पोर्टल पर 5.93 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत है।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):**
  - सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण-लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करता है।
  - 2023-24 में , पीएमईजीपी:
    - 89,118 उद्यमों को सुविधा प्रदान की गई।
    - 3,093.87 करोड़ की सब्सिडी वितरित की गई।।
    - 7,12,944 नौकरियाँ सृजित हुईं।
- **पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना (SFURTI):**
  - पारंपरिक कारीगर समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है।
  - अब तक 513 क्लस्टर स्वीकृत, जिससे 2,20,800 नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना है।
- **एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति:**
  - यह केंद्र सरकार की कुल खरीद का 25% एमएसएमई से करने का लक्ष्य।
  - 2023-24 में 2,58,413 एमएसएमई से ₹74,717 करोड़ मूल्य की खरीद की गई।

निष्कर्ष::

केंद्रीय बजट 2025-26 एमएसएमई के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करता है, जिसमें ऋण सुविधा, उद्यमिता और क्षेत्र-विशिष्ट पहलों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार वित्तीय सहायता में वृद्धि, विनिर्माण को प्रोत्साहन और वैश्विक व्यापार भागीदारी को सुदृढ़ करके यह सुनिश्चित कर रही है कि एमएसएमई भारत के आर्थिक परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाते रहें। निरंतर नीतिगत समर्थन और लक्षित पहलों के साथ, एमएसएमई न केवल घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाएंगे, बल्कि भारत को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने में योगदान मिलेगा।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी पहल

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम योगदान देते हैं। हालांकि, खंडित भूमि जोत (Fragmented Land Holding), संसाधनों की कमी और बाजार तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों ने उनके विकास को बाधित किया है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण (Structured Approach) अपनाने की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिरता और सौदेबाजी की शक्ति (Bargaining Power) को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

- इस दिशा में, 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को समूहों में संगठित करना, सामूहिक उत्पादन का लाभ का लाभ दिलाना, संस्थागत सहायता (Institutional Support) देना और उन्हें बेहतर बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना है। यह योजना 29 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने इस पहल को भारतीय कृषि में एक बड़े बदलाव का प्रतीक बताया, जिससे छोटे किसानों

और बड़े बाजारों के बीच की दूरी कम होगी।

- 2027-28 तक 6,865 करोड़ के निर्धारित बजट परिव्यय के साथ, इस योजना में किसानों के वित्तीय सशक्तिकरण, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन (Resource Optimization) और सामूहिक विकास की परिकल्पना की गई है। योजना का उद्देश्य सहकारी शक्ति और डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाकर, पारंपरिक कृषि को एक टिकाऊ , बाजारोन्मुख (Market-Driven) और आय केंद्रित उद्यम में परिवर्तित करना है।
- हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले में 10,000वें एफपीओ की स्थापना इस योजना की प्रभावशीलता और कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms) लाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास हैं।

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) :

- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक कानूनी रूप से पंजीकृत सामूहिक संस्था (Legally Registered Collective Entity) है, जिसका गठन किसानों द्वारा किया जाता है, ताकि वे उत्पादन और विपणनमें पैमाने की अर्थव्यवस्था (जब उत्पादन का स्तर बढ़ता है, तो प्रति इकाई लागत घट जाती है) का लाभ उठा सकें। एफपीओ को कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग IXA या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) को एफपीओ के गठन, संवर्धन और सहायता प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी (Nodal Agency) बनाया गया है।
- एफपीओ का प्रमुख उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
  - गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट तक सीमित पहुंच,
  - सस्ती दरों पर संस्थागत ऋण की उपलब्धता,
  - लाभदायक बाजारों तक सीधी पहुंच।
- एफपीओ किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे वे थोक में कम दाम पर इनपुट खरीद सकते हैं, बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों की उत्पादन लागत घटती है, उत्पादकता बढ़ती है और आय में वृद्धि होती है।

एफपीओ: उद्देश्य एवं आवश्यकता

- **सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:** टिकाऊ, आय-उन्मुख खेती को बढ़ावा देने और किसानों की सामाजिक-आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने हेतु 10,000 एफपीओ की स्थापना।
- **उत्पादकता में वृद्धि:** कृषि उत्पादन और लाभ को अधिकतम करने के लिए कुशल एवं लागत प्रभावी संसाधन उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- **वित्तीय एवं संस्थागत सहायता:** प्रबंधन, इनपुट खरीद, प्रसंस्करण, बाजार संपर्क और प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे पहलुओं को कवर करते हुए पांच वर्षों तक सहायता प्रदान करना।
- **कृषि उद्यमिता का विकास:** किसानों के कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन करना, जिससे एफपीओ की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके।

छोटे किसानों के समक्ष चुनौतियाँ:

- छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान निम्नलिखित समस्याओं से जूझते हैं:
  - प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तक सीमित पहुंच।
  - संस्थागत ऋण की कमी और अनौपचारिक ऋणदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता।
  - छोटे पैमाने पर उत्पादन के कारण बाजार में सौदेबाजी की शक्ति कम होना।
  - भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, जिससे फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
- एफपीओ में किसानों को संगठित करके, यह योजना बेहतर बाजार पहुंच, वित्तीय स्थिरता और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करती है। यह छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुए ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की दिशा में एक समावेशी एवं टिकाऊ पहल है।

योजना के अंतर्गत वित्तीय और संस्थागत सहायता:

- एफपीओ की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार वित्तीय और ऋण सहायता प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं:
  - प्रति एफपीओ तीन वर्षों तक प्रबंधन लागत सहायता के रूप में 18 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
  - प्रत्येक किसान-सदस्य को 2,000 रुपये का इक्विटी अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये है।
  - प्रत्येक एफपीओ के लिए 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी

सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे संस्थागत ऋण तक किसानों की आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

एफपीओ को सशक्त बनाने हेतु बहु-मंत्रालयीय समन्वय:

एफपीओ को मजबूत करने के लिए कई मंत्रालय और एजेंसियां सहयोग कर रही हैं:

- **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय:** यह मंत्रालय एफपीओ को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के लाइसेंस दिलाने में मदद करता है। साथ ही, ई-एनएएम (e-NAM), ओएनडीसी (ONDC) और कृषि इनपुट कंपनियों के जरिए बड़े खरीदारों से जोड़ने का काम करता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय:** यह मंत्रालय एफपीओ को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए आर्थिक मदद देता है। इसमें परियोजना लागत का 35% ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी और 50% तक वित्तीय अनुदान शामिल है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय:** यह मंत्रालय एफपीओ को वित्तीय सहायता, इक्विटी अनुदान, ऋण गारंटी, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने में मदद करता है।
- **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय:** यह मंत्रालय 2021 से 2026 के बीच 500 करोड़ रुपये खर्च कर, डेयरी सहकारी समितियों और एफपीओ को सहयोग दे रहा है। इसके अतिरिक्त, यह NDDB के जरिए 100 प्लस एफपीओ बनाने में भी मदद कर रहा है।
- **एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण):** यह संस्था निर्यात बढ़ाने और वित्तीय मदद देने के लिए एसएफयूआरटीआई योजना के तहत पंजीकृत एफपीओ को सहयोग करती है।
- **मसाला बोर्ड:** यह बोर्ड गुणवत्तापूर्ण मसालों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए काम करता है। साथ ही, फसल के बाद के प्रबंधन में सुधार और किसानों का प्रशिक्षण देने के लिए SPICED योजना चलाता है।

एफपीओ द्वारा की जाने वाली सेवाएं और गतिविधियां:

लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं :

- **गुणवत्तापूर्ण इनपुट की आपूर्ति -** एफपीओ किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट थोक दरों पर और उचित दामों में उपलब्ध कराते हैं।
- **कस्टम हायरिंग सेवाएँ -** एफपीओ के जरिए किसान ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली और अन्य कृषि मशीनरी को किराये पर ले सकते हैं, जिससे छोटे किसानों को भी आधुनिक तकनीक का लाभ मिल सके।
- **मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण -** किसानों की उपज की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा मिलती है, जिससे उत्पाद का बाजार में मूल्य बढ़ता है।
- **भंडारण और परिवहन -** एफपीओ के माध्यम से किसानों को किफायती भंडारण और सुगम परिवहन की सुविधा मिलती है, जिससे फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
- **आय-उत्पादक गतिविधियाँ:** एफपीओ किसानों को मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बीज उत्पादन जैसी अतिरिक्त आय देने वाली गतिविधियों में शामिल होने का मौका देता है।
- **सामूहिक विपणन:** एफपीओ किसानों की उपज को एक साथ इकट्ठा कर थोक में बेचते हैं, जिससे किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
- **बाज़ार सूचना और रसद सहायता:** एफपीओ किसानों को बाजार के रुझान, कीमतों और परिवहन से जुड़ी सही जानकारी देकर उन्हें समय पर और सही निर्णय लेने में मदद करता है।

एफपीओ योजना के अंतर्गत प्रमुख पहल:

- **क्रेडिट गारंटी फंड (CGF):** एफपीओ को बिना बड़ी संपत्ति या गारंटी रखे संस्थागत ऋण दिलाने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGF) बनाया गया है। यह फंड एफपीओ को कार्यशील पूंजी, विपणन अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए आसानी से ऋण दिलाने में मदद करता है।
- **डिजिटल बाजार तक पहुंच के लिए ओएनडीसी प्लेटफॉर्म:** एफपीओ को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत 5,000 से अधिक एफपीओ पहले ही इस नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। यह पहल सीधे उपभोक्ता संपर्क को सक्षम बनाती है, जिससे उचित मूल्य की प्राप्ति होती है और बिचौलियों की भूमिका कम होती है।
- **10,000 एफपीओ का सामान्य सेवा केंद्र (CSC) में रूपांतरण:**

एफपीओ को CSC के रूप में विकसित करने के लिए CSC-SPV और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं, वित्तीय लेनदेन और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

निष्कर्ष:

10,000 एफपीओ की स्थापना आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण और संरचनात्मक सुधार है। यह पहल छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से महिलाओं और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने में सफल रही है। एफपीओ के माध्यम से बाजार तक सीधी पहुंच, आय सुरक्षा में वृद्धि और बिचौलियों की भूमिका में कमी ने किसानों की समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। एफपीओ योजना की सफलता यह दर्शाती है कि सामूहिक खेती और संस्थागत समर्थन किस प्रकार सतत कृषि विकास को गति दे सकते हैं। वित्तीय सहायता, डिजिटल एकीकरण और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण जैसे उपायों के माध्यम से एफपीओ भविष्य में आत्मनिर्भर, बाजार उन्मुख और समृद्ध कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भारत का वस्त्र उद्योग : विकास, चुनौतियाँ और आगे की राह

भारत का वस्त्र उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जिसमें कच्चे फाइबर के उत्पादन से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले परिधानों तक शामिल है। यह उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी, रोजगार और निर्यात के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, अपनी मजबूत क्षमता के बावजूद भारत चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से पीछे है, जिन्हें कम उत्पादन लागत, एकीकृत आपूर्ति शृंखला और सरल नियमों का लाभ मिलता है। इस बीच, भारत में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, वैश्विक व्यापार के पैटर्न बदल रहे हैं और स्थिरता पर ध्यान बढ़ रहा है। ये बदलाव भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए नए अवसर लेकर आए हैं, जिनका सही उपयोग कर भारत अपने वैश्विक बाजार हिस्से को मजबूत कर सकता है।

भारत का वस्त्र उद्योग:

उत्पादन और रोजगार:

- भारत कपास उत्पादन में अग्रणी देश है , जोकि वैश्विक उत्पादन का 24% है और इससे 60 लाख किसानों को रोजगार मिलता है, मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में।
- भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला - जिसमें कताई, बुनाई, रंगाई और तैयार कपड़ो का उत्पादन शामिल है । यह पूरी श्रृंखला 35.22 लाख हथकरघा श्रमिकों सहित 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है ।
- कपास के अतिरिक्त, भारत मानव निर्मित फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियां पॉलिएस्टर उत्पादन में आगे हैं और आदित्य बिड़ला समूह की ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड विस्कोस फाइबर में अग्रणी है।
- हालांकि, भारत में प्रति व्यक्ति मानव निर्मित फाइबर की खपत 3.1 किलोग्राम है , जबकि चीन में यह 12 किलोग्राम और उत्तरी अमेरिका में 22.5 किलोग्राम है ।
- भारत का वस्त्र उद्योग एमएसएमई समूहों में केंद्रित है , जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है:
  - भिवंडी , महाराष्ट्र - कपड़ा उत्पादन
  - तिरुपुर , तमिलनाडु – टी-शर्ट और अंडरगारमेंट्स
  - सूरत , गुजरात – पॉलिएस्टर और नायलॉन कपड़े
  - लुधियाना, पंजाब – ऊनी वस्त्र
- ये केन्द्र भारत के वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं, जोकि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका देते हैं।

बाजार की वृद्धि और भविष्य के अनुमान:

- **घरेलू बाजार का विस्तार:** भारत का वस्त्र और परिधान क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी मुख्य वजह बढ़ती घरेलू मांग, शहरीकरण और सरकार की तरफ से मिलने वाला समर्थन है। यह उद्योग आने वाले वर्षों में स्थिर विकास पथ पर आगे बढ़ने की उम्मीद है।
  - अनुमान है कि भारत का कपड़ा और परिधान बाजार सालाना 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ेगा और 2030 तक इसका आकार 350 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है।
  - घरेलू वस्त्र उद्योग भी 2032 तक 8.9% की CAGR के साथ बढ़ते हुए 23.32 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
  - तकनीकी वस्त्र का बाजार, जिसमें रक्षा , स्वास्थ्य सेवा और

खेल से जुड़े कपड़े शामिल हैं, 10% CAGR की दर से बढ़ रहा है।

- » मेडिकल टेक्सटाइल्स , जिनका इस्तेमाल अस्पतालों में पर्दे और गाउन जैसे उत्पादों में होता है, 15% CAGR की गति से आगे बढ़कर 2027 तक 22.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- » इसके अतिरिक्त, एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में उपयोग होने वाले वस्त्रों का बाजार 16.3% CAGR की दर से बढ़ते हुए 2026 तक 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है।

- **वैश्विक बाज़ार रुझान:**
  - » वैश्विक परिधान बाजार का 8% CAGR की दर से बढ़ने का अनुमान है , जिससे इसका आकार 2030 तक 2.37 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है।
  - » इसके साथ ही, वैश्विक कपड़ा और परिधान व्यापार भी 4% की CAGR से बढ़ते हुए 2030 तक 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- इस विस्तारित बाजार में भारत अपने हिस्से को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए भारतीय उद्योग को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ानी होगी, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना होगा और टिकाऊ उत्पादन को अपनाना होगा।

वैश्विक निर्यात में भारत की स्थिति:

- भारत तीसरा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक है , फिर भी इसका निर्यात अपने तेजी से बढ़ते प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।
- **निर्यात:**
  - » वित्त वर्ष 2024 में कुल वस्त्र निर्यात 35.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा । परिधान निर्यात 14.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया , जबकि सूती वस्त्र (घरेलू वस्त्र सहित) का कुल निर्यात 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा ।
  - » भारत के कुल वस्त्र निर्यात में अमेरिका और यूरोपीय संघ का योगदान लगभग 50% है।
  - » वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-जून) में कुल कपड़ा निर्यात 9.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि परिधान निर्यात 2.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- **अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा:**
  - » वियतनाम ने 2023 में 40 अरब डॉलर का परिधान निर्यात किया, जोकि भारत के निर्यात से अधिक है।
  - » बांग्लादेश और चीन को अपनी ऊर्ध्वाधर एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं का लाभ मिलता है, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम रहती है।
  - » इसके विपरीत, भारत की खंडित उत्पादन व्यवस्था (Fragmented Production System) लागत बढ़ा देती है।
- भारत को इस अंतर को कम करने के लिए, उसे अपनी उत्पादन प्रणाली को अधिक कुशल बनाना होगा और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ानी होगी।

वस्त्र उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ:

- **विनिर्माण क्षेत्र की धीमी वृद्धि:** यद्यपि भारत का वस्त्र क्षेत्र विशाल है, फिर भी हाल के वर्षों में इसकी विनिर्माण वृद्धि धीमी रही है।
  - » वित्त वर्ष 2015 से 2019 के बीच वस्त्र विनिर्माण की वृद्धि दर मात्र 0.4% CAGR रही, जबकि परिधान विनिर्माण 7.7% CAGR से बढ़ा।
  - » वित्त वर्ष 2024 तक वस्त्र विनिर्माण में सालाना 1.8% की गिरावट देखी गई, जबकि परिधान विनिर्माण में यह गिरावट 8.2% रही।
  - » कोविड-19 के बाद की मंदी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने विशेषतौर पर तमिलनाडु जैसे राज्यों में एमएसएमई (MSME) इकाइयों को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
- **उच्च उत्पादन लागत और कच्चे माल की कीमतें:**
  - » भारत में पॉलिएस्टर फाइबर चीन की तुलना में 33-36% तक महंगा है ।
  - » विस्कोस फाइबर चीन की तुलना में 14-16% अधिक महंगा है।
  - » गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) ने सस्ते विकल्पों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे उत्पादन अधिक महंगा हो गया है।
- **जटिल नियम और निर्यात बाधाएँ:**
  - » जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं निर्यात को बोझिल बना देती हैं, जबकि चीन और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी सुव्यवस्थित नियमों से लाभान्वित होते हैं ।
  - » मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का अभाव भारतीय निर्यातकों को बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में नुकसान में डालता है।
- **स्थिरता और पर्यावरण अनुपालन:**
  - » वैश्विक फैशन उद्योग अब सतत उत्पादन को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे भारत के लिए पर्यावरणीय अनुपालन की

चुनौतियां बढ़ रही हैं।

» यूरोपीय संघ (EU) ने ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा खपत और पुनर्चक्रण (Recycling) को लेकर 16 नए स्थिरता नियम लागू किए हैं, जिनका पालन भारतीय निर्यातकों के लिए अनिवार्य होगा।

» प्रमुख वैश्विक ब्रांड अब आपूर्तिकर्ताओं से बेहतर ट्रेसेबिलिटी, जल संरक्षण और कम कार्बन उत्सर्जन की मांग कर रहे हैं।

» भारत में वस्त्र पुनर्चक्रण (Textile Recycling) बाजार 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जबकि वैश्विक बाजार 7.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की ओर बढ़ रहा है।

- हरित प्रथाओं को अपनाने से भारत को न केवल प्रमुख बाजारों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे नए व्यापारिक अवसर भी खुलेंगे।

आगे की राह:

- **घरेलू उत्पादन और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:**
  » दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और स्वचालन में निवेश करना।
  » उत्पादन को सुव्यवस्थित करने और लागत दक्षता में सुधार करने के लिए ऊर्ध्वाधर एकीकरण को प्रोत्साहित करना।
  » भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- **स्थिरता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना:**
  » बढ़ते वस्त्र अपशिष्ट से निपटने के लिए सर्कुलर फैशन को बढ़ावा देना, जिसके 2030 तक 148 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।
  » पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए वस्त्र पुनर्चक्रण पहल का विस्तार करना।
- **नीति समर्थन और सरकारी पहल:**
  » एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को मजबूत करना।
  » निर्यात अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रमुख वैश्विक बाजारों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करना।
  » नवप्रवर्तन और उत्पाद विभेदीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा कौशल विकास में निवेश करना।

निष्कर्ष:

भारत का वस्त्र उद्योग इसकी अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है, जोकि लाखों लोगों को रोजगार देता है और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, इस क्षेत्र को बढ़ती उत्पादन लागत, खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं और कठोर नियमों का निपटान करना होगा। नवाचार में निवेश करके, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और स्थिरता को अपनाकर, भारत वैश्विक वस्त्र व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। सही नीतियों और उद्योग जगत के सहयोग से, यह क्षेत्र आने वाले दशक में तेजी से आगे बढ़ सकता है और भारत को वैश्विक वस्त्र और परिधान क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति (Global Leader) बना सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु योजना

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना और सरकार की कम नकदी वाली (Less Cash) अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- **प्रोत्साहन दर:** केंद्र ने छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 तक के लेनदेन पर 0.15% की प्रोत्साहन दर निर्धारित की है।
- **पात्रता:** केवल छोटे व्यापारी ही प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं, जबकि बड़े व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
- **शून्य एमडीआर:** सभी श्रेणियों के लेनदेन के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) होगा, जिससे लागत-मुक्त डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित होगा।
- **भुगतान प्रक्रिया:** अधिग्रहण करने वाले बैंक 80% दावों का तुरंत भुगतान करेंगे, जबकि शेष 20% भुगतान तकनीकी समस्याओं और सिस्टम की उपलब्धता जैसी शर्तों के पूरे होने पर किया जाएगा।

योजना के उद्देश्य:

- **भीम-यूपीआई को बढ़ावा देना:** इस योजना का उद्देश्य भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना और वित्त वर्ष 25 में 20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करना है।
- **भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन:** यह योजना डिजिटल भुगतान से जुड़े लोगों को एक सुरक्षित और मजबूत भुगतान प्रणाली बनाने में मदद करती है।
- **डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना:** यह योजना छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

भीम यूपीआई के बारे में

- ***भीम को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से सरल, त्वरित और सुरक्षित लेनदेन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी यूपीआई आईडी का उपयोग करके या अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे दूसरों को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।***
- ***भीम यूपीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर, 2016 को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया था।***

मुख्य विशेषताएं:

- **प्रत्यक्ष बैंक भुगतान:** यूपीआई आईडी (UPI ID) के माध्यम से सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
- **क्यू आर कोड भुगतान:** व्यापारियों के लिए QR कोड स्कैन करके त्वरित और आसान भुगतान की सुविधा।

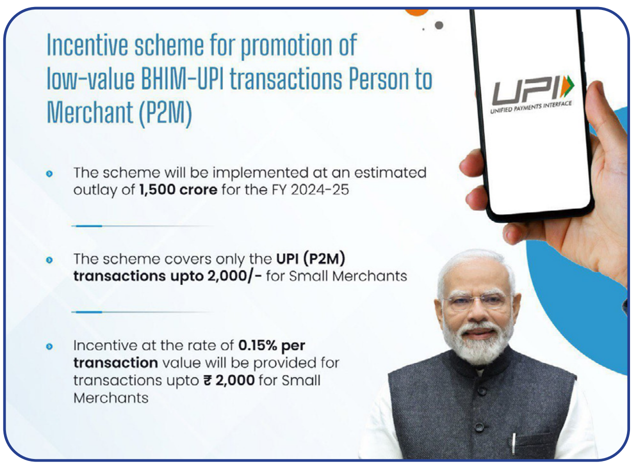

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI):

- NPCI एक प्रमुख संगठन है जो भारत में विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन करता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा देश भर में भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के लेन-देन के लिए एक मजबूत और कुशल भुगतान बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था।
- NPCI को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के तहत ('लाभ के लिए नहीं') कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
  - » **मुख्य उद्देश्य:** भारत की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करना, जिससे खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिक सुगम, अधिक सुरक्षित और कुशल हो सके।
  - » **नवाचार:** NPCI खुदरा भुगतान क्षेत्र में नवीन समाधान लाने पर ध्यान केंद्रित करता है, भुगतान को अधिक सुलभ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है।

निष्कर्ष:

यह पहल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए, जो पहले लेनदेन शुल्क या डिजिटल प्रणाली की जटिलता के कारण इसे अपनाने में संकोच कर रहे थे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को समाप्त करके और प्रोत्साहन प्रदान करके, सरकार छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान को अधिक सुलभ और व्यावहारिक बना रही है, जिससे देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

पिछले 10 वर्षों में 16.35 लाख करोड़ के एनपीए राइट-ऑफ

संदर्भ:

हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने पिछले एक दशक में 16.35 लाख करोड़ के खराब ऋणों (Bad Loans) को माफ (Write-Off) किया है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए):

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non&Performing Assets - NPAs) वे ऋण या अग्रिम होते हैं जिनके लिए मूलधन (Principal) या ब्याज (Interest) का भुगतान 90 दिनों या उससे अधिक समय तक लंबित रहता है। जब कोई ग्राहक, चाहे खुदरा (Retail) हो या कॉर्पोरेट (Corporate), निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो वह बैंक के लिए आय (Revenue) उत्पन्न करना बंद कर देता है और एनपीए की श्रेणी में आ जाता है।
- एनपीए बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे ब्याज अर्जित करना बंद कर देते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली पर वित्तीय दबाव बढ़ता है।

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीए को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है:
  - **संदिग्ध परिसंपत्तियां (Substandard Assets):** वे ऋण जो 12 महीने या उससे कम समय से एनपीए हैं।
  - **संदेहास्पद परिसंपत्तियां (Doubtful Assets):** वे ऋण जो 12 महीने से अधिक समय तक संदिग्ध श्रेणी में रहे हैं।
  - **घाटे वाली परिसंपत्तियां (Loss Assets):** ऐसे ऋण जिनकी वसूली की संभावना बहुत कम होती है, हालांकि कुछ मामलों में आंशिक रूप से धन वापस आ सकता है।

खराब ऋणों की माफी (Write-Off) के विषय में:

- जब कोई बैंक किसी ऋण को राइट-ऑफ करता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि बैंक उस ऋण को अपनी संपत्तियों (Assets) की सूची से हटा देता है, क्योंकि उसकी वसूली की संभावना बेहद कम होती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता की देनदारी समाप्त हो जाती है। बैंक अब भी कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण की वसूली जारी रख सकते हैं।

क्षेत्रों का हिस्सा:

- संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गए (Write-Off) ऋणों का बड़ा हिस्सा बड़े उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में केंद्रित था। इस अवधि के दौरान, कुल खराब ऋणों में से लगभग 9.26 लाख करोड़ अकेले इन क्षेत्रों से संबंधित थे।
- यह प्रक्रिया पिछले एक दशक से जारी है, जिसमें हर वर्ष बड़ी मात्रा में ऋणों को हटाने (Write-Off) की प्रवृत्ति दिखाई देती है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र लगातार बढ़ते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं।

खराब ऋणों के राइट-ऑफ का निहितार्थ:

- खराब ऋणों को राइट-ऑफ (Write-Off) करने का मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता की देनदारी खत्म हो जाती है। यह एक प्रक्रिया है, जिसे तब अपनाया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार किसी ऋण का पूरा प्रावधान (Full Provisioning) किया जा चुका हो। RBI के दिशा-निर्देश बताते हैं कि जो ऋण काफी समय (आमतौर पर चार साल) से गैर-निष्पादित हैं और जिनका पूरा प्रावधान किया गया है, उन्हें राइट-ऑफ किया जा सकता है।
- हालांकि, बैंक कानूनी माध्यमों से वसूली के प्रयास जारी रखते हैं। इसके लिए वे दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) जैसे तंत्रों के जरिए बकाया राशि की वसूली करते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन प्रयासों के बावजूद वसूली की दर बहुत कम रही है।

आलोचना और चिंताएँ:

- 16.35 लाख करोड़ के खराब ऋणों को राइट-ऑफ किए जाने से विपक्ष और विशेषज्ञों में चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का आकार खराब शासन, अक्षमता और कॉर्पोरेट डिफॉल्टरों को जिम्मेदार ठहराने में जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।
- इसके अलावा, वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बिना प्रभावी वसूली तंत्र के इतना बड़ा कर्ज माफ किया जाता है, तो इससे बड़ी कंपनियों के बीच वित्तीय अनुशासनहीनता (Financial Indiscipline) को बढ़ावा मिल सकता है।

आगे की राह:

बट्टे खाते में डाले गए ऋण भारत के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करना और ऋण वितरण प्रक्रिया में कड़ी निगरानी एवं सख्त मूल्यांकन प्रणाली अपनाना आवश्यक है।

वेतनभोगी वर्गों की आय में स्थिरता

संदर्भ:

हाल ही में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, जहां वेतनभोगी वर्ग की आय स्थिर बनी हुई है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक मजदूरी (Real Wages) 2019 की जून तिमाही की तुलना में 2024 की जून तिमाही में 1.7% कम थी। 2020 में मामूली वृद्धि के बाद, 2021 में मजदूरी में 6% और 2022 में 1% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले कुछ वर्षों में मजदूरी में ठहराव की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वास्तविक मजदूरी:

- वास्तविक मजदूरी से तात्पर्य मुद्रास्फीति (Inflation) के लिए समायोजित वेतन से है। यह किसी व्यक्ति की कमाई की वास्तविक क्रय शक्ति को इंगित करता है, अर्थात मुद्रास्फीति के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आय से वह कितनी वस्तु और सेवाएं खरीद सकते हैं।
- यह समझने में मदद करता है कि क्या आय वृद्धि जीवन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठा रही है।

वेतनभोगी नौकरियों में वेतन के स्थिरता के कारण:

- **श्रम की अधिक आपूर्ति:** उपलब्ध उच्च वेतन वाली नौकरियों की तुलना में नौकरी चाहने वालों की संख्या अधिक है। इससे रोजगार दर में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वेतन वृद्धि सीमित रही है।
- **उच्च शिक्षा में घटता रिटर्न:** कई शिक्षित कर्मचारी अपनी नौकरियों के लिए अति-योग्य हैं। इससे कौशल और वेतन के बीच असंगति बनी रहती है।
- **कौशल अंतराल (Skill Gap):** कई उद्योगों में आवश्यक

कौशल की कमी के कारण श्रमिक उच्च वेतन की माँग नहीं कर सकते। इससे वेतन वृद्धि बाधित होती है।

- **मांग में कमी:** निजी क्षेत्र के निवेश में गिरावट से वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग प्रभावित हुई है। इससे नए रोजगार के अवसरों में कमी आई है और वेतन वृद्धि ठप हो गई है।

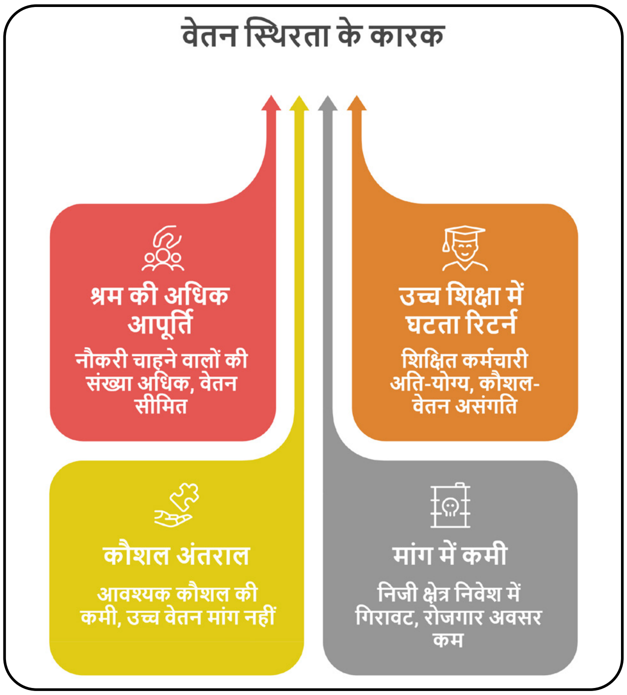

अस्थायी श्रम और स्व–नियोजित श्रमिकों पर प्रभाव:

- **अस्थायी श्रम (Casual Labour):**
  - » वेतनभोगी कर्मचारियों के विपरीत, अस्थायी श्रमिकों के वेतन में वास्तविक वृद्धि देखी गई है। जून 2024 में, अस्थायी श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी 2019 की तुलना में 12.3% अधिक थी।
  - » ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन वृद्धि अधिक रही, लेकिन अस्थायी श्रम अत्यधिक असुरक्षित और अनियमित होता है।
- **स्व-नियोजित श्रमिक (Self-Employed Workers):**
  - » महामारी के बाद स्व-नियोजित व्यक्तियों के वेतन में सुधार हुआ, लेकिन जून 2024 में वास्तविक मजदूरी अभी भी 2019 की तुलना में 1.5% कम थी।
  - » स्व-नियोजित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, विशेषकर अवैतनिक (Unpaid) श्रमिकों के रूप में, जो श्रम बाजार में संकट को दर्शाता है।

संभावित समाधान:

वेतन वृद्धि को पुनर्जीवित करने और आय स्थिरता में सुधार के लिए विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:

- **कौशल विकास (Skill Development):** सभी स्तरों पर बेहतर कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिक आधुनिक नौकरी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- **अर्थव्यवस्था में निवेश (Investment in Economy):** निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि से वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी। इससे रोजगार सृजन (Job Creation) को बढ़ावा मिलेगा।
- **नीतिगत समर्थन (Policy Support):** कर नीति (Tax Policy) में सुधार और सरकारी हस्तक्षेप से खपत और मांग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे आर्थिक वृद्धि और वेतन में सुधार संभव होगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन योजना

संदर्भ:

हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के संचालन की घोषणा की है, जो सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत नए भर्ती और मौजूदा कर्मचारियों दोनों के नामांकन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा है।

एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं:

- एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन, सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन सुनिश्चित करती है।
- यह एनपीएस के तहत पहले से ही कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए 24 जनवरी, 2025 को सरकार की अधिसूचना का अनुसरण करता है।
- **यह योजना निम्नलिखित पर लागू होगी:**
  - » 1 अप्रैल, 2025 तक एनपीएस के अंतर्गत आने वाले मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी।
  - » 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारी।

निश्चित पेंशन बनाम बाजार रिटर्न से जुड़ा भुगतान:

- यूपीएस सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के आधार पर एक निश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो एनपीएस के तहत बाजार रिटर्न से जुड़े भुगतान के विपरीत है।
- यह निश्चित पेंशन सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचने वाले कर्मचारियों, खासकर 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को स्थिरता और आश्वासन प्रदान करती है।
- हालाँकि, लाभ निष्कासन, बर्खास्तगी या इस्तीफे के मामलों में

लागू नहीं होंगे, जैसा कि पीएफआरडीए अधिसूचना में बताया गया है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) से बदलावः

- एकीकृत पेंशन योजना (UPS) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का एक विकल्प है, जिसे 1 जनवरी, 2004 को शुरू किया गया था। पुरानी पेंशन योजना (OPS) के विपरीत, जिसमें पेंशन के रूप में अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% तय किया गया था, नई UPS अंशदायी है।
- कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे, जबकि केंद्र सरकार 18.5% योगदान देगी।
- भुगतान मुख्य रूप से सरकारी ऋण और स्थिर प्रतिभूतियों में निवेश किए गए कोष से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करेगा।

सरकारी कर्मचारियों पर प्रभावः

- 23 लाख सरकारी कर्मचारी अब यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने के पात्र हैं, नई योजना लचीलापन प्रदान करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं या जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित हैं।
- एनपीएस के तहत अनिश्चित बाजार-आधारित रिटर्न की तुलना में यूपीएस एक निश्चित पेंशन के साथ अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

निष्कर्षः

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय भलाई को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनपीएस योगदान के माध्यम से बाजार से जुड़े विकास के कुछ तत्वों के साथ एक निश्चित पेंशन की स्थिरता को जोड़कर, यूपीएस एक संतुलित समाधान प्रदान करता है।

श्रम प्रवासन से दक्षिणी राज्यों में बढ़ती मुद्रास्फीति

संदर्भः

हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा किए गए एक अध्ययन में दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में श्रम प्रवासन के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन के अनुसार, निम्न-आय वाले राज्यों से उच्च-आय वाले राज्यों में प्रवासन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में मुद्रास्फीति और बढ़ रही है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्षः

- **क्षेत्रीय मुद्रास्फीति प्रवृत्तियाँः** अध्ययन के अनुसार दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति दर दर्ज की गयी है। इसके विपरीत, पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों में अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति देखी गई है।
- **श्रम प्रवास का प्रभावः** इस मुद्रास्फीति प्रवृत्ति के पीछे प्राथमिक चालकों में से एक निम्न आय वाले राज्यों से आर्थिक रूप से समृद्ध दक्षिणी राज्यों में श्रमिकों का प्रवास है। प्रवासियों की बढ़ती संख्या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की माँग को बढ़ाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।
- **उच्च क्रय शक्तिः** अध्ययन में यह भी बताया गया है कि दक्षिणी राज्यों में रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) में वृद्धि हुई है, जो आर्थिक विकास और प्रवासन के कारण संभव हुआ है। स्थानीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने और मजदूरी दर में वृद्धि से वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में उछाल आता है।
- **कराधान और नीतिः** अध्ययन में कराधान को भी एक योगदान कारक के रूप में पहचाना गया है। पेट्रोल, डीजल, शराब और ऑटोमोबाइल और फ्लैट के लिए पंजीकरण शुल्क जैसी वस्तुओं पर उच्च कर इन राज्यों में मुद्रास्फीति को बढ़ा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की वस्तुएँ अधिक महंगी हो रही हैं।

राज्यवार मुद्रास्फीति दर

- **केरलः** फरवरी में केरल ने 7.3% की उच्चतम मुद्रास्फीति दर दर्ज की, जो राज्य में जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। प्रवासी मजदूरों पर राज्य की भारी निर्भरता ने मुद्रास्फीति के दबाव को और बढ़ा दिया है।
- **तमिलनाडुः** तमिलनाडु ने पिछले 13 वर्षों में से 9 वर्षों में राष्ट्रीय औसत से अधिक मुद्रास्फीति दर का सामना किया है। यह प्रवृत्ति राज्य में श्रम प्रवाह (Labour Influx) जैसे संरचनात्मक आर्थिक कारकों (Structural Economic Factors) के कारण बनी हुई है, जो निरंतर मुद्रास्फीति दबाव का प्रमुख कारण है।

मुद्रास्फीति क्या है?

- मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्रय शक्ति के क्रमिक ह्रास से है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में इस गिरावट का अर्थ है कि प्रत्येक मुद्रा इकाई से पहले की तुलना में कम वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं।
- मुद्रास्फीति दर की गणना एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की एक चयनित टोकरी की कीमत वृद्धि के औसत से की जाती है। यह दर यह मापने में मदद करती है कि पिछले वर्ष की तुलना में कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है।
  - » **उच्च मुद्रास्फीतिः** जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, जिससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है।
  - » **कम मुद्रास्फीतिः** जब कीमतें धीमी गति से बढ़ती हैं, जिससे क्रय शक्ति पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्षः

एसबीआई अध्ययन दक्षिणी राज्यों में श्रम प्रवास और मुद्रास्फीति के बीच जटिल संबंधों को रेखांकित करता है। जबकि प्रवास ने केरल और तमिलनाडु में आर्थिक विकास में योगदान दिया है, इसने बढ़ती मांग और उच्च कराधान के कारण उच्च मुद्रास्फीति को भी जन्म दिया है। नीति निर्माताओं को इन क्षेत्रों में संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (सी-3)

संदर्भः

हाल ही में भारत ने सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (सी-3) लॉन्च किया है, जो शहरों के मध्य सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक बहु-राष्ट्र गठबंधन है।

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (सी-3) के विषय में:

- सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (सी-3) का उद्देश्य नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं और विकास भागीदारों के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता के लिए स्थायी समाधानों पर चर्चा करने और उन्हें लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है।
- सी-3 के लॉन्च की घोषणा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में की।

सी-3 के मुख्य उद्देश्यः

- **शहरों के मध्य सहयोगः** सतत शहरी विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- **ज्ञान-साझाकरणः** नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं और विकास भागीदारों को अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता में ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारीः** स्थायी शहरी विकास और संसाधन दक्षता पहलों का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन का महत्वः

- सी-3 का शुभारंभ भारत के सतत विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास है। शहरों के मध्य सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करके, सी-3 का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थायी और संसाधन-कुशल शहरों के विकास का समर्थन करना है।

क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरमः

- क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, 2009 में लॉन्च किया गया, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन दक्षता और सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। इसका उद्देश्य तेज आर्थिक विकास, संसाधनों की कमी और बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन से उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है।
- हनोई 3आर घोषणा (2013-2023) मंच द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण विकास था, जिसमें क्षेत्र में अधिक संसाधन-कुशल और सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए 33 स्वैच्छिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की गई थी। ये लक्ष्य राष्ट्रों के लिए स्थिरता प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं।

निष्कर्षः

सी-3 का शुभारंभ एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शहरों के मध्य सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करके, सी-3 का उद्देश्य टिकाऊ और संसाधन-कुशल शहरों के विकास का समर्थन करना है। चूंकि भारत सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा, इसलिए अधिक टिकाऊ भविष्य को प्राप्त करने में सी-3 की सफलता महत्वपूर्ण होगी।

डिजिटल समावेशन की दिशा में भारत की स्थिति

सन्दर्भः

हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) और प्रोसस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी (CIDE) की रिपोर्ट ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में उल्लेखनीय अंतर को उजागर किया है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 'उपयोगकर्ता अर्थव्यवस्था' (User Economy) के मामले में यह 28वें स्थान पर है। उपयोगकर्ता अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है 'आम नागरिकों द्वारा डिजिटल सेवाओं को अपनाना और इन सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च'। यह देश के समग्र डिजिटल बुनियादी ढांचे और औसत नागरिक के लिए इसकी पहुँच के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षः

- **डिजिटलीकरण में असमानता:**
  - » भारत ने समग्र रूप से उच्च स्तर का डिजिटलीकरण प्राप्त किया है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उपयोगकर्ताओं के बीच डिजिटल अपनाने की दर अपेक्षाकृत कम है।
  - » भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी का घनत्व और कई देशों के समान स्तर पर है, लेकिन डिजिटल सेवाओं पर उपभोक्ता खर्च अपेक्षाकृत कम है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास:**
  - » भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, समग्र अर्थव्यवस्था की दर से दोगुनी दर से बढ़ रही है।
  - » 2029 तक, डिजिटल क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पाँचवाँ हिस्सा योगदान करने का अनुमान है।
  - » ये निष्कर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ICRIER द्वारा किए गए पूर्ववर्ती अध्ययन के अनुरूप हैं, जो भारत में डिजिटल क्षेत्र के तेजी से विस्तार की पुष्टि करते हैं।
- **चिप्स फ्रेमवर्क और भारत की रैंकिंग:**
  - » इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति का आकलन करने के लिए चिप्स फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया है, जो कनेक्टिविटी की गुणवत्ता, सामर्थ्य, डेटा उपयोग की तीव्रता, फिनटेक विकास, एआई तत्परता और हरित ऊर्जा में निवेश जैसे कारकों का विश्लेषण करता है।
  - » इन मापदंडों (metrics) के आधार पर भारत की रैंकिंग निम्नलिखित है:
    - ➢ समग्र आर्थिक आकार में– तीसरा स्थान
    - ➢ उपयोगकर्ता अर्थव्यवस्था में– 28वाँ स्थान
    - ➢ इन सभी संकेतकों की संयुक्त रैंकिंग में–आठवाँ स्थान
- **4. डिजिटल दोहन और क्षेत्रीय असमानताएँ:** भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके पीछे कारण है:
  - » सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवा निर्यात के मामले में भारत एक प्रमुख देश है और दुनिया के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है।
  - » भारत का आईटी उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण वाला क्षेत्र है।
- हालांकि, डिजिटलीकरण की प्रगति सभी क्षेत्रों में समान नहीं है:
  - » दक्षिणी और पश्चिमी राज्य डिजिटल अपनाने में अग्रणी हैं।
  - » वहीं, पूर्वी और उत्तरी राज्य इस मामले में पिछड़े हुए हैं, जो डिजिटल पहुँच और उपयोग में गहरी क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ:

- भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem) उसकी एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसे एक सक्रिय स्टार्ट-अप संस्कृति, विकेंद्रीकृत वित्तीय तंत्र और उच्च-मूल्य वाले यूनिकॉर्न उद्यमों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अब भी महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है:
  - » भारत इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मेटावर्स एप्लीकेशन्स को अपनाने के मामले में अन्य अग्रणी देशों से पीछे है।
  - » साथ ही, भारत का एआई (AI) बुनियादी ढाँचा और अनुसंधान एवं नवाचार आउटपुट G32 देशों के औसत स्तर से नीचे है।

आगे की राह:

- 2030 तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग एक-पाँचवाँ हिस्सा योगदान करने का अनुमान है। यह वृद्धि दर पारंपरिक क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, जो भारत के डिजिटलीकरण अभियान की सफलता को दर्शाता है।
- पिछले दशक में, डिजिटल-सक्षम क्षेत्रों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 17.3% रही, जबकि समग्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मात्र 11.8% थी। आगामी वर्षों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म 30% की वृद्धि दर के साथ तेजी से विस्तार करने की ओर अग्रसर हैं।
- भारत को AI क्षमताओं को बढ़ाने, डिजिटल पहुँच बढ़ाने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सही निवेश और नीतिगत उपायों के साथ, देश यह सुनिश्चित कर सकता है कि डिजिटल परिवर्तन न केवल एक आर्थिक शक्ति है, बल्कि समावेशी विकास का एक साधन भी है। इसके माध्यम से भारत वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ा सकता है।

एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन

संदर्भ:

हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन में असम को 5.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त हुईं। यह निवेश मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन, डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढाँचा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इस सम्मेलन से यह स्पष्ट होता है कि निवेशकों का असम की क्षमता और संभावनाओं में भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

मुख्य अवसंरचनात्मक घोषणाएँ:

सरकार ने कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का अनावरण किया है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

- **रेलवे परियोजनाएँ:**
  - » गुवाहाटी में एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण।
  - » अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 50 रेलवे स्टेशनों का

आधुनिकीकरण।

» माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों का विकास।

- **दूरसंचार क्षेत्र:** गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 5G लैब सहित दूरसंचार कनेक्टिविटी में 1,800 करोड़ का निवेश।
- **हाइड्रोकार्बन क्षेत्र:** तेल अन्वेषण और विकास के लिए 85,000 करोड़ का निवेश।

शिखर सम्मेलन का रणनीतिक महत्व:

- एडवांटेज असम 2.0 एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में असम को एक व्यापार-अनुकूल केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह शिखर सम्मेलन न केवल निवेश हासिल करने के बारे में था, बल्कि सतत विकास और रोजगार सृजन पर चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के बारे में भी था।
- इस सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधियों, निजी उद्यमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, जिससे यह एक महत्वपूर्ण मंच बन गया जहां विभिन्न हितधारकों ने एक साथ मिलकर असम के विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा की।
- शिखर सम्मेलन ने हाइड्रोकार्बन, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में असम के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त, यह सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में असम की भूमिका को मजबूत करने के बारे में भी था।

असम आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में:

- **रणनीतिक स्थान:** पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में, असम में महत्वपूर्ण व्यापार और कनेक्टिविटी लाभ हैं।
- **समृद्ध प्राकृतिक संसाधन:** राज्य अपने चाय बागानों और पेट्रोलियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **आर्थिक विविधीकरण:** असम कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन और आईटी को बढ़ावा देकर अपने आर्थिक आधार का विस्तार कर रहा है।
- **मजबूत आर्थिक विकास:** वित्त वर्ष 2023 में, असम के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 19.5% की वृद्धि हुई, जो मजबूत आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है।
- **उच्च-मूल्य निवेश:** जगीरोड में टाटा द्वारा $3.3 बिलियन की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाएँ राज्य की बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की क्षमता को उजागर करती हैं।

निष्कर्ष:

एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन ने असम के तेज औद्योगिकीकरण के लिए मंच तैयार किया है, जिसे पर्याप्त निवेश और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं द्वारा समर्थित किया गया है। राज्य सरकार और उद्योग जगत के नेताओं के सहयोगात्मक प्रयासों से, राज्य निरंतर आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और बेहतर जीवन स्तर के लिए अच्छी स्थिति में है।

समुद्री क्षेत्र में नवाचार के लिए नई पहलें

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री क्षेत्र को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई नई पहलों की शुरुआत की। इनका उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को आधुनिक बनाना, वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाना और समुद्री क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है।

शुरू की गई प्रमुख पहलें:

- **'एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया' (ONOP):**
  » इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों की प्रक्रियाओं और संचालन को एक समान (Standardize) बनाना है, ताकि दस्तावेजीकरण में जटिलताएं और प्रक्रियागत अंतर को खत्म किया जा सके।
  » यह अक्षमताओं को कम करने के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स लागत और अनावश्यक देरी को भी घटाएगी।
  » प्रक्रियाओं के मानकीकरण से भारतीय बंदरगाहों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार होगा।
- **लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीपीआई):**
  » लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स भारतीय बंदरगाहों की प्रदर्शन दक्षता को मापने और निरंतर ट्रैक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
  » इस इंडेक्स के तहत कार्गो हैंडलिंग दक्षता, टर्नअराउंड टाइम, बर्थ निष्क्रिय समय और कंटेनर डवेल टाइम जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators -KPIs) के आधार पर बंदरगाहों का मूल्यांकन किया जाएगा।
  » यह प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों प्रकार के बंदरगाहों के प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण करेगा, जिससे सुधार की संभावनाओं की पहचान की जा सकेगी और संचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।
  » भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के राष्ट्रीय बेंचमार्किंग के लिए 'सागर आंकलन' दिशानिर्देश सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होंगे।
- **भारत पोर्ट्स ग्लोबल कंसोर्टियम:**

» भारत द्वारा अपने वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम की शुरुआत की गई है। यह पहल बंदरगाहों के विस्तार, संचालन और वित्तपोषण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत की वैश्विक समुद्री पहुंच को मजबूत करना और वैश्विक व्यापार में उसकी लचीलता बढ़ाना है।

» इस कंसोर्टियम में इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (IPGL), SDCL (वित्तीय सहयोग) और इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IPRCL) जैसे प्रमुख हितधारकों की भागीदारी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत के बंदरगाह अवसंरचना को आधुनिक बनाना है, जिससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिले और भारतीय निर्यात को वैश्विक बाजार में बढ़ावा दिया जा सके।

- **मैत्री (MAITRI - Master Application for International Trade and Regulatory Interface)**

» भारत के समुद्री क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय पहल के रूप में मैत्री का लोगो लॉन्च किया गया है।

» यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से एकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार की गई है।

» मैत्री पहल, भारत और यूएई के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC) स्थापित करने में मदद करेगी। भविष्य में इसका विस्तार आसियान और बिम्सटेक देशों तक करने की भी योजना है।

निष्कर्ष:

इन पहलों के साथ, भारत का समुद्री क्षेत्र व्यापक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। मानकीकृत बंदरगाह संचालन, बेहतर प्रदर्शन मूल्यांकन, वैश्विक व्यापार सहयोग और डिजिटल एकीकरण जैसी रणनीतियाँ भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेंगी। इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए, मजबूत समन्वय, निरंतर निवेश और समर्थक नीतियों (Enabling Policies) की आवश्यकता होगी। ये सभी कदम मिलकर वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को और मजबूत करेंगे और आर्थिक विकास को गति देंगे।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली

संदर्भ:

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली शुरू की है, जो एक अभूतपूर्व पहल है जिसका उद्देश्य मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से सीधे खेत से वास्तविक समय में फसल बोआई की जानकारी एकत्र करना है। यह अभिनव प्रणाली प्रत्येक कृषि भूखंड के लिए फसल क्षेत्रों की सटीक और अद्यतित जानकारी सुनिश्चित करती है, जो सटीक उत्पादन अनुमानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ:

- **वास्तविक समय डेटा संग्रह:** DCS प्रणाली कृषि क्षेत्रों से डेटा के प्रत्यक्ष और वास्तविक समय संग्रह को सक्षम बनाती है। यह प्रक्रिया न केवल डेटा संग्रह की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है, बल्कि त्रुटियों की संभावना को भी काफी हद तक कम करती है।
- **एग्री स्टैक:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुपालन में निर्मित एग्री स्टैक एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह कड़े डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए किसानों के डेटा की पूर्ण गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **किसान-केंद्रित दृष्टिकोण:** यह प्रणाली किसानों को उनके डेटा पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। डेटा, सिर्फ अधिकृत संस्थाओं के साथ और स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के लिए ही साझा किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित होता है।
- **संघीय संरचना:** DCS प्रणाली की संघीय संरचना राज्यों को उनके डेटा पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देती है। यह मॉडल केंद्रीय निगरानी को सक्षम बनाते हुए भी राज्य स्तर पर गोपनीयता और प्रभावी शासन को बढ़ावा देता है।
- **मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय:** डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए DCS प्रणाली में एन्क्रिप्शन, सुरक्षित API और टोकन-आधारित प्रमाणीकरण जैसे उन्नत उपाय अपनाए गए हैं। यह सभी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) के दिशानिर्देशों के अनुरूप होती हैं।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) सिस्टम के लाभ:

- **बेहतर फसल क्षेत्र अनुमान:** यह प्रणाली सीधे खेतों से वास्तविक समय में सटीक डेटा एकत्र करती है, जिससे फसल क्षेत्रों का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। यह कृषि नीतियों और योजनाओं के लिए सही निर्णय लेने में मदद करता है।
- **किसानों को अधिक सहायता:** यह प्रणाली न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद, फसल बीमा और फसल ऋण जैसी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराती है। इससे किसानों को समय पर और सही मदद मिलती है।
- **बढ़ी हुई दक्षता:** डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को डिजिटल और स्वचालित करने से गलतियों की संभावना कम होती है और कृषि क्षेत्र में काम करने की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होता है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

- **पहुँच में एकरूपता:** डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी राज्यों में इसे समान रूप से लागू किया जाए। वर्तमान में, कुछ राज्य पूरी तरह

से इस प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए हैं, जबकि अन्य राज्य अपने कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं।

- **तकनीकी मुद्दे:** ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी और उपग्रह इमेजिंग की सटीकता में भिन्नता जैसी समस्याएँ डेटा संग्रहण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं।
- **डिजिटल साक्षरता की कमी:** किसानों और क्षेत्र अधिकारियों में डिजिटल उपकरणों के उपयोग की सीमित समझ एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या के समाधान के लिए, डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली के उपयोग के संबंध में व्यापक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए, ताकि डेटा संग्रह की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष:

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली भारतीय कृषि में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह प्रणाली सही डेटा एकत्र कर, किसान सहायता में सुधार कर और डिजिटल तकनीक का लाभ देकर पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ावा देती है।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में संशोधन

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने 26 मार्च, 2025 से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के तहत मध्यम अवधि (5-7 वर्ष) और दीर्घकालिक (12-15 वर्ष) सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) को बंद करने की घोषणा की है। यह निर्णय योजना के प्रदर्शन और उभरती बाजार स्थितियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की पृष्ठभूमि:

- 2015 में शुरू की गई जीएमएस का उद्देश्य दीर्घावधि में सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना और देश में परिवारों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने को उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने हेतु सुविधा प्रदान करना था।
- इस योजना ने व्यक्तियों और संस्थाओं को बैंकों में सोना जमा करने की अनुमति दी, जिससे निर्दिष्ट अवधि में ब्याज अर्जित किया जा सके।

योजना की संरचना:

- जीएमएस ने तीन जमा अवधि की पेशकश की:
  - » अल्पकालिक बैंक जमा (एसटीबीडी): 1-3 वर्ष
  - » मध्यम अवधि सरकारी जमा (एमटीजीडी): 5-7 वर्ष
  - » दीर्घकालिक सरकारी जमा (एलटीजीडी): 12-15 वर्ष
- जबकि बैंकों ने मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर एसटीबीडी के लिए ब्याज दरें निर्धारित कीं, सरकार ने एमटीजीडी और एलटीजीडी के लिए क्रमशः 2.25% और 2.5% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दरें निर्धारित कीं।

बंद करने के कारण:

- वित्त मंत्रालय ने योजना के प्रदर्शन और बदलते बाजार की गतिशीलता को मध्यम और दीर्घकालिक जमा घटकों को बंद करने के प्राथमिक कारणों के रूप में बताया। उल्लेखनीय रूप से, इस वर्ष भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे योजना की व्यवहार्यता प्रभावित हुई है।

जमाकर्ताओं के लिए निहितार्थ:

- 26 मार्च, 2025 से पहले एमटीजीडी और एलटीजीडी श्रेणियों के तहत किए गए जमा उनकी संबंधित परिपक्वता तक जारी रहेंगे। हालाँकि, प्रभावी तिथि के बाद इन श्रेणियों के तहत कोई नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से परिचालन संबंधी पहलुओं को संबोधित करने और मौजूदा जमाकर्ताओं के लिए एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने की उम्मीद है।

अल्पकालिक जमाओं की निरंतरता:

- अल्पकालिक बैंक जमा बैंकों के निर्णय पर निर्भर करेगा, जहां वे अपनी व्यावसायिक रणनीति और लाभप्रदता के आधार पर इसे जारी रख सकते हैं। यह जमाकर्ताओं को कम अवधि के लिए अपने सोने पर ब्याज कमाने का अवसर देता है, जबकि ब्याज दरें बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएंगी।

निष्कर्ष:

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यम और दीर्घकालिक घटकों को बंद करना मौजूदा आर्थिक स्थितियों और बाजार रुझानों के प्रति अनुकूलनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस निर्णय का उद्देश्य सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करना और भविष्य में सरकारी दायित्वों को सीमित करना है। साथ ही, यह नीति निर्माण में वित्तीय योजनाओं के नियमित मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि उनकी प्रभावशीलता बनी रहे और वे राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप रहें।

भारत की अर्थव्यवस्था में एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि

संदर्भ:

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले एक दशक में अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को लगभग दोगुना करते हुए 105% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि भारत की आर्थिक नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और

विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि को दर्शाती है।

भारत की आर्थिक वृद्धि की मुख्य विशेषताएं:

- **सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि:** भारत की GDP 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में अनुमानित $4.3 ट्रिलियन हो गई है, जो 105% की वृद्धि को दर्शाता है। इस तेज विस्तार ने प्रतिशत वृद्धि के मामले में सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है।
- **वैश्विक रैंकिंग:** अब तक, भारत वैश्विक स्तर पर पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ($30.3 ट्रिलियन), चीन ($19.5 ट्रिलियन), जर्मनी ($4.9 ट्रिलियन) और जापान ($4.4 ट्रिलियन) से पीछे है।

अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलनात्मक वृद्धि:

- पिछले एक दशक में अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में तुलनात्मक रूप से धीमी वृद्धि देखी गई:
  - » संयुक्त राज्य अमेरिका – 66% वृद्धि
  - » चीन – 44% वृद्धि
  - » यूनाइटेड किंगडम – 28% वृद्धि
  - » फ्रांस – 38% वृद्धि
  - » रूस – 57% वृद्धि
  - » ऑस्ट्रेलिया – 58% वृद्धि
  - » स्पेन – 50% वृद्धि
- भारत की आर्थिक वृद्धि कई प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक तेज रही है, जो देश के तीव्र गति से हो रहे आर्थिक परिवर्तन और उसकी वैश्विक आर्थिक प्रभावशीलता को उजागर करती है।

भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले कारक:

- भारत की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में कई कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:
  - » **साहसिक आर्थिक सुधार:** भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार लागू किए हैं। माल और सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन, कॉर्पोरेट कर में कटौती, और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार जैसे कदमों ने देश को घरेलू और विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।
  - » **संरचनात्मक सुधार और निवेश:** भारत ने बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। सरकार द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे, राजमार्गों और रेलवे में किए गए भारी निवेश से औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिली है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को गति मिली है।
  - » **विनिर्माण और नवाचार:** 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी नीतियों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। साथ ही, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

	Countries	2015 GDP	2025 GDP	Change
01	India	$2.1T	$4.3T	105%
02	United States	$18.3T	$30.3T	66%
03	China	$11.1T	$19.5T	76%
04	Germany	$3.4T	$4.9T	44%
05	Japan	$4.4T	$4.4T	0%
06	United Kingdom	$2.9T	$3.7T	28%
07	France	$2.4T	$3.3T	38%
08	Italy	$1.8T	$2.5T	39%
09	Canada	$1.6T	$2.3T	44%
10	Brazil	$1.8T	$2.3T	28%
11	Russia	$1.4T	$2.2T	57%
12	South Korea	$1.5T	$1.9T	27%
13	Australia	$1.2T	$1.9T	58%
14	Spain	$1.2T	$1.8T	50%

भविष्य की संभावनाएँ:

- **वैश्विक आर्थिक प्रभाव:** सुधारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि और प्रौद्योगिकी व नवाचार में सतत प्रगति के कारण इसकी आर्थिक वृद्धि दीर्घकालिक रूप से मजबूत रहने की संभावना है।
- **जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ना:** भारत की तेज आर्थिक वृद्धि को देखते हुए, अनुमान है कि भारत 2027 तक जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

निष्कर्ष:

पिछले दशक में भारत की 105% GDP वृद्धि देश की मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था, प्रभावी नीति-निर्माण और रणनीतिक सुधारों का प्रमाण है। भारत का दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। जैसे-जैसे भारत अपनी ऊर्ध्वगामी विकास यात्रा जारी रखेगा, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरकर नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर प्रदान करेगा।

चीन से आयात होने वाले 5 उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क

सन्दर्भः

हाल ही में भारत ने घरेलू उद्योगों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए चीन से आयात होने वाले पाँच उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। यह फैसला वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा "व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR)" की सिफारिश पर लिया गया है।

एंटी-डंपिंग शुल्क क्या होते हैं?

- एंटी-डंपिंग शुल्क उन उपायों में से एक है जो किसी देश के उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। डंपिंग तब होती है जब कोई देश किसी उत्पाद को उसकी वास्तविक कीमत से कम दाम में या उत्पादन लागत से भी सस्ते में दूसरे देश को निर्यात करता है जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान होता है, क्योंकि इससे उनकी कीमतें कम हो जाएंगी और उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत, सदस्य देश अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए डंपिंग के खिलाफ अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं ताकि स्थानीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

वह उत्पाद जिन पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया:

- **एल्यूमिनियम फॉयल:** इस पर 873 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का अस्थायी शुल्क छह महीने के लिए लगाया गया है।
- **सॉफ्ट फेराइट कोर:** यह इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जर और टेलीकॉम डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं। इन पर CIF (लागत, बीमा और सामान ढुलाई) मूल्य का 35% तक शुल्क लगाया गया है।
- **वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क:** इसके आयात पर 1,732 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का शुल्क लगाया गया है।
- **ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड:** पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस रसायन पर 276 से 986 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है।
- **पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन:** चीन के अलावा, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से आने वाले इस उत्पाद पर 89 से 707 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है।

भारत द्वारा शुल्क लगाने का कारण:

- भारत सरकार ने यह शुल्क घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए लगाए हैं। DGTR की जांच में यह पाया गया कि चीन से आने वाले ये उत्पाद बहुत कम कीमतों पर बेचे जा रहे थे, जिससे भारतीय निर्माताओं को भारी नुकसान हो रहा था।
- ऐसे में, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और स्थानीय उद्योगों को दीर्घकालिक व्यवहार्यता (Long-term viability) सुनिश्चित करने के लिए एंटी-डंपिंग का उपाय आवश्यक है।

एंटी-डंपिंग शुल्क कैसे काम करता है?

- सामान्य शुल्क की तुलना में, एंटी-डंपिंग शुल्क एक विशेष सुरक्षा उपाय है, जो किसी देश के बाजार को कुछ शर्तों के तहत डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
- GATT (सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता) के तहत देशों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जरूरत पड़ने पर ऐसे शुल्क लगा सकते हैं।

क्या एंटी-डंपिंग शुल्क WTO नियमों का उल्लंघन करता है?

- एंटी-डंपिंग शुल्क WTO के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। इसके विपरीत, WTO स्वयं यह अनुमति देता है कि यदि कोई देश डंपिंग से प्रभावित हो रहा है, तो वह उचित जांच के बाद ऐसे शुल्क लगा सकता है।
- हालांकि, यह शुल्क तभी लागू किए जा सकते हैं जब यह साबित हो जाए कि घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है और सभी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया गया है।

निष्कर्षः

भारत द्वारा चीन से आने वाले उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश में निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस फैसले से भारत की यह नीति स्पष्ट होती है कि वह चीन के साथ संतुलित और निष्पक्ष व्यापार संबंध बनाए रखना चाहता है, साथ ही अपने आर्थिक हितों की रक्षा भी करना चाहता है।

जैव-अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि

संदर्भ:

हाल ही में जारी 'भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025' (IBER 2025) के अनुसार, भारत की जैव-अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में यह 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई, जो 16 गुना वृद्धि को दर्शाती है। यह प्रगति भारत की वैश्विक जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उभरती हुई स्थिति को रेखांकित करती है, जहाँ अब इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 4.25% योगदान है।

बायोसारथी का शुभारंभ:

- इसी क्रम में, बायोसारथी नामक एक अभिनव वैश्विक मेंटरशिप पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य बायोटेक स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करना है।
- यह पहल उभरते उद्यमियों को दुनिया भर के अनुभवी मेंटर्स से जोड़कर उन्हें मूल्यवान मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करेगी, जिससे जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

जैव अर्थव्यवस्था के विषय में:

- जैव-अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और ऊर्जा के उत्पादन के लिए जैव प्रौद्योगिकी और बायोमास का उपयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी से गहराई से जुड़ी हुई है।
- इसमें कृषि, स्वास्थ्य, रसायन और ऊर्जा जैसे उद्योग शामिल हैं, जहाँ उत्पादन के लिए फसलों, जंगलों, मछलियों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों जैसे जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

जैव अर्थव्यवस्था के चालक:

- अपनी आर्थिक रणनीति के केंद्रीय स्तंभ के रूप में जैव प्रौद्योगिकी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है।
- इस क्षेत्र ने पिछले चार वर्षों में 17.9% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल की है, जिसने भारत को वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक उभरते हुए देश के रूप में स्थापित किया है। सरकार की सक्रिय नीतियों, बुनियादी ढांचे में निवेश और अनुसंधान और विकास पर जोर ने इस तीव्र विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है।

बायो–ई3 नीति:

- बायो-ई3 नीति का पूरा नाम 'अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव-प्रौद्योगिकी' (Biotechnology for Economy] Employment - Environment & Bio-E3) है। यह नीति भारत सरकार द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को गति देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक रणनीति है।
- इस नीति के तहत, बायो-एआई हब, बायो फाउंड्री और बायो-एनेबलर हब जैसी पहलों की स्थापना की जाएगी, ताकि बायोमैन्युफैक्चरिंग के साथ उन्नत तकनीकों को एकीकृत किया जा सके। असम इस नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है, जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

जैव प्रौद्योगिकी क्या है?

- जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) जीव विज्ञान और तकनीक के संयोजन से नए उत्पादों, विधियों और जीवों के विकास की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और समाज में सुधार लाना है। जैव-प्रौद्योगिकी जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) का एक अभिन्न हिस्सा है।
- भारत में जैव प्रौद्योगिकी ने नेफिथ्रोमाइसिन के विकास जैसे अभूतपूर्व नवाचारों को जन्म दिया है, जो श्वसन रोगों के लिए भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है और हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी के सफल परीक्षण हैं।
- इसके अतिरिक्त, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और इसरो (ISRO) के बीच सहयोग से अंतरिक्ष जीव विज्ञान और अंतरिक्ष चिकित्सा की नींव रखी जा रही है। यह पहल अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए चिकित्सा समाधान विकसित करने में सहायक होगी।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के बारे में:

- BIRAC भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है।
- यह जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा संचालित एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य भारत में उभरते जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग को सहायता प्रदान करना है।
- BIRAC निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है:
  - » जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रणनीतिक अनुसंधान, नवाचार और किफायती उत्पाद विकास को बढ़ावा देना।
  - » जैव-प्रौद्योगिकी नवाचारों को वाणिज्यिक रूप देने के लिए सिंगल-विंडो सुविधा प्रदान करना।

निष्कर्ष:

भारत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और नवाचार, अनुसंधान व आर्थिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनते हुए वैश्विक स्तर पर एक मजबूत शक्ति (Powerhouse) बनने की दिशा में अग्रसर है।

7 आंतरिक सुरक्षा

'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत की रक्षा क्षेत्र में प्रगति

एक समय में विदेशी हथियारों के आयात पर निर्भर रहने वाला भारत, अब रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया रास्ता तय कर रहा है। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत की यह यात्रा देश की सैन्य और आर्थिक तस्वीर में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। आत्मनिर्भरता की इस मुहिम ने रक्षा क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है, जिससे यह क्षेत्र अभूतपूर्व विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में अग्रसर हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 इस परिवर्तन का प्रमाण है, जब भारत का रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2014-15 के मुकाबले 174% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की दृढ़ घोषणा है, जिसे दूरदर्शी नीतियों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति ने सशक्त बनाया है।

रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी (जो 2013-14 में ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹6.81 लाख करोड़ हो गया है) देश की सैन्य आधुनिकीकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब भारत स्वदेशी क्षमताओं के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त करता है, तो वह वैश्विक हथियार बाजार में भी एक सशक्त खिलाड़ी के रूप में उभरता है। आने वाला दशक एक ऐसे भारत की उम्मीद जगाता है, जो न केवल अपनी रक्षा कर सकेगा बल्कि वैश्विक रक्षा क्षेत्र के भविष्य को भी आकार देगा।

प्रमुख रक्षा खरीद और अनुबंध

- भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर विशेष जोर दिया है, जो 2024-25 में किए गए ₹2,09,050 करोड़ से अधिक के 193 अनुबंधों में स्पष्ट रूप से दिखता है, जिनमें से 92% घरेलू उद्योगों को दिए गए हैं। कुछ प्रमुख खरीद में शामिल हैं:
  - » **लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) प्रचंड:** हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को 156 हेलीकॉप्टरों के लिए ₹62,700 करोड़ का अनुबंध प्राप्त हुआ है, जिनमें 66 वायुसेना और 90 सेना के लिए हैं। ये हेलीकॉप्टर ऊँचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इनमें 65% स्वदेशी सामग्री शामिल है।
  - » **KC-135 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट (FRA):** हवाई से हवाई ईंधन भरने के प्रशिक्षण के लिए भारत का पहला "वेट लीज़" अनुबंध।
  - » **उन्नत टो किए जाने वाले तोप प्रणाली (ATAGS) और हाई मोबिलिटी गन टोइंग वाहन:** ₹7,000 करोड़ की लागत से DRDO ने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा विकसित 307 ATAGS और 327 गन टोइंग वाहनों को खरीदा। इन तोपों की मारक क्षमता 40 किमी से अधिक है।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि

- भारत ने विदेशी सैन्य हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर लिया है और अब 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे हैं। SRIJAN (Self-Reliant Initiatives through Joint Action) पहल के तहत 14,000 से अधिक पुर्जों का स्वदेशीकरण किया गया है, जबकि पॉजिटिव इंडीजेनाइजेशन लिस्ट ने 3,000 से अधिक आयातित वस्तुओं पर निर्भरता को समाप्त किया है। स्वदेशी रक्षा उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसमें शामिल हैं:
  - » 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSUs)
  - » 430 से अधिक लाइसेंस प्राप्त निजी कंपनियां
  - » 16,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)
- **प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में शामिल हैं:**
  - » **भूमि आधारित प्रणाली:** धनुष तोप, ATAGS, MBT अर्जुन, पिनाका रॉकेट प्रणाली, लाइट कॉम्बैट वाहन

» **वायु आधारित प्रणाली:** LCA तेजस, ALH ध्रुव, LUH, आकाश मिसाइल प्रणाली

» **नौसेना संपत्ति:** विमानवाहक पोत, विध्वंसक जहाज, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और फास्ट अटैक क्राफ्ट

रक्षा निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि:

- भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है, जहाँ पिछले एक दशक में रक्षा निर्यात 30 गुना तक बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात ₹21,083 करोड़ तक पहुँच गया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित 100 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात किए गए।
- प्रमुख निर्यातों में शामिल हैं:
  » बुलेटप्रूफ जैकेट्स
  » डॉर्नियर Do-228 विमान
  » चेतक हेलीकॉप्टर
  » हल्के टॉरपीडो
  » फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स
  » कॉम्बैट बूट्स (रूसी सेना को निर्यात)
- भारत ने 2029 तक ₹50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात और ₹3 लाख करोड़ के कुल उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

रक्षा औद्योगिक गलियारे और निवेश में वृद्धि:

- स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे (DICs) स्थापित किए गए हैं। इन गलियारों में अब तक ₹8,658 करोड़ का निवेश किया जा चुका है।
  » **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे:** लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट सहित छह नोड
  » **तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे:** चेन्नई, कोयंबटूर, होसूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली सहित पाँच नोड
  » 253 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर, ₹53,439 करोड़ के संभावित निवेश के साथ
- इन गलियारों का उद्देश्य रक्षा तकनीक में निर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।

रक्षा में नवाचार और तकनीकी विकास:

- सरकार ने रक्षा नवाचार और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं:
  » **iDEX (Innovations for Defence Excellence):** स्टार्टअप्स और MSMEs को ₹1.5 करोड़ तक की अनुदान राशि प्रदान करता है; अब तक 430 अनुबंध किए गए हैं।
  » **ADITI योजना:** AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंडरवाटर निगरानी में नवाचार को बढ़ावा देती है; ₹25 करोड़ तक की सहायता।
  » **SAMARTHYA पहल (Aero India 2025):** रुद्र M II मिसाइल, नौसेना एंटी-शिप मिसाइल और उन्नत संचार तकनीकों सहित 33 नए स्वदेशी रक्षा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

रक्षा विकास के लिए नीति सुधार:

- स्वदेशी रक्षा उत्पादन को और मजबूती देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीति सुधार किए हैं:
  » • FDI सीमा – स्वचालित मार्ग से 74% तक और सरकारी मंजूरी के साथ 100% तक बढ़ाई गई।
  » • व्यवसाय में आसानी – 436 कंपनियों को 700+ औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए।

MAKE-I और MAKE-II परियोजनाएं:

- **MAKE-I:** सरकार R&D लागत का 70% तक फंड करती है।
- **MAKE-II:** उद्योग द्वारा फंड की गई परियोजनाएं, आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित।
- **MAKE-III:** टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) के माध्यम से भारत में निर्माण।
- 145 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें 171 कंपनियां शामिल हैं।
  » **DTIS (Defence Testing Infrastructure Scheme):** आठ उन्नत परीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित किए गए हैं।
  » घरेलू खरीद को बढ़ावा देने के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के आधुनिकीकरण बजट का 75% यानी ₹1,11,544 करोड़ घरेलू रक्षा खरीद के लिए आवंटित किया गया है।

निष्कर्ष:

भारत का रक्षा क्षेत्र रणनीतिक नीतियों, तकनीकी नवाचार और उद्योग की सक्रिय भागीदारी के कारण तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। देश अब आयात पर निर्भरता कम कर रहा है और एक वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। 2029 तक के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों

के साथ, भारत अंतरराष्ट्रीय हथियार उद्योग में एक अग्रणी खिलाड़ी बनने की दिशा में अग्रसर है। 'मेक इन इंडिया' पहल एक परिवर्तनकारी कदम साबित हुई है, जो रक्षा उत्पादन में दीर्घकालिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है। जैसे-जैसे भारत सैन्य आधुनिकीकरण में आगे बढ़ रहा है, वह एक आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धी रक्षा शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

संक्षिप्त मुद्दे

छत्तीसगढ़ की नई माओवादी आत्मसमर्पण नीति

संदर्भः

हाल ही में छत्तीसगढ़ ने माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नई 'आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति' की घोषणा की है। यह नीति माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें नि:शुल्क भोजन, आश्रय, नकद राशि, कौशल प्रशिक्षण, भूमि और घर प्रदान करने का आश्वासन देती है। यह घोषणा बस्तर क्षेत्र में एक बड़े सुरक्षा अभियान के बाद की गई, जहाँ दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 30 माओवादी मारे गए।

नई नीति के प्रमुख प्रावधानः

- नई नीति के तहत, आत्मसमर्पण करने के इच्छुक माओवादियों को तीन साल तक मुफ्त भोजन और आश्रय, 10,000 रुपये का मासिक भत्ता, कौशल विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमि और आवास की पेशकश की जाएगी।
- हथियार सहित आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को गिरफ्तारी पर घोषित इनाम राशि सहित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सामूहिक आत्मसमर्पण (Mass Surrender) की स्थिति में इनाम राशि दोगुनी कर दी जाएगी। साथ ही, माओवादी-मुक्त घोषित क्षेत्रों में तत्काल 1 करोड़ की विकास परियोजनाएँ संचालित की जाएंगी, जिससे बुनियादी ढांचे और सेवाओं का व्यापक विस्तार सुनिश्चित हो सके। इसमें मोबाइल नेटवर्क, बिजली की लाइनें और सौर लाइट जैसी बुनियादी संरचनाएँ शामिल होंगी।
- नीति के तहत विवाहित माओवादी दंपतियों एवं उनके बच्चों के पुनर्वास हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, माओवादी हिंसा के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, विस्थापित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे वे अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें।
- यह पहल माओवादी विद्रोह के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों को दूर करने के लिए एक समग्र एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

माओवाद क्या है?

- माओवाद माओ त्से-तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद (Communism) का एक रूप है, जो राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह, जनसमर्थन और रणनीतिक गठबंधनों के उपयोग पर बल देता है। इस विचारधारा का मूल केंद्रबिंदु हिंसा और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से राज्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना है, जिसका मूल मंत्र "हथियार रखना अपरिहार्य है (Possession of arms is non&negotiable) " रहा है।
- 2004 में गठित सीपीआई (माओवादी) भारत में सबसे बड़ा माओवादी संगठन है, जिसे गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

माओवादी उग्रवाद के उन्मूलन हेतु तीन-आयामी रणनीतिः

भारत में माओवादी उग्रवाद से निपटने की नीति तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

- **सुरक्षा उपायः**
  - » माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति सुदृढ़ करना।
  - » राज्य एवं केंद्रीय बलों के बीच समन्वित अभियान संचालित करना।
  - » उन्नत तकनीक से सुरक्षा बलों की क्षमताओं का आधुनिकीकरण।
  - » ऑपरेशन समाधान (Operation SAMADHAN) के तहत खुफिया तंत्र को मजबूत कर सटीक और प्रभावी अभियानों को बढ़ावा देना।
- **विकास पहलः**
  - » ग्रामीण संपर्क (PMGSY) में सुधार एवं बुनियादी ढांचे का विस्तार।
  - » आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme) के तहत आवासीय एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहन।
  - » आर्थिक अवसरों में वृद्धि के माध्यम से उग्रवाद के सामाजिक-आर्थिक कारणों का समाधान।
- **सशक्तिकरण एवं विश्वास निर्माणः**
  - » स्थानीय आदिवासी समुदायों के साथ संवाद एवं सहभागिता

को प्रोत्साहित करना।

» माओवादी कैडरों के पुनर्वास हेतु प्रभावी योजनाएँ लागू करना।
» भूमि अधिग्रहण, आदिवासी अधिकारों एवं अन्य प्रमुख मुद्दों का समाधान कर अलगाव की भावना को समाप्त करना एवं विश्वास बहाली को सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति माओवादी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक एवं रणनीतिक प्रयास है, जो आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आत्मसमर्पित माओवादियों एवं उनके परिवारों के समग्र पुनर्वास पर केंद्रित है। सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण (Comprehensive Approach) सैन्य कार्रवाई और सामाजिक पुनर्वासख़्दोनों के माध्यम से माओवादी प्रभाव को कमजोर करने का प्रयास करता है। विकास पहल और शिक्षा सहायता के सशक्तिकरण से यह नीति राज्य में दीर्घकालिक शांति एवं स्थिरता स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

स्वदेशी रक्षा विकास

संदर्भ:

हाल ही में भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 54,000 करोड़ मूल्य के सैन्य हार्डवेयर की खरीद को प्रारंभिक मंजूरी प्रदान की है। यह पहल भारत के रक्षा अवसंरचना (Defence Infrastructure) को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाएगी तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगी। यह निर्णय कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) द्वारा 7,000 करोड़ रुपये की लागत से 307 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) की खरीद को स्वीकृति दिए जाने के बाद आया है।

मुख्य स्वीकृतियाँ और अधिग्रहण:

- कई महत्वपूर्ण रक्षा अधिग्रहणों को DAC से आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity - AoN) प्राप्त हुई है, जिनमें शामिल हैं:
  » **T-90 टैंकों का उन्नयन:** भारतीय सेना के T-90 टैंक, जो इसकी बख्तरबंद कोर का एक प्रमुख घटक हैं, को वर्तमान 1000 HP इंजन की जगह 1350 HP इंजन के साथ उन्नत किया जाएगा। यह सुधार युद्ध के मैदान पर टैंकों की गतिशीलता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा।
  » **एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW-C) एयरक्राफ्ट सिस्टम:** निगरानी और युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए AEW-C एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद को (Acceptance of Necessity) मंजूरी दी गई है। ये सिस्टम ऑपरेशनों के दौरान पूर्व चेतावनी क्षमताओं और हवाई क्षेत्र प्रबंधन में सुधार करेंगे।
  » **वरुणास्त्र टॉरपीडो:** वरुणास्त्र टॉरपीडो, जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं (Anti-Submarine Warfare - ASW) के लिए महत्वपूर्ण हैं, खरीदे जाएंगे। इससे भारतीय नौसेना की पानी के नीचे के खतरों से निपटने की क्षमता और अधिक मजबूत होगी।

ATAGS (एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम):

- रक्षा अधिग्रहण का एक प्रमुख पहलू सैन्य हार्डवेयर का स्वदेशी विकास है। इसके तहत 307 ATAGS (एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम), एक 155mm, 52-कैलिबर की भारी तोप, की खरीद को मंजूरी दी गई है।
- इन तोपों को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) द्वारा भारत फोर्ज और टाटा समूह के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया जा रहा हैं। इससे भारत की विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह है कि इस तोप के 65% से अधिक घटक घरेलू स्तर पर ही निर्मित होंगे।

रक्षा खरीद प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश:

- रक्षा खरीद की दक्षता को और बेहतर बनाने के लिए, DAC ने खरीद प्रक्रिया की समयसीमा को कम करने के लिए नए दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी है। इन संशोधित दिशानिर्देशों से खरीद प्रक्रिया में 10-15% की कमी आने की सम्भावना है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सैन्य आवश्यकताओं को तेजी से और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके।

निष्कर्ष:

भारत की हालिया सैन्य हार्डवेयर खरीद स्वीकृति देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। टैंकों, तोपखाने प्रणालियों और नौसैनिक संपत्तियों के महत्वपूर्ण उन्नयन के साथ-साथ स्वदेशी रक्षा विकास को प्रोत्साहित करके, भारत अपनी वैश्विक रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा, खरीद प्रक्रिया में सुधार से सैन्य अधिग्रहण की दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय सशस्त्र बल उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित रहें।

भारतीय वायु सेना की क्षमता में सुधार हेतु रिपोर्ट

सन्दर्भ:

हाल ही में रक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति ने भारतीय वायु सेना (IAF) की क्षमता वृद्धि से जुड़ी अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है। यह रिपोर्ट IAF में लड़ाकू विमानों की मौजूदा कमी को दूर करने, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और भारत की हवाई युद्ध क्षमता को आधुनिक बनाने

के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

लड़ाकू विमानों की कमी और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:

- **वर्तमान स्थिति और आवश्यकताएँ:**
  - » IAF वर्तमान में 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन संचालित करता है, जो 42.5 स्क्वाड्रन की स्वीकृत ताकत से काफी कम है।
  - » जगुआर, MIG-29UPG और मिराज-2000 सहित कई मौजूदा विमानों को दशक के अंत तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा।
  - » वायुसेना प्रमुख ए.पी. सिंह के अनुसार, युद्ध की तैयारी बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना को हर साल 35-40 लड़ाकू विमान खरीदने चाहिए।
- **योजनाएं और चुनौतियां:**
  - » **लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk-1A:** HAL ने 2025 में 12 विमान देने और 2026 में उत्पादन बढ़ाकर 24 यूनिट करने की प्रतिबद्धता जताई है।
  - » **LCA-Mk2:** यह विमान वर्तमान में विकासाधीन, यह पुराने विमानों का प्रतिस्थापन करेगा।
  - » **एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA):** भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जिसे अगले 10 वर्षों में परिचालन में लाने की योजना है।

स्वदेशीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी:

- **रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता:**
  - » रिपोर्ट में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू एयरोस्पेस क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
  - » रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSU) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के प्रयासों का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र की फर्मों की अधिक भागीदारी की सिफारिश की गई है।
- **रणनीतिक उद्देश्य:**
  - » विमान उत्पादन में दक्षता बढ़ाना।
  - » विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना।
  - » महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की अपूर्ति में तेजी लाना।

अधिकार प्राप्त समिति का गठन:

- समिति का गठन रक्षा मंत्री के निर्देश पर भारतीय वायुसेना के सामने आने वाली चुनौतियों का समग्र रूप से आकलन करने और एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने के लिए किया गया था। इसमें शामिल हैं:
  - » अध्यक्ष: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह
  - » सदस्य:
    - ➢ वायु सेना के उप प्रमुख
    - ➢ सचिव, रक्षा उत्पादन
    - ➢ सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
    - ➢ महानिदेशक, अधिग्रहण
    - ➢ अध्यक्ष, डीआरडीओ
    - ➢ वायु सेना के उप प्रमुख (सदस्य सचिव)
- **कार्यान्वयन रणनीति:**
  - » रक्षा मंत्री ने सिफारिशों का समर्थन किया है और निर्देश दिया है कि उनका समयबद्ध तरीके से पालन किया जाए।
  - » तत्काल कदम लड़ाकू जेट उत्पादन में तेजी लाने और अल्पकालिक क्षमता अंतराल को दूर करने पर केंद्रित होंगे।
  - » दीर्घकालिक उपायों का उद्देश्य उन्नत स्वदेशी विमान विकसित करना और रक्षा विनिर्माण को मजबूत करना होगा।

निष्कर्ष:

अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण, लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की हवाई श्रेष्ठता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा।

वर्टिकली-लॉन्च्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल

सन्दर्भ:

26 मार्च 2025 को, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने वर्टिकली-लॉन्च्ड शॉर्ट-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (VLSRSAM) का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में किया गया, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

VLSRSAM के बारे में

- VLSRSAM एक स्वदेशी रूप से विकसित की गई मिसाइल है, जिसे विशेष रूप से कम दूरी की वायु रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है, जैसे कि मिसाइलें, ड्रोन और अन्य हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध।
- इसमें एक स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं, जो लक्ष्य पहचान और हमले की क्षमताओं को काफी बढ़ा देती हैं और युद्ध की स्थिति में उच्च सटीकता सुनिश्चित करती हैं।

उड़ान परीक्षण विवरण:

- VLSRSAM का उड़ान परीक्षण एक भूमि-आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया, जिससे वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का

अनुकरण किया गया। मिसाइल को एक उच्च गति वाले हवाई खतरे को निशाना बनाकर दागा गया।

- इस परीक्षण के दौरान, मिसाइल ने अपनी "Near-Boundary-Low Altitude" क्षमता का सफल प्रदर्शन किया और अत्यधिक चपलता और सटीकता का परिचय दिया। मिसाइल ने उच्च टर्न रेट प्रदर्शित किया, जिससे वह लक्ष्य को प्रभावी रूप से भेदने में सक्षम रही।

सिस्टम घटक:

- परीक्षण के दौरान युद्ध की स्थिति के अनुसार कई महत्वपूर्ण घटकों को तैनात किया गया:
  - » **VLSRSAM मिसाइल:** मुख्य हथियार जिसकी जांच की गई।
  - » **मल्टी-फंक्शन रडार (MFR):** लक्ष्यों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए।
  - » **वेपन कंट्रोल सिस्टम (WCS):** मिसाइल की उड़ान और लक्ष्य भेदन को नियंत्रित करने के लिए।
- सभी घटकों ने परीक्षण के दौरान अपेक्षित रूप से कार्य किया। परीक्षण के दौरान रियल-टाइम डेटा उन्नत रेंज उपकरणों द्वारा संग्रहित किया गया, जो ITR चांदीपुर में विकसित किए गए हैं। इन प्रणालियों का एकीकृत संचालन और समन्वय उनके वास्तविक परिस्थितियों में प्रभावी होने की पुष्टि करता है और मिसाइल को तैनाती के लिए तैयार घोषित करता है।

परीक्षण का महत्व:

- VLSRSAM भारतीय नौसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा और उसकी वायु रक्षा क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाएगा।
- यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं में हो रही प्रगति को दर्शाती है और वायु रक्षा तकनीक में भविष्य की प्रगति की नींव रखती है, जिससे क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और सशक्त होगी।

निष्कर्ष:

VLSRSAM का सफल परीक्षण भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिसाइल की अत्याधुनिक तकनीक भारतीय सशस्त्र बलों को हवाई खतरों से और अधिक प्रभावी रूप से निपटने की तकनीकी बढ़त प्रदान करेगी। यह मिसाइल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है और इससे देश की वायु रक्षा प्रणाली अधिक सशक्त और विविध प्रकार के हवाई खतरों के प्रति मजबूत बनेगी।

पावर पैक्ड न्यूज

भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन

- भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) मशीन विकसित की है, जिसे अक्टूबर 2025 तक एम्स, नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। यह 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन देश को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। वर्तमान में, भारत की 80-85% चिकित्सा उपकरण आवश्यकताएँ आयात के माध्यम से पूरी की जाती हैं।
- यह परियोजना सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (SAMEER) के साथ साझेदारी में चलाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य एमआरआई की लागत को 50% तक कम करना और विदेशी निर्भरता घटाना है। यह विभिन्न कंपनियों और संस्थानों को नवीन तकनीकों में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। यह स्वदेशी विकास न केवल चिकित्सा क्षेत्र को सशक्त बनाएगा बल्कि अधिक किफायती स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने में भी सहायक होगा।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024

- 25 मार्च 2025 को राज्यसभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित किया, जिसे दिसंबर 2024 में लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई थी। यह विधेयक 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) की कार्यक्षमता को मजबूत करना है।
- यह विधेयक राज्य सरकारों को शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का अधिकार देता है और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस स्थापित करने की अनुमति देता है। यह विधेयक आपदा प्रबंधन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देता है, जिससे सरकारी एजेंसियों के साथ निजी और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। इससे आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनेगी।

सिक्किम का बजट 2025-26

- सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 2025-26 के लिए 16,196 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। बजट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, किसानों के विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी ढांचे में निवेश और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। इसमें 11,028 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 5,168 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है।
- केंद्र सरकार 2,600 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी, जबकि 5,519 करोड़ रुपये कर हस्तांतरण के रूप में मिलेंगे। राज्य सरकार 2,651 करोड़ रुपये उधार लेगी और कर राजस्व से 2,076 करोड़ रुपये तथा गैर-कर राजस्व से 1,007 करोड़ रुपये अर्जित करेगी। यह बजट राज्य की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने पर केंद्रित है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024

- 26 मार्च 2025 को राज्यसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दी, जिसे पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका था। यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, और अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन करता है। इसमें बैंक खातों के नामांकन विकल्पों को एक से बढ़ाकर चार करने का प्रस्ताव है। निदेशक पदों के लिए आवश्यक वित्तीय सीमा पाँच लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दी गई है।
- यह विधेयक बैंकों को अपने लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने की स्वतंत्रता भी देता है। 2024 में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1.41 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया। यह विधेयक बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाएगा।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में बदलाव

- सरकार ने 25 मार्च 2025 को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) के मध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा (MLTGD) घटकों को बंद करने की घोषणा की। यह बदलाव 26 मार्च 2025 से प्रभावी होगा, जिसके बाद इन योजनाओं के तहत कोई नया सोना स्वीकार नहीं किया जाएगा। GMS को 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें अल्पकालिक बैंक जमा (1-3 वर्ष), मध्यम अवधि (5-7 वर्ष), और दीर्घकालिक (12-15 वर्ष) जमा योजनाएँ शामिल थीं। इस योजना का उद्देश्य घरेलू और संस्थागत सोने को उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना और आयात निर्भरता को कम करना था। नवंबर 2024 तक, इस योजना के तहत 31,164 किलोग्राम सोना जमा किया जा चुका था।

प्रचंड प्रहार अभ्यास

- भारतीय सशस्त्र बलों ने 25-27 मार्च 2025 तक तीनों सेनाओं का एकीकृत बहु-क्षेत्रीय अभ्यास "प्रचंड प्रहार" किया। यह अभ्यास सेना, वायु सेना और नौसेना के संयुक्त अभियानों पर केंद्रित था। इसमें उन्नत निगरानी प्रणालियों, अंतरिक्ष-आधारित संसाधनों और विशेष बलों की तैनाती की गई।
- पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राम चंद्र तिवारी, पूर्वी वायु कमांडर एयर मार्शल सूरत सिंह और नौसेना कमोडोर अजय यादव ने इसकी समीक्षा की। यह अभ्यास नवंबर 2024 में हुए "पूर्वी प्रहार" अभ्यास का विस्तार था। इससे तीनों सेनाओं की आपसी समन्वय और परिचालन क्षमता को परखा गया।

रोशनी नादर टॉप 10 अमीर महिलाओं में

- रोशनी नादर हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वह 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर (3.5 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ पाँचवें स्थान पर हैं।
- वह एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन हैं और 2025 में भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने 2023 में शेफ़नर पुरस्कार और 2024 में फ्रांस का शेवेलियर डे ला लेगियन डी'होनूर प्राप्त किया। हुरुन सूची में कुल 561 महिलाएँ हैं, जिनमें 224 स्व-निर्मित अरबपति शामिल हैं।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025

- खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन नई दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में हुआ। इस प्रतियोगिता में 1,300 से अधिक पैरा-एथलीटों ने हिस्सा लिया। हरियाणा 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा।
- तमिलनाडु 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024

- लोकसभा ने समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024 पारित किया, जो 1925 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य समुद्री मार्ग से माल परिवहन को आधुनिक बनाना और इससे जुड़े वाहकों की जिम्मेदारियों, अधिकारों और देनदारियों को स्पष्ट करना है। यह विधेयक बंदरगाह कानूनों को मजबूत करेगा और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देगा।
- यह व्यापार को सरल बनाएगा और राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना कर भारत के समुद्री संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। साथ ही, समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन कर बंदरगाह क्षेत्र के संरचित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- विधेयक केंद्र सरकार को बिल ऑफ लैडिंग से संबंधित नियमों में बदलाव करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम भारतीय बंदरगाहों

से विदेशी बंदरगाहों और भारत के भीतर समुद्री माल ढुलाई को नियंत्रित करेगा।

भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राष्ट्र बना

- भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) दूध उत्पादन के साथ विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। अगले पाँच वर्षों में 300 एमएमटी दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 10 करोड़ लोग देश में दूध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 471 ग्राम प्रतिदिन है। पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला रहा है, जिसका उद्देश्य देशी नस्लों का संरक्षण और विकास करना है। इस मिशन के तहत गोजातीय पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता सुधारने और दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- 2014 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का एक अन्य लक्ष्य कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना है ताकि अधिक उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके। भारत का डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और इस वृद्धि से किसानों की आय बढ़ने की संभावना है।

मासाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार मिला

- जापान के गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को 2025 का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मूलभूत योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले जापानी गणितज्ञ हैं। उन्होंने आंतर समीकरणों जैसी जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणितीय तकनीकों का विकास किया।
- काशीवारा ने माइक्रोलोकल विश्लेषण के क्षेत्र में फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे शापिरा के साथ भी सहयोग किया है।
- एबेल पुरस्कार, जिसे नॉर्वे सरकार ने 2001 में स्थापित किया था, नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल (1802-1829) के सम्मान में दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर (लगभग $714,000) है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2024 में 165 बिलियन डॉलर

- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो 2014 में मात्र 10 बिलियन डॉलर थी। उन्होंने यह जानकारी "भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025" (आईबीईआर 2025) जारी करते हुए दी। इस क्षेत्र ने 17.9% की सीएजीआर दर से वृद्धि की है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 4.25% का योगदान दे रहा है।
- बायोसारथी, बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली एक वैश्विक मेंटरशिप पहल भी शुरू की गई। यह छह महीने का कार्यक्रम उभरते जैव-उद्यमियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देगा।
- भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बीआईआरएसी द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो इस क्षेत्र के विकास, संरचना और नीतिगत निर्णयों में मदद करती है।

भारत का पारंपरिक गोली सोडा वैश्विक बाजार में

- एपीडा (APEDA) ने पारंपरिक भारतीय गोली सोडा को वैश्विक बाजार में गोली पॉप सोडा के रुप में पुनः लॉन्च किया। यह पेय अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और खाड़ी देशों में पहले ही लोकप्रिय हो चुका है। फेयर एक्सपोर्ट्स इंडिया की साझेदारी से इसे लुलु हाइपरमार्केट में पेश किया गया, जहां इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।
- इस पेय को आधुनिक पैकेजिंग और पुरानी यादों के मिश्रण के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, गोली पॉप सोडा को 17-19 मार्च 2025 में लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय (IFE) कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। यह पहल भारत के पारंपरिक पेय को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास है।

दिल्ली सरकार का 1 लाख करोड़ रुपये का बजट

- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 31.5% अधिक है। यह बजट बिजली, सड़क, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। प्रमुख आवंटनों में महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत के लिए 2,144 करोड़ रुपये और यमुना सफाई परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- सरकार ने 100 अटल कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपये और 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के लिए 9,000 करोड़ रुपये भी व्यवस्था की गई।

सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% वृद्धि

- संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% की वृद्धि की गई है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का वेतन 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये और पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है।
- पांच साल से अधिक सेवा करने वाले पूर्व सांसदों को 2,500 रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। पिछली बार 2018 में वेतन संशोधन हुआ था। यह संशोधन 'संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम' के तहत किया गया है और आयकर अधिनियम, 1961 के मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है।

भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता

- भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्प्टन में आयोजित 2025 पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप में जीत हासिल की। पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 44-41 से हराया, जबकि महिला टीम ने 57-34 के प्रभावशाली स्कोर से जीत दर्ज की। यह टूर्नामेंट एशिया के बाहर पहली बार आयोजित किया गया था, जिसमें बर्मिंघम, कोवेंट्री, वॉल्सॉल और वॉल्वरहैम्प्टन में मैच खेले गए।
- 2019 में मलेशिया में आयोजित पहले संस्करण में भी भारत ने दोनों खिताब जीते थे। यह जीत भारत की कबड्डी में अव्वल स्थिति को फिर से स्थापित करती है और इस खेल की वैश्विक लोकप्रियता को भी दर्शाती है।

मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार

- प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राम सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा डिजाइन की है। उन्होंने संसद भवन में महात्मा गांधी की बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा भी बनाई। वर्तमान में, वह दादर के इंदु मिल्स में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर कार्य कर रहे हैं। उनकी मूर्तिकला कला को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है
- 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनकी कृतियां भारतीय इतिहास और संस्कृति की पहचान बन चुकी हैं।

क्रिस्टी कोवेंट्री बनीं आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष

- ज़िम्बाब्वे की खेल मंत्री और ओलंपिक तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनीं। उन्होंने चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज कर 49 मतों के साथ पद हासिल किया। उनके मुकाबले सात उम्मीदवार थे, जिनमें उन्होंने स्पेन के जुआन एंटोनियो समरंच जूनियर को हराया, जबकि ब्रिटेन के सेबेस्टियन कोए तीसरे स्थान पर रहे।

- कोवेंट्री दो बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं। वह अब थॉमस बाक की जगह लेंगी। उनका चयन खेल जगत में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

भारत-फ्रांस नौसैनिक अभ्यास 'वरुण 2025' संपन्न

- भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'वरुण 2025' का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास में समुद्री युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सतह, वायु और पानी के नीचे संचालन शामिल थे।
- भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल के साथ कई विध्वंसक, फ्रिगेट और भारतीय स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी ने इसमें भाग लिया। इस अभ्यास में फ्रांसीसी राफेल-एम और भारतीय मिग-29के के बीच हवाई युद्धाभ्यास भी शामिल थे। पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास ने पानी के भीतर स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
- वरुण 2025 के तहत उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, जटिल युद्धाभ्यास और रणनीतिक समन्वय किए गए। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था। यह अभ्यास न केवल सैन्य सहयोग को गहरा करता है बल्कि भारत और फ्रांस की नौसेनाओं को समन्वित अभियानों में दक्षता हासिल करने का अवसर भी प्रदान करता है।

नासा के अंतरिक्ष यात्री नौ महीने बाद पृथ्वी पर लौटे

- 18 मार्च 2025 को नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नौ महीने तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। वे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से मैक्सिको की खाड़ी में पैराशूट की सहायता से सुरक्षित लैंडिंग करने में सफल रहे।
- इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो उनके निर्धारित मिशन से 278 दिन अधिक था। उन्होंने पृथ्वी की 4,576 बार परिक्रमा की और कुल 195 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की। सुनीता विलियम्स ने नौ स्पेसवॉक में 62 घंटे बिताकर महिला अंतरिक्ष यात्रियों के बीच सबसे अधिक स्पेसवॉक करने का रिकॉर्ड बनाया।
- विलियम्स और विल्मोर को मूल रूप से बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से लौटना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी में देरी हुई। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहने के बाद, अब उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह मिशन अंतरिक्ष में विस्तारित अवधि तक मानव अस्तित्व के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

स्टुअर्ट यंग बने त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री

- त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में स्टुअर्ट यंग ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे वर्तमान में ऊर्जा और ऊर्जा उद्योग मंत्री के रुप में कार्यरत थे और अब निवर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. कीथ रोली का स्थान लेंगे।
- जनवरी 2025 में, डॉ. रोली ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही पद छोड़ने की घोषणा की थी, जिससे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरु हुई। स्टुअर्ट यंग को प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ ऊर्जा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होने के कारण इस पद के लिए चुना गया।
- त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन क्षेत्र का सबसे दक्षिणी द्वीप देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और इसका सबसे बड़ा नगर चगुआनास है। यह देश प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यंग के नेतृत्व में सरकार का ध्यान आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा क्षेत्र के विकास और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित रहेगा।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मिला अतिरिक्त बजट

- भारत सरकार ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 और 2025-26 के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन

(आरजीएम) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।

- संशोधित योजना में दो नई गतिविधियाँ जोड़ी गई हैं, जिससे 30 आवासीय सुविधाओं में कुल 15,000 बछियों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य वीर्य स्टेशनों को मजबूत करना, कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना, बैल उत्पादन में सुधार करना और नस्ल सुधार कार्यक्रमों को तेज करना है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कारण पिछले एक दशक में दूध उत्पादन में 63.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस योजना के तहत किसानों को उन्नत प्रजनन तकनीकों से परिचित कराया गया है। इसके अलावा, एनडीडीबी और आईसीएआर-एनबीएजीआर द्वारा विकसित 'गौ चिप' और 'महिष चिप' जैसी जीनोमिक चिप्स का भी उपयोग किया जा रहा है।
- इस मिशन का उद्देश्य देशी पशु नस्लों को संरक्षित करना और दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, जिससे डेयरी उद्योग को मजबूती मिलेगी।

हरियाणा में 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश

- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च को 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया। यह उनका पहला बजट था, जिसमें उन्होंने राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास योजनाओं पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की जीडीपी औसतन 10.8% की दर से बढ़ी है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 9.1% की औसत वृद्धि के साथ 2024-25 में 3.53 लाख रुपये तक पहुंच गई।
- बजट में कृषि और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। धान की सीधी बुवाई पर सब्सिडी को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹4,500 प्रति एकड़ कर दिया गया। 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के तहत धान छोड़ने पर ₹8,000 प्रति एकड़ की सब्सिडी मिलेगी। महिला किसानों को डेयरी, बागवानी और पशुपालन के लिए ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- बजट में हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए 474 करोड़ रुपये और नशामुक्ति अभियान के लिए एक विशेष प्राधिकरण के गठन की घोषणा की गई। साथ ही, हर जिले में एक गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने और गौशालाओं के लिए ₹5 करोड़ का अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया।

भारत सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन को दी मंजूरी

- भारत सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन को मंजूरी दे दी है, जो भारत के 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसरो का यह मिशन जापान के सहयोग से किया जाएगा और इसमें 350 किलोग्राम वजन का रोवर भेजा जाएगा। यह मिशन भविष्य के मानवयुक्त चंद्र अभियानों के लिए आधार तैयार करेगा।
- इससे पहले, चंद्रयान-3 ने 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अब चंद्रयान-4 का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने एकत्र कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना होगा। इसके बाद चंद्रयान-5 मिशन में और अधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया जाएगा।
- भारत सरकार ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 2035 तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य भी शामिल है। इसरो अब तक 433 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर चुका है, जिसमें 393 विदेशी उपग्रह भी शामिल हैं।
- भारत के कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट का निर्माण मार्च 2025 में शुरू होगा, जिससे छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा। चंद्रयान मिशन की सफलता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी देशों की सूची में शामिल कर दिया है।

इंटेल ने लिप-बू टैन को नया सीईओ नियुक्त किया

- चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने उद्योग के दिग्गज लिप-बू टैन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। टैन, जो पहले इंटेल के बोर्ड सदस्य थे, अब कंपनी को उसके कठिन दौर से उबारने और वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे।
- इंटेल पिछले कुछ वर्षों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा था, जिसके चलते कंपनी ने अपनी चिप निर्माण रणनीतियों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। टैन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब इंटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत चिप निर्माण तकनीकों में निवेश कर रहा है।

- इंटेल कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) निर्माता कंपनियों में से एक है।

हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया ने हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता

- भारतीय हॉकी के प्रमुख खिलाड़ियों हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत सिंह को पुरुष वर्ग में और सविता पुनिया को महिला वर्ग में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला।
- हरमनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं और उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं, सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार गोलकीपर हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में टीम को कांस्य पदक के करीब पहुंचाया था।
- इसके अलावा, 1975 में पुरुष हॉकी विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिषेक को फॉरवर्ड ऑफ द ईयर, हार्दिक सिंह को मिडफील्डर ऑफ द ईयर और अमित रोहिदास को बेस्ट डिफेंडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला।
- अंडर-21 श्रेणी में, अराजित सिंह हुंडल और दीपिका को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। हॉकी इंडिया पुरस्कार भारतीय हॉकी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए हर साल आयोजित किए जाते हैं।

देब मुखर्जी का निधन

- प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता देब मुखर्जी का 83 वर्ष की उम्र में 14 मार्च को मुंबई में निधन हो गया। वे बॉलीवुड में एक महत्वपूर्ण हस्ती थे और उत्तरी बॉम्बे दुर्गा पूजा समारोहों में सक्रिय रूप से शामिल रहते थे। देब मुखर्जी प्रसिद्ध निर्देशक अयान मुखर्जी के पिता भी थे।
- उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म संबंध से की। अधिकार, एक बार मुस्कुरा दो, दो आंखें बारह हाथ, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बातों बातों में और जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में सांस्कृतिक और कलात्मक योगदान दिया।

भारत-बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास बोंगोसागर 2025

- भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में बोंगोसागर 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और सामरिक सहयोग को मजबूत करना था।
- भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस रणवीर और बांग्लादेश नौसेना की ओर से बीएनएस अबू उबैदा ने इसमें भाग लिया। इस दौरान सतह पर फायरिंग, सामरिक युद्धाभ्यास और पुनःपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए गए।
- यह अभ्यास 2019 में शुरु हुआ था और 2023 में इसका चौथा संस्करण आयोजित हुआ था। इस अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं की सामरिक योजना और परिचालन समन्वय को बेहतर बनाने में मदद की।
- बोंगोसागर अभ्यास दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2025 जीता

- मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया। यह मुकाबला ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई में खेला गया।
- दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह लगातार तीसरी बार फाइनल में हार थी। डब्ल्यूपीएल की शुरुआत 2023 में हुई थी और इसमें पांच टीमें भाग लेती हैं।

- **पुरस्कार विजेता:**
  - विजेता: मुंबई इंडियंस
  - उपविजेता: दिल्ली कैपिटल्स
  - एमवीपी: नेट साइवर-ब्राउन
  - ऑरेंज कैप: नेट साइवर-ब्राउन
  - पर्पल कैप: अमेलिया केर
  - इमर्जिंग प्लेयर: अमनजोत कौर
  - फेयर प्ले अवार्ड: गुजरात जायंट्स
- डब्ल्यूपीएल का यह संस्करण महिलाओं के क्रिकेट को और लोकप्रिय बनाने में सहायक रहा।

भारत ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में 33 पदक जीते

- भारत ने ट्यूरिन, इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीते।
- भारत ने स्नोशूइंग और अल्पाइन स्कीइंग में 10-10 पदक, स्नोबोर्डिंग में छह, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में चार, क्रॉस-कंट्री स्कीइंग में दो और फ्लोरबॉल में एक पदक जीता।
- स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स का यह 12वां संस्करण था और इसमें 100 से अधिक देशों के 1,500 एथलीटों ने भाग लिया। यह पहली बार था जब इटली ने इस आयोजन की मेजबानी की।
- 2017 के बाद यह पहला विंटर गेम्स था और अब 2027 संस्करण सैंटियागो, चिली में आयोजित किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र की 'यूएन 80 पहल' की घोषणा

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन 80 पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में सुधार करना है।
- इस पहल के तहत, संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को अधिक कुशल बनाने के लिए आवश्यक सुधारों की पहचान की जाएगी। यह उन सभी जनादेशों की समीक्षा भी करेगा जो सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र को दिए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 के लिए 3.72 बिलियन डॉलर का बजट मंजूर किया है। अमेरिका सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता है, जबकि भारत ने 2025 के लिए 37.64 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है।
- संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए 5.6 बिलियन डॉलर का बजट भी स्वीकृत किया गया है।

भारत की छह संपत्तियां यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ी गईं

- यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने 7 मार्च 2025 को भारत की अस्थायी सूची में छह नई संपत्तियां जोड़ीं।
- नई जोड़ी गई संपत्तियां:
  - कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़)
  - मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर (तेलंगाना)
  - अशोक शिलालेख स्थल (कई राज्य)
  - चौसठ योगिनी मंदिर (मध्य प्रदेश, ओडिशा)
  - गुप्त मंदिर (कई राज्य)
  - बुंदेलों के महल-किले (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश)

- किसी भी संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित करने से पहले उसे अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है। भारत में अब अस्थायी सूची में कुल 62 स्थल हो गए हैं।
- वर्तमान में, 43 भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिनमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में आते हैं।
- 2024 में पहली बार भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की।

भारत के असंगठित क्षेत्र में 12.84% की वृद्धि

- भारत के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में 12.84% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2023-24 के अनुसार, देश में असंगठित उद्यमों की संख्या 6.50 करोड़ से बढ़कर 7.34 करोड़ हो गई है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया गया।
- अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच, इस क्षेत्र में रोजगार 12 करोड़ से अधिक हो गया, जिससे छोटे व्यवसायों की मजबूती का संकेत मिलता है। इस वृद्धि में विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों की बड़ी भूमिका रही है।
- पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में असंगठित उद्यमों की संख्या में तेजी आई है। सरकार की मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने इस क्षेत्र को विस्तार देने में मदद की है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि असंगठित क्षेत्र आजीविका प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

तेजस ने एस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया

- लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस ने बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) एस्ट्रा का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया गया, जहां मिसाइल ने उड़ते हुए लक्ष्य को सटीकता से भेदा।
- एस्ट्रा मिसाइल को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली इसे बेहद प्रभावी बनाती है। भारतीय वायुसेना (IAF) पहले ही इस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है।
- इस परीक्षण को एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA), डीआरडीओ और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सामूहिक प्रयासों से सफल बनाया गया। यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करती है।

महाराष्ट्र का 2025-26 बजट

- महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। राज्य की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत 6.5% से अधिक है।
- बजट में मुंबई के तीसरे हवाई अड्डे का प्रस्ताव किया गया, जिसे वधवन बंदरगाह के पास 2030 तक चालू किया जाएगा। मेट्रो विस्तार के तहत मुंबई (41.2 किमी), पुणे (23.2 किमी) और 237.5 किमी नए मार्ग जोड़े जाएंगे। राज्य में 1,500 किमी नई सड़कें और 7,000 किमी सीमेंट सड़कें बनाई जाएंगी।
- औद्योगिक नीति 2025 के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 50 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। लॉजिस्टिक्स नीति के तहत 10,000 एकड़ में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रयोग के लिए 1 लाख एकड़ में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा।
- तापी नदी घाटी सिंचाई के लिए 19,300 करोड़, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के लिए 8,000 करोड़ और मराठी भाषा सम्मान दिवस के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

त्रिपुरा में लड़कियों के लिए दो नई योजनाएँ

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने त्रिपुरा की लड़कियों के लिए दो योजनाओं – मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत, बीपीएल परिवारों में जन्मी लड़कियों के लिए सरकार ₹50,000 का बांड जमा करेगी। 18 वर्ष की आयु पर, यह राशि 8-10 लाख रुपये तक हो सकती है।
- मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में शीर्ष 140 मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। पहले यह संख्या 100 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
- यह घोषणा त्रिपुरा सरकार 2.0 के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर की गई, जिसमें नड्डा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। इन योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है।

मध्य प्रदेश का 2025-26 बजट

- मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ₹4.21 ट्रिलियन का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
- बजट में ₹78,902 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान है, जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 4.66% के बराबर है। अगले 5 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र को ₹30,000 करोड़ का प्रोत्साहन मिलेगा।
- सामाजिक योजनाओं के लिए ₹2 लाख करोड़, महिला एवं बाल विकास के लिए ₹26,797 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹23,535 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- पर्यटन और संस्कृति के लिए ₹1,610 करोड़, सिंहस्थ-2028 के लिए ₹2,005 करोड़, और गढ़चिरौली में खनन गलियारा नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 11% की वृद्धि दर के साथ देश में सबसे तेजी से बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक राज्य की जीडीपी को ₹250 ट्रिलियन तक पहुंचाना है।

पीएम मोदी को मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन" से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने पोर्ट लुइस में एक कार्यक्रम के दौरान इस सम्मान की घोषणा की। इस सम्मान के साथ मोदी को प्राप्त अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 21 हो गई है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मॉरीशस के लोगों और सरकार का आभार व्यक्त किया।
- इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी वीना रामगुलाम को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री रामगुलाम ने भारतीय मूल के सातवीं पीढ़ी के लोगों को ओसीआई कार्ड प्रदान करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। यह सम्मान भारत और मॉरीशस के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा।

भारत 2028 तक वेब3 का वैश्विक हब बनेगा

- 'इंडिया वेब3 लैंडस्केप' रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब3 डेवलपर हब बनने की ओर अग्रसर है। 2024 में 4.7 मिलियन से अधिक भारतीय डेवलपर्स GitHub से जुड़े, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो डेवलपर्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा आधार बन गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि 45.3% डेवलपर्स कोडिंग में, 29.7% बग फिक्सिंग में और 22.4% डॉक्यूमेंटेशन में सक्रिय हैं।

- भारत में वेब3 टेक्नोलॉजी के प्रमुख क्षेत्र गेमिंग, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT), विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) और वास्तविक दुनिया की संपत्ति (RWA) हैं। वेब3 स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसमें 1,200 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी और हैकथॉन इस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक लोकप्रिय माध्यम बन रहे हैं। वेब3 स्टार्टअप संस्थापकों की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है।

जयश्री वेंकटेशन को 'वेटलैंड वाइज यूज' के लिए रामसर पुरस्कार

- जयश्री वेंकटेशन को 'वेटलैंड वाइज यूज' श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बन गईं। वे वैश्विक स्तर पर वेटलैंड संरक्षण में योगदान देने वाली 12 महिला परिवर्तनकर्ताओं में से एक हैं। जयश्री विशेष रुप से चेन्नई के पल्लीकरनई मार्श के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं।
- यह पुरस्कार वेटलैंड्स के सतत उपयोग और संरक्षण में उनके योगदान को मान्यता देता है। जयश्री ने न केवल वेटलैंड्स की रक्षा की बल्कि महिला संरक्षणवादियों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया। उनका कार्य भारत में जैवविविधता संरक्षण के लिए एक मिसाल बन गया है।

'लापता लेडीज' ने IIFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता

- जयपुर में आयोजित IIFA 2025 में किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। कार्तिक आर्यन को 'भूल भुलैया 3' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और नितांशी गोयल को 'लापता लेडीज' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।
- रवि किशन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, जानकी बोडीवाला ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और राघव जुयाल ने सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का पुरस्कार जीता। कुणाल खेमू को 'मडगांव एक्सप्रेस' के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टोरियल डेब्यू का पुरस्कार मिला।
- संगीत श्रेणी में श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल को सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायन का पुरस्कार मिला, जबकि राम संपत को 'लापता लेडीज' के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक चुना गया।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने

- भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया। 6 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजी थी। न्यायमूर्ति बागची का कार्यकाल छह वर्षों से अधिक रहेगा, और वरिष्ठता के आधार पर, वे मई 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का पद संभाल सकते हैं। उन्हें 27 जून 2011 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत संचालित होता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायमूर्ति बागची की नियुक्ति से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक क्षमता और निष्पक्षता को और मजबूती मिलेगी। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव से न्यायपालिका को लाभ मिलेगा, जिससे न्यायिक प्रशासन में सुधार आएगा। उनकी न्यायिक सेवा, संविधान और कानून की व्याख्या में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे देश के कानूनी परिदृश्य में नया आयाम जुड़ने की उम्मीद है।

असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी

- असम सरकार ने 'असमसैट' नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की, जिससे यह कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। असम इस उपग्रह को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के सहयोग से विकसित करेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की सामाजिक-आर्थिक योजनाओं के लिए डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करना और सीमा निगरानी को मजबूत करना है।

- 'असमसैट' कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे असम सरकार को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूस्खलन की भविष्यवाणी करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, इस उपग्रह की मदद से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा भी मजबूत होगी।
- इस परियोजना से राज्य के छात्रों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वे IN-SPACe और इसरो के मार्गदर्शन में प्रायोगिक उपग्रहों के निर्माण से जुड़ सकेंगे। इससे राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ेगी। असमसैट की लॉन्चिंग असम सरकार की वैज्ञानिक नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी और असम को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाएगी।

संसद ने रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया

- रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 संसद में पारित हो गया है, जिससे रेलवे अधिनियम 1989 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड की शक्तियों को मजबूत करना और रेलवे प्रशासन को अधिक स्वतंत्र बनाना है।
- इस विधेयक के माध्यम से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 और रेलवे अधिनियम 1989 के सभी प्रावधानों को एक ही कानूनी ढांचे में समाहित किया गया है, जिससे कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इससे रेलवे से जुड़े मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और रेलवे प्रबंधन अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकेगा।
- इस विधेयक के पारित होने से रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा। यह विधेयक रेलवे के बुनियादी ढांचे, परिचालन दक्षता और सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 भारतीय रेलवे को भविष्य की चुनौतियों से निपटने और रेल यात्रियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में मदद करेगा। यह कानून भारत में रेलवे प्रशासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बनाएगा, जिससे राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

पीएम मोदी ने सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित समुदायों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस अभियान के तहत, सरकार उन लाभार्थियों की पहचान करेगी, जो अभी तक सरकारी खाद्य योजनाओं से वंचित हैं।
- इस पहल के अंतर्गत गंगा स्वरूपा (विधवा) महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहाय दैनिक मजदूरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लगभग 2 लाख पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत 2020 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस पहल से लाखों जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा और सरकार का 'भूख मुक्त भारत' बनाने का संकल्प और मजबूत होगा।
- सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान से खाद्य वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे वंचितों को अनाज मिलने में कोई रुकावट न हो और सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का सही लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। यह अभियान भारत के खाद्य सुरक्षा मिशन को और सशक्त बनाएगा।

दिल्ली सरकार की 'महिला समृद्धि योजना' को मंजूरी

- दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'महिला समृद्धि योजना' शुरु की है। यह प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना गैर-सरकारी महिला लाभार्थियों को ₹2,500 प्रतिमाह प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार ने ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटित किया है।

- योजना के तहत केवल वे महिलाएं पात्र होंगी जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। जल्द ही एक पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, और एक समिति योजना के नियमों व शर्तों को अंतिम रूप देगी।
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह पहल महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी।

माधव राष्ट्रीय उद्यान बना भारत का 58वां बाघ अभयारण्य

- पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 58वें बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। यह राज्य का 9वां बाघ अभयारण्य बन गया है। भारत में कुल 3,682 बाघ हैं, जो विश्व की 70% जंगली बाघ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- माधव राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में पांच बाघों का निवास स्थान है और जल्द ही इसमें दो और बाघों को शामिल किया जा सकता है। 2023 में यहां तीन बाघों को छोड़ा गया था। सरकार कोर/बफर ज़ोन मॉडल के माध्यम से बाघ संरक्षण को मजबूत कर रही है। यह अभयारण्य चंबल क्षेत्र में स्थित है और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मार्क कार्नी बने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री

- मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जगह ली, जो 2015 से प्रधानमंत्री थे। कार्नी एक अनुभवी बैंकिंग विशेषज्ञ हैं और 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभा चुके हैं।
- 2013 में, वे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पहले गैर-ब्रिटिश गवर्नर बने और ब्रेक्सिट के आर्थिक प्रभावों को नियंत्रित करने में योगदान दिया। उनका मुख्य फोकस अमेरिका-कनाडा संबंधों को सुधारना होगा, जो ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद तनावपूर्ण हो गए हैं। कार्नी की नियुक्ति से कनाडा में आर्थिक और कूटनीतिक स्थिरता की उम्मीद की जा रही है।

भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती

- 9 मार्च 2025 को भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूज़ीलैंड को हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत ने 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 49 ओवर में चार विकेट से जीत दर्ज की। इससे पहले, भारत ने 2002 और 2013 में यह ट्रॉफी जीती थी। रोहित शर्मा को फाइनल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि न्यूज़ीलैंड के रचिन रवींद्र को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। इस जीत के साथ भारत चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे सफल टीम बन गई है। यह भारत का सातवां आईसीसी खिताब है, जिससे उसने अपनी क्रिकेट जगत में श्रेष्ठता सिद्ध की।

भारत-किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास "खंजर-XII" का आयोजन

- भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास "खंजर-XII" का 12वां संस्करण 10-23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने भाग लिया। इसका उद्देश्य शहरी व पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था।
- इस अभ्यास के दौरान स्नाइपिंग, जटिल इमारत हस्तक्षेप, पर्वतीय युद्ध और विशेष आतंकवाद-रोधी अभ्यास किए गए। जनवरी 2024 में यह अभ्यास भारत में हुआ था, जबकि इसका पहला संस्करण 2011 में भारत में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भारत-किर्गिस्तान रक्षा संबंधों को मजबूत करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देता है।

पंजाब ने 'प्रोजेक्ट हिफाजत' लॉन्च किया

- 6 मार्च को पंजाब सरकार ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए 'प्रोजेक्ट हिफाजत' की शुरुआत की। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर द्वारा अनावरण की गई यह पहल घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना के तहत 24x7 महिला एवं बाल हेल्पलाइन (181) संचालित की जाएगी।
- कॉल्स को आपातकालीन, गैर-आपातकालीन और सूचनात्मक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। आपातकालीन मामलों को ईआरएसएस-112 को भेजा जाएगा, जबकि अन्य मामलों को वन स्टॉप सेंटर (OSC) और जिला बाल संरक्षण इकाइयों को निर्देशित किया जाएगा। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से महिलाओं को कानूनी व मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा।

भारत ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती

- भारत ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में ईरान को 32-25 से हराकर खिताब बरकरार रखा। यह टूर्नामेंट 6 से 8 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ। भारत ने अब तक छह में से पांच संस्करणों में जीत दर्ज की है।
- तेहरान इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला शहर बना जिसने इसे दो बार आयोजित किया। प्रतियोगिता में सात टीमों को दो समूहों में विभाजित किया गया था। इस जीत के साथ भारत ने अपनी कबड्डी में वर्चस्व को और मजबूत किया।

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) 2025 जारी

- इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) 2025 जारी किया, जिसमें आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर बुर्किना फासो पहले स्थान पर रहा। पाकिस्तान दूसरे, सीरिया तीसरे और माली चौथे स्थान पर रहे, जबकि भारत 14वें स्थान पर रहा। पाकिस्तान में एक ही वर्ष में पहली बार 1,000 आतंकवादी हमले दर्ज किए गए, जिससे वहां आतंकी गतिविधियों में 45% की वृद्धि हुई। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) देश में सबसे तेजी से बढ़ता आतंकवादी संगठन बन गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक स्टेट (IS) और उसके सहयोगी 2024 में सबसे घातक आतंकवादी समूह बने, जिन्होंने 22 देशों में 1,805 मौतों के लिए जिम्मेदार थे।
- GTI हमलों, मौतों, चोटों और देश पर समग्र प्रभाव जैसे संकेतकों के आधार पर आतंकवाद का मूल्यांकन करता है। यह रिपोर्ट वैश्विक आतंकवाद के प्रमुख रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं।

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, बार्सिलोना में आयोजित

- मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) 2025 का आयोजन 3 से 6 मार्च तक बार्सिलोना, स्पेन में हुआ। इसे जीएसएम एसोसिएशन (GSMA) द्वारा फिरा ग्रान वाया प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम "कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट" थी, जिसमें मोबाइल और एआई-संचालित प्रौद्योगिकियों के संलयन पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और उन्नत कनेक्टिविटी पर चर्चाएं हुईं।
- इसमें सैमसंग, गूगल, क्वालकॉम, एलजी, सोनी, एएमडी, मेटा, एनवीडिया और लेनोवो सहित कई प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पिक्सेल 9 प्रो को "स्मार्टफोन ऑफ द ईयर" और जेमिनी को "ब्रेकथ्रू डिवाइस इनोवेशन" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MWC एक वार्षिक व्यापार शो है, जो मोबाइल संचार उद्योग को समर्पित है।

टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरथ कमल ने संन्यास की घोषणा की

- भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल ने मार्च 2025 में संन्यास लेने की घोषणा की, जिससे उनके 22 साल के गौरवशाली करियर का समापन होगा। वे अपना आखिरी टूर्नामेंट चेन्नई में डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर इवेंट में खेलेंगे, जो 25 से 30 मार्च तक आयोजित होगा।
- शरथ ने सात राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक, दो एशियाई खेलों के कांस्य पदक और पांच ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2024 पेरिस ओलंपिक में वे भारत के संयुक्त ध्वजवाहक भी रहे। उनके योगदान केवल खेल तक सीमित नहीं हैं; वे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

केंद्र सरकार ने 'प्रोजेक्ट लायन' को दी मंजूरी

- भारत सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण हेतु 'प्रोजेक्ट लायन' को 2,927.71 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी। 2020 की जनगणना के अनुसार, भारत में 674 एशियाई शेर हैं, जो मुख्य रूप से गुजरात के गिर जंगल और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह परियोजना शेरों के आवास और जनसंख्या प्रबंधन, वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी, मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन, पारिस्थितिकी पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है।
- 2024 में इस प्रयास के तहत 237 बीट गार्डों की भर्ती की गई। एशियाई शेर विश्व के सबसे संकटग्रस्त मांसाहारी प्रजातियों में से एक हैं, और यह परियोजना उनके संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह पहल सतत विकास और पारिस्थितिक संतुलन को ध्यान में रखकर वन्यजीव संरक्षण का एक प्रभावी मॉडल स्थापित करेगी।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना और आबकारी नीति को दी मंजूरी

- उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एक वैकल्पिक प्रावधान के रूप में लाई गई है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2025 को भी मंजूरी दी। इसके तहत धार्मिक स्थलों के पास शराब के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। उप-दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने साहित्य क्षेत्र में भी कदम बढ़ाते हुए 45 लेखकों को वित्तीय सहायता, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान और 21 नए साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है।

चीन के लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार

- चीन के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार मिला, जिसे 'वास्तुकला का नोबेल' कहा जाता है। लियू ने अपना करियर अकादमिक भवनों, संग्रहालयों और सार्वजनिक स्थानों को डिजाइन करने में समर्पित किया। उनकी वास्तुकला सुंदर, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक जीवन वातावरण बनाने पर केंद्रित है। उनकी फर्म, जियाकुन आर्किटेक्ट्स, ने चीन में 30 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। वे घनी आबादी वाले शहरों में सीमित जगहों पर सार्वजनिक क्षेत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं।
- प्रित्जकर पुरस्कार एक जीवित वास्तुकार को दिया जाता है, जिसका काम मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता हो। यह पुरस्कार प्रित्जकर परिवार द्वारा वित्त पोषित और हयात फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। लियू का काम आधुनिकता और सामाजिक जरूरतों के बीच संतुलन को दर्शाता है। उनकी रचनाएं पर्यावरण और संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता दिखाती हैं। यह सम्मान उनके वैश्विक प्रभाव और वास्तुकला में नवाचार को रेखांकित करता है।
-

स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया

- 4 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से हार के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 73 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे स्मिथ ने तुरंत साथियों को बताया कि यह उनका आखिरी वनडे था। हालांकि, 35 वर्षीय स्मिथ टेस्ट और टी20 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते रहेंगे। उन्होंने 170 वनडे में 12 शतकों सहित 5,800 रन बनाए। स्मिथ 2015 और 2023 में विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। 2010 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लेग-स्पिनिंग ऑलराउंडर के रूप में डेब्यू करने वाले स्मिथ ने बाद में बल्लेबाजी में महारत हासिल की। उन्हें 2015 और 2021 में ऑस्ट्रेलियाई वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और 2015 में आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में चुना गया। उनका संन्यास वनडे क्रिकेट में उनके शानदार करियर का अंत है, लेकिन टेस्ट में उनकी विरासत जारी रहेगी।

पीएम मोदी ने वनतारा का उद्घाटन किया

- 4 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। वनतारा एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास पहल है, जो 3,000 एकड़ में फैला अभयारण्य है। इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने मिलकर स्थापित किया है। यह जानवरों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने एक हाथी को देखा, जो एसिड हमले का शिकार था।
- उन्होंने उद्योगपति अनंत अंबानी के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस परियोजना को संभव बनाया। वनतारा का उद्देश्य घायल और संकटग्रस्त वन्यजीवों को बचाना और उनकी देखभाल करना है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मोदी ने इसे प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन का प्रतीक बताया। यह अभयारण्य भविष्य में पर्यावरण शिक्षा का केंद्र भी बन सकता है।

क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने

- 3 मार्च 2025 को क्रिश्चियन स्टॉकर ने ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में शपथ ली। वे पिछले साल के चुनाव के पांच महीने बाद बनी तीन-पक्षीय गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। स्टॉकर की सेंटर-राइट पीपुल्स पार्टी (ओवीपी), सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स (एसपीओ) और लिबरल नियोस ने जनवरी में असफल प्रयास के बाद समझौता किया। स्टॉकर ने पूर्व चांसलर कार्ल नेहमर से ओवीपी नेतृत्व संभाला, जिन्होंने प्रारंभिक वार्ता विफल होने पर इस्तीफा दे दिया था।
- एसपीओ नेता आंद्रेयास बैब्लर उप-चांसलर बने। पूर्व वकील स्टॉकर 2019 से संसद सदस्य हैं और सितंबर 2022 से पार्टी महासचिव थे। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 1949 से मजबूत राजनयिक संबंध हैं, जिन्होंने 2019 में 70 साल पूरे किए। स्टॉकर की सरकार को आर्थिक सुधार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटना होगा। यह गठबंधन ऑस्ट्रिया की राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।

10,000 एफपीओ: किसानों को सशक्त बनाने की पहल

- भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) लॉन्च किए हैं। 29 फरवरी, 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरु की गई इस योजना का बजट 6,865 करोड़ रुपये है, जो 2027-28 तक चलेगा। बिहार के खगड़िया में 10,000वां एफपीओ मक्का, केला और धान की खेती पर केंद्रित है। अब तक 4,761 एफपीओ को 254.4 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान और 1,900 को 453 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कवर मिला है। करीब 30 लाख किसान इससे जुड़े हैं, जिनमें 40% महिलाएं हैं। प्रत्येक एफपीओ को तीन साल में 18 लाख रुपये तक की सहायता, प्रति सदस्य 2,000 रुपये का इक्विटी अनुदान और 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी दी जाती है। ओएनडीसी पर 5,000 एफपीओ पंजीकृत हैं, जो ऑनलाइन बाजार पहुंच बढ़ा रहे हैं। यह पहल किसानों की आय और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत कर रही है।

विदर्भ का तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब

- विदर्भ ने नागपुर में फाइनल में केरल को हराकर अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। पहली पारी में विदर्भ ने 379 रन बनाए, जबकि केरल 342 रन पर सिमट गया, जिससे विदर्भ को निर्णायक बढ़त मिली। लीग चरण में विदर्भ ने सात में से छह मैच जीतकर 40 अंक हासिल किए और चारों समूहों में शीर्ष पर रहा। सेमीफाइनल में उसने मुंबई को 80 रनों से हराया। विदर्भ ने पहला खिताब 2017-18 में जीता था। रणजी ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 1934-35 में हुई थी, भारत की प्रमुख घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। इस जीत ने विदर्भ की क्रिकेट प्रतिभा और निरंतरता को फिर से साबित किया। यह खिताब क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

उत्तर प्रदेश के पांच आध्यात्मिक गलियारे

- उत्तर प्रदेश सरकार ने भक्तों के लिए पांच प्रमुख आध्यात्मिक गलियारे विकसित किए हैं। ये हैं: प्रयाग-विंध्याचल-काशी, प्रयागराज-अयोध्या-गोरखपुर, प्रयागराज-लखनऊ-नैमिषारण्य, प्रयागराज-राजापुर-चित्रकूट और प्रयागराज-मथुरा-वृंदावन-शुकतीर्थ।
- पहला गलियारा शक्ति और शिव की पूजा से जुड़ा है, दूसरा भगवान राम और गोरखनाथ परंपरा से, तीसरा नैमिषारण्य धाम (88 महातीर्थों में से एक) तक ले जाता है, चौथा राम के वनवास से संबंधित है, और पांचवां मथुरा-वृंदावन की यात्रा को सुलभ बनाता है।
- ये गलियारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। इससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने में भी मदद मिलेगी।

आंध्र प्रदेश का 2025-26 बजट

- आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें राजस्व व्यय 2.51 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 40,635 करोड़ रुपये है। राजस्व घाटा 33,185 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 1.82%) और राजकोषीय घाटा 79,926 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 4.38%) अनुमानित है।
- शिक्षा के लिए 31,805 करोड़ रुपये, पिछड़ा वर्ग के लिए 47,456 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 20,281 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यकों के लिए 5,434 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए 19,264 करोड़ रुपये और नगर प्रशासन के लिए 13,862 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सरकार प्रति परिवार 25 लाख रुपये का बीमा-आधारित स्वास्थ्य कवरेज शुरू करने की योजना बना रही है। यह बजट विकास और कल्याण पर केंद्रित है।

ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। इस कदम का उद्देश्य संचार को सुव्यवस्थित करना और राष्ट्रीय मूल्यों को मजबूत करना है। अब संघीय वित्त पोषण प्राप्त करने वाली एजेंसियां यह तय कर सकती हैं कि वे अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में सेवाएं या दस्तावेज प्रदान करेंगी या नहीं। यह पहली बार है जब अमेरिका ने संघीय स्तर पर आधिकारिक भाषा नामित की है।
- अमेरिका में करीब 68 मिलियन लोग अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, जिनमें 160 से अधिक मूल अमेरिकी भाषाएं शामिल हैं। अंग्रेजी के बाद स्पेनिश, चीनी और अरबी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। दुनिया के 180 देशों में आधिकारिक भाषाएं हैं, और अमेरिका के 30 से अधिक राज्यों ने पहले ही अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। यह निर्णय बहुभाषी समाज में एकता को बढ़ावा देने की दिशा में माना जा रहा है।

भारत जून 2025 तक तमाल को नौसेना में शामिल करेगा

- तमाल, एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, जून 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो सकता है। रूस के यंतर शिपयार्ड में निर्मित यह जहाज ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। यह 2016 के भारत-रूस सौदे का हिस्सा है, जिसमें चार तलवार श्रेणी के फ्रिगेट शामिल थे—दो रूस में और दो भारत में बनाए जाने थे।
- पहला रूसी जहाज, आईएनएस तुशील, 9 दिसंबर 2024 को नौसेना में शामिल हुआ। तमाल का परीक्षण रूस में चल रहा है। यह 3,900 टन वजनी जहाज 30 नॉट की गति और 3,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसमें पनडुब्बी रोधी रॉकेट, टॉरपीडो और हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है। यह दुश्मन के रडार से बचने में भी सक्षम है। तमाल नौसेना का आखिरी आयातित युद्धपोत होगा, जो भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगा।

हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन

- प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे आधुनिकतावादी कलाकारों के समूह 'ग्रुप 1890' के प्रमुख सदस्य थे। टेराकोटा, सिरेमिक, स्लिप-कास्टिंग तकनीक और कांस्य सिर जैसे कार्यों के लिए जाने जाते थे। उनकी चांदी की पेंटिंग्स में प्लास्टर, रेत और चांदी के पत्तों का उपयोग होता था।
- गुजरात के लोथल में जन्मे शाह ने अहमदाबाद में रसिकलाल पारीख से कला सीखी। उन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार (1956, 1962), बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार (1962), जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (1961), साहित्य कला परिषद पुरस्कार (1988) और कालिदास सम्मान (2003) से सम्मानित किया गया। उनकी कला ने भारतीय आधुनिक कला को नई दिशा दी और उनकी रचनाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं।

आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न दर्जा

- 3 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। ये रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) हैं और अब देश की 25वीं व 26वीं नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में आईआरसीटीसी ने 4,270.18 करोड़ रुपये का कारोबार और 1,111.26 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जबकि आईआरएफसी ने 26,644 करोड़ रुपये का कारोबार और 6,412 करोड़ रुपये का लाभ हासिल किया।
- नवरत्न दर्जा कंपनियों को 1,000 करोड़ रुपये तक का निवेश बिना केंद्र की मंजूरी के करने, संयुक्त उद्यम बनाने और विदेश में सहायक कंपनियां स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है। रेलवे की सात सूचीबद्ध सीपीएसई में से सभी को अब यह दर्जा मिल चुका है, जो उनकी वित्तीय मजबूती को दर्शाता है।

पीएम मोदी ने नदी डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट जारी की

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ के सासन गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में नदी डॉल्फिन की पहली आकलन रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत में 6,327 डॉल्फिन होने का अनुमान है। आठ राज्यों की 28 नदियों में 8,500 किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन हैं, इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम हैं। गंगा नदी डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, लगभग अंधी है और इकोलोकेशन पर निर्भर करती है। इसकी 90% आबादी भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली नदी प्रणालियों में पाई जाती है। यह रिपोर्ट संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने में मदद करेगी और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ONOP पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया' (ONOP) पहल का उद्देश्य भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत करना है।
2. ONOP पहल से बंदरगाह प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करके परिचालन लागत को कम करने की उम्मीद है।
3. इस पहल का प्राथमिक फोकस भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

2. लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीपीआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीपीआई) लॉन्च किया गया था।
2. एलपीपीआई प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों बंदरगाहों के प्रदर्शन का आकलन करेगा।
3. एलपीपीआई का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल्यांकन करना है।
4. एलपीपीआई परिणाम भारतीय बंदरगाहों में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A: 1, 2, और 3

B: 1, 2, और 4

C: 2, 3, और 4

D: उपरोक्त सभी

3. मैत्री पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मैत्री पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल एकीकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
2. मैत्री भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) के हिस्से के रूप में भारत और यूएई के बीच एक 'वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर' (वीटीसी) बनाएगा।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: दोनों

D: कोई नहीं

4. सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारी विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनमाने ढंग से गिरफ्तारी कर सकते हैं।
2. निर्णय में कहा गया है कि सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों को प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: दोनों

D: कोई नहीं

5. भारत के आदित्य-एल1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आदित्य-एल1 भारत का पहला सौर मिशन है, जिसे इसरो द्वारा 2 सितंबर, 2023 को लॉन्च किया गया है।
2. हाल ही में, आदित्य-एल1 के सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT) ने सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में सौर फ्लेयर, जिसे 'कर्नेल' के रूप में जाना जाता है, को कैप्चर किया।
3. आदित्य-एल1 लैग्रेंज पॉइंट 2 (एल2) पर स्थित है, जो निर्बाध सौर अवलोकन के लिए एक स्थिर स्थिति प्रदान करता है।

कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत की संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: दोनों

D: कोई नहीं

7. वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की रैंकिंग क्या है?

A: पहला

B: तृतीय

C: दसवां

D: 28वां

8. थाईलैंड निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा नहीं करता है?

A: कंबोडिया

B: मलेशिया

C: म्यांमार

D: वियतनाम

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, 30वां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय पर मनाया गया।
2. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है।
3. पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, 2000 को मनाया गया था।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

10. भारत में उपनिवेशी युग के कानूनों की संवैधानिकता के बारे में क्या सही है?

A: उन्हें चुनौती न दी जाए तो वे संवैधानिक माने जाते हैं।

B: उन्हें असंवैधानिक माना जाता है जब तक उन्हें न्यायसंगत न ठहराया जाए

C: वे तटस्थ हैं और उन्हें किसी न्यायसंगतता की आवश्यकता नहीं है

D: वे स्वचालित रूप से निरस्त हो जाते हैं

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ड्रामैटिक परफॉर्मेंस एक्ट, 1876 को ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार द्वारा भारत में सार्वजनिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने और राष्ट्रीयतावादी भावना को दबाने के लिए पेश किया गया था।
2. इस कानून ने सरकार को किसी भी प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया था जिसे घृणास्पद या मानहानि माना गया हो।
3. ड्रामैटिक परफॉर्मेंस एक्ट को 1956 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 3

B: केवल 1 और 2

C: केवल 3

D: उपरोक्त सभी

12. सर्कुलरिटी के लिए शहरों के गठबंधन (सी-3) के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. हाल ही में, भारत ने नई दिल्ली में आयोजित 12वें क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में सर्कुलरिटी के लिए शहरों के गठबंधन (सी-3) पहल की शुरुआत की है।
2. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सी-3 की शुरुआत की गई थी।
3. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 2009 में क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई थी।

कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

13. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. RPwD अधिनियम, 2016 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD), 2007 पर आधारित है।
2. अधिनियम 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता देता है और शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और पहुंच के अधिकार जैसे विभिन्न अधिकारों की गारंटी देता है।
3. RPwD अधिनियम के तहत, विकलांगता वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता हो।

कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

14. गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) गंगा और उसकी सहायक नदियों की नदियों में पाई जाने वाली एक लुप्तप्राय प्रजाति है।
2. यह अपनी लंबी, पतली थूथन, बड़े फ्लिपर्स और स्लिट जैसी नाक के लिए जानी जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: दोनों

D: कोई नहीं

15. बोस धातु क्या है?

A: एक पारंपरिक धातु जो कम तापमान पर सुपरकंडक्टर बन जाती है

B: पदार्थ की एक अनोखी अवस्था जहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं लेकिन सुपरकंडक्टिंग अवस्था में संघनित नहीं होते

C: एक पदार्थ जो कमरे के तापमान पर सुपरकंडक्टिविटी प्रदर्शित करता है

D: एक धातु जो कम तापमान पर इन्सुलेटर बन जाती है

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, मिशन स्टीयरिंग ग्रुप (MSG) की 9वीं बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
2. MSG राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है।
3. NHM, जो 2013 में शुरू हुआ था, का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करना है।

कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

17. 1990 और 2020 के बीच शिशु मृत्यु दर (IMR) में कितनी कमी आई थी?

A: 50%

B: 69%

C: 75%

D: 80%

18. डिलीमिटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डिलीमिटेशन भारत में चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
2. डिलीमिटेशन हर जनगणना के बाद की जाती है ताकि जनसंख्या में बदलाव के आधार पर संसद और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या को समायोजित किया जा सके।
3. डिलीमिटेशन का उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या हो।

कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

19. PUNCH मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, इसरो ने पोलरिमेटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर (PUNCH) मिशन लॉन्च किया है।
2. इसका उद्देश्य सौर कोरोना, सूर्य की बाहरी परत, का अध्ययन करना

है ताकि सौर फ्लेयर और सौर पवन को बेहतर समझा जा सके।

कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: दोनों

D: कोई नहीं

20. Assertion (A): तमिलनाडु में महिलाओं का सबसे अधिक हिस्सा ऋण लेने वालों में है, दिसंबर 2024 तक 44% महिलाओं के पास सक्रिय ऋण हैं।

Reason (R): दक्षिणी राज्य अन्य क्षेत्रों की तुलना में महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अधिक सफल रहे हैं।

सही विकल्प चुनें:

A: दोनों Assertion (A) और Reason (R) सही हैं, और Reason (R) Assertion (A) की सही व्याख्या है।

B: दोनों Assertion (A) और Reason (R) सही हैं, लेकिन Reason (R) Assertion (A) की सही व्याख्या नहीं है।

C: Assertion (A) सही है, लेकिन Reason (R) गलत है।

D: Assertion (A) गलत है, लेकिन Reason (R) सही है।

21. ग्रीन लैंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. ग्रीन लैंड फ्रांस का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है।
2. यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है
3. इसमें खनिजों और तेलों सहित प्राकृतिक संसाधनों की विशाल मात्रा है।

कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

22. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) भारत में पशुधन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. LHDCP के पास 2024-26 की अवधि के लिए ₹3,880 करोड़ का आवंटित परिव्यय है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: दोनों

D: कोई नहीं

23. भारत में दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A: पशु आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और भंडारण करना

B: नई पौधों की प्रजातियों को पेश करके भारत की कृषि उत्पादकता को बढ़ाना

C: पौधों के आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा करना और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना

D: पहले राष्ट्रीय जीन बैंक को पूरी तरह से बदलना

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, पीएम मोदी ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है जिसमें 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनें होंगी।
2. जीन बैंक एक ऐसी सुविधा है जिसे विभिन्न पौधों की प्रजातियों से एकत्र किए गए आनुवंशिक पदार्थ, जैसे बीज, पराग या ऊतक के नमूने संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. भारत का पहला जीन बैंक 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR) द्वारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1

D: 1, 2 और 3

25. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है।
2. यह सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।
3. यह केवल 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए लागू

है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

26. AI कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. AI कोष भारतीय सरकार द्वारा AI अनुप्रयोग विकास के लिए महत्वपूर्ण डेटासेट, कंप्यूटिंग संसाधनों और उपकरणों तक पहुँच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया एक मंच है।
2. AI कोष साझा उपयोग के लिए 14,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) तक पहुँच प्रदान करता है।
3. AI कोष पर GPU का उपयोग करने की लागत 100 रुपये प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1

D: उपरोक्त सभी

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पेरिस समझौता ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से नीचे सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
2. 1.5°C लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2025 से पहले चरम पर होना चाहिए और 2030 तक 43% कम होना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: दोनों

D: कोई नहीं

28. लिंग समानता पर ILO रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ILO रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक रोजगार में लिंग समानता को मौजूदा गति से हासिल करने में 190 साल से अधिक का समय लगेगा।
2. 2023 तक, महिलाएं वैश्विक स्तर पर 40% प्रबंधकीय पदों पर हैं, जो पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।
3. नर्सिंग, चाइल्डकैअर और शिक्षा जैसे कम वेतन वाले क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1

D: उपरोक्त सभी

29. इंडियाएआई मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. मिशन का उद्देश्य एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, एआई नवाचार को बढ़ावा देना और सभी क्षेत्रों में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
2. नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है।
3. कार्यान्वयन एजेंसी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1

D: उपरोक्त सभी

30. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ILO एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है।
2. ILO की स्थापना अक्टूबर 1919 में लीग ऑफ नेशंस के तहत की गई थी।
3. ILO के 187 सदस्य देश हैं, जो सभी संयुक्त राष्ट्र के देश हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1

D: उपरोक्त सभी

31. अभिकथन (A): अमेरिका में तितली आबादी में गिरावट के प्राथमिक

कारण कीटनाशक, जलवायु परिवर्तन और आवास का नुकसान हैं।

कारण (R): कीटनाशक तितलियों के जीवन चक्र को बाधित करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण को कम अनुकूल बनाता है, और आवास का नुकसान तितलियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को नष्ट कर देता है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

A: अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन के लिए सही स्पष्टीकरण है।

B: अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C: अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

D: अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं।

32. अभिकथन (A): भारत और आयरलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) की स्थापना की है।

कारण (R): JEC व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का पता लगाने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में काम करेगा।

निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है?

A: अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन के लिए सही स्पष्टीकरण है।

B: अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C: अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

D: अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं।

33. भारत-आयरलैंड संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और आयरलैंड के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित किए गए थे।
2. 2023-2024 तक, भारत और आयरलैंड के बीच कुल व्यापार 10 बिलियन अमरीकी डॉलर है।
3. लगभग 60,000 भारतीय छात्र वर्तमान में आयरिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 3

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1

D: उपरोक्त सभी

34. भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और भूटान के बीच मैत्री संधि द्वारा समर्थित एक मजबूत संबंध है, जिस पर पहली बार 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे।
2. दोनों देशों ने हाल ही में सर्वेक्षण और सीमा-संबंधी कार्यों पर तकनीकी और क्षमता निर्माण सहयोग पर चर्चा की।
3. भूटान इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जहाँ भूटान का 50% से अधिक व्यापार भारत के साथ होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 3

B: केवल 1 और 2

C: केवल 1

D: 1, 2 और 3

35. गंगा जल संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी से समान जल वितरण सुनिश्चित करती है।
2. संधि 2026 में समाप्त हो जाएगी, और इसके नवीनीकरण पर विचार-विमर्श पहले से ही चल रहा है।
3. 1972 में स्थापित संयुक्त नदी आयोग (JRC) केवल भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी का प्रबंधन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1

D: 1 और 3

36. कोच-राजबोंगशी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोच-राजबोंगशी एक प्राचीन स्वदेशी जनजाति है, जो कोच साम्राज्य से उत्पन्न हुई है।
2. यह जनजाति केवल भारत के असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है।
3. कोच-राजबोंगशी समुदाय को भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

A: केवल 1 और 3

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 2

D: 1, 2 और 3

37. माधव राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राष्ट्रीय उद्यान केवल आर्द्र पर्णपाती वनों से आच्छादित है और इसमें अन्य पारिस्थितिकी तंत्र नहीं पाए जाते।
2. माधव राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में भारत का 58वाँ बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है।
3. बाघ अभयारण्य घोषित होने से यह क्षेत्र वन्यजीव गलियारों को मजबूत करने और आनुवंशिक आदान-प्रदान में सहायता करेगा।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 3

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 2

D: 1, 2 और 3

38. भारत में बाघ संरक्षण प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में भारत सरकार द्वारा लुप्तप्राय बंगाल बाघों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था।
2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जो राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
3. भारत में वर्तमान में 58 बाघ अभयारण्य हैं, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 2.3% हिस्से को कवर करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 3

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 2

D: 1, 2 और 3

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. INST और BARC के वैज्ञानिकों ने एक उन्नत सुरक्षा स्याही विकसित की है, जो जालसाजी रोकने में मदद करेगी।
2. यह स्याही स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड (Sr_2BiF_7) यौगिक पर आधारित है।
3. इसका उत्पादन सह-अवक्षेपण तकनीक (Co-precipitation technique) द्वारा किया जाता है।
4. यह स्याही केवल पराबैंगनी (UV) प्रकाश में चमकती है और अन्य किसी प्रकाश में नहीं।

सही कथन का चयन करें:

A: केवल 1, 2 और 3

B: केवल 2, 3 और 4

C: केवल 1 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

40. प्रत्यर्पण (Extradition) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत एक देश किसी अपराधी को वापस लाने या दूसरे देश को सौंपने का अनुरोध करता है।
2. भारत में प्रत्यर्पण भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 द्वारा शासित है।
3. प्रत्यर्पण केवल उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जिन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो।
4. भारत केवल उन देशों के साथ प्रत्यर्पण कर सकता है जिनके साथ उसकी द्विपक्षीय संधि है।

सही कथन का चयन करें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2, 3 और 4

C: केवल 1, 2 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-2024 के दौरान भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा।
2. 2015-2019 की तुलना में भारत के हथियार आयात में 9.3% की कमी दर्ज की गई।
3. फ्रांस, भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया, जबकि रूस की हिस्सेदारी घटकर 36% रह गई।

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025 भारतीय बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 1856 का स्थान लेता है।
2. यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत के समुद्री कानूनों को विकसित करने का प्रयास करता है।
3. इस विधेयक के तहत राज्य सरकारों को समुद्री व्यापार के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इन्फ्लूएंजा वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और तीव्र वायरल संक्रमण का कारण बनता है।
2. टाइप डी इन्फ्लूएंजा मुख्य रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है और गंभीर महामारी का कारण बन सकता है।
3. ए(H1N1) और ए(H3N2) दोनों इन्फ्लूएंजा ए वायरस के उपप्रकार हैं जो मनुष्यों में फैल सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

44. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

A: इन्फ्लूएंजा वायरस दूषित वस्तुओं और हवा में मौजूद वायरस कणों के माध्यम से फैल सकता है।

B: A(H1N1) वायरस 2009 की महामारी से जुड़ा था और इसे A/(H1N1)pdm09 भी कहा जाता है।

C: इन्फ्लूएंजा टाइप C महामारी और गंभीर मौसमी संक्रमणों का प्रमुख कारण होता है।

D: वैश्विक स्तर पर इन्फ्लूएंजा से हर साल अनुमानित 2.9 लाख से 6.5 लाख मौतें होती हैं।

45. APAAR ID के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह छात्रों को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड संग्रहीत करने के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है।
2. इसे आधार से लिंक किया गया है और आसान पहुंच के लिए डिजीलॉकर में संग्रहीत किया गया है।
3. पूरे भारत में सभी छात्रों के लिए एपीएआर आईडी के लिए पंजीकरण पूरी तरह से अनिवार्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

46. APAAR ID मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सरकारी पहल से जुड़ी है?

A: राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

B: नई शिक्षा नीति (NEP) 2020

C: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

D: समग्र शिक्षा अभियान

47. भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी है।
3. भारत में छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

48. स्क्वाड समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्क्वाड एक अनौपचारिक सुरक्षा गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं।

2. समूह चीन की नौसैनिक उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर में संयुक्त समुद्री अभियान चलाता है।
3. भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करने के लिए स्क्वाड का विस्तार भारत-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

49. कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन के लिए प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना छोटे और बड़े दोनों व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन प्रदान करती है।
2. इस योजना के तहत, सभी व्यापारी श्रेणियों में लेनदेन के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) होगा।
3. अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए 80% दावों को बिना शर्त वितरित किया जाएगा, जबकि शेष 20% प्रदर्शन की शर्तों पर आधारित होंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

50. निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम प्रवास और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

A: प्रवास नौकरी के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर मुद्रास्फीति को कम करता है।

B: प्रवास आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाकर मुद्रास्फीति को बढ़ाता है।

C: प्रवास का मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कीमतें केवल सरकारी नीतियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

D: प्रवास केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है और शहरी मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं करता है।

उत्तर

1	B	11	B	21	A	31	A	41	B
2	D	12	B	22	D	32	A	42	A
3	C	13	C	23	C	33	C	43	C
4	B	14	C	24	C	34	A	44	C
5	B	15	B	25	A	35	A	45	A
6	C	16	C	26	A	36	A	46	B
7	B	17	B	27	C	37	B	47	A
8	D	18	C	28	C	38	A	48	B
9	B	19	B	29	D	39	A	49	B
10	B	20	A	30	A	40	C	50	B

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION
मंज़िल बस
कुछ कदम दूर
RO/ARO- 2023
समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी
Prelims Test Series
Online
Offline
Total Test - 10
27th April 2025
12:00 noon
FEE STRUCTURE
Dhyeya Student 1500 + GST
Non Dhyeya 2000 + GST
Online Mode 599
For Online Admission
Scan this QR Code
Aliganj 7619903300
Gomti Nagar 7570009003